

योजनाएं / नीतियां

- जनकल्याणकारी
- स्वरोजगार/रोजगारपरक
- कौशल विकास/प्रशिक्षण परक
- मूलभूत सेवायें
- प्रमाण पत्र



राज्य सरकार

मेरी योजना मेरा अधिकार , अपणि सरकार जनता के द्वार

लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

पोर्टल

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
उत्तराखण्ड शासन



“मेरी योजना”

“उत्तराखण्ड राज्य में संचालित जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं को सरल शब्दों में जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु गत वर्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रतिष्ठा राज्य के समस्त ग्रामप्रधानों/जनप्रतिनिधियों तथा विभागाध्यक्षों एवं राज्य के समस्त राजकीय पुस्तकालयों को वितरित की गयी तथा आमजनमानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु पुस्तक की पीडीएफ प्रति उत्तराखण्ड के समस्त विभागों की वेबसाइट में उपलब्ध है। गतवर्ष में पुस्तक को तैयार करते समय कतिपय विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं/योजनाएं प्राप्त नहीं हो पाई थी तथा कई विभागों की योजनाओं में वर्तमान में परिवर्तन हुआ है। इसलिए पुस्तक की सफलता एवं मांग को देखते हुये तथा कतिपय विभागों की अप्राप्त सूचनाओं एवं अद्यतन सूचनाओं को एकत्रित कर पुनः मुद्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी, फलतः द्वितीय संस्करण के रूप में “मेरी योजना”

पुस्तक आपके समक्ष है। इस पुस्तक में राज्य सरकार के उन विभागों की योजनाओं का उल्लेख किया है, जो या तो पूर्व में अप्रकाशित थे या जिनकी योजनाओं में वर्तमान में संशोधन हुआ है। पुस्तक के आगामी पन्नों पर कई जगह पर संशोधन का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि “मेरी योजना” पुस्तक के पूर्व संस्करण में उल्लिखित सूचना संशोधन के साथ पुनः प्रकाशित हुई है। आशा है कि “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण की सूचनाएं पाठकों/लाभार्थियों/शोधार्थियों/नीतिनिर्धारणकर्ताओं के लिए लाभदायक होगी एवं राज्य की जनता को योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी जागरूक करेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव हेतु कृपया पता-सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड, देहरादून तथा ईमेल- sopi-1@uk.gov.in में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करणों को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।



कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून। ई-मेल: sopi-1@uk.gov.in

संरक्षण एवं निर्देशन

ले.ज. गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.)
मा. राज्यपाल उत्तराखण्ड
श्री पुष्कर सिंह धामी- मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
श्रीमती राधा रतूडी- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड
श्री दीपक कुमार-सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सम्पादक

श्री दीपक कुमार-सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सह-सम्पादक

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्री रावेन्द्र चौहान-विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी-विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार-समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं सूचनाओं का संकलन तथा मीटिंग/वार्ता गतिविधियां

श्री एन.एस. डुंगरियाल- संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री रावेन्द्र चौहान, श्रीमती वन्दना पाटनी, श्रीमती सरिता तोमर-विशेषकार्याधिकारी, श्री नन्दराम-पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री प्रकाश पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा, श्रीमती रंजना, श्री रमेश कुमार-समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल- अनुभाग अधिकारी, श्री रावेन्द्र चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल-विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग, पेज डिजाइन एवं पुस्तक डाटा संरक्षण

श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार-समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी-कम्प्यूटर सहायक एवं श्री मुकेश चन्द्र देवरानी-कम्प्यूटर सहायक, श्री अमित वर्मा-होमगार्ड, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन

सहयोग

राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों के समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक एवं एनआईसी टीम।

मुद्रण

(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मुद्रित तथा पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में <https://uk.gov.in> पर उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड



राजभवन उत्तराखण्ड
देहरादून 248 003
दूरभाष: 0135-2757400
0135-2757403

20.11.2024



संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक में उत्तराखण्ड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा परक पहलों और निवेश संबंधी नीतियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

"मेरी योजना" पुस्तक न केवल राज्य की योजनाओं और नीतियों को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि आम जनमानस को इनसे जुड़ने और लाभान्वित होने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। "मेरी योजना" पुस्तक को डिजिटल माध्यम से भी जनसामान्य तक पहुंचाने की पहल वास्तव में प्रशंसनीय और समयानुकूल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक जनहित के लिए उपयोगी साबित होगी।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के इस अभिनव प्रयास के लिए मैं अपनी हार्दिक बधाई एवं पुस्तक प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

गुरमीत

ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)

पुष्कर सिंह धामी



मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001
फोन : 0135-2650433
0135-2716262
फैक्स : 0135-2712827
कैम्प कार्या.: 0135-2750033
0135-2750344
फैक्स: 0135-2752144

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" नामक पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं को जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने हेतु नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को सरल भाषा में साररूप से संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जनमानस तक पहुंच बनाये रखने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के जनमानस को तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के प्रकाशन से जहाँ एक ओर, सरकार जनता के द्वार के अनुरूप योजनाओं पर आम जनमानस की पहुंच हो जाएगी वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के अधिक से अधिक उपयोग से रोजगार/स्वरोजगार के सृजन में भी नये आयाम स्थापित होंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक के द्वितीय संस्करण को अल्प अवधि में प्रकाशित किया जाना एक सराहनीय पहल है।

इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(पुष्कर सिंह धामी)

राधा रतूड़ी



मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
राज्य सचिवालय, देहरादून
फोन: (का.) 0135-2712100, 2712200
फैक्स: 0135-2712500
ई-मेल: cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

दिनांक: 11 नवम्बर 2024

सदेश

प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं की आम जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने से सम्बन्धित नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी पहुंच बनाये रखने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सार्थक पहल की जा रही है।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के आम जनमानस को लाभ होगा एवं प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।


(राधा रतूड़ी)

दीपक कुमार
सचिव



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2664127

सदेश

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी को संकलित करते हुए इस पुस्तक की भाषा बेहद सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि राज्य का कोई भी आम नागरिक यदि पुस्तक पढ़ें तो वह आसानी से योजनाओं/सेवाओं/का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, की प्रक्रिया समझ सकें।

मेरी योजना पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भी राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का आम जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने की नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल के माध्यम से भी जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है, जिसमें योजनाओं/सेवाओं का नाम, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया का उल्लेख तथा जिन प्रतिष्ठानों की सूचना इस प्रारूप में नहीं है, का भी संक्षिप्त विवरण एवं उनके द्वारा किये जाये रहे कार्यों का विवरण उल्लिखित किया गया है, ताकि राज्य के नागरिक राज्य में स्थापित इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवाओं/कार्यों का लाभ एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक में पूर्व में प्रकाशित विभागों की योजनाओं में यदि संशोधन है तो उसका भी उल्लेख किया गया है तथा जिन विभागों में नयी योजनाएं जोड़ी गई है, उनको भी समाहित किया गया है।

अतः मेरा पुनः विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं/कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं इनका लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं पाठकों, शोधार्थियों एवं नीति नियंताओं तथा विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

(दीपक कुमार)
सचिव

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, निगम, संगठनों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, योजनाओं/कार्यक्रमों, निवेशपरक नीतियों तथा मूलभूत सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	समाज कल्याण विभाग	01. अटल आवास योजना 02. दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार 03. दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय तथा मरम्मत कराये जाने हेतु अनुदान। 04. जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान 05. दिव्यांग छात्रवृत्ति कक्षा (01 से 08) 06. अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार। समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण:- 1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास 4.राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह 5.राजकीय भिक्षुक गृह 6. मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों हेतु आवास गृह 7. राजकीय दिव्यांग कर्मशाला उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग	1-6 7-8
2.	जनजाति कल्याण विभाग	1.अनु० जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता (राज्य सहायतित) 2. बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना 3.अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु अटल आवास योजना 4. परीक्षा पूर्व कोंचिग 5. प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PM JANMAN) जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण:- 1.शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरण 2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण 3. तकनीकी/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण शैक्षिक/संस्थानों/विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया:- 1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शैक्षिक संस्थानों/विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया:-1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग	9-13 14-15
3.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	1.प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) 2. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति) 3.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जनजाति) 4.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग) 5.शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	16-18
4.	सैनिक कल्याण विभाग	1. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण (संशोधित) ।	19-20
	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल)	1. रोजगार हेतु प्रायोजन 2. कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	21-22
5.	महिला कल्याण विभाग	01. पालना घर (क्रैच) उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग	23-24 25-26

6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	27-28
	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून	1.मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षाएँ संचालित करना। 2. तहतानिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना।	29-30
	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड	1. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा	31
7.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	1.मोबाईल लर्निंग सेन्टर 2. चिकित्सा जाँच सुविधा 3. सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना। WFC स्थान और पता (गढ़वाल क्षेत्र)-16 एवं WFC स्थान और पता (कुमाऊँ क्षेत्र)-17 का विवरण	32-35
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	विधिक माप विज्ञान विभाग:- 1. बाट-माप तथा तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ता को लाइसेन्स। 2. बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विक्रेता को लाइसेन्स। 3. बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विनिर्माता को लाइसेन्स।	36-37
		उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग	38
		राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	39-40
9.	गृह (पुलिस) विभाग	1. साइबर क्राइम।	41-45
		2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ	46-47
		3. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड	48
		4. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण	49
		5. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग	
10.	भाषा विभाग	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादून:-1.उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान 2. हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना 3. भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन 4. विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान	50-51
11.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा परियोजना)	1.निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड 2. रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण 3. समावेशित शिक्षा 4. सामुदायिक सहभागिता 5. गुणवत्ता एवं नवाचार निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक 6. निःशुल्क गणवेश 7.Maths Wizard & Spelling Genius 8.कला उत्सव प्रतियोगिता 9. Enhancement of Spoken English Programme 10. यूथ एवं ईको क्लब 11. विद्या समीक्षा केन्द्र 12. सुपर-100 कार्यक्रम	52-56
12.	संस्कृत शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार: 1.संस्कृत छात्र प्रतियोगिता (संशोधित) 2. अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन (संशोधित) 3. संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान (संशोधित) 4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (संशोधित) 5. गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 6. शोधग्रन्थ चयन योजना 7. अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन 8.अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं	57-63

		अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन 9. वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	
		उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण	
13.	<u>प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा, विभाग</u>	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण	64-70
		वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	71-73
14.	<u>कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग</u>	कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा वर्तमान में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण	74-77
15.	<u>खेल विभाग</u>	1.कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति (संशोधित) 2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को खेलकिट प्रदान 3. उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/क्लबों/खेल समितियों को अनुदान एवं आर्थिक सहायता 4. अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता 5. निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कवैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं स्वीमिंग) का निर्माण	78-80
16.	<u>उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)</u>	1.यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन 2. महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, अध्यापकों एवं युवा छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कॉन्क्लेव एवं सम्मान का आयोजन 3. डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना	81-83
17.	<u>उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-कॉस्ट)</u>	1. विज्ञान संचार एवं लोकव्यापिकरण (संशोधित) 2. उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम (संशोधित) 3. सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव (संशोधित) 4. उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी (संशोधित) 5. सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली (संशोधित) 6. लैब्स ऑन व्हीलस 7. विज्ञान केन्द्र चम्पावत 8. मानसखण्ड उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोडा 9. स्टैम (STEM) लैब 10.एस. सी. एस. टी. सैल की स्थापना 11. उत्तराखण्ड@25 आदर्श चम्पावत 12. पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना 13. उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र 14. आपदा प्रबन्धन केन्द्र	84-89
18.	<u>उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)</u>	1.आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कार्यक्रम।	90
19.	<u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग</u>	1. उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण- वय वंदना योजना	91-92
20.	<u>उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण</u>	1. राजकीय मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों, आर्युवेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालयों तथा श्रम विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न अध्यापन संकाय, चिकित्साधिकारी, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रक्रिया।	93-94

21.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	95-97
22.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	1.स्टार्टअप नीति-2023 (संशोधित) 2. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 (संशोधित) 3.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 4. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति-2023	98-103
		स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल)	104-105
23.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1. उत्तराखण्ड ऊन योजना 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	106-109
24.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	1.सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (संशोधित) 2. उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना (संशोधित) 3. लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता (संशोधित) 4. धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता (संशोधित) 5. अनु0जा0/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश-भूषा का क्रय करने हेतु (संशोधित) 6. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (संशोधित) 7.प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, निकट दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून। 8. हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट, देहरादून।	110-114
		राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा	115
		राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़	116
		श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति	117-118
25.	पर्यटन विभाग	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्:- 1. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण 2. निधि + पोर्टल (पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना) 3. रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग गतिविधियों का संचालन। 4. पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन। 5- P1, P2, P3, P4, SIV, गाईडेड प्लाइंग। 6. लाइफ सेविंग टेकनीक वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर 7. बेसिक क्याकिंग कोर्स 8. राफ्टिंग कोर्स और इंटर्नशिप 9. स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स 10. हाई एलटीयूड गाइड कोर्स। 11. लो एलटीयूड गाइड कोर्स 12. स्कीइंग कोर्स।	119-125
		गढ़वाल मण्डल विकास निगम	126-128
		कुमाऊ मण्डल विकास निगम	129-131
		राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून	132
		जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, अल्मोड़ा	133
26.	ऊर्जा विभाग (उरेड़ा)	1. पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना 2. सोलर वाटर हीटर योजना	134-137
	विद्युत नियामक आयोग	विद्युत नियामक आयोग	138-153

27.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1. फिल्मों को अनुदान (संशोधित)	154-155
28.	ग्राम्य विकास विभाग	1.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत (संशोधित) 2.लखपति दीदी योजना 3. बाइब्रेंड विलेज प्रोग्राम 4. हाउस ऑफ हिमालयाज 5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग	156-161 162
29.	कृषि विभाग	1.स्टेट मिलेट मिशन 2. स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम	163-164
	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	नमामि गंगे योजना	165
	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	1. व्यवसायिक दुकानों का आवंटन 2. किसान बाजार की दुकानों का आवंटन 3. कैण्टीनों का आवंटन 4. व्यापारिक गोदाम 5. छात्रवृत्ति योजना 6. व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना 7. कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना 8. ठेकदारी का पंजीकरण 9. सम्पर्क मार्ग 10. हैण्डपम्प	166-173
	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	शैक्षणिक कार्यक्रम:- 1. स्नातक पाठ्यक्रम 2. परास्नातक पाठ्यक्रम 3.पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम छात्र-कल्याण विभाग:- 1 खेल छात्रवृत्ति (यूजी) 2. विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (पीएचडी) 3. मेरिट छात्रवृत्ति (शीर्ष 03 यूजी छात्र) 4. फ्रीशिप स्टाफ वार्ड 5. रू0 1,00,000 से कम फ्रीशिप (केवल यूजी छात्र) 6. मंडी समिति 7. छात्रवृत्ति योजना जेएंडके पीएमएसएस (सीधे प्रवेश फॉर्म एआईसीटीई) 8.गेट छात्रवृत्ति 9.डीएसटी-इंस्पायर (पीएचडी) 10.आईसीएमआर (पीएचडी) 11.आईसीएसएसआर (पीएचडी) 12. सीएसआईआर (पीएचडी) 13. आईसीएआर-एनटीएस यूजी (बी.एससी.) 14.आईसीएआर-एनटीएस पीजी (एम.एससी.) 15. आईसीएआर-एसआरएफ (पीएचडी) 16.आईसीएआर-जेआरएफ एम.एससी. 17. आरजीएनएफ-नेट-जेआरएफ (पीएचडी) 18.आरजीएनएफ-एससी (पीएचडी) 19.आरजीएनएफ-एसटी (पीएचडी) 20. आरजीएनएफ-ओबीसी (पीएचडी) 21.पीडीएफ-एचएससी 22. पीडीएफ महिला 23. अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी) 24. आईसीएआर-अफगानिस्तान 25.आईसीएआर-अफ्रीकी 26.अमित गौतम मेमोरियल स्कॉलरशिप (बी.टेक (इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग) चतुर्थ) 27.मेरिट एसएच का पुरस्कार। एजी के छात्रों के लिए. इंजीनियरिंग (बी.टेक तृतीय/चतुर्थ वर्ष) 28.चांसलर स्वर्ण पदक 29 .डॉ. ध्यानपाल सिंह मेमोरियल अवार्ड (सभी महाविद्यालयों के यूजी अंतिम वर्ष के छात्र) 30.डॉ. एस.के. मुखर्जी छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. द्वितीय और तृतीय वर्ष) 31. एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन रिसर्च फेलोशिप (एमएससी एजी सभी अनुशासन) 32.प्रियांक पाठक छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी (चतुर्थ वर्ष) छात्र) 33.मोनसंटो छात्रवृत्ति (एम.एससी. कृषि विज्ञान और कृषि। जैव प्रौद्योगिकी) 34.के.सी. शर्मा फेलोशिप (एम.एससी. एजी, एग्रोनॉमी (द्वितीय वर्ष) छात्र) 35.डॉ. एस.के. शर्मा और (पीएचडी गणित) 36.डॉ. वी.एन. माथुर पुरस्कार (एम.एससी. गणित) 37.डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय स्वर्ण पदक (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 38.डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय जरूरतमंद छात्र निधि (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 39.श्रीमती उमा गुप्ता फेलोशिप (एम.एससी. एजी. (जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग) 40.श्रीमती बिमला रानी मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी., बी.वी.एससी. और ए.एच., बी.एचएससी. और बी.एफ.एससी.) 41. डॉ. वाई.वी. सब्जी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थीसिस के लिए सिंह	174-188

		पुरस्कार। 42.वरुण पंवार मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी. द्वितीय वर्ष (1), तृतीय वर्ष (01) और चतुर्थ वर्ष (01) छात्र) निदेशक शोध:-1.बीज अनुदान 2. रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रसार शिक्षा कार्यक्रम :- 1.प्रशिक्षण एवं भ्रमण इकाई 2. समेटी-उत्तराखण्ड 3 कृषि विज्ञान केन्द्र 4. कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, एटिक 5. अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी	
30.	उद्यान विभाग	1. सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र 2. राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल:- 1.बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं पीएच0डी0 2.किसान विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रशिक्षण तथा अन्य सहायक योजनायें 3.ग्रामीण कृषि मौसम सेवा 4. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	189-190 191-192
31.	पशुपालन विभाग	1. पशुधन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान	193-194
	उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	1. मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2. ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म 3. राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना 4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उधमिता विकास योजना	195-197
	उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग	संक्षिप्त परिचय एवं कार्य	198-199
32.	डेरी विकास विभाग	1. महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड	200-201
33.	मत्स्य विभाग	1. मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (प्रारूप तालिका-1) 2. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (नवीन योजना) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सह योजना 3. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मत्स्य क्षेत्रक	202-206
34.	वन एवं पर्यावरण विभाग	1. मानव वन्य जीवन सघर्ष राहत वितरण निधि के अन्तर्गत मुआवजा का विवरण। (संशोधित) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:- 1. स्थापनार्थ सहमति (CTE) 2. संचालनार्थ सहमति (CTO) 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 4. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 6. ई-वेस्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 7. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 8. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	207-211
35.	आवास विभाग	1. उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2024 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक। (संशोधित) उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण	212-213 214-215
	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	1. मानचित्र सरलीकरण प्रक्रिया 2. उदय ऐप के द्वारा मानचित्र स्वीकृति 3. आवासीय निर्माण हेतु मॉडल मानचित्र उपलब्ध कराना 4. हेल्प डेस्क 5. आवासीय सुविधा 1-इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप आवास)	216-217

36.	शहरी विकास विभाग	राज्य सफाई कर्मचारी आयोग	218
	नगर निगम, देहरादून	1.व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बी0एल0सी0) 2.स्वतः रोजगार कार्यक्रम 3.स्वयं सहायता समूह 4. शहरी निराश्रितों हेतु सहयोग 5. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना (पी0एम0स्वनिधि) 6.जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र 7.मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 8.अनुपलब्धता जन्म प्रमाण पत्र हेतु 9. सम्पत्ति कर संग्रह 10. सम्पत्ति हस्तांतरण अविवादित/विवादित 11.कर निर्धारण सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराये 12. उत्तराखण्ड राज्य की लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रमाण पत्र 13. एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र	219-230
37.	पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम)	1. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) (संशोधित) 2. विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अर्द्धनगरीय पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था।	231-232
38.	राजस्व विभाग	1.अरायज नवीश लाईसेंस 2.स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस 3.साहुकारी व्यवसाय लाईसेंस 4.उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र 5. तहसीलों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हुई टंकण त्रुटि दुरस्त किया जाना 6. राजस्व अभिलेखागार/न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण 7.लीज नवीनीकरण	233-235
39.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड परिवहन निगम:- विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों हेतु निगम बसों में छूट का विवरण	236-238
40.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ (संशोधित) 2. ड्रोन नीति 2023 3. आई0टी0 इन्क्यूबेशन सेन्टर 4. मुख्यमंत्री संदर्भ पोर्टल https://cmreferences.uk.gov.in/ 5. मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल (तहसील दिवस) https://cmjs.uk.gov.in/	239-243
41.	लघु सिंचाई विभाग	1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (सतही योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश) 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (भूजल योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश) 3. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी0एम0-कुसुम) (50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश, 20% कृषक अंश) 4. नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण 5. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) (100% राज्यांश) 6. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण (100% राज्यांश) 7. अनुसूचित जाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश) 8. अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	244-248
42.	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (वित्त विभाग)	1. भूमि/भवन की रजिस्ट्री (अचल सम्पत्ति का पंजीकरण) 2. विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान करना 3. रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल प्रदान करना 4. भूमि/भवन आदि की पूर्व में पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना 5. रजिस्ट्री में दी जा रही स्टाम्प छूट	249-250
	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स	1. सोसाइटी पंजीकरण 2. फर्म पंजीकरण	251

43.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विभाग	1.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (NFSM) 2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 3. सब मिशन ऑन ग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) 4. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 5.गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम/उत्पादन में वृद्धि की योजना 6. जिला योजना 7.गन्ना कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	252-257
44.	आबकारी विभाग	आबकारी विभाग	258-259
45.	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड	1.ई-निविदा सह ई-नीलामी खनन पट्टा 2. निगमों को पट्टे का आवंटन 3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट 4. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट 5. हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट 6. रिटेल भण्डारण 7. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा	260-265
46.	आभार		266
47.	उत्तराखण्ड राज्य के उक्त विभागों के नाम/पता/वेबसाइट का पूर्ण विवरण		267-274

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड



समाज कल्याण विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	अटल आवास योजना	₹ 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा ₹1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किस्तों में।	1.अनुसूचित जाति के परिवार 2.बीपीएल या ₹ 48000 वार्षिक आय सीमा 3.आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	प्रति वर्ष जनपदों को लक्ष्य दिये जाते हैं। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधार सीडिंग/लिक बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य है। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। खण्ड विकास स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदनों में से मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की समिति द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तदोपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।
02.	दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	₹ 8000/- धनराशि दी जाती है।	योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणी में पुरस्कार दिये जाते हैं:- 1. दिव्यांग कर्मचारी, 2. उत्कृष्ट खिलाड़ी 3. स्वतः रोजगार में सर्वश्रेष्ठ सेवायोजक	यह पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर वितरित किये जाते हैं। इस हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ उनके द्वारा किये गये विशेष कार्य का विवरण के साथ, आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। जनपद स्तर पर आवश्यक जांच के उपरांत निदेशक, समाज कल्याण की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के उपरांत प्रत्येक श्रेणी में योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा 8000 ₹0 बैंक ड्राफ्ट/चैक प्रदान किया जाता है।
03.	दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण कय तथा मरम्मत करायें	व्यक्तिगत मामलों में ₹50/ से 3500/(अधिकतम ₹7000/) तक, एवं कृत्रिम	अभ्यर्थी के (नाबालिग होने की स्थिति में) माता-पिता की मासिक आय की	अभ्यर्थी को कृत्रिम अंग अथवा श्रवण सहायक यंत्र लगाने की संस्तुति चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन पत्र पूर्ण कर संबंधित सहायक समाज

	जाने हेतु अनुदान	अंग एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु ₹500/- अनुदान धनराशि दी जाती है।	सीमा। 40 प्रतिशत दिव्यांगता।	कल्याण अधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात् कोषागार के माध्यम से संबंधित लाभार्थी को भुगतान की जायेगी।
04.	जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान	माता-पिता या अभिभावक को ₹700/- प्रतिमाह	18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण-पोषण करने वाले माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹ 4000 से कम अथवा बीपीएल श्रेणी।	<p>आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा।</p> <p>आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :-</p> <p>आवेदक का मोबाईल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता, जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु), ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे।</p> <p>ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर भरण पोषण अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाती है।</p> <p>परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0डी0आई0डी प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके</p>

				पश्चात् आवेदन स्वीकृत होने के 01 माह बाद पेंशन उनके माता-पिता के खाते में आ जाती है।
05.	दिव्यांग छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 08 तक)	कक्षा 1 से 5 तक-रु0 600 कक्षा 6 से 8 तक-रु0 960	1. रु0 0.24 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र। दिव्यांग छात्र	छात्रों द्वारा भारत सरकार के एन0एस0पी0 पोर्टल (NSP) (https://scholarships.gov.in) में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, प्रमाणित फोटो, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लेने की स्वघोषणा पत्र। आवेदन पत्र को छात्र ऑनलाईन अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान आवेदन पत्र को सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (जिन्हें सही किया जा सकता है) अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है, अन्यथा पूर्ण रूप से रिजेक्ट/अस्वीकृत किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है।
06.	अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार	विवाहित दम्पति को रु0 50,000/- धनराशि संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।	अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है एवं अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों में दोनों पक्षों का भिन्न-भिन्न धर्मों का होना अनिवार्य है।	प्राप्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ निदेशालय के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ दुल्हा एवं दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड) शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो, की प्रति लगाया जाना अनिवार्य है। शासन स्तर से स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के पदनाम से बैंक डाफ्ट प्रेषित किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण:

क्र०सं०	संस्था का नाम	जनपद	स्वीकृत क्षमता
(I)	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय		
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रीनगर: (कक्षा 1 से 5 तक)	पौड़ी	60
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला: (कक्षा 1 से 5 तक)	देहरादून	60
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती : (कक्षा 1 से 5 तक) (वर्तमान में संचालित नहीं)	अल्मोड़ा	60
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रूद्रपुर: (कक्षा 1 से 5 तक)	ऊधमसिंह नगर	60
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैंकोट: (कक्षा 1 से 8 तक)	चमोली	230
6.	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतालघाट: (कक्षा 6 से 10 तक)	नैनीताल	150
7.	सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय, मक्खनपुर: (कक्षा: 1 से 12)	हरिद्वार	570
(II)	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:		
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाइन्स	नैनीताल	172
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालधनचौड़, रामनगर	नैनीताल	104
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर,	बागेश्वर	104
(III)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास:		
1.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	48
2.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, चमियाला	टिहरी	48
3.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोपेश्वर	चमोली	48
4.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	उत्तरकाशी	48
5.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	देहरादून	48
6.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	हरिद्वार	48
7.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पाइन्स	नैनीताल	48
8.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सैनिक विद्यालय परिसर, घोड़ाखाल	नैनीताल	24
9.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	अल्मोड़ा	48
10.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, लोहाघाट	चम्पावत	48
11.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	पिथौरागढ़	48
12.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पिथौरागढ़	48
13.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पौड़ी गढ़वाल	48

14.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	उत्तरकाशी	48
15.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, मसूरी	देहरादून	48
(IV)	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह:		
1.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, गोपेश्वर	चमोली	50
2.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, बागेश्वर	बागेश्वर	50
3.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	24
4.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, डोईवाला	देहरादून	50
(V)	राजकीय भिक्षुक गृह:		
1.	राजकीय भिक्षुक गृह, रोशनाबाद	हरिद्वार	200
(VI)	मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों हेतु आवास गृह:		
1.	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिये आवास गृह, रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर	50
(VII)	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला:		
1.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, हल्द्वानी	नैनीताल	50 आवासीय 50 अनावासीय
2.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, चमियाला	टिहरी गढ़वाल	50 आवासीय 50 अनावासीय
3.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, कुमोढ़	पिथौरागढ़	50 आवासीय 50 अनावासीय

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग



उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग का गठन उत्तरांचल अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा-3 के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य हैं। आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सभी अनुसूचित जाति के होने आवश्यक है, तथा इनमें से एक सदस्य महिला होगी। आयोग के कर्तव्य निम्नलिखित हैं-

- (क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और उनका मूल्यांकन करना।
- (ख) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- (ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (ङ) अनुसूचित जातियों के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जाय, सिफारिश करना।
- (च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसकी निर्दिष्ट किये जायें, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियां- सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां उत्तरांचल अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा-11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी अर्थात:-

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने।
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और
- (च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:- अनुसूचित जाति व्यक्ति द्वारा आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, अथवा आवेदक ऑनलाईन शिकायत दर्ज करके अपनी समस्या का वेबसाईट पर दर्ज कर सकता है।

जनजाति कल्याण विभाग



PRO

जनजाति कल्याण विभाग

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता	अनु0जनजाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000/- की दर से अनुदान।	अनु0 जनजाति के परिवार की समस्त स्रोतों सहित मासिक आय रू0 4000/- अथवा बी0पी0एल परिवार/अंत्योदय परिवार। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in , अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा तथा आवेदन में निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) दुल्हन एवं दूल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ 1 बार लाभ लिया हो अथवा लाभ ही न लिया हो) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी तथा जाँच आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
2	बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बुक्सा एवं राजी जनजाति के छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षणार्थियों को रू0 500/- प्रतिमाह/प्रति छात्र-छात्रा (10 माह हेतु) शिक्षा प्रोत्साहन सहायता	बुक्सा एवं राजी जनजाति के विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों में अध्ययनरत्/निवासरत् हो।	यह योजना, बुक्सा एवं राजी जनजाति के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से विभागीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अध्ययनरत् हेतु छात्र-छात्राओं को ही दिये जाते हैं।

3	अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु अटल आवास योजना	रु0 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा रु0 1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किस्तों में।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुसूचित जनजाति के परिवार। 2. बीपीएल या रु0 48000 वार्षिक आय सीमा। 3. आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। 	<p>वर्ष में जनपदों को लक्ष्य दिये जाते हैं। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किये जाते हैं। इस पर विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधार सीडिंग/लिंग बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य है। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। खण्ड विकास स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदन का मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की कमेटी द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तदपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।</p>
4	परीक्षा पूर्व कोचिंग	परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क सुविधा है। परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों में देय छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं:- बाह्य छात्र - रु0 1500.00 प्रतिमाह स्थानीय छात्र - रु0 750.00 प्रतिमाह	जनजाति के छात्र/छात्राओं।	<p>अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों एवं निजी संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं यथा आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, एन0डी0ए0 तथा समूह ग की परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं की तैयार हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। कोचिंग संस्थानों के चयन हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित की जाती है। और शासन स्तर पर अनुमोदन के उपरांत संस्था का चयन किया जाता है। छात्रों से भी आवेदन प्राप्त किये जाते हैं और उनके हाईस्कूल, इण्टर, या स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर कोचिंग हेतु चयन वरीयता दी जाती है।</p>
5	प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PMJAN MAN)	बुक्सा एवं राजी जनजाति क्षेत्रों का विकास	बुक्सा एवं राजी जनजाति	<p>राज्य में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पूर्व से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराना। जैसे सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, शिक्षा, कौशल विकास, आवास, गैस कनेक्शन आदि।</p> <ul style="list-style-type: none"> • राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के रूप में बुक्सा एवं राजी जनजाति निवासरत है, जो, कि राज्य के 194 गाँवों में निवासरत है। • प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत जनजाति कल्याण विभाग को 20 वनधन विकास केन्द्र तथा 25 बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है <p>प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत 09 मंत्रालयों की 11 इंटरवेंशन के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को संतुष्ट किया जाना है।</p>

जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण:-

1. शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरण:

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 1 से 5 तक) लालढांग	हरिद्वार	150
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 8 तक) लालढांग	हरिद्वार	105
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) त्यूनी	देहरादून	175
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) हरिपुर	देहरादून	175
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) लांगापोखरी	देहरादून	300
6.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) लाखामण्डल	देहरादून	185
7.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 1 से 5 तक) बिन्सौण (त्यूनी)	देहरादून	175
8.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 6 से 8 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	105
9.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 1 से 10 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	245
10.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	185
11.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) बिडोरा	ऊधमसिंह नगर	175
12.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) गदरपुर	ऊधमसिंह नगर	175
13.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 1 से 10 तक) बलुवाकोट	पिथौरागढ़	245
14.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) मुनस्यारी	पिथौरागढ़	175
15.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) छारछुम	पिथौरागढ़	310
16.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) जोशीमठ	चमोली	175
17.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) कालसी	देहरादून	420
18.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) बाजपुर	ऊधमसिंह नगर	420
19.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	420
20.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) मेहरावना	देहरादून	420

2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक गोपेश्वर	चमोली	50
2.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक धारचूला	पिथौरागढ़	50
3.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक खटीमा	ऊधमसिंह नगर	50
4.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक काशीपुर	ऊधमसिंह नगर	50
5.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालिका धनपौ, लखवाड	देहरादून	50

3. तकनीकी / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	ग्राम / जनपद	क्षमता
1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकराता	देहरादून	69
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	128
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा	ऊधमसिंह नगर	199

शैक्षिक संस्थानों / विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया-

क्र०सं०	संस्थान / विद्यालय	चयन प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	इन संस्थानों में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया संगत नियमावली के आधार पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC)के माध्यम से की जाती है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) द्वारा की जाती है। (emrs.tribal.gov.in)

शैक्षिक संस्थानों / विद्यालयों प्रवेश प्रक्रिया-

क्र०सं०	संस्थान / विद्यालय	प्रवेश प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	आश्रम पद्धति विद्यालयों में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा विद्यालय में ऑफलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदक छात्र-छात्राओं की संख्या सीटों से अधिक होने पर चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा सम्बन्धित छात्रावास में ऑफलाईन आवेदन किया जाता है जिनमें विद्यालय की दूरी एवं आय के दृष्टिगत प्रवेश दिया जाता है।
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	प्राप्त आवेदकों की निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण होने पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके पश्चात मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग



PR

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-16 सन् 2015) की धारा-3 में प्राविधान है कि राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी, जो उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ओर सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

आयोग की संरचना- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं आठ सदस्य होंगे। आयोग में प्रत्येक जनजाति (थारू, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा एवं राजी) के दो ही व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जनजाति के ऐसे योग्य पुरुष अथवा महिला पात्र होंगे जैसा विहित किया जाए।

सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी, जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा तथा उनसे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान के लिए योगदान दिया हो।

आयोग के कर्तव्य- आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

- (क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम 2015 की धारा 11(1) के अनुसार आयोग के संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना।
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- (ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जैसा आयोग उचित समझे।
- (ङ) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदनों में, उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करना।

आयोग की शक्तियां- अधिनियम की धारा-12 में किसी बात का विचार करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ आयोग की धारा-11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी अर्थात:-

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने।
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और।
- (च) किसी अन्य विषयों में, जो विहित किया जाये।

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम



PROC

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)	अनुदान – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50,000/- अधिकतम।	1- उत्तराखण्ड में निवासरत्। 2- अनुसूचित जाति 3- आयु सीमा निर्धारित नहीं है अपितु रू. 2.50 लाख आय सीमा के आवेदकों को चयन में वरीयता।	1- खण्ड विकास अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जाते हैं। खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन कराते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किये जाते हैं। 2-राज्य स्तरीय समिति प्राप्त प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान करते हुए केन्द्र स्तरीय समिति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 3- केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन करने के उपरान्त धनावंटन किया जाता है।
2.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति)	1- परियोजना लागत – रू. 50,000/- से रू. 2,00,000/- बैंक ऋण-परियोजना लागत का 60 प्रतिशत। मार्जिन मनी-परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) अनुदान –अधिकतम रू. 10,000/- लाभार्थी अंश- रू. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रू. 1.01 लाख से रू. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	(1)उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा- ग्रामीण क्षेत्र – रू. 1,05,600 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र – रू0 1,29,840 वार्षिक।	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है। नोट – अनुसूचित जाति वर्ग हेतु पृथक से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का संचालन होने के कारण उक्त योजना के केवल प्रशिक्षण मद में ही धनराशि का व्यय किया जा रहा है।
3.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	परियोजना लागत –रू. 50,000/- से रू. 2,00,000/- बैंक ऋण – परियोजना लागत का 60 प्रतिशत मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।

	(अनुसूचित जनजाति)	प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) अनुदान – अधिकतम रु. 50,000/- लाभार्थी अंश —रु. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रु. 1.01 लाख से रु. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा –रु. 2.50 लाख वार्षिक	
4.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग)	1) सावधि ऋण योजना – परियोजना लागत – रु. 75,000/- अनुदान –20 प्रतिशत अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो सावधि ऋण—रु. 65,000/- (06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर) 2) दुकान निर्माण – परियोजना लागत – रु. 50,000/- अनुदान –20 प्रतिशत अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो मार्जिन मनी – रु. 40,000/- (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) 3) बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना – परियोजना लागत—रु. 2,00,000/- (अधिकतम) अनुदान –20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु. 10,000/- मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, 36 मासिक किस्तों में)	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् हो। (2) 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा यूडी.आई.डी. (3) वार्षिक आय सीमा—शहरी क्षेत्र में रु. 2.00 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 1.60 लाख होनी चाहिए। (4) आयु सीमा – 18 से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।
5.	शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)	चिन्हित शिल्पी ग्रामों एवं ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति हो। (2) वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में आय 129840/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 105600/-	मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संस्थाओं एवं प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाता है।

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।



सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र० सं०	योजना-सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण। (संशोधित)	01 वर्षीय कोर्स (कम्प्यूटर / एकाउंटिंग / वेब डिजाइनिंग / डिजिटल मार्केटिंग) निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित, जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हों।	योजना के तहत सभी जनपदों में निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं:- (1) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग अवधि- 01 वर्ष। (2) डिप्लोमा इन प्रोफेशनल एकाउंटिंग अवधि - 01 वर्ष (3) वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेन्ट अवधि- 01 वर्ष। (4) डिजिटल मार्केटिंग -01 वर्ष सर्व प्रथम निदेशक, सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:- (1) साधारण प्रार्थना पत्र। (2) आधार कार्ड। (3) पूर्व सैनिक पहचान पत्र। (4) डिस्चार्ज बुक। (5) 12वीं पास का शैक्षिक प्रमाण पत्र। इसके उपरान्त संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को नाम उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा संबंधित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने हेतु सूचित करती है।

PROGRAMME II

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)



PROGRAM

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रोजगार हेतु प्रयोजन	पूर्व सैनिकों एवं उनके विधिक आश्रितों को आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पद हेतु प्रायोजित कर रोजगार उपलब्ध कराना	केवल पूर्व सैनिक (थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना), उनके विधिक आश्रित एवं वीर नारियाँ।	<p>1. सर्वप्रथम योग्य अभ्यर्थी (पूर्व सैनिक एवं उनके विधिक आश्रित) द्वारा उपनल की वेबसाइट www.upnl.co.in में अपने जिले एवं योग्यतानुसार एवं स्थान के अनुसार पद हेतु ऑन लाइन आवेदन/नामांकन फार्म (enrollment form) भरा जाता है।</p> <p>2. विभागों से जिलेवार प्राप्त पदों की मांग (संख्या) एवं पदों हेतु निर्धारित/दी गई अर्हता/योग्यता के आधार पर, उपनल द्वारा वेबसाइट में दाखिल (enrolled) अभ्यर्थियों के नाम (जो पद हेतु संबंधित अर्हता/योग्यता रखते हैं) को उनके जिलेवार एव नामांकन के वरीयताक्रम के आधार पर, संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते हैं।</p> <p>3. उपनल द्वारा विभाग से प्राप्त मांग – 01(एक) रिक्त पद के सापेक्ष में 06 (छः) enrolled अभ्यर्थियों के नाम संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते हैं।</p> <p>4. विभाग द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों का, विभाग की नियमावली के अनुसार चयन कर उपनल को सूचित किया जाता है।</p>
2.	कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर रू0 1,00,000/- (एक लाख) की अनुग्रह राशि का भुगतान उपनल निधि से करना।	प्राप्तकर्ता, मृतक (उपनल कार्मिक) का विधिक आश्रित होना चाहिए जिसके संदर्भ में अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु सेवाकाल के दौरान नामांकन किया गया हो।	<p>किसी भी उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, आश्रित द्वारा आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपनल, मुख्यालय कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित किया जायेगा:-</p> <p>(1) कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।</p> <p>(2) संलग्न प्रारूप के अनुसार मृतक कार्मिक के विभाग से सेवा प्रमाण पत्र (service Certificate)।</p> <p>(3) आश्रित का आधार कार्ड।</p> <p>(4) आश्रित का बैंक खाता विवरण (पासबुक की छायाप्रति)।</p> <p>(5) आश्रित का फोटोग्राफ।</p> <p>(6) परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि।</p> <p>(7) परिवार रजिस्टर में उल्लेखित अन्य आश्रितों द्वारा 10 रुपये के एफिडेविट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि पूर्व में उन्हें अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।</p>

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड



महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	पालना घर (क्रैच)	कामकाजी दम्पतियों के बच्चों हेतु पालना घर संचालित है। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों की दिन भर देखभाल की सुविधा। योजना अंतर्गत योजना के लाभ हेतु निम्नानुसार धनराशि ली जाती है :- बीपीएल परिवार हेतु - 20 रु० प्रति बच्चा प्रतिमाह। रु० 12000/- से कम आय के परिवार हेतु-100/-रु० प्रति बच्चा प्रतिमाह। रु० 12000/- से ऊपर आय के परिवार हेतु-200/-रु० प्रति बच्चा प्रतिमाह।	6 माह से 6 वर्ष के बच्चों।	प्रत्येक जनपद में स्थापित है।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग



उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 पर दिनांक- 09 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की गयी तथा उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या- 28, सन्-2005 के तहत महिला आयोग का गठन किया गया है। (उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-616/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 11 नवम्बर, 2005 धारा-1 की उपधारा (3) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया)

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का कार्य:-

1. आयोग में पीड़ित महिलाओं द्वारा डाक, ई-मेल एवं व्हाट्स-एप के माध्यम से शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र/मीडिया के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आयी घटनाओं पर त्वरित स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाती है।
2. महिलाओं को घरेलू, मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए पीड़ित महिला व उसके द्वारा की गयी शिकायत में नामित विपक्षीयों को बुलाकर, उनके मध्य काउंसिलिंग करवाकर उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है तथा लगातार वार्ता कर उत्पीड़न के केस अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है।

3. अगर किसी भी जनपद से किसी महिला/बालिका के साथ छेड़छाड़ या हत्या का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उस पर आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित घटना स्थलीय जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से फोन द्वारा सम्पर्क करते हुए जानकारी ली जाती है तथा उन्हें त्वरित जाँच/कार्यवाही करने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं। जांच व सुनवाई के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
4. किसी सरकारी या गैर-सरकारी विभाग में, यदि कोई महिला कार्यरत है, तथा उसका कार्यस्थल पर शोषण होने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो, उस पर आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए, उस विभाग की कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन-उत्पीड़न निवारण समिति (POSH) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उससे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जाती है एवं आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग प्रक्रिया भी सम्पन्न कराई जाती है।
5. आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त दूरस्थ जनपदों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाये जाते हैं, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 दहेज निषेध अधिनियम-1961, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी रोकने सम्बन्धी शिविर, पोषण अभियान, मासिक-धर्म स्वच्छता शिविर, इत्यादि कार्यक्रम भी प्रत्येक वर्ष आयोजित कराये जाते हैं।
6. आयोग द्वारा राज्य के समस्त जनपदों के पुलिस थाना, चौकी, वन स्टॉप सैण्टर, नारी-निकेतन, जिला कारागार, अस्पतालों में बने महिला प्रसूति गृह इत्यादि का औचक निरीक्षण किया जाता है, ताकि वहाँ महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं व सुचारु व्यवस्थायें व उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके।
7. आयोग द्वारा असहाय व पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सैण्टर एवं नारी निकेतन भेजने हेतु सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर त्वरित कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
8. आयोग द्वारा पीड़ित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाते हैं।
9. आयोग द्वारा जनपद में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र एवं स्पा सैण्टरों में पुलिस की सहायता से औचक निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।
10. आयोग द्वारा महिला थाना/महिला डैस्क एवं खेल विभाग से सम्बन्धित सेमिनार का आयोजन कराया गया है।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:- आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसके अतिरिक्त शिकायत दर्ज के लिए अपनी समस्या को निम्न वेबसाइट/ई-मेल पर दर्ज कर सकती/सकते हैं।

PROGRAM

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग



उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 19, जून 2002 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में 01 अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष एवं 09 सदस्य के पद सृजित हैं।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम –2002 की धारा 9(1) के अनुसार मा0 आयोग के निम्न कृत्य हैं—

- (क) उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षापायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
- (ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षापायों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिये सिफारिश करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षापायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना।

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना और,

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार धारा 9(1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगें

(3) आयोग को धारा 9(1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात्।

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी कार्यालय से कोई लेख अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, और,

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:—अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को आयोग के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई शिकायत दर्ज करानी हो, तो, सम्बन्धित व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आयोग जांच कराकर सम्बन्धित विभाग से समस्या का निराकरण करायेगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून



PROGRAMME

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षाएँ संचालित करना।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राएँ उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे तथा अन्य बोर्ड के छात्र/छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रहित में अपना योगदान देंगे।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राएँ	प्रत्येक वर्ष उक्त परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राएँ आवेदन करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गयी है।
2.	तहतनिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) मुंशी/मौलवी (हाईस्कूल) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना।	प्रदेश के मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है, जिससे मदरसों राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।	(गाईडलाईन के अनुसार)	मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन दोनों रखी गयी है। बोर्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा मान्यता के लिए आये आवेदनों का जांचोपरान्त चयन किया जाता है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड



क्र.सं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा।	राज्य में निवासरत निर्धन/यतीम/सामान्य श्रेणी के बच्चों को कक्षा-UKG से कक्षा-10वीं तक दीनी/आधुनिक शिक्षा (NCRT पाठ्यक्रम) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना।	राज्य में निवासरत निर्धन/यतीम/सामान्य श्रेणी के परिवारों के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है।	राज्य में स्थित BPL परिवार के निर्धन बच्चे या अन्य सामान्य श्रेणी के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है, वह ऑफलाईन आवेदन कर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं एवं निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर स्कूटनी कर पात्र बच्चों को निःशुल्क दीनी/आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।



उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	मोबाईल लर्निंग सेन्टर	निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु मोबाईल लर्निंग स्कूल का संचालन।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे।	निर्माण स्थलो में कार्य कर रहे श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु निर्माण स्थलों पर जाकर मोबाईल लर्निंग सेन्टर (बस) के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।
02.	चिकित्सा जाँच सुविधा	निर्माण श्रमिकों की चिकित्सा जाँच सुविधा।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत चिकित्सा जाँच लाभ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से डोर-टू-डोर (Door to Door) जाकर, कैम्प एवं क्लेकशन सेंटर के माध्यम से चिकित्सा जाँच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
03.	सामूहिक विवाह सहायता योजना	रु० 61000/- आर्थिक सहायता देय होगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रु० 10000/- प्रति जोड़े की दर से भुगतान आयोजनकर्ता को किया जाएगा तथा वर एवं वधू की पोशाक क्रय हेतु धनराशि रु० 5000/- प्रत्येक की दर से देय होगी।	पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, सामूहिक विवाह की दशा में विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।	सामूहिक विवाह हेतु आवेदन निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा- पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। निर्माण श्रमिकों की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण सामूहिक विवाह योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा। आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो। आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र।

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (गढ़वाल क्षेत्र)-16			
क्र०स०	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	देहरादून	अजबपुर (दीपनगर)-2	दून यूनिवर्सिटी रोड, नियर नारी निकेतन, देहरादून-248121
		मोहकमपुर	निकट पोस्ट ऑफिस रोड, मोहकमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड-248005
		विकासनगर	विकासनगर बाड़वाला, देहरादून
		ऋषिकेश	WFC कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश।
2.	टिहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल	WFC एम0-ब्लॉक, द्वितीय फ्लोर, निकट SBI Bank, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल-249001
3.	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, भानाभार, रुद्रप्रयाग
4.	पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर	मिनी बी0ओ0सी0डब्लू0 ऑफिस, तिवारी मोहल्ला, निकट बस स्टैण्ड श्रीनगर-246174
		कोटद्वार	WFC मोहल्ला जौनपुर निकट डिग्री कालेज, कोटद्वार-246149
5.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	निकट जिला सहकारी बैंक जोशीयारा, उत्तरकाशी।
		पुरोला	निकट नगर पालिका, पुरोला, उत्तरकाशी
6.	चमोली	गोपेश्वर	WFC निकट पेट्रोल पम्प, गोपेश्वर, जिला चमोली-246401
		कर्णप्रयाग	निकट कर्ण, मन्दिर NH Highway कर्णप्रयाग, चमोली।
7.	हरिद्वार	हरिद्वार	सुभाषनगर, निकट ज्वालापुर, त्रिमूर्ति मन्दिर, हरिद्वार-249407
		रूड़की	WFC 651/19, गंगा इन्कलेव, मालवीय चौक, रूड़की-247667
		लक्सर	चौधरी अजब सिंह कॉम्प्लेक्स, लक्सर-हरिद्वार

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (कुमाँउ क्षेत्र)-17			
क्र०स०	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	जिला पंचायत परिषद धारा नोला, अल्मोड़ा-263601
		सल्ट	सल्ट मौलखाल, अल्मोड़ा।
2.	बागेश्वर	बागेश्वर	WFC बस स्टेशन रोड, गोमती होटल बागेश्वर-263642
3.	उधमसिंह नगर	काशीपुर	कार्यालय श्रम विभाग, काशीपुर।
		रुद्रपुर	गांव-जगतपुरा, निकट स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर, उधमसिंह नगर-263153
		किच्छा	उत्तरांचल कालोनी, किच्छा, वार्ड न०-8, श्रम विभाग कार्यालय किच्छा।
		खटीमा	नियर पार्वती मण्डप कंजाबाग रोड, खटीमा।
		बाजपुर	निकट महाराजा होटल, बाजपुर।
		गदरपुर	कुल्हा पो०-मझरा आनन्द सिंह, मजहसन, उधमसिंह नगर-263160
4.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	WFC गीता श्याम सदन, सिनेमा लाईन, पुराना NCC ऑफिस, पिथौरागढ़-262501
		धारचूला	सिनेमा लाईन, नियर संग सुन्दरालय, धारचूला।
5.	चम्पावत	टनकपुर	WFC श्रम विभाग, भट्ट बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, टनकपुर-262309
		चम्पावत	गोरल चौड़ मैदान, निकट सी०एम० कैम्प, चम्पावत
6.	नैनीताल	हल्द्वानी	श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम भवन हल्द्वानी-263139
		लालकुआँ	निकट एवरग्रिन स्कूल, तुलारामपुर, मोटाहल्दू, लालकुआँ, हल्द्वानी
		रामपुर	शिवलालपुर चुंगी, निकट बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर।
		खनस्यू	निकट पुलिस चौकी, खनस्यू।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक माप विज्ञान विभाग



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया तथा चयन प्रक्रिया।
1.	बाट-माप तथा तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बाट-माप तथा तौल यंत्रों का	(अ) आई0टी0आई0 (इलेक्ट्रॉनिक्स) अथवा समकक्ष तथा 02 वर्ष का अनुभव। या (ब) डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्स्ट्रुमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष तथा 01 वर्ष का अनुभव। या	आवेदक- www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), शैक्षिक योग्यता व अनुभव का

		मरम्मत कर, मरम्मत शुल्क एवं निर्धारित सरकारी शुल्क प्राप्त कर आजीविका सुनिश्चित करना।	(स) भौतिक विज्ञान सहित बी0एस0सी0 तथा एक वर्ष का अनुभव। या (द) बी0ई0/बी0टैक (इलेक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज, जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं, को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (₹0-100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
2.	बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विक्रेता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में बाट-माप तथा तौल यंत्रों का विक्रय कर आजीविका सुनिश्चित करना।	पात्रता निर्धारित नहीं है।	आवेदक- www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (₹0-100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन, लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
3.	बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विनिर्माता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में बाट माप तथा तौल यंत्रों का विनिर्माण कर आजीविका सुनिश्चित करना।	पात्रता निर्धारित नहीं है।	आवेदक, www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। 2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त Model Approval का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (₹0-500) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन, लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा-16 के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया है।

कार्य—उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किए गए प्राविधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों के माध्यम से पोषण से संबंधित योजनाओं यथा खाद्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना, मध्याह्न भोजन योजना/पी0 एम0 पोषण योजना, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में दोपहर का पका पकाया भोजन पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती धात्रियों एवं पात्र बच्चों को उचित पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिसके लिए आयोग द्वारा समय-समय पर राज्य/मण्डल/जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठकें/स्थलीय निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण के दौरान पायी जानी वाली कमियों/खामियों को तत्काल दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा शिकायती टोल फ्री न0 18001804190, दूरभाष न0 0135-2669420 एवं ईमेल- uafoodcommission@gmail.com जारी किया गया है। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित विभिन्न माध्यमों यथा टोल फ्री नम्बर, दूरभाष, ईमेल, डाक, शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्वतः संज्ञान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आयोग में परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यवाही करते हुए शिकायत का निस्तारण किया जाता है। शिकायत के निस्तारण के दौरान प्रतिवादी के दोषी पाये जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 के तहत अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड



उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली में व प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में ‘राष्ट्रीय आयोग’, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में ‘राज्य आयोग’ एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को ‘जिला आयोग’ के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की गयी है। राज्य आयोग एवं जिला आयोग की स्थापना संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक अर्द्ध न्यायिक तंत्र है। इनमें उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं में कमी के आधार पर वाद दायर किये जाते हैं, जिनका गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। उपभोक्ता वाद/शिकायत के मूल्यांकन के अनुसार जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग में नियत शुल्क का भुगतान करके उपभोक्ता वाद दायर करने की निर्धारित प्रक्रिया/नियम के अनुसार उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया जा सकता है। पांच लाख तक के मूल्यांकन के उपभोक्ता परिवाद पर शुल्क नहीं लगता है।

प्रदेश में राज्य आयोग/जिला आयोगों की स्थापना:—उत्तराखण्ड में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में हुई है। जिला देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंह नगर में जिला आयोग पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के समय से स्थापित हैं। जिला रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर में जिला आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया, इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में जिला आयोगों की संख्या 13 है।

राज्य आयोग/जिला आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यगणों की नियुक्ति का प्रावधान:— उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे,

- (क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नाम विदेशित उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश— अध्यक्ष
- (ख) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव— सदस्य
- (ग) राज्य के मुख्य सचिव के नामित—सदस्य

कार्य:—यदि मामले (परिवाद/शिकायत) का मूल्यांकन 50 लाख रुपये तक है, तो इसे सम्बन्धित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है, यदि यह मूल्यांकन 50 लाख रुपये से अधिक परन्तु 2 करोड़ रुपये तक है, तो, इसे सम्बन्धित राज्य के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है। यदि मूल्यांकन 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो, इसे सीधे माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में दायर किया जा सकता है। वाद/शिकायत का मूल्यांकन धनराशि रुपये पांच लाख से अधिक होने की स्थिति में मूल्यांकन के अनुसार कोई भी व्यक्ति (आवश्यक निर्धारित शुल्क के साथ) व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग/राज्य उपभोक्ता आयोग या माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में उपभोक्ता मामला/वाद दायर कर सकता है। यह भी उल्लेख करना है कि जिला आयोग द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकता है। इसी प्रकार राज्य आयोग द्वारा उपभोक्ता परिवाद (Consumer Complaint) में पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है तथा राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

उपभोक्ता परिवाद एवं अपील का निस्तारण यथासम्भव तीन माह (90 दिन) में किये जाने का प्रावधान है।

शिकायतों के निवारण संबंधी :- वर्तमान में जिला आयोग में ऑन-लाईन E-Daakhil पोर्टल के माध्यम से भी वाद दायर करने की सुविधा है। राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तराखण्ड में दिनांक 01.06.2023 से ऑन-लाईन E-Daakhil पोर्टल से वाद दायर करना अनिवार्य है। साथ ही वादों की सुनवाई पक्षकार व अधिवक्तागण Virtual mode से भी कर सकते हैं। वादों का निस्तारण ऑन-लाईन प्रक्रिया से गतिमान है।

PROC

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड



साइबर क्राइम

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन/साइबर थाना प्रदेश में साइबर चुनौतियों से निपटने हेतु अग्रणीय पुलिस बल है, वर्तमान में एसटीएफ के अधीन साइबर के दो थाने हैं, जो गढ़वाल व कुमायूँ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होने वाले साइबर अपराधों के विरुद्ध निरोधात्मक/विवेचनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ जनपद स्तर पर अभियोगों के अनावरण में भी तकनीकी सहायता प्रदान करते रहते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा समय-समय पर नई-नई तकनीक से साइबर अपराधों को कारित किया जाता है, जिस हेतु साइबर थाने द्वारा ही नये अपराधों के करने की चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक एवं नई तकनीक की जानकारी के लिये अनुसंधान किया जाता है, उसके पश्चात् उक्त तकनीक को अपराधों को अंकुश लगाने में प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा अपराध के नये-नये तरीके अपनाये जा रहे हैं, साथ ही साइबर अपराध के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नयी-नयी तकनीकों का विस्तार हो रहा है, समाज में व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इंटरनेट के उपयोग से पूर्ण व सुरक्षित रखे जा रहे हैं। मोबाईल, कम्प्यूटर, **सोशल मीडिया** आदि ने आपसी सम्पर्कों के साथ-साथ आर्थिक लेनदेन को भी बहुत ही सुगम बना दिया है। वर्तमान सरकारें भी साइबर निर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं। जहां एक ओर आम आदमी द्वारा घर बैठे दुनिया में कहीं भी पल

भर में बैंकिंग, ई-शॉपिंग के माध्यम से अपने रोजमर्रा के कार्य किये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों की भी पहुंच आम आदमी, सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थान तक बहुत ही आसान हो गयी है, जिसका फायदा उठाते हुये साईबर की जानकारी रखने वाले अपराधी देश-विदेश के सुदूर कोनों से भी उस व्यक्ति व संस्थानों की गोपनीय जानकारियां लेकर प्रतिरूपण करते हुये आर्थिक व सामाजिक साईबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में साईबर क्राईम पुलिस पर यह विशेष जिम्मेदारी आ जाती है कि वह ऐसे साईबर अपराध एवं धोखाधड़ी की जानकारी रखते हुये साईबर अपराधियों तक पहुंचकर ऐसे नित नये तरीकों से हो रहे साईबर अपराधों की रोकथाम व अनावरण करे।

वर्तमान में साईबर अपराधियों द्वारा साईबर अपराध हेतु मुख्य रूप से अपनाई जा रही Modus Operandi-

1. QR Code स्कैन फ्रॉड,
2. ऑनलाईन जॉब/टास्क फ्रॉड,
3. OLX एप फ्रॉड,
4. फेक कस्टमर केयर/गुगल हैल्प लाईन फ्रॉड,
5. के0वाई0सी0/ईनाम/लॉटरी फ्रॉड,
6. अनऑथराइज्ड एक्सेस/OTP फ्रॉड,
7. ऑनलाईन ट्रेडिंग/इनवेस्टमेंट फ्रॉड,
8. इन्श्योरेंस पॉलिसी/लोन एप फ्रॉड,
9. विदेश से गिफ्ट भेजने/विदेशी मुद्रा का लालच देकर,
10. मैट्रोमोनियल फ्रॉड,
11. कोरियर पार्सल/AI फ्रॉड,
12. डिजीटल ऐरेस्ट/हाउस ऐरेस्ट,
13. Black Male/Sextortion]
14. Fake ID/Defame इत्यादि।

“उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयास”

- 1- गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश-निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून में साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर साईबर क्राईम सम्बन्धित सहायता हेतु **साईबर हेल्प लाईन 1930** का गठन किया गया है। जिसमें कुशल कर्मियों का चयन कर 24x7 कार्य करते हुये प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु रिस्पॉन्स टाइम निर्धारित कर, त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
- 2- एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर साइबर क्राइम प्रशिक्षण का विशेष अभियान चलाकर उत्तराखण्ड पुलिस के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी गण को प्रशिक्षित किया गया है।
- 3- साइबर अपराधियों द्वारा नये-नये तरीके अपनाकर अपराध कारित किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु Modus Operandi के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर कार्मिकों को समय-समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- 4- एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा आम जनता को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाने एवं जागरुक करने हेतु नियमित रूप से साइबर सुरक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम चलाकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल आदि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, अन्य विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों एवं विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों, वर्कर्स को जागरुक/प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- 5- इसके अतिरिक्त साइबर जागरूकता एवं साइबर अपराध की रोकथाम हेतु फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किये जा रहे हैं एवं बैनर, होल्डिंग, पैम्फलेट्स आदि विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से भी साइबर जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

महिला/बच्चों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे कार्य

महिलाओं/बालिकाओं के प्रति घटित अपराधों की रोकथाम एवं घटना घटित होने पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना “गौरा शक्ति योजना” लागू की गयी है, इसके अन्तर्गत प्रदेश में एक त्रिस्तरीय सहायता तंत्र, थाना स्तर पर महिला डेस्क, जनपद स्तर पर महिला सुरक्षा हेल्प लाईन एवं महिला काउंसिलिंग सेल तथा राज्य स्तर पर राज्य महिला सुरक्षा हेल्प लाईन का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उक्त त्रिस्तरीय तंत्र को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ करने, कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने, महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उन्हें आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के अन्तर्गत गौरा शक्ति योजना का क्रियान्वयन

- 1- प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क के अन्तर्गत QRT (Quick Reaction Team) का गठन किया गया है। थाने पर महिला सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर QRT द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर first responder की भांति कार्य करते हुये, पीड़िता को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।
- 2- महिला अपराधों के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों Hot Spot का चिन्हिकरण, Hot Spot में सीसीटीवी/लाईट की व्यवस्था एवं Hot Spot की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
- 3- स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थानों के खुलने एवं बन्द होने के समय चीता/महिला चीता/सी0पी0यू0 द्वारा नियमित पेट्रोलिंग।
- 4- प्रभारी महिला हेल्प डेस्क एवं अन्य चार आरक्षियों की एक टीम “टीम गौरा” का गठन किया गया है, जो समस्त छात्र-छात्राओं को सुरक्षा/ड्रग्स/यातायात नियम/साइबर अपराध आदि के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से लगभग 3,000 जागरूक पुस्तिका जनपदों को वितरित की गयी है।
- 5- दिनांक 20 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक सभी जनपदों से “टीम गौरा” में नियुक्त कुल 35 महिला कर्मियों को Self Defense Instructor Course (Level-I) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है इसी क्रम में इन्ही महिला कर्मिकों को Level-II प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। इन प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मिकों द्वारा जनपदों में नियमित रूप से छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु टेक्निक सिखाये जाने के लिए स्कूल/कॉलेज आदि में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत “गौरा शक्ति मॉड्यूल” बनाया गया है, जिसमें पंजीकरण के पश्चात् पंजीकरणकर्ता सम्बन्धित थाने की Mapped Women Police Officer के साथ वन-टू-वन सम्पर्क में रहती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत एस0ओ0पी0 तैयार कर सर्वसम्बन्धित को मुख्यालय स्तर से प्रशिक्षित भी किया गया है। समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों को एक पृथक से मो0नं0 भी आबंटित किया गया है। इस एप के माध्यम से महिलायें आसानी से ऑनलाईन शिकायत भी दर्ज करा रही है।

महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराध की सूचना अथवा उनकी शिकायत आसानी से दर्ज किये जाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा 24x7 निम्नलिखित प्लेटफार्म उपलब्ध कराये गये हैं:-

- 1- डायल 112, जिसमें 24x7 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी नियुक्त।
- 2- पुलिस मुख्यालय स्तर पर Whatsapp No- 9411112780
- 3- प्रत्येक थाने पर “महिला हेल्प डेस्क”।
- 4- Uttarakhand Police App "Gaura Shakti Module"/SOS

5- थाना/चौकी।

राज्य में प्रत्येक थाना महिला फ्रेंडली बनाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक थाने पर कम से कम 01 महिला उपनिरीक्षक एवं 04 महिला आरक्षी की तैनाती की गयी है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 के तहत प्रतिकर सहायता धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला पीड़ितों हेतु उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 लागू की गयी है।

अपराध पीड़ितों को उपरोक्त दोनों ही योजनाओं के अर्न्तगत प्रतिकर धनराशि भुगतान किये जाने हेतु पीड़ितों को सहयोग प्रदान करने एवं आवश्यकतानुरूप सम्बन्धित विभागों से समन्वय किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिगत महिला यौन अपराधों की विवेचना महिला अधिकारी द्वारा ही की जाती है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में गुणवत्तात्मक विवेचना हेतु मुख्यालय स्तर से विस्तृत एस0ओ0पी0 एवं निर्देश से सम्बन्धित पुस्तिका प्रकाशित कर समस्त महिला विवेचकों को आवंटित की गयी है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से जनपदों को आवश्यकतानुरूप Sexual Assault Evidence Collection Kits (SAEC Kits) उपलब्ध करायी जा रही है।

बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पोक्सो के अर्न्तगत पंजीकृत अभियोगों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है। ITSSO Portal के अनुसार प्रदेश का बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पोक्सो अधि0 के अभियोगों का 02 माह में निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है।

प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में “विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)” एवं प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) की नियुक्ति की गयी है।

प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाना स्थापित किये गये हैं।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण

गुमशुदा बच्चों, महिला व पुरुषों की तलाश हेतु दिनांक 01-05-2024 से दिनांक 30-06-2024 तक “ऑपरेशन स्माइल” अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 465 बच्चे, 391 पुरुष व 514 महिलाओं (कुल 1370 गुमशुदा) को बरामद किया गया। “ऑपरेशन स्माइल” अभियान में वर्ष 2015 से अब तक कुल 5981 गुमशुदाओं को बरामद किया गया।

बच्चों द्वारा की जा रही अथवा करायी जा रही भिक्षावृत्ति, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में संलिप्त होने से रोकने एवं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने हेतु दिनांक 01-03-2024 से दिनांक 31-03-2024 तक “ऑपरेशन मुक्ति” अभियान चलाया गया, जिसमें 892 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा 378 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। “ऑपरेशन मुक्ति” अभियान में वर्ष 2017 से कुल 8562 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा कुल 3981 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में “भिक्षावृत्ति नियंत्रण यूनिट” गठित की गयी है।

ड्रग्स के खिलाफ अभियान

नशामुक्ति एक महत्वपूर्ण मानविक उद्देश्य है, जिसका मकसद व्यक्ति और समाज को नशे की बुराई से मुक्त करना है। नशा मुक्ति के अर्थ, महत्व, कारण और उपायों में “नशा मुक्ति” का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समाज को नशे से मुक्त करना, अर्थात् नशे का सेवन करने से बचाव या उसकी नशे को दूर करने का प्रयास है और साथ ही साथ व्यक्ति या समाज की स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली को प्राथमिकता देना और नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाव करना” होता है।

नशा मुक्ति का महत्व न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन के लिए है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नशे का सेवन समाज में अपराध, गरीबी और परिवारों के टूटने का प्रमुख वजह है। नशे के कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करना है और उनके सम्बन्धों को भी क्षति पहुँचाता है। नशामुक्ति के उपायों में शिक्षा, सशक्तिकरण और चिकित्सा सहायता शामिल होती है। समाज में जागरूकता फैलाने और नशे के सेवन को रोकने के लिए कई प्रमुख पहलुओं पर काम किया जाना होगा। नशामुक्ति हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक है, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम नशे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करें और अपने समाज को नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाने में सहयोग करें।

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा दिये मिशन “ड्रग फ्री देवभूमि 2025” पर कार्य किये जाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग व प्रचलन को नियन्त्रण में रखे जाने तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं कारोबार की रोकथाम तथा प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में “एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)” का गठन किया गया है।

मादक पदार्थ की तस्करी, बिक्री आदि में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही-

राज्य में मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं की बिक्री, तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध विगत 02 वर्षों (2022 से 2024 माह जुलाई तक) में 5331 अभियोगों में 4481 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 5229.46 कि0ग्राम मादक पदार्थ एवं 1002118 नशीली (संख्यात्मक विवरण) टेबलेट्स/इजेक्शन/कैप्सूल बरामद की गई, जिसकी अनुमानित मूल्य-196 करोड़ से अधिक है।

आदतन ड्रग तस्करों के विरुद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही-

विगत 03 वर्षों में 04 अभियुक्तों के विरुद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही की गई

वित्तीय विवेचना (Financial Investigation)-

मादक पदार्थ में सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करके अभियुक्त द्वारा अर्जित सम्पत्ति की वित्तीय विवेचना (Financial Investigation) की गई, जिसमें विगत 03 वर्षों में राज्य में 10 अभियोगों में 3 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति सीज/फ्रीज की गई।

नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता (Awareness)-

झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-2 शहरी/ग्रामीण क्षेत्र शैक्षणिक संस्थान स्कूल/कॉलेजों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विशेष अभियान के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम 700, गोष्ठी-983, पम्पलेट/पोस्टर-49158, फ्लैक्सी बोर्ड-193, स्टीकर-19306, होल्डिंग-94, बैनर-262, स्कूल/कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम-393 जिसमें लगभग-48314 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा इसी अवधि में सम्बन्धित अभिभावकों की उपस्थिति में 1792 व्यक्तियों की कॉउन्सिलिंग भी की गयी।

De-addiction-

राज्य सरकार द्वारा कुमायूँ एवं गढ़वाल परिक्षेत्र में 1-1 नशामुक्ति एवं पुर्नवास केन्द्र स्थापित किये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है, जहाँ पर ड्रग एडिक्ट को उचित इलाज हेतु प्रेरित किया जायेगा।

साइबर हेल्प न0

- 1930

महिला अपराध Whatsapp No- 9411112780

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं



उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं

उत्तराखण्ड अग्निशमन सेवा विभाग 9 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना के साथ ही अस्तित्व में आया। इस विभाग ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त अग्निशमन गतिविधियों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अग्निशमन सलाहकार द्वारा जारी दिनांक 22/10/2003 के आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड अग्निशमन विभाग का नाम बदलकर उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में 30 अग्निशमन केन्द्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 5 अग्निशमन केन्द्रों/इकाइयों की स्थापना के साथ, वर्तमान में उत्तराखण्ड में अग्निशमन केन्द्रों की कुल संख्या 48 अग्निशमन केन्द्रों एवं इकाइयों तक पहुंच गई है।

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के कार्य:-

- (क) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक, आवासीय, शैक्षिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान, भण्डारण, पावर हाउस, कल कारखानों एवं तेल गैस डिपो में लगी आगों को विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा बुझाया जाता है।
- (ख) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वनों में घटित आग की घटनाओं को, विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा भी बुझाया जाता है।
- (ग) विभिन्न प्रकार की आपदा जैसे दैवीय आपदा, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, वाहन दुर्घटना, नदियों में फंसे व्यक्तियों एवं जीवों को रेस्क्यू से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं।

(घ) अतिवृष्टि के कारण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भरे पानी निकासी करना, तेज आंधी से सड़कों एवं भवनों के ऊपर गिरे पेड़ों को काटकर हटाते हुए भवन को सुरक्षित करना एवं सड़क मार्ग को यातायात हेतु निर्बाधित किया जाता है।

(ङ) राजभवन, मा० मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, वीवीआईपी वीआईपी मेला, जुलूस प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आदि में अग्निशमन एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित की जाती है।

(च) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की घटनाओं में कमी लाने हेतु अग्निशमन कार्मिकों द्वारा अग्निजोखिम युक्त औद्योगिक संस्थानों यथा तेल एवं गैस डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, लीसा डिपो, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि, मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, तथा विभिन्न संस्थानों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा अग्निसुरक्षा सम्बन्धित जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं।

(छ) प्रदेश के हेलीपेड/हेलीपोर्ट्स में हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग/टेक-ऑफ में अग्निसुरक्षा ड्यूटी सम्पन्न की जाती है।

सेवा का अधिकार के तहत उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा वर्तमान में जारी सेवाओं का विवरण:-

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष/अग्नि शमन अधिकारी	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	सल्फर की बिक्री के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	पटाखों की बिक्री के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	अग्निशमन सेवाओं के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध (1) सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु (2) अन्य प्रयोजनों हेतु	प्रभारी / थानाध्यक्ष	15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

1. अन्य कार्य-

- नवसृजित 15 फायर स्टेशनों के अग्निशमन अधिकारी Portal को Live किया गया।
- Single Window Portal पर Online Fire Pendency को Update कर Zero Pendency पर लाया गया।
- अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं में नवसृजित होने वाले फायर स्टेशन में कार्मिक वाहन मशीन के मानक निर्धारण संबंध में शासनादेश संख्या 126741/XX-3/2023-03 (फायर)/2005, टी०सी० दिनांक 01.06.2023 को निर्गत किया गया है।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून की स्थापना राज्य पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित 2018) के अन्तर्गत वर्ष 2018 में की गई है। प्राधिकरण में मा0 उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायाधीश, प्राधिकरण के मा0 अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल व कुमाऊँ मण्डल गठन किया गया है। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल, देहरादून के 07 जनपदों, क्रमशः-हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों, क्रमशः- नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है। इसका क्षेत्राधिकार समस्त उत्तराखण्ड में रहेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य:-

- (क) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करेगा।
- (ख) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त अपचार की शिकायतें, आगे कार्यवाही के लिये राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा। परन्तु यह कि गुमनाम शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
- (ग) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध “गम्भीर अवचार” की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ:-

- 1- प्राधिकरण मामले में किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है।
- 2- ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर, अपने निष्कर्ष से राज्य को, सूचित करेगा, जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगी। यदि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित अपचारी द्वारा उसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

शिकायतकर्ता के अधिकार:-

- (1) कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों) के किसी अवचार अथवा गम्भीर अवचार से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकता है।
- (2) उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह विभागीय जांच की किसी अवस्था में जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।
- (3) शिकायतकर्ता की जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित किया जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षों के सम्बन्ध में यथा शीघ्र सूचित जायेगा।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:- आम जनता राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हाट्सअप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

कार्यालय का पता - राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 28 पार्क रोड लक्ष्मण चौक निकट दीप लॉज देहरादून।

फोन न0- 0135-2520317, 3558209 **ईमेल-** spcauttarakhand@gmail.com **बेवसाइट -**https://www.spcauttarakhand.com

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, (गढ़वाल) मण्डल, देहरादून में तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, (कुमाऊँ) मण्डल, नैनीताल की स्थापना उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत वर्ष 2018 में की गई है। प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल के 07 जनपदों, क्रमशः-हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तक है तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों, क्रमशः-नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है।

कार्यः-प्राधिकरण का गठन जिस उद्देश्य से किया किया गया है, उससे एक ओर पुलिसकर्मी विधि अनुसार कार्य करने को प्रतिबद्ध होते हैं, वही दूसरी ओर पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास की भावना में भी बढ़ोत्तरी होती है।

शिकायतकर्ता के अधिकारः-पुलिस कॉस्टेबल से लेकर क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपधीक्षक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उनके द्वारा आम जनता के सन्दर्भ में किये गये ‘अपचार’ तथा ‘गम्भीर अपचार’ से सम्बन्धित शिकायतें सुनी जाती हैं। नियमानुसार दोनों पक्षकारों का पक्ष सुनने के उपरान्त प्राधिकरण के स्तर से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया जाता है। यदि प्राधिकरण स्तर से पारित आदेश में किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध दण्ड की संस्तुति की जाती है, तो उसे शासन के गृह विभाग को भेजा जाता है।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः- आम जनता जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, गढ़वाल, मण्डल देहरादून/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हाट्सअप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

**मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड,
जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून
E-mail-igprisonsuk@gmail.com, ig-jail-uk@nic.in**

राज्य की कारागारों में निरुद्ध बंदियों में सुधार, उनके पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु कारागारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में बंदियों को नियोजित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों द्वारा बंदियों में कार्य कुशलता, आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन का भाव जगाना तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर समाज में पुनः तालमेल बनाकर/पुनर्वास हेतु तैयार करना है। साथ ही बंदियों में अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था को रोकना, उनमें नैतिकता का स्तर बनाए रखना तथा उनमें संस्थागत अनुशासन को प्रोत्साहन देना है। कारागार से रिहाई के बाद बंदियों के लिए रोजगार या स्वरोजगार का अवसर विकसित किया जाता है, जिससे बंदी भविष्य में कारागार से रिहा होने पर अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो सके। कारागारों में कौशल विकास कार्यों में नियोजित बंदियों को उचित पारिश्रमिक भी प्रदान किया जा रहा है। कारागारों में बंदियों को कुशल बनाने हेतु विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम यथा सिलाई, कारपेंटरी उद्योग, गमला, दरी, कारपेंटरी उद्योग (वैन्कों यूनिट) लूफा यूनिट, कारागार सेलून, हेण्डलूम यूनिट, फर्नीचर यूनिट, मशरूम, कार्यशाला, वेल्डर, पेन्टर, प्लम्बर, लुहार, कम्प्यूटर संचालन आदि की व्यवस्था प्रचलित है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादून (शिक्षा विभाग)



1) उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-

उत्तराखण्ड में निवास करने वाले साहित्यकार/विद्वान/भाषाविद्वों को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने एवं साहित्य सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं हिन्दी, उर्दू पंजाबी व लोकभाषा/बोली (गढ़वाली, कुमांउनी, जौनसारी व अन्य बोलियों) के साहित्य हेतु प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान, उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार, उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन पुरस्कार, बाल साहित्य लेखन सम्मान, उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार एवं साहित्यिक पत्र-पत्रिका लेखन पुरस्कार तथा उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान सम्मान प्रदान किया जाता है। जिसमें चयनित साहित्यकारों को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक अपनी प्रकाशित पुस्तकों के सभी अंकों की 4-4 प्रतियाँ के साथ जमा करना होता है। उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत 07 प्रकार के पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित हैं-

क्र.स.	सम्मान का नाम	संख्या	सम्मान राशि
1.	उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	01	5,00,000
2.	उत्तराखण्ड दीर्घ कालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	06	1,51,000
3.	उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन सम्मान	01	1,51,000
4.	बाल साहित्य लेखन पुरस्कार	01	1,51,000
5.	उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	07	1,00,000
6.	साहित्यिक पत्र-पत्रिका लेखन पुरस्कार	01	1,00,000
7.	उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान पुरस्कार	04	50,000

(2) हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना -

हिन्दी दिवस समारोह पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी विषय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हरिद्वार द्वारा पूर्वमध्यमा (हाईस्कूल), उत्तरमध्यमा (इण्टरमीडिएट) में हिन्दी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं, तथा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून से हाईस्कूल (मुंशी) में अरबी हाईस्कूल (मौलवी) में फारसी एवं इण्टरमीडिएट (आलिम) के फारसी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

(3) भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन-

प्रदेश में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार एवं संवर्द्धन करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन के अंतर्गत प्रथम वर्ग-कक्षा 06 से 08 एवं द्वितीय वर्ग- कक्षा-09 से 12 हेतु राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसमें उत्तराखण्ड में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राएं को स्वरचित विभिन्न विधाओं कविता, निबंध, नाटक, कहानी एवं यात्रा वृत्तांत आदि लिखकर संस्थान को ई-मेल अथवा डाक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय में जमा किये जाते हैं। उक्त प्रतियोगिता में प्रत्येक विधा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सात्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं।

(4) विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान-

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे साहित्यकार जो धनाभाव के कारण अपने साहित्य का प्रकाशन नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिस्थिति में श्रेष्ठ विद्वानों के साहित्य का प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसमें संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आवेदन का प्रारूप संलग्न होता है। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक पाण्डुलिपियों के साथ संस्थान कार्यालय में जमा किया जाना होता है। जिसमें प्राप्त आवेदनों की जांच, उपयोगिता भाषा शैली आदि का गहन अध्ययन कर चयनित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आंशिक आर्थिक अनुदान हेतु चयनित किया जाता है। प्रकाशन के उपरान्त साहित्यकार द्वारा प्रकाशित 05 प्रतियां संस्थान पुस्तकालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। उक्त योजना के हिन्दी, गढ़वाली व कुमांउनी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु वर्ष -2023 -2024 में 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

PK

माध्यमिक शिक्षा विभाग

समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड



समग्र शिक्षा परियोजना

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड	राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।	आयुवर्ग 3 से 9 के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की सम्प्राप्ति सुनिश्चित कराना।	निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना है जिससे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

02.	रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण	निःशुल्क आत्मरक्षा की तकनीक का प्रशिक्षण।	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं	राज्य के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण (जूडो, करांटे, मार्शल आर्ट एवं बॉक्सिंग) से प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक चयनित विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाएं।
03.	समावेशित शिक्षा	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से कक्षा-12 तक सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एस्कार्ट सुविधा, गृह आधारित शिक्षा, स्पोर्ट्स एवं एक्सपोजर विजिट, गर्ल्स स्टाईपेंड तथा निःशुल्क उपकरण आदि प्रदान किये जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु चिन्हांकन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकतानुसार निःशुल्क रूप से सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।	6 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।	शैक्षिक-सत्र प्रारम्भ होने पर विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत विशेष शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है। तदोपरान्त समीपस्थ विद्यालयों में बच्चे का नामांकन किया जाता है।
04.	सामुदायिक सहभागिता	सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु SMC/SMDC का गठन किया जाता है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जन समुदाय को पुरस्कृत तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाते हैं। सपनों की उड़ान कार्यक्रम द्वारा जन-जन तक नवाचारी कार्यों एवं उत्कृष्ट कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।	SMC/SMDC सदस्यों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम डायट द्वारा सम्पन्न किया जाता है। सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बैनर, फ्लेक्स, रेडियो के माध्यम से उत्कृष्ट नवाचारी कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।	शैक्षिक-सत्र प्रारम्भ होने पर विद्यालयी स्तर पर SMC/SMDC का गठन किया जाता है, तथा सम्पूर्ण सत्र में SMC/SMDC सदस्यों की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है।
05.	गुणवत्ता एवं नवाचार निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक	प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, के कक्षा 1 से	राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसों, जो राज्य सरकार के पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, में अध्ययनरत	कोई चयन प्रक्रिया नहीं है उल्लिखित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाती है।

		8 तक के बालकों एवं बालिकाओं (All Boys & All Girls) को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती है।	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राएँ।	
06.	निःशुल्क गणवेश	राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं (जिसमें सभी वर्ग की बालिकाएँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी0पी0एल वर्ग के सामान्य बालक सम्मिलित हैं) को निःशुल्क गणवेश के अन्तर्गत प्रति छात्र ड्रेस के दो सेट DBT/SMC के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं।	कक्षा 1-8 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाएँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी0पी0एल0 वर्ग के सामान्य बालक।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक के अर्हता रखने वाले सभी छात्र-छात्राओं को गणवेश या इससे सम्बन्धित धनराशि दी जाती है।
07.	Maths Wizard & Spelling Genius	भारत सरकार द्वारा AWP-B वर्ष 2023-24 में कक्षा 5 के छात्र-छात्राओं की गणित व अंग्रेजी विषय में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर छात्र-छात्राओं हेतु Maths Wizard एवं Spelling Genius प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्द्धन किया गया।	राजकीय विद्यालयों के कक्षा 5 के छात्र-छात्राएँ	ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय का चयन।
08.	कला उत्सव प्रतियोगिता	कला उत्सव प्रतियोगिता को जनपद स्तर से राज्य स्तर तक क्रियान्वित करने में सहयोग एवं समन्वयन किया गया। वर्ष 2023-24 में राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन जनपद हरिद्वार द्वारा किया गया। 10 विधाओं में बालक व बालिका वर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 20 छात्र-छात्राओं द्वारा राज्य की ओर से बालभवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड राज्य से दो प्रतिभागियों कृ० नीता दुसाद, जनपद बागेश्वर (विधा स्थानीय खेल-खिलौने) एवं परखर जोशी जनपद ऊधमसिंह नगर (विधा वाद्य यंत्र संगीत) द्वारा क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया।	कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राएँ	जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से

09.	Enhancement of Spoken English Programme	राज्य के सभी जनपदों के कुल 109 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 39000 छात्र-छात्राओं हेतु Enhancement of Spoken English कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया।	109 चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के 39000 छात्र-छात्राएँ।	नेट कनेक्टिविटी, छात्र-संख्या, आनलाइन कार्यक्रम हेतु Device की उपलब्धता आदि के आधार पर चयनित 109 विद्यालयों के सभी छात्र-छात्राएँ।
10.	यूथ एवं ईको क्लब	<p>● विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएँ, प्लास्टिक का उपयोग रोकना, किचन-गार्डन, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा-प्रबन्धन, स्वच्छता एवं जल-संरक्षण आदि से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagless Day and Environment Friendly Awareness. 2. Awareness Through Skits and Plays. 3. Poster makings, Paintings, Slogan writing etc. Competition and "Say No" to Single Use plastic. 4. Cleaning Drives of the School and Surrounding and Keeping Toilets Usable. 5. Composting Food Waste in the School. 6. Planting of Trees in Schools. 	सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालय।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।
11.	विद्या समीक्षा केन्द्र	<p>उत्तराखण्ड का "विद्या समीक्षा केंद्र" केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। इस योजना के तहत डेटा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांति लायी जा रही है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उत्तराखण्ड में विद्या समीक्षा केंद्र का प्रारम्भ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में 12 सितम्बर 2023 को किया गया। 2. विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सीखने, शिक्षकों को बेहतर सिखाने और अधिकारियों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। 	समस्त राजकीय विद्यालय, सभी राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ एवं शिक्षक	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।

		<p>3. विद्या समीक्षा केन्द्र स्विफ्टचैट एप का उपयोग करता है जिसमें हमारे उपयोगकर्ता चैट करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। विद्या समीक्षा केन्द्र के तहत उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शिक्षा में बेहतर के लिए परख कार्यक्रम लाया गया है जिसमें वे साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं एवं स्वमूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण वीडियो प्राप्त करते हुए स्वयं को बेहतर बनाते हैं।</p> <p>4. उत्तराखण्ड का विद्या समीक्षा केंद्र बस एक डेटा केंद्र नहीं है, यह शिक्षा जगत में आने वाले दूरगामी परिवर्तनों के लिए एक आधार है, जो</p> <p>Daily Attendance, से लेकर Periodic assessment, Digital Home Learning, Remedial Teaching, field monitoring और holistic report card बनाने जैसे कार्यों को स्विफ्टचैट द्वारा आसान बना रहा है।</p> <p>5. आने वाले समय में विद्या समीक्षा केंद्र में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर, मानव सम्पदा पोर्टल और स्कूल इंस्पेक्शन जैसे आयामों को भी समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।</p>		
12.	सुपर-100 कार्यक्रम	<p>भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुपर-100 कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में विज्ञान वर्ग के 100 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवायी गई जिसके लिए उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थानों से साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर फैकल्टी का चयन किया गया।</p>	<p>विज्ञान वर्ग के कक्षा 12 के 100 विद्यार्थी (प्रत्येक ब्लॉक से 01 श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र-छात्रा एवं एस0सी0, एस0टी0 व ओबीसी वर्ग से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र/छात्रा।</p>	<p>प्रत्येक ब्लॉक से वर्तमान में कक्षा 12 (विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्रा का चयन किया गया जिनके द्वारा अपने विकासखण्ड में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था।</p>

PRO

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



संस्कृत शिक्षा विभाग

(उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम)

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	संस्कृत छात्र प्रतियोगिता- 1. संस्कृत नाटक 2. संस्कृत समूहगान 3. संस्कृत समूहनृत्य 4. संस्कृत वाद-विवाद 5. संस्कृत आशुभाषण 6. संस्कृत श्लोकोच्चारण (संशोधित)	प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक-पृथक संस्कृत प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। 1. विकासखण्ड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.300/- एवं अधिकतम रु. 800/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.300/- एवं अधिकतम रु. 500/- पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 2. जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.400/- एवं अधिकतम रु. 2000/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.400/- एवं अधिकतम रु. 800/- पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 3. राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.6000/- एवं अधिकतम रु. 25,000/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.2000/- एवं अधिकतम रु. 4000/- पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत संस्थागत छात्र व छात्राएँ सम्मिलित होंगी, (किंतु बी. एड. पी-एच.डी. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र व छात्राओं का प्रतिभाग प्रतिबन्धित है।)	यह प्रतियोगिता साल में एकबार (लगभग सितम्बर-नवम्बर तक) आयोजित होती है। इसका विज्ञापन/अधिसूचना जारी करके सम्बन्धित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को प्रेषित करती है। छात्र/छात्रा का चयन विद्यालय/कॉलेज स्तर पर करने के उपरान्त प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी/ खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। 1. खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। उसके उपरान्त प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। 2. जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी/दल राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार राशि दी जाती है।
2.	अखिलभारतीय	प्रत्येक आमन्त्रित कवि को मानदेय	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के	यह आयोजन राष्ट्रीय पर्वों/ राज्यपर्वों के उपलक्ष्य में

	संस्कृतकवि सम्मेलन (संशोधित)	रु.2501/- प्रदान किया जाता है।	15 संस्कृत कवि, जो संस्कृत में काव्य लिखते हों तथा पढ़ सकते हों, को आमन्त्रित किया जाता है।	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्यापनरत् शिक्क जो संस्कृत कवि के रूप में विख्यात हों की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित कवियों की सूची सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। तदनुसार सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्तुत कवियों को काव्यपाठ हेतु आमन्त्रित किया जाता है।
3.	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान (संशोधित)	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रु0 5,100/- द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 4,100/- तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 3,100/-	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयीय शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयीय शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में / पूर्वमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) / उत्तरमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) / शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्द्रीय संस्कृत वि.वि., परिसर देवप्रयाग आदि उच्चशिक्षण संस्थाओं के स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्राप्तांको के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा संबंधित बोर्ड के सचिव से पत्राचार करके, संबंधित सत्र के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव से पत्राचार करके, स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। सम्मान समारोह आयोजित कर चैक द्वारा भुगतान किया जाता है तथा प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित किया जाता है।
4.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (संशोधित)	कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रु0 251/- के अनुसार वार्षिक रु. 3012/- प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक पंजीकृत/अध्ययनरत संस्थागत 200 छात्र-छात्रायें, जिनके पास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, वे अर्ह होंगे।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के संस्थागत छात्र एवं छात्रा, जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित

				करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
5.	गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू0 251/- के अनुसार वार्षिक रू. 3012/- प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के सभी श्रेणी की पंजीकृत/ अध्ययनरत संस्थागत 175 छात्रायें।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी श्रेणी के संस्थागत छात्र एवं छात्रा, जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
6.	शोधग्रन्थ चयन योजना	शोधग्रन्थ के सापेक्ष लेखक को प्रतिपृष्ठ रू. 151/- की मानदेय एवं प्रकाशित ग्रन्थ की 25 प्रतियां निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित प्रामाणिक, समाजोपयोगी उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में शोधग्रन्थ प्रकाशनार्थ आमन्त्रित हैं। देश के किसी भी राज्य के विद्वान् (जो शोधप्रविधि की परिधि में शोधग्रन्थों का लेखन करते हों) अर्ह होंगे।	शोधग्रन्थ चयन नियमावली के आलोक में समाचार पत्रों/वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लेखक को आवेदन पत्र के साथ शोधग्रन्थ की 03 प्रतियां तथा शोधग्रन्थ की मौलिकता के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। मूल्यांकन समिति के द्वारा अर्ह शोधग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है।
7.	अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन	संस्कृत साहित्य में नये शोध के माध्यम से ज्ञान वृद्धि करना, आदान-प्रदान करना, शोधग्रन्थ लेखन विधा को जानना एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	देश के सभी राज्यों के आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, स.अ., शिक्षक एवं शोधछात्र जो अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसन्धान में लगे हुये हैं, वे प्रतिभाग करते हैं।	शोधकर्ता द्वारा अकादमी की नियमावली के आलोक में आवेदन पत्र एवं निर्धारित विषय में शोधपत्र लिखकर निर्धारित तिथि तक ई-मेल के माध्यम प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है तथा शोधपत्र मूल्यांकन समिति के द्वारा जिनके शोधपत्र अर्ह किये जाते हैं, उनको आमन्त्रित किया जाता है।
8.	अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन	वैदिक साहित्य एवं ज्योतिष व वास्तु के सूक्ष्म ज्ञान को समझना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शास्त्रों की व्याख्या करना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	वेद, ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार-प्रसार एवं अनुसन्धान में लगे हुये विद्वान् सम्बन्धित सम्मेलन के लिए अर्ह होंगे।	सूचना पत्र के आधार पर आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से जमा करना होता है अथवा संयोजक के दूरभाष पर अपने आने की सूचना देना होता है।
9.	वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	वैदिक गणित के सरल पाठ्यक्रम के संचालन एवं उसकी सरल विधाओं की जानकारी प्राप्त करना।	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं अन्य विभागों के अधिकारी, शिक्षक एवं छात्र प्रतिभाग करेंगे।	संगोष्ठी की तिथि, समय एवं स्थानादि का निर्धारण करने के पश्चात् संयोजक द्वारा आमन्त्रित लोगों की सूची प्रस्तुत की जायेगी, अकादमी सचिव द्वारा पत्र के माध्यम से आमन्त्रित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण:-

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1.	शास्त्री प्रमाणपत्रम् (Graduate Certificate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	उत्तरमध्यमा / संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण / प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रति सत्र
2.	शास्त्री उपाख्या (Graduate Diploma)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रति सत्र
3.	शास्त्री / स्नातक (Graduate Degree)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री उपाख्या परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रति सत्र
4.	शास्त्री / स्नातक (Graduate Research)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रति सत्र
5.	आचार्य / स्नातकोत्तर (Post Graduate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक शोध परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रति सत्र

विकल्पाधारित प्रणाली (सी.बी.सी.एस.)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1.	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीय	-	स्नातक उपाधि (संस्कृतेन सह)	12,050 प्रथम वर्ष	9,450 द्वितीय वर्ष
2.	आचार्य (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान पत्रकारिता जनसंचार शिक्षाशास्त्र इतिहास हिन्दी	स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि	10000 10000 1200 1200 1200	1000 प्रति सत्र 1000 प्रति सत्र 500 प्रति सत्र 500 प्रति सत्र 500 प्रति सत्र
3.	पी.जी. डिप्लोमा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान ज्योतिष वास्तुशास्त्र कर्मकाण्ड पौरोहित्य	स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि	10000 10000 10000 10000 10000	1000 प्रति सत्र 1000 प्रति सत्र 1000 प्रति सत्र 1000 प्रति सत्र 1000 प्रति सत्र

			कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
4.	प्रमाण पत्र	षाण्मासिक	योग विज्ञान	उत्तर मध्यमा इण्टरमीडिएट	6000	600 प्रतिसत्र
			कम्प्यूटर एप्लीकेशन	समक्षक।	6000	600 प्रतिसत्र
			संस्कृतम		500	600 प्रतिसत्र
			कर्मकाण्ड		500	600 प्रतिसत्र
			कम्प्यूनिकेटिव अंग्रेजी		500	600 प्रतिसत्र
			पर्यावरण जागरूकता		500	600 प्रतिसत्र

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता
1.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.)	-	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, हिन्दी, योग विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत अंक

उक्त सभी पाठ्यक्रम रोजगार परक हैं तथा उक्त सभी पाठ्यक्रमों में ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र भरे जाते हैं।

प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



PROO

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण :-

पाठ्यक्रम का नाम	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / आर्किटेक्चर / फार्मसी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0										
नियामक परिषद्	<ul style="list-style-type: none"> ➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0 – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली ➤ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ➤ डिप्लोमा इन फार्मसी – फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया 										
पाठ्यक्रम अवधि	<ul style="list-style-type: none"> ➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – 03 वर्ष ➤ डिप्लोमा इन फार्मसी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0 – 02 वर्ष 										
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षिक सत्र हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स										
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	<ul style="list-style-type: none"> ➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। ➤ डिप्लोमा इन फार्मसी – भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान या गणित विषयों के साथ 10+2 परीक्षा (विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम) में उत्तीर्ण। अथवा भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य योग्यता। ➤ माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस (एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0) – 10+2 / इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है।) 										
वर्तमान में संचालित संस्थान एवं सीटों का विभाजन	<p>प्राविधिक शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता का विवरण :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)</th> <th>BRANCH NAME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALMORA (GIRLS)</td> <td>COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING,(30) INFORMATION TECHNOLOGY (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)</td> </tr> <tr> <td>DEHRADUN (GIRLS)</td> <td>COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN ARCHITECTURE (40), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (40)</td> </tr> <tr> <td>PITHOWALA</td> <td>CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING(40), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (40) DIPLOMA IN PHARMACY (40)</td> </tr> <tr> <td>FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)</td> <td>CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), AUTOMATION AND ROBOTICS (60), DIPLOMA IN PHARMACY (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40),</td> </tr> </tbody> </table>	INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)	BRANCH NAME	ALMORA (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING,(30) INFORMATION TECHNOLOGY (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)	DEHRADUN (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN ARCHITECTURE (40), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (40)	PITHOWALA	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING(40), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (40) DIPLOMA IN PHARMACY (40)	FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), AUTOMATION AND ROBOTICS (60), DIPLOMA IN PHARMACY (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40),
INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)	BRANCH NAME										
ALMORA (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING,(30) INFORMATION TECHNOLOGY (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)										
DEHRADUN (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN ARCHITECTURE (40), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (40)										
PITHOWALA	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING(40), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (40) DIPLOMA IN PHARMACY (40)										
FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), AUTOMATION AND ROBOTICS (60), DIPLOMA IN PHARMACY (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40),										

GOVT. POLYTECHNIC GAUCHAR (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING(ENVIRONMENTAL & POLL CONTROL (40), ELECTRONICS ENGINEERING(SPECIAL IN CONSUMER ELEX (30), INFORMATION TECHNOLOGY (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
GOVT. POLYTECHNIC KASHIPUR (U.S. NAGAR)	AGRICULTURE ENGINEERING (42), CHEMICAL ENGINEERING (40), CHEMICAL TECHNOLOGY (PAINT) (40), CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
GOVT. POLYTECHNIC LOHAGHAT (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING (40) ELECTRONICS ENGINEERING (30), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
GOVT. POLYTECHNIC NAINITAL	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (41), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)
GOVT. POLYTECHNIC NARENDRA NAGAR (TEHRI GARHWAL)	ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (30), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30), GAMING AND ANIMATION (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
GOVT. POLYTECHNIC SHAKTIFARM (U.S. NAGAR)	CHEMICAL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (40), CHEMICAL TECHNOLOGY(RUBBER AND PLASTIC (30)
GOVT. POLYTECHNIC SRINAGAR GARHWAL (PAURI GARHWAL)	CIVIL ENGINEERING (60), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (60), ELECTRONICS ENGINEERING (60), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
S.S.S.S.P.U. GOVT. POLYTECHNIC SULT (ALMORA)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC UTTARKASHI	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
LATE GENERAL BIPIN CHANDRA JOSHI GOVT. RURAL POLYTECHNIC TAKULA(ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (60), ELECTRONICS ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (60)
GOVT. RURAL POLYTECHNIC THALNADI (PAURI GARHWAL)	ELECTRONICS ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
K.L. POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	CIVIL ENGINEERING (60), ELECTRICAL ENGINEERING (60), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION) (60), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (30), COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING (30)
GOVT. POLYTECHNIC KOTABAGH (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC KOTDWAR (PAURI GARHWAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40)
GOVT. POLYTECHNIC GARUR (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)

GOVT. POLYTECHNIC KALADHUNGI (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(IND. INTEGRATED) (40), INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC GANAI GANGOLI (PITHORAGARH)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (20)
GOVT. POLYTECHNIC RATURA (RUDRAPRAYAG)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC GARHI SHYAMPUR (RISHIKESH)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), ELECTRICAL ENGINEERING (40)
GOVT. POLYTECHNIC SAHIYA (DEHRADUN)	MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION) (40)
GOVT. POLYTECHNIC SATPULI (PAURI)	MECHANICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC NEW TEHRI	ELECTRICAL ENGINEERING (40)
GOVT. POLYTECHNIC GOPESHWAR (CHAMOLI)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)
JASWANT SINGH RAWAT GOVT. POLYTECHNIC BIRONKHAL(PAURI)	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (60)
GOVT. POLYTECHNIC KANDA (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC CHAUNALIYA (ALMORA)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC AAMWALA (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (40), AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (60), COMPUTER SCIENCE (30)
GOVT. POLYTECHNIC SIDCUL HARIDWAR	ELECTRONICS ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)
GOVT. POLYTECHNIC PANTNAGAR (U.S. NAGAR)	ELECTRONICS ENGINEERING (40) , MECHANICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC MALLASALAM (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC VIKASNAGAR (DEHRADUN)	ELECTRONICS ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (60), MECHANICAL ENGINEERING (60), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)
GOVT. POLYTECHNIC KANALICHEENA (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC DIDIHAT PITHORAGARH	AUTOMOBILE ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)
GOVT. POLYTECHNIC JAKHOLI (RUDRAPRAYAG)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)

SATYANAND DIMRI GOVT. POLYTECHNIC BARKOT(UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING (60), INFORMATION TECHNOLOGY (30)
GOVT. POLYTECHNIC HINDOLAKHAL (TEHRI)	DIPLOMA IN PHARMACY (60), MECHANICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC MUNAKOT (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING (54)
GOVT. POLYTECHNIC KAPKOT (BAGESHWAR)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC TANAKPUR (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC KHATIMA (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING (54), ELECTRICAL ENGINEERING (54), INFORMATION TECHNOLOGY (60), DIPLOMA IN PHARMACY (60),
GOVT. POLYTECHNIC KULSARI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC PRATAPNAGAR (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING (60) , DIPLOMA IN PHARMACY (60)
GOVT. POLYTECHNIC DANYA (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC GAJA (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)
HARISHCHANDRA GOVT. POLYTECHNIC BHALASWAGAJ (HARIDWAR)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)
GOVT. POLYTECHNIC BAZPUR (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING (54), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (54), DIPLOMA IN PHARMACY (60)
GOVT. POLYTECHNIC JAKHNIDHAR (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC GAIRSAIN (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC PIRUMDARA RAMNAGAR (NAINITAL)	COMPUTER SCIENCE (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC QUANSI (DEHRADUN)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)
GOVT. POLYTECHNIC PAURI	MECHANICAL ENGINEERING (60)
GOVT. POLYTECHNIC BAANS (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (60)
GOVT. POLYTECHNIC BHEEMTAL (NAINITAL)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE (30)

	GOVT. POLYTECHNIC BADECHEENA (ALMORA)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC BACHELIKHAL (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC CHINIYALISAUR (UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE, (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC PIPLI (UTTARKASHI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC CHAMPAWAT	ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (30), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC CHOPTA (RUDRAPRAYAG)	CIVIL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC PAABO (PAURI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC KANDIKHAL (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC POKHRI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC BERINAAG (PITHORAGARH)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC BANSBAGARH (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING(PUBLIC HEALTH ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC BARAM (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GAURA DEVI GOVT. POLYTECHNIC JOSHIMATH (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC JAINTI (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC RANI POKHRI (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING (60), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (60)	
शिक्षण शुल्क	शिक्षण शुल्क- ₹8000.00 छात्र निधि शुल्क- ₹5000.00 छात्रावास शुल्क- ₹4000.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क राजकीय संस्थान- ₹500.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क निजी संस्थान- ₹1000.00		

	<p>मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान) परीक्षा आवेदन शुल्क- ₹500.00 बैंक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)- ₹200.00 प्रति विषय स्क्रूटनी शुल्क- ₹250.00 प्रति विषय अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)- ₹20.00 (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)- ₹30.00 पुर्नमूल्यांकन- ₹2000.00 प्रति विषय</p>
आरक्षण व्यवस्था	<p>उर्ध्वधर आरक्षण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुसूचित जाति- 19 प्रतिशत 2. अनुसूचित जनजाति- 04 प्रतिशत 3. अन्य पिछड़े वर्ग- 14 प्रतिशत 4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 10 प्रतिशत 5. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार) – प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A, B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3 प्रतिशत जोड़ा जायेगा। <p>क्षैतिज आरक्षण</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए- 02 प्रतिशत संस्थागत पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 7. भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग/मृत सैनिकों के आश्रित- 05 प्रतिशत संस्थागत पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 8. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए- 04 प्रतिशत 9. महिलाओं के लिए- 30 प्रतिशत (उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।)
काँउन्सिलिंग प्रक्रिया	<p>मेरिट सूची- सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग, यदि समान होता है, तो, उस स्थिति में अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बंधित अभ्यर्थियों के जन्मतिथि के आधार पर मेरिट, निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो, तो सम्बंधित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान/रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी, और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती, तो, सम्बंधित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।</p>
सम्बद्ध परिषद्	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)
सम्बद्ध परिषद् का पता, ई-मेल आई0डी0	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, सुनहरा रोड़, काशीपुरी, रुड़की (हरिद्वार) Website :- www.ubter.in , www.ubterjeep.co.in E-mail- js.ubte15@gmail.com

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय



प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की सूचना

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के कैम्पस संस्थानों एवं समस्त स्वायत्तशासी/निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जी0बी0पी0यू0ए0टी0 पन्तनगर में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों B.TECH, BHMCT, BALLB, BBALLB, BCA, LLB, M.TECH, MBA, MCA, MHM, LLM, PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग द्वारा किये जाते हैं।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा (Qualifying Exam) तथा अर्हता (Eligibility) निम्नवत है:-

SN	COURSE	DURATION	QUALIFYING EXAM / ELIGIBILITY
1	B.TECH. - FIRST YEAR (Biotechnology) (Agriculture Engg)	4 Years	Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics/Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information/Technology/ Biology/ Informatics Practices/Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship as per AICTE Agriculture stream (for Agriculture Engineering)

	(Civil Engg) (CSE) (CHEM ENGG) (EE) (Electronics & Communication Engg) (ME)		Obtained at least 45% marks (40% marks in case of Candidates belonging to reserved category) in the above subjects taken together.
2	BHMCT- FIRST YEAR	4 Years	Passed 10+2 examination Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination.
3	BALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
4	BBALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
5	BBA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) in any stream OR A Pass in diploma in Commercial Practice or equivalent
6	BCA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) and Mathematics is a compulsory subject in Intermediate. Candidate must have mathematics as a subject in class 10 th . candidate who does not have Mathematics as a subject in class 12 th must complete a bridge course in Mathematics during the first semester.
7	LLB-FIRST YEAR	3 Years	Graduation in the 10+2+3 pattern from a recognized university with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
8	M.TECH.-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
9	MBA-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
10	MCA-FIRST YEAR	2 Years	Passed B.C.A/ B.Sc. (Computer Science)/ B.Sc. (IT) / B.E. (CSE)/ B.Tech.(CSE) / B.E. (IT) / B.Tech. (IT) or equivalent Degree. OR Passed any graduation degree (e.g.: B.E. / B.Tech. / B.Sc / B.Com. / B.A./ B. Voc./ etc.,) or at Graduation level obtained at least 50% (45% Marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
11	MHM-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree in Hotel Management and Catering Technology/ Hotel Management of minimum 4 years duration or equivalent Degree. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
12	LLM-FIRST YEAR	2 Year	An LL. B Degree (or B.A.LL. B / B.B.A.LL. B / B.COM-LLB, B. TECH-LL. B or any other integrated law graduate degree) or an equivalent examination with a minimum of Fifty percent (50%)

			of marks or its equivalent grade and 45% in case of candidates belonging to reserved category
13	PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY	1 Year	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.

1. आनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट <http://uktech.ac.in> पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
2. आनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट <http://uktech.ac.in> esa Login-ID/Password बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. अभ्यर्थी वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना सम्पूर्ण विवरण ध्यान पूर्वक चेक कर एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण होने की दशा में अभ्यर्थी राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीट के लिये ही पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थियों को भी महिला सीट में प्रवेश के लिये स्थाई निवास की अनिवार्यता होगी।
5. छात्र आनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय-समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए निरन्तर वेबसाईट <http://uktech.ac.in> पर सम्पर्क करते रहें।
6. आनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को काउंसिलिंग शुल्क (Counseling Fee-Non Refundable) 2000/- प्रवेश काउंसिलिंग पंजीकरण के साथ वेब पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जायेगा।
7. काउंसिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा संस्था/ब्रांच के विकल्प भरने होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में विकल्प भरे जायेंगे उन्हें पुनः द्वितीय अथवा तृतीय चरण की काउंसिलिंग में विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।
8. प्रथम काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित होती है तो उसके पास निम्नानुसार 3 विकल्प होंगे— 1. Freeze 2. Float 3. Withdraw
9. प्रथम अथवा द्वितीय काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को आगामी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना होगा एवं अभ्यर्थी पुनः विकल्प भर सकता है।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड



PROG

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

राज्य के युवाओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार/नियोजन की दृष्टि से विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा सेवायोजन द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति निम्नवत् है:-

प्रशिक्षण संस्थान	गढ़वाल मण्डल	कुमायूं मण्डल	कुल
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	80	73	153
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	70	14	84
योग	150	87	237

प्रवेश प्रक्रिया एवं व्यवसायों का विवरण:-राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मुख्यतः इंजीनियरिंग एवं नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश किये जाते हैं। वर्ष 2020 से प्रवेश परीक्षा के स्थान पर राज्य में प्रथम बार प्रवेश की प्रक्रिया राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काउंसिलिंग द्वारा सम्पादित की गई थी, जिसमें आवेदन पत्र, शुल्क, विकल्प भरना, संस्थान/व्यवसाय आवंटन, प्रवेश लेना आदि पूर्णतया पोर्टल के माध्यम से किया गया। कोविड 19 के कारण आवागमन में दुविधा के दृष्टिगत प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश हेतु भी अपने निकटतम संस्थान में जाने तथा मूल प्रमाण पत्र सत्यापित कराने की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की गयी। प्रवेश के संबंध में राज्य स्तरीय प्रचलित दैनिकों समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापन, आकाशवाणी तथा स्थानीय एफ एम रेडियो में जिंगल विज्ञापन, सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टेशन / रेलवे स्टेशन पार्क, सार्वजनिक लाइब्रेरी, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि में पैम्पलेट वितरण का कार्य सम्पादित किया जाता है। स्थानीय “कॉमन सर्विस सेन्टर” के माध्यम से भी प्रवेश विवरणिका आदि सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त गतिविधियों के कारण संस्थानों में लगभग 76 प्रतिशत सीटों पर विगत सत्र में प्रवेश सम्पन्न किये गये। संस्थानों में प्रवेश हेतु व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

1	एन.सी.वी.टी प्रशिक्षार्थियों की कुल स्वीकृत सीटें	14064
2	एन.सी.वी.टी भारत सरकार के अन्तर्गत संचालित राजकीय आई.टी. आई	86
3	एन.सी.वी.टी के अन्तर्गत वर्तमान में प्रशिक्षार्थियों की संख्या	8743
4	राज्य में स्वीकृत इंजीनियरिंग एवं नान इंजीनियरिंग एन.सी.वी.टी. व्यवसायों की संख्या	35

क्र.स.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
1	फिटर	दो वर्ष	हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित विषय) उत्तीर्ण / समकक्ष	विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग, करना, औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
2	टर्नर	दो वर्ष	-तदैव-	खराद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को

				आवश्यकतानुसार खराद कर गोल आकार देने का कार्य।
3	मशीनिष्ट	दो वर्ष	-तदैव-	विभिन्न प्रकार की मशीनों का कार्य करके विभिन्न प्रकार के गेयर, फिटिंग, चाबी, धाट काटने सम्बन्धी कार्य।
4	इलैक्ट्राशियन	दो वर्ष	-तदैव-	विद्युत सम्बन्धी कल पुर्जों का ज्ञान मरम्मत, रखरखाव एवं मोटर वाईडिंग आदि सम्बन्धी ज्ञान।
5	इंस्ट्रूमेन्ट मैकेनिक	दो वर्ष	-तदैव-	समस्त विद्युतीय चुंबकीय, वायु तापमापी, वायु, दाब और सूक्ष्म मापी यन्त्र का ज्ञान/मरमत।
6	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्नीशियन	दो वर्ष	-तदैव-	रेफ्रीजरेटर एयर कण्डीशनर आदि का ज्ञान/मरम्मत तथा स्थापित करना एवं चलाना।
7	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	दो वर्ष	-तदैव-	यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार, नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।
8	ड्राफ्ट्समैन सिविल	दो वर्ष	-तदैव-	भवन, पुल आदि का आकार नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।
9	इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक	दो वर्ष	-तदैव-	इलैक्ट्रानिक्स पुर्जों, उपकरणों जैसे टीवी वी.सी.आर. सामान्य इलैक्ट्रानिक्स उपकरण आदि की मरम्मत करना।
10	मैकेनिक मोटर व्हीकल	दो वर्ष	-तदैव-	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान एवं गाड़ियों का चलाना।
11	इन्फारमेशन कम्प्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टीनेन्स	दो वर्ष	-तदैव-	कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी, उसका रखरखाव एवं सूचना सम्बन्धी नई पद्धति की जानकारी आदि।
12	लेब्रोर्ट्री एसिसटेंट केमिकल प्लांट	दो वर्ष	-तदैव-	औद्योगिक इकाईयो में कैमिकल प्लांट सम्बन्धी कार्य।
13	मैकेनिक डीजल	एक वर्ष	-तदैव-	डीजल इंजन को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।
14	मैकेनिक ट्रैक्टर	एक वर्ष	-तदैव-	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उसका रखरखाव एवं चलाना।
15	मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर	एक वर्ष	-तदैव-	वाहनों की बॉडी की डेन्टिंग एवं अन्य मरम्मत सम्बन्धी कार्य करना।
16	मै0 कन्स्यूमर इलैक्ट्रानिक्स	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	घरेलू एवं व्यावसायिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों के मरम्मत सम्बन्धी कार्य।
17	सर्वेयर	एक वर्ष	-तदैव-	भूमि की ऊपरी सतह, भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना।
18	फाउण्ड्रीमैन	एक वर्ष	-तदैव-	बने हुये साँचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना।
19	मैकेनिक ऑटो बॉडी पेन्टिंग	एक वर्ष	-तदैव-	वाहनों की बॉडी पेन्टिंग सम्बन्धी कार्य।
20	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग	एक वर्ष	-तदैव-	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इन्ट्री प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेजेज को

	असिस्टेंट				चलाने का ज्ञान।
21	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटरीयल असिस्टेंट हिन्दी	एक वर्ष	-तदैव-		हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा (आशुलिपि हिन्दी) में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
22	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटरीयल असिस्टेंट अंग्रेजी	एक वर्ष	-तदैव-		अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
23	सेक्रेटरीयल प्रैक्टिस अंग्रेजी	एक वर्ष	-तदैव-		कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है। जिसके साथ आशुलेखन तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है
24	कॉस्मोटोलॉजी	एक वर्ष	-तदैव-		ब्यूटीशियन, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइल आदि सम्बन्धी कार्य।
25	फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी	एक वर्ष	-तदैव-		आधुनिक प्रकार के परिधानों की स्केचिंग कर डिजाइन करना।
26	ह्यूमन रिसोर्सेज एकजीक्यूटिव	एक वर्ष	-तदैव-		विभिन्न संस्थानों में मानव संसाधनों की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना।
27	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग	एक वर्ष	-तदैव-		हॉस्पिटल के रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी आदि।
28	वायरमैन	दो वर्ष	आठवीं पास		घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाईन खींचना, उत्पन्न खराबी ठीक करना।
29	पेन्टर जनरल	दो वर्ष	-तदैव-		सम्पूर्ण पेन्टिंग का कार्य जैसे फर्नीचर, व्हीकल पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य करना।
30	वैल्डर (गैस एण्ड इलै.)	एक वर्ष	-तदैव-		धातु के बने हुये पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर बनाना।
31	कारपेन्टर	एक वर्ष	-तदैव-		लकड़ी का फर्नीचर घरेलू सामान आदि का निर्माण करना एवं पालिश करना।
32	प्लम्बर	एक वर्ष	-तदैव-		पानी की लाईन, टॉटी, टंकी, वाल्व आदि की मरमत एवं सैनेटरी फिटिंग का कार्य
33	स्वीईंग टेक्नोलोजी	एक वर्ष	-तदैव-		कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।
34	सरफेस आरनामेन्ट टेक्निक (इम्ब्राईडरी)	एक वर्ष	-तदैव-		कपड़े पर रंगीन धागों से सुन्दर-सुन्दर डिजाइनों की कढ़ाई करना।
35	ड्रेस मेकिंग	एक वर्ष	-तदैव-		आधुनिक प्रकार के परिधानों तैयार करना।

PROGR
IMPLEMENT

खेल विभाग, उत्तराखण्ड



खेल विभाग

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति (संशोधित)	इन प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिवर्ष लगभग 250 प्रशिक्षक रोजगार प्राप्त करते हुए लाभान्वित होते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष। शैक्षिक एवं खेल योग्यता आदि संबंधी कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के सुचारु रूप से संचालन हेतु कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं। जनपद स्तर पर जिला क्रीड़ाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालित करने हेतु आवेदन के आधार पर। योजना हेतु प्रतिवर्ष संभवतः माह मार्च में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा प्रशिक्षण शिविर अधिकतम 11 माह (15 अप्रैल से 15 मार्च तक) हेतु आयोजित किये जाते हैं।
2.	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की जाती है।	राज्य की विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्ग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों/सदस्यों को खेल संघ के माध्यम से खेल किट प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत वर्ष में लगभग 1000/- खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं।	सम्बन्धित खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों का चयन किया जाता है तथा सम्बन्धित खेल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किट हेतु आवेदन किया जाता है।	राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्ग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों/सदस्यों को रू0 5000/- धनराशि की खेल किट (ट्रैकसूट, जर्सी, नैकर, सॉक्स एवं सूज) प्रदान किये जाते हैं।
3.	उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/ क्लबों/ खेल समितियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु रू0 3.50 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू0 2.50 लाख एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि तथा अन्तराष्ट्रीय	मान्यता प्राप्त संघों/क्लबों/खेल समितियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु रू0 3.50 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू0 2.50 लाख एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि तथा अन्तराष्ट्रीय	मान्यता प्राप्त संघों/क्लबों/खेल समितियों एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को विभागीय नियमानुसार निर्धारित	उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/क्लबों/खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं संघों/खिलाड़ियों हेतु खेल उपस्कर (उपकरण) क्रय हेतु अनुदान एवं आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वर्ष भर में लगभग 20 खेल संघ/खेल समितियां/खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं।

	आर्थिक सहायता	स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को धनराशि रू0 2.50 लाख दिये जाने का प्राविधान है।	प्रारूप पर अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है।	
4.	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सभी खिलाड़ी/सदस्यों को विभागीय मानक के अनुसार यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, भोजन भत्ता एवं खेल किट आदि की सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।	जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के चयन ट्रायल्स आयोजित किये जाते हैं तथा चयनित खिलाड़ियों को अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होता है।	भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के कार्मिक हेतु प्रत्येक वर्ष अनेक खेलों में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के सम्भावित 150 कार्मिक लाभान्वित होते हैं।
5.	निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कवैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं स्वीमिंग) का निर्माण	अवस्थापना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 50.00 लाख तक दी जाती है।	राज्य के समस्त व्यक्ति	<ul style="list-style-type: none"> विभाग द्वारा राज्य के जनमानस को खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किये जाने की योजना है। यह अनुदान अवस्थापना की कुल लागत की 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50.00 लाख तक दी जाती है। इन खेल अवस्थापना सुविधाओं का संचालन कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। खेल निदेशालय में ऑफलाईन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रारूप में। आवेदक द्वारा आवेदन कभी भी आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। योजना हेतु निर्धारित समिति द्वारा पात्र आवेदक को अनुदान

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्की)



PK

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों में क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के साथ ही क्षेत्र की महिलाओं व आमजन को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।	क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राए एवं जनसामान्य	पं० ल० मो० शर्मा, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश तथा सोवन् सिंह जीना वि० विद्यालय अल्मोडा में हरेला पीठ स्थापना कर टीशु कल्चर लैब तथा हाईटेक नर्सरी का विकास किया गया है। इसके साथ ही HARC नौगाँव उत्तरकाशी में एवं सी०आई०एम०एस०, देहरादून में उच्च गुणवत्ता युक्त Spawn मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु तथा सतपुली पौड़ी में छात्र-छात्राओं, क्षेत्रीय महिलाओं एवं आमजन के उद्यमिता विकास व स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना की गई। उद्यमिता विकास केन्द्र से सम्पर्क कर लाभ उठाया जा सकता है।
2.	महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, अध्यापकों एवं युवा छात्र - छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कॉन्क्लेव एवं सम्मान का आयोजन	राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं महिलाओं हेतु वैज्ञानिक अभिवृत्ति की वृद्धि एवं कौशल विकास एवं प्रोत्साहन हेतु निम्न कान्क्लेव का आयोजन कर सम्मान प्रदान किया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> • युवा-बाल समागम- मेधावी छात्र सम्मान • अध्यापक/विज्ञान कान्क्लेव- विज्ञान प्रसार सम्मान • महिला वैज्ञानिक कान्क्लेव - उत्कृष्ट युवा महिला वैज्ञानिक सम्मान • महिला प्रयोगधर्मी सम्मान 	छात्रों, अध्यापकों, महिलाओं एवं जनसामान्य	<ul style="list-style-type: none"> • यू-सर्क द्वारा जनपदवार बाल युवा समागम का आयोजन किया जाता है। आयोजक जनपद के उत्तराखण्ड बोर्ड के हाईस्कूल/बारहवीं कक्षा के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 5-5 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। उक्त योग्यता सूची सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। • विज्ञान अध्यापक कान्क्लेव द्वारा उत्तराखण्ड के विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान उन्मुख शिक्षकों की विचारों के आदान प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु उन्हें विज्ञान प्रसार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सम्मान हेतु प्रदेशभर से अध्यापकों के आवेदन पत्र मांगे जाते हैं, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। • यू-सर्क द्वारा प्रतिवर्ष महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव तथा उत्कृष्ट महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

				<p>सम्मान हेतु प्रदेशभर से महिला वैज्ञानिकों के आवेदन पत्र मांगे जाते हैं, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है।</p> <p>राज्य में विज्ञान के समावेश से अनुकरणीय कार्य करने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला प्रयोगधर्मी सम्मान से सम्मानित किया जाता है।</p>
3.	डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से विभिन्न विषयों यथा- ICT Orientation, Emerging Technologies इत्यादि पर प्रशिक्षण career counselling प्रदान किये जाते हैं। 	प्रदेश के समस्त छात्र छात्राए	<ul style="list-style-type: none"> प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पांच दिवसीय/सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

विज्ञानधाम-(यू-कॉस्ट), उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञानधाम (U-COST)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	विज्ञान संचार एवं लोकव्यापिकरण (संशोधित)	विज्ञान लोकव्यापिकरण उत्तराखण्ड के नागरिकों विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए परिषद द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। परिषद सेमिनार कार्यशालाएं सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। लोकप्रिय व्याख्यान वैज्ञानिक दिवस समारोह के आयोजन भी कराती है।	शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठन तथा एनजीओ।	वर्ष में दो बार वेबसाइट— https://www.ucost.in पर प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त प्रस्ताव का चयन पीईजी बैठक, परियोजना मूल्यांकन समूह के माध्यम से किया जाता है, जहां विशेषज्ञ समिति के सदस्य प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं और राज्य के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और वित्त पोषण के लिए राज्य के कल्याण के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करते हैं।
2.	उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम (संशोधित)	उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (टीआरसी) के स्थापना की जाती है। यह स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए तकनीकों में सुधार का कार्य करता है ताकि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यसंवर्धन कर एक व्यवसाय किया जा सके।	राज्यभर से इच्छुक उद्यमी/गैर सरकारी संगठन वैज्ञानिक/शोधार्थी/शिक्षक	विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रण के उपरांत सक्षम गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के उपरांत चयन।
3.	सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव (संशोधित)	सीमांत पर्वतीय जनपदों के बाल वैज्ञानिकों को प्रदेश स्तर पर विभिन्न विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु एक विशेष अवसर प्रदान करना तथा सीमांत दूरस्थ क्षेत्रों तक वैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना है।	राज्य के छः सीमांत जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के कक्षा छः से बारहवीं तक के छात्र एवं छात्राएँ।	ब्लॉक स्तर पर कक्षा छः से बारहवीं तक के सभी छात्र एवं छात्राएँ प्रतिभाग कर सकते हैं तत्पश्चात ब्लॉक स्तर से चयनित छात्र-छात्राओं द्वारा जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है एवं अंत में जनपद से चयनित छात्र-छात्राओं को राज्य स्तर

				पर प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
4.	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी (संशोधित)	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी हर साल यूकॉस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। यूएसएसटीसी विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और राज्य के उभरते वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। विज्ञान कांग्रेस युवा शोधकर्ताओं / वैज्ञानिकों का काफी ध्यान आकर्षित करती है और व्यापक रूप से सफल रही है।	अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप अन्वेषक, किसान, एनजीओ।	विभिन्न विज्ञान आधारित विषयों में शोध पत्र प्रस्तुतियों के प्रस्ताव समाचार पत्र, परिषद की वेबसाइट— https://www.ucost.in और अन्य सोशल मीडिया पेजों पर विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है। चयनित प्रस्तावों को प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है, जिनका विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। परिणाम पर विभिन्न विषयों में शोधकर्ताओं को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है।
5	सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली (संशोधित)	यूकॉस्ट देहरादून में सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली स्थापित की गई है। सौर -आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली अपने आप में प्रदेश के अन्दर एक नवीनतम अनुसंधान है इसके अंतर्गत किसानों और उपभोक्ताओं के लिए अभिनव और एकीकृत सौर ग्रीनहाउस आधारित हाइड्रोपोनिक समाधान और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया गया है। लाभ- स्वचालित सौर-आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा की मांग में कमी, पानी की मांग में कमी और उपज में वृद्धि होगी। प्रणाली में उद्यमिता या व्यवसाय मॉडल के रूप में उपयोग करने की क्षमता है। अन्य हिमालयी राज्यों में पहाड़ी किसानों और युवाओं के लिए बेहतर आजीविका के अवसरों की प्रतिकृति क्षमता।	किसान, शोधकर्ता , विद्यार्थी , और उद्यमी प्रतिवर्ष लगभग 500 से अधिक किसान, उपभोक्ताओं, शोधकर्ता , विद्यार्थी , और उद्यमी	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से

		सौर-आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली के ऑफ-ग्रिड मॉडल की छोटी क्षमता, जिसे ऑन-ग्रिड सिस्टम के अलावा विकसित करने का प्रस्ताव है, को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, जहां बिजली की आपूर्ति प्रमुख मुद्दों में से एक है। इससे पहाड़ी किसानों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी।		
6.	लैब्स ऑन व्हीलस	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के हर जिलों एवं दुर्गम इलाकों के छात्र-छात्राओं को विज्ञान के प्रयोग को सीखने का मौका मिलेगा।	सभी 13 जनपदों के स्कूली छात्र-छात्राएं और विज्ञान विषयों का अध्यापन कर रहे युवा।	सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी
7.	विज्ञान केन्द्र चम्पावत	चम्पावत विज्ञान केंद्र छात्र- छात्राओं में विज्ञान विषयों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने में मदद मिलेगी।	क्षेत्र की जनता विशेषकर बच्चे, स्कूली छात्र-छात्राएं एक वर्ष में अनुमानित आगंतुकों की संख्या 40 से 50 हजार होगी	सभी वर्गों के किये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा
8.	मानसखण्ड उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकोस्ट) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन0सी0एस0एम0), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से अल्मोड़ा में 02 हैक्टेयर भूमि पर उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है। उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा छात्र- छात्रों में विज्ञान विषयों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए बनाया गया है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने में मदद मिलेगी।	क्षेत्र की जनता विशेषकर बच्चे, स्कूली छात्र-छात्राएं एक वर्ष में अनुमानित आगंतुकों की संख्या 50 से 60 हजार होगी	सभी वर्गों के किये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा

9.	स्टैम (STEM) लैब	राज्य के सभी ब्लॉकों में स्टैम लैब की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से छात्रों एवं अध्यापकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित के प्रयोगों के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी।	स्कूली छात्र-छात्राएं	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से
10.	एस. सी. एस. टी. सैल की स्थापना	<p>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु प्रकोष्ठ की स्थापना परियोजना का संचालन यूकोस्ट द्वारा किया जा रहा है लाभ-</p> <ul style="list-style-type: none"> • उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में रह रहे सभी अनुसूचित जाति एवम जनजाति समुदाय की मूलभूत समस्याओं का वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के माध्यम से समाधान करना। • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा समुचित विकास की और अग्रसर करने के लिए सतत विकास से रुबरू करना। • कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देकर पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को नवाचार के माध्यम से उत्तमता तक पहुंचाना। • प्रद्योगिकियों के डेटा बेस की स्थापना करना तथा अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के मूलभूत संसाधनों का मान चित्रण करना। 	<p>निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जिलों में रह रहे अनुसूचित जाति एवम जनजाति समुदाय</p> <p>(मुख्यतः 50 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक)</p>	<p>उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले एससी/एसटी समुदाय जिला स्तर पर लक्षित लाभार्थी होंगे जिसके कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन कर बेस लाइन डेटा जनरेट किया जायेगा</p>
11.	उत्तराखण्ड@25 आदर्श चम्पावत	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड@25 “आदर्श चम्पावत” के अन्तर्गत चम्पावत जिले को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य	चम्पावत जिले के समस्त किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं समस्त आमजनमानस।	चम्पावत जिले के चारों ब्लॉकों में विभिन्न संकुलों का निर्माण कर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

		<p>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।</p> <p>इसी संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा चम्पावत जिले में कार्यरत एन.जी.ओ, स्वयं सहायता समूहो, राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों एवं केन्द्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।</p>		
12.	पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना	<p>यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजना है एवं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p>इन जिलों में चयनित गाँवों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए विभिन्न इकाइयों की स्थापना की जा रही है।</p>	परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में गाँवों के समूह बनाकर संकुलों का निर्माण कर ग्रामीण विकास के कार्य किये जाते हैं। चयनित किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह एवं समस्त आमजनमानस।	चयनित संकुलों में अनुभवी किसानों का चयन करके ग्रामोदय सहकारी समिति का निर्माण के माध्यम से परियोजना के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
13.	उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	प्रदेश के 10 जनपदों में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिस हेतु 10 करोड की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।	सम्बधित जनपदो के विद्यार्थी तथा आमजन।	सभी वर्गों के किये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।
14.	आपदा प्रबन्धन केन्द्र	आपदा प्रबंधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सुदृढ़ करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) में एक विशेष केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।	राज्य मे आपदा प्रबंधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सुदृढ़ कर आमजनमानस को लाभनवित कर अन्य हिमालय राज्यों के लिये एक आर्दश माडल तैयार करना।	आम जनमानस

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी, पंतनगर,



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कार्यक्रम।	आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण, नये शोध कार्यों की जानकारी।	सरकारी अथवा निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएं, शोधार्थी एवं किसानों का दल/विशेष समूह अथवा स्वयं सहायता समूह।	जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, शोध व प्रसार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों एवं किसानों को परिषद् एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थापित आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया जाता है तथा वहां पर संचालित हो रहे शोध व विकास कार्यों से अवगत करा कर जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित व जागरूक किया जाता है। परिषद् के निदेशक/सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त परिषद् मुख्यालय अथवा परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्रों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों से अवगत होकर तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करके इच्छुक अभ्यर्थी/दल/समूह लाभ प्राप्त कर सकता है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति)



**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति)**

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	आम जनमानस को एच0 आई0वी0/एड्स के प्रति जागरूक करना। एच0 आई0 वी0 की जांच, उपचार एवं औषधि निःशुल्क उपलब्ध है।	आम जनमानस एवं एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम जन मानस को जागरूक करना है तथा 1097 में कॉल करके बचाव हेतु सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कराना है। राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित आई.सी.टी.सी. के माध्यम से एच.आई.वी. की जांच निःशुल्क करायी जाती है। एच.आई.वी. के साथ जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को ए.आर.टी. केन्द्रों के माध्यम से एंटी रेट्रो वायरल की निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जाती है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

उत्तराखण्ड में आयुष्मान वय वंदना योजना:- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वय वंदना कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े उपहार से कम नहीं है। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग जनों को रूपए 5 लाख तक की निःशुल्क उपचार सुविधा की व्यवस्था की गई है। यह कार्ड सिर्फ आधार संख्या की केवाईसी के अनुरूप भी बनाए जा सकते हैं।

प्रदेश में वर्तमान में 6 लाख के लगभग लाभार्थी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं जिनको प्रदेश सरकार की वित्त पोषित अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर लाभ प्रदान किया जा रहा है।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड से अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के सभी लाभार्थी पूरे पांच लाख रूपए का उपचार लेने के पात्र होंगे। इससे आयुष्मान योजना के लाभार्थी परिवार की वित्तीय क्षमता में बढ़ोतरी होगी वहीं राज्य सरकार के वित्तीय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने व इस अहम योजना की व्यापक जन-जागरूकता हेतु स्थानीय मेलों में आयुष्मान शिविर व जानकारी युक्त साहित्य वितरण समेत अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक लगभग चार हजार से अधिक वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस कार्य को एक अभियान के तौर पर लिया जा रहा है।

आमजन से भी की विशेष अपील:-राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से वितरित की जा रही प्रचार सामाग्री में वय वंदना कार्ड बनाने में बुजुर्ग जनों का सहयोग करने की भी विशेष अपील की गई है। वहीं लाभार्थियों की सुविधा के लिए पूर्व में बने आयुष्मान कार्ड को घर बैठे डिसेबल कर वय वंदना कार्ड हेतु भी <https://sha-uk-gov-i> पोर्टल पर व्यवस्था की गई है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड



क्र.सं	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राजकीय मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, आर्योपैथिक चिकित्सालयों तथा श्रम विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न अध्यापन संकाय, चिकित्साधिकारी, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रक्रिया।	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, श्रम विभाग के लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह- 'ख' तथा 'ग' (जो परीक्षाएं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परिधि में हैं) के विभिन्न अध्यापन	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है।:- (क) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। (ख) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल	सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के समान है, तथापि समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग से इतर साक्षात्कार का प्राविधान नहीं है, तथा परीक्षाओं के आवेदन के लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वैबसाइट

	<p>संकाय, चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल पदों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य की संस्था है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, श्रम विभाग द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु संबधित पदों की सेवा नियमावली के अन्तर्गत रिक्तियों का अधियाचन (अधियाचन का सामान्य अर्थ है कि संबधित रिक्तियां किन-किन श्रेणी के लिए आरक्षित है, के अनुसार तैयार कर) उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है। बोर्ड द्वारा अधियाचन के परीक्षणोंपरान्त सम्बन्धित पदों पर चयन हेतु परीक्षा (साक्षात्कार/प्रारम्भिक/मुख्य/अभिलेख सत्यापन) आयोजित करने के लिए राज्य के समस्त अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन हेतु न्यूनतम शुल्क जमा करना होता है।</p>	<p>या इंटरमिडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो। (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में तथा हाईस्कूल या इंटरमिडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण न करने की स्थिति में सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/वांछित योग्यता धारित करते हो, आवेदन कर सकते हैं। समूह 'ख' के पदों में राज्य के बाहर के नागरिकों से भी आवेदन मांगे जाते हैं।</p>	<p>https://ukmssb.org में आवेदन करना होता है। कोई अभ्यर्थी जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, श्रम विभाग में अध्यापन संकाय, चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल पदों की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वैबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ताकि वह भर्ती विज्ञापन से अपडेट रह सके। साथ ही तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए बोर्ड द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को भी निःशुल्क डाउनलोड कर, पाठ्यक्रम देखकर, तैयारी कर सकते हैं।</p>
--	--	--	--

PROGRAMME

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (यथा संशोधित) के माध्यम से राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति के उन्नयन, विकास एवं शोधपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्तमान में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 03 परिसर एवं 20 निजी संस्थान सम्बद्ध है। उक्त संस्थानों में से 03 परिसरों एवं 17 निजी सम्बद्ध संस्थानों में बी0ए0एम0एस0 (BAMS), 02 निजी सम्बद्ध संस्थानों में बी0एच0एम0एस0 (BHMS) तथा 01 निजी सम्बद्ध संस्थान में बी0ए0एम0एस0 (BAMS) पाठ्यक्रम संचालित है। उक्त के अतिरिक्त 02 परिसरों एवं 04 निजी सम्बद्ध संस्थानों में एम0डी/एम0एस0 (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम भी संचालित है। विश्वविद्यालय स्तर पर आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में स्नातक तथा 14 विषयों की विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों जैसे-पंचकर्म, क्षारकर्म, योग, आयुर्वेदिक डायटिक व न्यूट्रिशन, योगा फॉर बेटर लिविंग, आयुर्वेद फॉर हैल्थी लिविंग, आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल, पंचकर्म थेरेपी, योगा एण्ड नेचुरोपैथी, स्वस्थवृत्त एवं योग आदि में डिप्लोमा, पी०जी० डिप्लोमा एवं सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित है। प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पर उच्च कोटि के शोध कार्य सम्पादित किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा देश के अन्य ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों, संस्थानों के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर की प्रक्रिया गतिमान है। अपनी स्थापना के समय से ही उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा उत्कृष्ट शिक्षण, शोध, नवोन्मेष तथा नवाचार कार्यों में अग्रसर है।

हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय (वर्तमान में विश्वविद्यालय का परिसर घोषित हो चुका है) की स्थापना वर्ष 1919 में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। परिसर के पास वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक भवन संकाय भवन, चिकित्सालय, ओ०पी०डी० ब्लॉक, हॉस्टल, आवास व आडिटोरियम आदि निर्मित है। परिसर को वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत उच्च शिक्षा एवं शोध के केन्द्र के रूप में विकसित करने, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में टेली मेडिसिन के माध्यम से आयुष विशेषज्ञों के द्वारा विशिष्ट चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने तथा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

गुरुकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज (वर्तमान में विश्वविद्यालय का परिसर घोषित हो चुका है) की स्थापना वर्ष 1922 में स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा की गई थी। परिसर के पास 14 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक भवन संकाय भवन, चिकित्सालय, ओ०पी०डी० ब्लॉक, हॉस्टल, आवास व आडिटोरियम आदि निर्मित है। गुरुकुल परिसर में स्थित औषधि निर्माणशाला के लिए आयुष विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया जा चुका है जिससे विश्वविद्यालय में गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण सम्भव हो सका है। गुरुकुल परिसर कैंसर चिकित्सा एवं शोध केन्द्र संचालित है जिसके सकारात्मक परिणामों को देखकर तत्सम्बन्धी एक वृहद प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। सम्पूर्ण भारत में आयुर्वेद द्वारा कैंसर के उपचार का यह अभिनव प्रयास है। व्यसन मुक्ति और नशारोधी जनजागरण के लिए गुरुकुल परिसर में एक क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों और अन्य उपकरणों द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है।

परिसर में पंचकर्म, त्वचा रोग, वाजीकरण, शल्य तंत्र, जलौका, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, शालाक्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, स्वस्थवृत्त, आहार विधि विज्ञान, आयुर्वेद फार्मसी से संबन्धित सुविधाओं/ओपीडी का विकास किया जाना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तर्ज पर “सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स” के रूप

में Refereral Hospital के रूप में शिक्षा, शोध, रोगी उपचार तथा Model Centre for National/ International Collaboration के उद्देश्य से गुरुकुल परिसर की सुविधाओं का उन्नयन/उच्चीकरण किया जायेगा जिससे राज्य के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के रोगी भी अपना उपचार कराने आएंगे। साथ ही विदेशी रोगी भी आकर्षित होंगे।

विश्वविद्यालय के परिसर चिकित्सालयों में वर्तमान में निम्नानुसार योजनायें संचालित हैं:-

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत "सुप्रजा कार्यक्रम" के तहत गर्भिणी एवं सूतिका के लिए प्रसवपूर्व, प्रसव कालीन, सूतिका अवस्था के दौरान स्वास्थ्य रक्षण विश्वविद्यालय के तीनों परिसर चिकित्सालयों में संचालित किया जा रहा है।
2. विश्वविद्यालय के परिसर चिकित्सालयों में नवजात से 16 वर्ष की आयु के शिशुओं/बच्चों के health promoter, enhancement of intelligence, digestion, metabolism, immunity, physical strength and complexion के दृष्टिगत स्वर्ण प्राशन योजना संचालित की जा रही है। यह खुराक बच्चों को प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में पिलाई जाती है।
3. केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से 'A Survey on the effect of Nidra (Sleep) on the Memory Status of B.A.M.S. Students' विषयक गुरुकुल परिसर हेतु लघु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।
4. केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से "Treatment adherence, tolerability and safety of Ayurveda therapeutic regimen in the management of Primary Knee Osteo orthorities: An OPD-based study" विषयक गुरुकुल परिसर हेतु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।
5. "CCRAS PG Star" - A scheme for training in Ayurveda research for PG Scholars के तहत "Clinical Evaluation of Nagaradi granules in Balatisara" विषय पर ऋषिकुल परिसर हेतु लघु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।
6. कैंसर रोग की रोकथाम में नवीन शोध कर इस रोग के निदान हेतु लाभकारी बनाये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा रसायु समूह पूना (महाराष्ट्र) से अनुबन्ध (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।
7. जलौकावचरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (Leech therapy programe) अन्तर्गत शल्य तंत्र विभाग में विश्वविद्यालय परिसरों एवं सम्बद्ध निजी सस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य परिसर स्थित आयुर्वेद संकाय को उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न AYUSH training हेतु Nodal Training Centre तथा Nodal Wellness Centre के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्टार्टअप नीति-2023 (संशोधित)	<ul style="list-style-type: none"> उद्यमियों के स्टार्टअप को रू. 15,000 प्रतिमाह एक वर्ष तक मासिक भत्ता। (महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को रू. 20,000 प्रतिमाह का मासिक भत्ता)। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को रू. 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फण्डिंग। (महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को रू. 12.50 लाख तक की सीड फण्डिंग सहायता)। पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट रू. 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए रू. 05 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन दाखिल करने पर रू. 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय 	<ul style="list-style-type: none"> इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एलएलपी अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को “स्टार्टअप” माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:- ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो: <ol style="list-style-type: none"> विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है। किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या 	<p>योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.startuputtarakhand.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है।</p>

		<p>प्रोत्साहन, यथा: विशेष पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्ट, इन्क्यूबेशन सपोर्ट के लिए एक मुश्त निःशुल्क सहायता। • नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए रु. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए रु. 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान। • वेंचर फण्ड की स्थापना के लिए रु. 200 करोड़ का प्राविधान। 	<p>यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टप्स के मानदंडों के अनुसार।</p> <p>ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका भारत के अन्य राज्यों में पंजीकृत कार्यालय है (इस नीति के अधीन परिभाषित मानदंडों के अतिरिक्त):-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इकाई का उत्तराखण्ड राज्य में भी कार्यालय होना चाहिए और इस कार्यालय के माध्यम से ही उत्तराखण्ड में व्यवसाय का महत्वपूर्ण संचालन होना चाहिए। <p>मान्यता की पूर्ण अवधि के दौरान इकाई को अपने समग्र पूर्णकालिक कार्यबल का न्यूनतम 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के अधिवास में से नियोजित किया जायेगा।</p>	
<p>2.</p>	<p>उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति -2023 (संशोधित)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • डी.पी.आर. सहायता - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। • स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति - 50 से 100 प्रतिशत, जनपद की श्रेणी के अनुसार। • पूंजीगत उपादान- कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष 20 से 50 प्रतिशत तक, अधिकतम रु. 4 	<ul style="list-style-type: none"> • नीति के अंतर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी में सम्मिलित उद्यमों को छोड़कर अन्य श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम पात्र होंगे। • पूर्व से विद्यमान उद्यम में न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश के साथ क्षमता में भी न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि होने पर नीति का लाभ देय होगा। • उद्यम की स्थापना अथवा विस्तारीकरण से पूर्व उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • नीति अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाली इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के Incentive Tab के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। • वित्तीय प्रोत्साहन के लिये प्राप्त दावों पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से स्वीकृति का प्राविधान है।

		<p>करोड़ की प्रतिपूर्ति, जनपद एवं उद्यम की श्रेणी के अनुसार।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति- 2 से 4 प्रतिशत, प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा के अंतर्गत, जनपद एवं उद्यम की श्रेणी के अनुसार। ● विद्युत ड्यूटी प्रतिपूर्ति- 500 कि.वा. तक लोड के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति। ● मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति- 50 प्रतिशत, प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा के अंतर्गत ● गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति- 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 लाख क्लस्टर विकास हेतु प्रोत्साहन-प्रोजेक्ट मूल्य का 70 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट वित्तीय प्रोत्साहन। 	<p>के अधीन सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से कैफ (CAF) पर आवेदन कर, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व, जिला/राज्य प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ इकाई की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु/मध्यम) एवं संबंधित जिला/क्षेत्र की श्रेणी (ए,बी,सी,डी) के अनुसार देय होंगे। ● नयी इकाई की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण के उपरान्त, दिनांक 01.08.2023 से नीति की लागू अवधि के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो। 	<ul style="list-style-type: none"> ● पूंजीगत उपादान का वितरण सूक्ष्म उद्यमों को 02 समान वार्षिक किशतों में तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को 05 समान वार्षिक किशतों में देय है। अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण एकमुश्त देय होगा।
3.	<p>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● विनिर्माण क्षेत्र के लिये रु0 50 लाख (अधिकतम) और सेवा क्षेत्र के लिये रु0 20 लाख (अधिकतम) तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण। ● सामान्य (स्वयं का योगदान-10 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत), 	<ul style="list-style-type: none"> ● 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति। ● विनिर्माण क्षेत्र की रु. 10.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र की रु. 05.00 लाख से अधिक लागत वाली इकाई हेतु 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ● योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार के स्वयं और पति अथवा पत्नी शामिल है। ● उद्यम एवं सेवा क्षेत्र की नई परियोजनाओं 	<p>योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.kviconline.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं।</p> <p>योजना का क्रियान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है।</p> <p>आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 2. आधार कार्ड की प्रति 3. रोजगार संख्या के साथ प्रोजैक्ट

		<ul style="list-style-type: none"> विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) हेतु-स्वयं का योगदान-5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु-25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत। 	<p>के लिये अनुमन्य।</p> <ul style="list-style-type: none"> 	<p>रिपोर्ट</p> <ol style="list-style-type: none"> शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो) ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा) <p>शिक्षा (ईडीपी) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)</p>
4.	निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति-2023	<ul style="list-style-type: none"> बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादान - रु. 10 लाख प्रति एकड़। सी.ई.टी.पी. की स्थापना पर उपादान - 40 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 करोड़। वाह्य ढांचागत विकास हेतु सहायता- निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक आस्थान के लिये सृजित अचल परिसम्पत्ति पर किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 02 प्रतिशत, प्रति पार्क/औ.आ. देय होगा। 	<ul style="list-style-type: none"> कोई भी व्यक्तिगत संस्थापक/ विकासकर्ता/ साझेदारी फर्म/एलएलपी/कंपनी या कंपनी अधिनियम/ सोसाइटी अधिनियम/ सीमित देयता भागीदारी, संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड अथवा लैण्ड एग्रीगेटर (सभी संबंधित भूस्वामियों की लिखित सहमति के साथ) के रूप में विधिक रूप से पंजीकृत कम्पनी/संस्था, निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा। निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/पार्क की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक भूमि होना अनिवार्य है। औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रमोटर/निवेशक/प्रवर्तक को भूमि की व्यवस्था अपने श्रोतों से स्वयं करनी होगी। लैण्ड एग्रीगेटर्स के द्वारा भूमि एकत्र कर 	<ul style="list-style-type: none"> निजी औद्योगिक आस्थान के गठन हेतु पात्र विकासकर्ता द्वारा www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के कैफ (CAF) टैब के माध्यम से समस्त अनिवार्य अभिलेखों सहित आवेदन किया जायेगा। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा औद्योगिक आस्थान गठन की अधिसूचना हेतु एकल खिड़की पोर्टल पर Departmental Services Tab के माध्यम से अनिवार्य अभिलेखों सहित आवेदन किया जायेगा। निजी औद्योगिक आस्थान/पार्क के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद, www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के Incentive Tab के माध्यम से नीति अंतर्गत प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। <p>बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादान सहायता 04 चरणों में, प्रत्येक चरण के</p>

			<p>औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/पार्क की स्थापना किये जाने की स्थिति में, नीति के अन्तर्गत वित्तीय दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए, सिडकुल द्वारा प्रमोटर/लैंड एग्रीगेटर के साथ अनुबन्ध किया जायेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> • निजी औद्योगिक आस्थान/पार्क विकासकर्ता द्वारा यदि न्यूनतम 80 प्रतिशत भूमि अर्जित अथवा एग्रीगेट कर ली जाती है और शेष भूमि को प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो सिडकुल द्वारा शेष भूमि के अधिग्रहण मूल्य के बराबर विकासकर्ता से बैंक गारण्टी प्राप्त करते हुये, सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि अधिग्रहीत की जा सकेगी। • विकासकर्ता द्वारा भूमि लीज पर लेने अथवा एग्रीगेट करने की स्थिति में लीज/अनुबन्ध की न्यूनतम अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से नवीनीकृत किया जा सकेगा। • प्रस्तावित भूमि विधिक रूप से पूरी तरह से प्रवर्तक के कब्जे में हो और किसी भी अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिये। 	<p>लिये निर्धारित शर्तें/कार्य की पूर्ति के उपरान्त देय होगा।</p>
--	--	--	--	---

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल)



स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार के उपक्रम को मुख्य रूप से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। सिडकुल उत्तराखण्ड राज्य में विश्वस्तरीय उद्योग विशिष्ट अवसंरचना प्रदान करके औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कटिबद्ध है।

परिकल्पना

- उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य प्रमुख बाजारों में कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- परियोजना मंजूरी में तेजी लाने के लिए राज्य में एकल खिडकी सुविधा (Single Window Clearance System) प्रदान करना।
- औद्योगिक उद्यमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराना।

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास और प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।
- उद्योगों के लिए सुनिश्चित अच्छी गुणवत्ता निर्बाध और सस्ती बिजली प्रदान करना।
- विशेष रूप से लघु, कुटीर खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, रेशम और हथकरघा क्षेत्रों का बढ़ावा देना।
- उद्योग, विशेषकर लघु उद्योगों में रूग्णता और आरंभिक रूग्णता की समस्याओं का समाधान करना।
- उत्तराखण्ड को एक प्रमुख शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करना।

नई परियोजनाएँ

1. **एरोमा पार्क आई०आई०ई० काशीपुर**— सिडकुल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य एरोमा पार्क पॉलिसी पर आधारित आई०आई०ई० काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर में 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में जे०बी० पत्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, वन अनुसंधान केन्द्र आदि प्रतिष्ठित संस्थान हैं, राज्य में सुगंधित एवं औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति की लगभग 175 प्रजाति/प्रकार पाये जाते हैं। उत्तराखण्ड में सेन्टर फॉर एरोमेटिक प्लान्ट्स (CAP) भी स्थित है, जिससे की राज्य में एरोमेटिक कृषि में संलग्न कृषकों को हैण्ड होल्डिंग एवं अन्य सहायता प्राप्त हो सकती है। इस कारकों को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड राज्य को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में गति प्रदान करने के उद्देश्य से एरोमा पार्क विकसित किया गया है। वर्तमान समय में एरोमा पार्क आई०आई०ई० काशीपुर में 38 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।
2. **इलैक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर आई०आई०ई० काशीपुर (EMC)** भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ई०एम०सी० 2.0 योजना के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आई०आई०ई० काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलैक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इलैक्ट्रॉनिक्स एवं ई०एस०डी०एम सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्तराखण्ड राज्य को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से विकसित किये जा रहे इस इलैक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर में वर्तमान में समुद्धि ऑटोमेशन प्रा० लि० द्वारा एन्कर यूनिट के रूप में लगभग 175 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
3. **प्लास्टिक पार्क, आई०आई०ई० सितारगंज फेज-2** भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अंतर्गत देश में प्लास्टिक पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत सिडकुल आई०आई०ई० सिडकुल सितारगंज फेज-2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क, विकसित किया जा रहा है। इस प्लास्टिक पार्क के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं—सीपेट सेन्टर, प्लास्टिक प्रोडक्स इवैल्यूवेशन सेन्टर प्लास्टिक वेस्ट रिसाईक्लिंग फैसिलिटी वेयर हाऊस टेस्टिंग एवं प्रशिक्षण सेवायें आदि। वर्तमान में प्लास्टिक पार्क आई०आई०ई० सितारगंज फेज-2 में 46 भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं।
4. **अमृतसर कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, के अंतर्गत खुरपिया का चयन एवं विकास**— भारत सरकार की महत्वकांक्षी अमृतसर कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, परियोजना के अंतर्गत सिडकुल द्वारा खुरपिया जिला ऊधमसिंह नगर में 1002 एकड़ भूमि में एकीकृत विनिर्माण केन्द्र इन्टीग्रेटिड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (Integrated Manufacturing Cluster) विकसित करने की योजना बनायी गयी है। यह परियोजना उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को अधिक आकर्षक बनाएगी एवं राज्य औद्योगिक परिदृश्य को आकार देगी।
5. **फ्लैटिड फैक्ट्री, हरिद्वार**— उत्तराखण्ड प्रदेश में उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिये हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में रू० 194 करोड़ की लागत से फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। 57 एकड़ भूमि पर सिडकुल इस फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है। छोटे उद्योग मशीनरी लगाकर सिद्ध उत्पादन शुरू कर सकेंगे।
6. **वेयर हाऊस, पंतनगर**— सिडकुल द्वारा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर हाऊस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योग द्वारा वेयर हाऊस सम्बन्धित बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड



खादी का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमे से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्रामोद्योग का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत् के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थाई पूँजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में 4.50 लाख व शहरी क्षेत्र में 3.00 लाख से अधिक न हो, इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र में) समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन:-

उत्तर प्रदेश राज्य में खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के चहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम सं० 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में हुआ था तदोपरान्त उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम सं० 64, 1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किया गया जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में

पुर्नगठित हुआ तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के समस्त खादी ग्रामोद्योगी योजनायें बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी। पृथक राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387/2002-133 उद्योग/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना निम्नवत की गयी है:-

बोर्ड के सदस्यों का विवरण सरकारी/गैरसरकारी:-

- | | |
|---|---------|
| 1. मा० मंत्री, लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग- | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग- | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त- | सदस्य |

4. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास—	सदस्य
5. राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग—	सदस्य
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग—	सदस्य
7. गैरसरकारी सदस्य	(07) सदस्य

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य:—

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोट-मोटे तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगों को स्थापित करवाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

बोर्ड के कार्य:—

बोर्ड के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं:—

- प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ भी हैं, से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकतानुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिंग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ कार्यालय/केन्द्रों की संख्या:—

- मुख्यालय, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग -01
- परिक्षेत्रीय, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल - 02
- जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-13

- क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)- 04
- उत्पादन केन्द्र-20
- बिक्री केन्द्र 10

विभागीय योजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम- (केन्द्रपोषित योजना)
 उत्तराखण्ड ऊन योजना- (जिला योजना)
 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट- (राज्य सैक्टर)
 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना- (राज्य सैक्टर)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उत्तराखण्ड ऊन योजना (विभागीय)	<p>योजना के तहत चार क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा, श्रीनगर, अल्मोड़ा एवं जसपुर स्थापित है, जिनके अधीनस्थ कताई/उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से कताई बुनाई का कार्य किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कताई बुनाई कार्य हेतु इच्छुक प्रशिक्षार्थियों का चयन करते हुये प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षार्थियों को विभागीय कताई /उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से तथा उनके घर पर विभाग द्वारा कताई बुनाई कार्य हेतु ऊन/एन०एम०सी चर्खे उपलब्ध कराये जाते हैं। कतकर-बुनकरों को खादी आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कताई बुनाई का भुगतान किया जाता है। जिससे उनको वर्षभर रोजगार उपलब्ध होता है। • कतकर-बुनकरों के हितार्थ राज्य में खादी एवं पॉली वस्त्र आर्टिजन वेलफेयर एवं पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसमें कतकर-बुनकरों का पंजीकरण करते हुये 12 प्रतिशत आर्टिजन अंशदान एवं 12 प्रतिशत विभागीय अंशदान जमा किया जाता है। वर्ष में आर्टिजनों को दिये गये कताई-बुनाई मजदूरी का 25 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाता है। 	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये। राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना चाहिये। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।	लाभार्थी का चयन सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधि अथवा जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन के माध्यम से विभागीय उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के खादी ग्रामोद्योग कार्यालय तथा क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन कार्यालय चम्बा/श्रीनगर/अल्मोड़ा एवं जसपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

<p>2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)</p>	<p>विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत रु0 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रु0 10 लाख बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। श्रेणी-ए के जनपदों हेतु 25 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 6.25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2.50 लाख), श्रेणी-बी व बी + हेतु 20 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 5 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख), श्रेणी-सी व डी हेतु 15 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 3.75 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 1.50 लाख) सब्सिडी का प्राविधान है।</p>	<p>आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये, राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही एप्पल, आर्किड, पशुपालन एवं एग्री बेस्ड पर भी वित्त पोषण की सुविधा अनुमन्य है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना चाहिए।</p>	<p>योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल https://msy-uk-gov-in/ के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंको को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत नई परियोजनायें एवं छोटे स्तर पर कार्य कर रहे उद्यमों को उच्चीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य की जा सकती है। आवेदन हेतु आश्यक दस्तावेज:- आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), न प्रोजेक्ट डिटेल कॉपी, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) एवं राशन कार्ड कॉपी। (समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज ऑनलाईन एक पोर्टल पर ही अपलोड किया जायेगा) योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 2 वर्ष के निरन्तर सफल संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित उपादान अनुमन्य होगा।</p>
---	---	--	---

PROGRAMME IMPLEMENTATION

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड



संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (संशोधित)	प्रदेश के विभिन्न अंचलों एवं प्रदेश के बाहर प्रचलित पारम्परिक मेलों/त्योहारों/पर्वों/उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध दलों/लोक गायकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के उपरांत दलनायक को देय मानदेय रू० 1000/- एवं अन्य कलाकारों को रू० 800/- मात्र, दलनायक का यात्रा भत्ता रू० 500/- एवं अन्य कलाकारों का यात्रा भत्ता रू० 400/- मात्र तथा ए-श्रेणी लोक गायकों को रू० 7500/- एव बी-श्रेणी को रू० 4250/- तथा यात्रा भत्ता रू० 300/- का भुगतान एवं यात्रा हेतु साधारण बस किराया एवं द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जाता है।	संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध सांस्कृतिक दल/कलाकार	संस्कृति निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक दलों/कलाकारों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु समय-समय पर ऑडिशन किया जाता है। सांस्कृतिक दल के चयन हेतु संस्था का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बायलॉज, दल के कलाकारों की संख्या तथा विवरण एवं उत्तराखण्ड का मूल निवासी/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विभाग में कुल 267 सांस्कृतिक दल एवं 226 एकल कलाकार सूचीबद्ध हैं।
2.	उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना। (संशोधित)	विभाग द्वारा रू० 3000/- प्रतिमाह मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।	ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों को दी जाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आयु 60 वर्ष से कम न हो। उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो।	पेंशन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये “अपणि सरकार उत्तराखण्ड” पोर्टल के अन्तर्गत वेबसाइट https://eservices.uk.gov.in पर sign up के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तदुपरान्त आवेदन पत्र के साथ पात्र आवेदक स्वयं एवं परिवार का सम्पूर्ण विवरण, आधार कार्ड, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आयु के लिये जन्म प्रमाण पत्र अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र, सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी/अन्य द्वारा प्रदत्त कलाकार/साहित्यकार/लेखक संबंधी प्रमाण-पत्र, कलाकार सिद्ध होने का प्रमाण-पत्र एवं जिला प्रशासन

			<p>की संस्तुति अनिवार्य है। यह दस्तावेज “अपणि सरकार उत्तराखण्ड” पोर्टल के अन्तर्गत वेबसाईट https://eservices.uk.gov.in पर sign up कर अपलोड किये जाने पर ही प्रक्रिया पूर्ण होगी। महानिदेशक/निदेशक द्वारा आवेदनों की जांचोपरान्त सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। समिति प्रार्थना पत्र के दस्तावेजों की जांच करते हैं एवं संबंधित कलाकार को साक्षात्कार हेतु बुलाते हैं। साक्षात्कार/जांच में सही पाये जाने पर पेंशन की संस्तुति की जाती है। इसके उपरान्त संस्कृति निदेशालय द्वारा पेंशन की धनराशि प्रतिमाह कलाकार को भुगतान की जाती है।</p> <p>मासिक पेंशन से लाभान्वित कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित के रूप में उनके पति उनकी पत्नी मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में संस्कृति निदेशालय द्वारा कुल 123 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।</p>
3.	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता (संशोधित)	प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों एवं कवियों, जिनकी कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, उन्हें विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	<p>राज्य का स्थायी/मूल निवासी हो तथा धनाभाव के कारण कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो रही हों।</p> <p>पुस्तक प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लाभार्थी विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त अपणि सरकार पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है, जिस हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नवत हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- पाण्डुलिपि 2- पुस्तक छपवाने का कोटेशन 3- आधार कार्ड 4- खाता संख्या 5- पेन कार्ड 6- स्थायी निवास प्रमाण पत्र <p>विभाग में प्राप्त आवेदन/पाण्डुलिपियों के परीक्षण हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, समिति की संस्तुति के उपरान्त ही पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।</p>

4.	धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता (संशोधित)	भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों भले ही वे किसी भी धर्म या जाति के हों, की उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से रू0 50.00 हजार की धनराशि, यात्रा पूर्ण करने के उपरांत प्रदान की जाती है ।	राज्य के स्थायी निवासी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर ली हो तथा यात्रा कुमाऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा की गई हो ।	प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जिन्होंने पिथौरागढ़ यात्रा मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण की हो, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की संस्तुति के उपरान्त अपणि सरकार पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है, जिस हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नवत हैं— 1-उत्तराखण्ड का स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र 2-विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यात्रा पूर्ण किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं यात्रा से सम्बन्धित अन्य अभिलेख 3- बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड अंकित हो 4- पैन कार्ड की छायाप्रति 5- आधार कार्ड की छायाप्रति इसके उपरान्त निदेशक कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति धनराशि भुगतान की जाती है।
5.	अनुसूचित जाति /जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों, वेश-भूषा क्रय करने हेतु सहायता (संशोधित)	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जिनकी आय स्रोत अपनी पारम्परिक कला के माध्यम से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों एवं लोक कलाकारों को उनके जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र (ढोल, दमाऊं, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल तलवार आदि) एवं वेश-भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं । किसी कलाकार को आजीवन यंत्र एक ही बार दिया जाता है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोक कलाकार, जिनकी मासिक आय रू0 2000/- से अधिक न हो। एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।	अ0जा0/जनजाति के पात्र व्यक्तियों को पारम्परिक वाद्य यंत्रों/वेशभूषा प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन के उपरांत संबंधित व्यक्ति रू0 2000/- मासिक आय का तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कलाकार/वाद्य यंत्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खाता संख्या/बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड ,पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि लाभार्थी को अन्य योजनाओं से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, संलग्न करके निदेशक संस्कृति निदेशालय में जमा करेगा। निदेशालय स्तर से सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है तथा कुछ समय बाद लाभार्थी वाद्ययंत्र निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (संशोधित)	उत्तराखण्ड में वर्तमान में देहरादून, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी महाविद्यालय स्थापित हैं, जिसमें गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। मासिक शुल्क प्रवेशिका से मध्यमा तक 40 रु० तथा विशारद प्रथम वर्ष का शुल्क रु० 50 तथा विशारद द्वितीय वर्ष का शुल्क रु० 60 प्रतिमाह की दर से लिया जाता है।	गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि सीखने वाले विद्यार्थी।	महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जनवरी माह में फार्म वितरित किये जाते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 11 वर्ष एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष है। शिक्षण सत्र माह जनवरी से दिसम्बर तक होता है। माह दिसम्बर में वार्षिक परीक्षाये सम्पन्न की जाती हैं। उसके उपरांत प्रवेश दिया जाता है।
7.	प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, निकट दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून।	संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्थानीय लोक कलाकारों/साहित्यकारों को अपनी विधा को प्रदर्शित करने हेतु प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, देहरादून की स्थापना की गई है।	समस्त सांस्कृतिक संस्थायें/साहित्यकार	प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, देहरादून में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का किराया प्रतिदिन रु० 15000/- निर्धारित किया गया है, जो कि संस्कृति निदेशालय कार्यालय में जमा करने के उपरान्त कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में यहां पर लगभग 270 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। (जी०एस०टी० लागू नहीं है।)
8.	हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट, देहरादून।	संस्कृति विभाग के अन्तर्गत हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट, नीबूवाला, देहरादून में ऑडिटोरियम की स्थापना की गई है।	समस्त सांस्कृतिक संस्थायें/साहित्यकार एवं अन्य कोई भी संस्था	आवेदक द्वारा संस्कृति निदेशालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करने पर हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में Spaces उपलब्धता के आधार पर आरक्षित किया जाता है। हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में Spaces किराया निम्नवत निर्धारित किया गया है:- 1-प्रेक्षागृह (auditorium) - प्रतिदिन किराया रु० 100000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 118000/- 2-रंगशाला (ampitheatre) - 03 दिन हेतु रु० 10000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 11800/- 3-कलादीर्घा (Exhibition) - 03 दिन किराया रु० 10000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 11800/- 4-कॉन्फ्रेंस हॉल (A V Hall) - प्रतिदिन किराया रु० 25000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 29500/-

राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा



उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल के अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें बिखरी पड़ी राजवंशों से सम्बन्धित एवं अन्य अपार सांस्कृतिक सम्पदा के संग्रह, अनुरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं उन पर शोध करने के उद्देश्य से 1979 ई० में उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में संग्रहालय की स्थापना की गयी। सितम्बर, 1989 ई० में इस संग्रहालय को भारत रत्न पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत नाम दिया गया तथा अब यह “पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत, राजकीय संग्रहालय” के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह माल रोड, अल्मोड़ा के निकट सैन्ट्रल लॉज नामक भवन में स्थित है। वर्तमान में संग्रहालय में 1500 ई०पू० से वर्तमान तक लगभग 1000 कलाकृतियां आरक्षित संग्रह के अतिरिक्त संग्रहालय की पांच वीथिकाओं में सुरुचिपूर्ण एवं वैज्ञानिक विधि से प्रदर्शित की गई है, जिससे पर्यटकों, दर्शकों के दर्शनार्थ एवं शोधार्थियों को अपने सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही शैक्षणिक जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में

अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को संग्रहालय में आमंत्रित कर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता है।

संग्रहालय परिसर में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। जिसमें लगभग 3000 पुस्तकों का संग्रह है। जिसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, पुरातत्व, स्थानीय एवं उत्तराखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय से शोधार्थी तथा अध्ययनशील व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं। संग्रहालय परिसर में ही भारतीय पुरातत्व विभाग के पूर्व महानिदेशक स्व० श्री जगतपति जोशी जी की स्मृति में एक कक्ष पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया है। जिसमें उनकी पत्नी द्वारा संग्रहालय को प्रदत्त पुस्तकों को रखा गया है।

वर्तमान में संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है। पं० गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा सप्ताह में पूर्वान्ह 10:30 बजे से अपरान्ह 4:30 तक खुला रहता है। प्रत्येक माह में सोमवार एवं द्वितीय शनिवार के अगले रविवार तथा शासकीय अवकाशों में संग्रहालय बन्द रहता है। अन्यथा रविवार को खुला रहेगा।

राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़



उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल के पिथौरागढ़ में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, पिथौरागढ़ तथा इसके सीमावर्ती जनपदों की विभिन्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा लोक कला आदि से सम्बन्धित बहुमूल्य धरोहरों को संग्रहीत, संरक्षित, प्रदर्शित एवं उन पर शोध करने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालय में संग्रहालय की स्थापना की गयी है। संग्रहालय भवन में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। इस भवन के भूतल में निर्मित संग्रहालय में फिलहाल चार वीथिकाओं का निर्माण किया गया है। प्रथम वीथिका में उत्तराखण्ड के पुरातात्विक महत्व के देवालयों तथा कलाकृतियों के छायाचित्रों को अत्यन्त सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया है। दूसरी वीथिका में राज्य के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा तैलीय, जलरंग एवं एकेलिक रंगों में कैनवास तथा कागज पर बनाये गये विभिन्न चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। जो समाज के विविध रूपों को जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इस भवन के भूतल में निर्मित संग्रहालय में फिलहाल चार वीथिकाओं

का निर्माण किया गया है। संग्रहालय की तीसरी वीथिका में स्थानीय काष्ठ से निर्मित सामग्री को प्रदर्शित किया गया है जिससे कि यहां आने वाले छात्र-छात्राओं व शोधार्थियों एवं पर्यटकों को इतिहास एवं पुरातात्विक महत्व की जानकारी प्रदान की जाती है। संग्रहालय में विद्यमान सिलौली गांव से प्राप्त मृन्भाण्डों का पुरातात्विक महत्व इसलिये भी और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जिस स्थल से यह सामग्री प्राप्त हुयी है उस पूरे क्षेत्र में वृहद् पाषाण संस्कृति के अवशेष अभी भी विद्यमान है। अन्य संग्रह में स्थानीय काष्ठ के बर्तन, ठेकी, पाली, दौनी, फरसी (हुक्का), पाल्ली, छोटी नाली (माण्णा), हड़पी, ढपवाल (छोटा घी का बर्तन), छोटी दौनी (दुआब) आदि संग्रहित है। चौपखिया मन्दिर से प्राप्त लगभग 10-11वीं शती ईसवी की गरुड की खण्डित प्रतिमा एवं स्थानक विष्णु की खण्डित प्रस्तर प्रतिमा, तांबे के खिलजी वंश के सिक्के जो सम्भवतः अलाउद्दीन खिलजी के जीतल हो सकते हैं। और ब्रितानवी काल के सिक्कों के अतिरिक्त विभिन्न देशों के सिक्कों एवं कागजी मुद्राओं का महत्वपूर्ण संग्रह है। राजकीय संग्रहालय, पिथौरागढ़ में समय-समय पर विभिन्न विद्यालयों से आने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक व्याख्यान के माध्यम से इतिहास एवं पुरातत्व से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही शैक्षणिक जनजागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को संग्रहालय में आमंत्रित कर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता है।

संग्रहालय परिसर में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। जिसमें लगभग 378 पुस्तकों का संग्रह है। जिसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, पुरातत्व, स्थानीय एवं उत्तराखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय से शोधार्थी तथा अध्ययनशील व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं।

वर्तमान में संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ सप्ताह में पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.30 तक खुला रहता है। प्रत्येक माह में सोमवार एवं द्वितीय शनिवार के अगले रविवार तथा शासकीय संग्रहालय बन्द रहता है। अन्यथा रविवार को खुला रहता है।

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति



श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति उत्तराखण्ड सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है, जिसका गठन “संयुक्त प्रांत श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम” 1939 के द्वारा किया गया है। मंदिर समिति मुख्य मंदिर श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ के अतिरिक्त अन्य 45 अधीनस्थ मंदिरों का प्रबन्धन, रखरखाव एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य करती है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति एवं प्रशासन राज्य के वरिष्ठ सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा किया जाता है। मंदिर समिति श्री धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुलभ पूजा/दर्शन व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंदिर समिति द्वारा श्री धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ विभिन्न जनोपयोगी कार्यों का निर्वहन किया जाता है, जो कि निम्नवत हैं-

यात्रियों के सुविधार्थ पूजा/दर्शन व्यवस्था, सूचनाओं का ऑनलाईन/मीडिया-सोशल मीडिया में प्रसारण- श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ मंदिरों में निःशुल्क दर्शन व्यवस्था, ऑनलाईन पूजा बुकिंग आदि की व्यवस्था करायी जाती है। श्री बदरीनाथ मन्दिर में प्रातः महा अभिषेक पूजा, वेद पाठ, गीता पाठ, सायंकालीन आरती में कर्पूर आरती, चांदी आरती, स्वर्ण आरती, अष्टोत्तरी, विष्णु सहस्रनाम नामपाठ, विष्णु सहस्रनामवाली, व अन्त में शयन आरती के पश्चात् भगवान के कपाट बन्द कर दिये जाते हैं। श्री बदरीनाथ मंदिर में तीर्थयात्रियों हेतु सामान्य दर्शन प्रातः

कालीन अभिषेक पूजा के उपरान्त 8:30 बजे से दोपहर भगवान के दोपहर के भोग लगने तक तथा अपराह्न 3:00 बजे से रात्रि शयन आरती तक कराये जाते हैं। इसी प्रकार श्री केदारनाथ में तीर्थयात्रियों हेतु सामान्य दर्शन प्रातः कालीन रुद्राभिषेक पूजा के उपरान्त 6:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक तथा पुनः 4:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक कराये जाते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में प्रातःकालीन पूजाओं में महा अभिषेक पूजा, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा अष्टोपचार पूजायें आदि सम्पादित की जाती है। श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर में जिन तीर्थयात्रियों को उपरोक्त पूजायें सम्पादित करवानी होती है। वे पूजा मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट <https://badrinath-kedarnath.gov.in> अथवा श्री धाम में स्थापित समिति पूजा काउण्टरों से अपनी पूजा आरक्षित करा सकते हैं। इसके साथ ही दोनों मंदिर में अटका भोग भी लिखवाया जाता है। जिससे उक्त यात्रियों को वर्ष में 01 बार 10 वर्षों तक भगवान का निर्माल्य चन्दन, तुलसी, भस्म प्रसाद के रूप में उनके आवासीय पते पर पंजिकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर तीर्थयात्रियों के लिए सम्पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर से तीर्थयात्रियों के हित में विभिन्न यात्रा सम्बन्धित समाचार/सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाती है।

यात्रियों के सुविधार्थ विश्राम गृहों/धर्मशालाओं का संचालन- श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ न्यूनतम दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। श्री बदरीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग सहित नन्दप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, एवं बदरीनाथ आदि स्थानों पर मंदिर समिति के विश्राम गृह स्थापित है। यात्रियों के सुविधार्थ मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर विश्राम गृहों का सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण किया जाता है।

संस्कृत शिक्षा का उन्नयन कार्य-श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा देश की पुरातन संस्कृत विद्या ज्योतिष वेद वेदांग विद्या के उन्नयन एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मंदिर समिति द्वारा संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ, मण्डल (गोपेश्वर), विद्यापीठ (गुप्तकाशी), शोणितपुर (लमगौंडी) सहित सिमली (डिम्मर), देवप्रयाग, कमेड़ा (नन्दप्रयाग) एवं किमोठा (चमोली) संस्कृत विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में मध्यमा, उत्तरमध्यमा से लेकर आचार्य तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही मण्डल, जोशीमठ, विद्यापीठ स्थित संस्कृत महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु पुस्तकालय का संचालन भी किया जा रहा है। छात्र उक्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीधे सम्पर्क कर सकते हैं तथा मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों/सोशल मीडिया के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर समिति की विद्यापीठ (गुप्तकाशी) जिला रुद्रप्रयाग स्थित आयुर्वेदिक फार्मसी में भैषज्य कल्पक प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन के माध्यम से 02 वर्षीय डिप्लोमा हेतु मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

सदावर्त एवं निःशुल्क भण्डारा प्रसाद, अलाव की व्यवस्था-श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा सम्पूर्ण यात्राकाल में श्री बदरीनाथ मंदिर परिसर में तथा श्री केदारनाथ में तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ निःशुल्क भण्डारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर समिति साधू-सन्तों को सदावर्त निधि से दान स्वरूप निश्चित धनराशि तथा खाद्यान्न सामग्री प्रदान की जाती है एवं उन्हें निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त धामों में यात्रियों को सर्दी से बचाव हेतु समिति द्वारा निःशुल्क अलाव की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जाती है।

श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बदरीनाथ धाम तथा यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को मूलभूत सुविधायें -मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बदरीनाथ धाम तथा यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। इसी क्रम में श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम में दर्शन पंक्ति में धूप एवं बरसात से बचाव हेतु रैन शैल्टर शैड का निर्माण किया गया है।

समिति द्वारा वेडिंग डेस्टिनेशन की योजना- श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा शिव पार्वती विवाह स्थल श्री त्रियुगीनारायण एवं श्री ओंकारेश्वर मन्दिर ऊखीमठ को आम लोगों की सुविधा हेतु वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली	राज्य में पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों तथा सेवाओं का पर्यटन विभाग के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है।	नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयों का पंजीकरण किया जाता है। आवासीय इकाईयां- होटल/ मोटल/ रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, आश्रम आदि ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी इकाईयां- ट्रैवल एजेण्ट, डोमेस्टिक टुअर ऑपरेटर, एक्सकर्सन एजेण्ट। खान-पान सम्बन्धी इकाई- रेस्टोरेन्ट/बियर बार, फास्ट फूड सेंटर/फूड प्लाजा/फूड कोर्ट इत्यादि। मनोरंजन सम्बन्धी इकाई- आमोद-प्रमोद/थीम/एम्यूजमेंट पार्क, गोल्फ कोर्स, रज्जु मार्ग, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, एंगलिंग। साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाई- एडवेंचर टुअर ऑपरेटर, क्याकिंग कैनोईंग, वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, वॉल क्लाइम्बिंग पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग आदि अन्य इकाईयां - हस्तशिल्प/सोविनियर शॉप, योग ध्यान केन्द्र/साधना कुटीर, पर्यटक सूचना केन्द्र, नेचर/एडवेंचर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आदि का पंजीकरण किया जाता है।	इकाई के पंजीकरण हेतु पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism. gov. in>Trade>Travel Trade Registration में करना होता है, जिसके लिए आधार संख्या, आधार लिंक मोबाईल नम्बर अनिवार्य है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र पर उल्लिखित कम्पनी रजिस्ट्रेशन, आवेदक का पैन कार्ड, इकाई का पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, इकाई की फोटो, बैलेंस शीट (पुरानी इकाई की दशा में), इकाई की फोटो, 10 रु0 का एफिडेबिट, भू-स्वामित्व की प्रति, कर्मचारियों की सूची, होटल की टैरिफ दरें, पंजीकरण शुल्क रु0 1000/- फायर एन0ओ0सी0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन0ओ0सी0, फूड लाईसेंस FSSAI संलग्न करना होगा। उसके उपरान्त सम्बन्धित जनपद में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा पंजीकरण संख्या आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है, पंजीकरण के पश्चात् इकाई का संचालन किया जा सकता है।
2	निधि + पोर्टल (पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना)	देश एवं राज्य की पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी सेवाओं का पंजीकरण निधि + पोर्टल में किया जाता है। राज्य के पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी	निधि + पोर्टल के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयों का पंजीकरण किया जाता है:- 1. डैस्टिनेशन एण्ड अट्रैक्शन्स- जनपद से सम्बन्धित पर्यटक स्थलों/आकर्षणों, पर्यटन ग्राम आदि का पंजीकरण। 2. आवासीय इकाईयां- अपार्टमेंट होटल, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट, फार्म-स्टे, गेस्ट हाउस, हैरिटेज, होम-स्टे होटल, हाउस बोट, लीगेंसी विण्टेस, लॉज एण्ड टूरिस्ट होम, मोटल, रिजॉर्ट, टेन्टेड	निधि + पोर्टल में पंजीकरण हेतु स्टेकहोल्डर निधि पोर्टल पर Login कर पंजीकरण हेतु आवेदन करता है। आवेदन नोडल अधिकारी के पास आता है, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा Officers login कर आवेदन को सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सम्बन्धित इकाई के उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख की जांच कर सम्बन्धित आवेदन को Approve करता है। आवेदन Approve होने के बाद आवेदक document

		इकाईयों को अपनी सेवायें showcase करनेका अवसर मिलता है।	<p>एकोमोडेशन, टाइमशेयर रिजॉर्ट।</p> <p>3. कन्वेंसन सेंटर- कन्वेंसन सेंटर विदाउट रेजिडेंसियल एकोमोडेशन, कन्वेंसन सेंटर विद रेजिडेंसियल एकोमोडेशन।</p> <p>4. फूड बिजनेस ऑपरेटर-स्टैण्डअलोन एयर केटरिंग यूनिट, स्टैण्डअलोन रेस्टोरेंट।</p> <p>5. ऑनलाईन ट्रेवल एग्रीग्रेटर</p> <p>6. प्रोजेक्ट अप्रूवल- अपार्टमेंट होटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल) हैरिटेज (प्रोजेक्ट अप्रूवल), होटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल), मोटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल), रिजॉर्ट (प्रोजेक्ट अप्रूवल), स्टैण्डअलोन एयर केटरिंग यूनिट (प्रोजेक्ट अप्रूवल), टेन्टेड एकोमोडेशन (प्रोजेक्ट अप्रूवल), टाइमशेयर रिजॉर्ट (प्रोजेक्ट अप्रूवल)।</p> <p>7. टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर- टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्रेवल एजेण्ट, टूर ऑपरेटर।</p>	<p>upload करता है, जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा सत्यापित कर Approve किया जाता है, जिसके पश्चात् पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी इकाई का पंजीकरण Nidhi + पोर्टल में हो जाता है।</p>
3	रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग गतिविधियों का संचालन।	<p>राफ्टिंग कम्पनियाँ संचालित की अनुमति है। रिवर गाइडों को लाइसेंस निर्गत किये गये है, जिससे प्रदेश को राजस्व का लाभ होने के साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों को आर्थिक लाभ मिलता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवेदक उत्तराखण्ड में कम से कम दस वर्ष का निवासी हो अथवा राज्य का मूल निवासी हो। • आवेदक को एयरो स्पोर्ट्स की एडवांस व्यवहारिक/तकनीकी ज्ञान हो। 	<p>(1) रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग अनुज्ञा के इच्छुक आवेदक द्वारा गंगा नदी हेतु 01 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य एवं अन्य नदियों हेतु वर्ष पर्यन्त आवेदन किया जाते है।</p> <p>1. फर्म संचालन हेतु :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रार्थना-पत्र। • निर्धारित आवेदन पत्र। • फर्म का इश्योरेन्स। • फर्म सोसाइटी अधिनियम के तहत मान्य पंजीकरण। • उत्तराखण्ड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण-पत्र। • साहसिक गतिविधियों से सम्बन्धित तीन वर्ष का अनुभव। • फर्म में कार्यरत कर्मचारी-वृंद का विवरण। • राफ्टों/क्याकों/सुरक्षा उपकरणों का विवरण। • नियमानुसार आवेदन शुल्क रु0 1000/- <p>2. रिवर गाइड हेतु :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूर्ण रूप से स्वस्थ हो;


				<ul style="list-style-type: none"> • आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 (हाईस्कूल) उत्तीर्ण होना आवश्यक है, • तैराकी में सक्षम हो। • प्रत्येक गाईड रेडक्रास अथवा सेंट जान्स एम्बुलेंस अथवा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित बैध प्रमाण-पत्र (First Aid Certification) धारक हो। <p>(1) विभाग द्वारा आवेदन-पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् तकनीकी समिति के सम्मुख रखा जाता है।</p> <p>(2) तकनीकी समिति के निरीक्षण के पश्चात् सभी आवेदकों को अधिकतम 45 दिन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा कारणों सहित अनुज्ञा के संबंध में अवगत कराया जाता है।</p>
4	पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन।	पैराग्लाइडिंग कम्पनियों को संचालित करने की अनुमति है। टैन्डम पायलट लाइसेंस निर्गत किये गये है, जिससे कि उक्त लाइसेंस धारी द्वारा राज्य में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के माध्यम से जीविका उपार्जन कर सकता है।	-	<p>(1) पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में प्रतिभाग करने के इच्छुक आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई से 30 अगस्त के मध्य आवेदन किये जाते हैं।</p> <p>1. फर्म संचालन हेतु :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • निर्धारित आवेदन-पत्र। • फर्म सोसाइटी अधिनियम के तहत मान्य पंजीकरण। • उत्तराखण्ड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण-पत्र। • फर्म का इंश्योरेन्स। • फर्म में कार्यरत कर्मचारी-वृंद का विवरण। • टैन्डम जॉय राइडस पैकेज का किराया (टैरिफ कार्ड)। • पैराग्लाइडिंग उपकरणों का विवरण। • नियमानुसार आवेदन शुल्क रु0 1000/- <p>2. टैन्डम पायलट हेतु :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • टैन्डम पायलट ने न्यूनतम 35 किमी० की हवाई दूरी तय की हो, इस उड़ान का डिजिटल लॉग में टैन्डम पायलट का नाम होना अनिवार्य है।

				<ul style="list-style-type: none"> • आवेदक ने न्यूनतम 100 घंटों की हवाई उड़ान तय की हो। इस उड़ान का डिजिटल लॉग में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। • टेंडेम पाइलट को एयरो स्पोर्ट का उन्नत व्यवहारिक ज्ञान हो जिसका परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा व्यवहारिक परीक्षण के माध्यम से किया जा सकेगा। • टेंडेम पाइलट चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो तथा उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र हो, तथा वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के अधीन वैध प्राथमिक चिकित्सा तथा सीपीआर प्रमाणन हो। • ऑपरेटर के पास पैराग्लाइडिंग को कबर करने वाला वैध वृतीय पक्ष बीमा होना चाहिए। • टेंडेम पाइलट ने एसआईवी (उड़ान के दौरान अनुकरण) टेंडेम (पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम) पूर्ण किया हो। <p>(2) विभाग द्वारा आवेदन-पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् तकनीकी समिति के सम्मुख रखा जाता है।</p> <p>(3) तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अनुज्ञा जारी करेगा।</p>
5.	P1, P2, P3, P4, SIV, Guided Flying	टेण्डम पायलट के रूप में संचालित फर्मों में कार्य कर सकते हैं/ प्रशिक्षक/प्रतियोगी	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु -18 से 30 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (215 लाभार्थी)	<p>1.निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है।</p> <p>2.जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है।</p>
6.	life saving technique water sports operator	वॉटर लाईफ सेविंग के प्रशिक्षक	उत्तराखण्ड के युवा हों, 100 मी0 की तैराकी 03 मिनट के अंतर्गत न्यूनतम आयु-18 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (15 लाभार्थी)	<p>1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है।</p> <p>2 एन०आई०डब्ल्यू०एस०, गोवा प्रशिक्षकों द्वारा आवेदन अभिलेखों का परीक्षण प्रायोगिक के आधार पर किया जाता है।</p>

7.	Basic Kayaking Course	क्याकिंग के प्रशिक्षक	उत्तराखण्ड के युवा हों, 100 मी0 की तैराकी 03 मिनट के अंतर्गत न्यूनतम आयु-18 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से life saving technique water sports operator प्रशिक्षण प्राप्त किया हो (15 लाभार्थी)	1- निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2- एन०आई०डब्ल्यू०एस०, गोवा प्रशिक्षकों द्वारा आवेदन अभिलेखों का परीक्षण प्रायोगिक के आधार पर किया जाता है।
8.	Rafting Course & Internship	रिवर राफ्टिंग गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु -18 से 30 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (215 लाभार्थी)	1.निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
9.	Special Basic Mountaineering Course	गाईड	उत्तराखण्ड के युवा हों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से Low Altitude Guide Course अथवा DTDC के माध्यम से चलाये जाने वाले Adventure foundation Course को वरीयता दी जाती है। (25 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
10.	High Altitude Guide Course	गाईड	उत्तराखण्ड में युवा हों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से Low Altitude Guide Course किया हो। (41 लाभार्थी)	1.निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3.मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
11.	Low Altitude Guide Course	गाईड	उत्तराखण्ड के युवा हों, प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर। (761 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप के भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना

				<p>होता है।</p> <p>2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है।</p> <p>3 मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।</p>
12.	Skiing Course	प्रशिक्षक/ प्रतियोगी	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु-18 से 25 वष प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर। (40 लाभार्थी)	<p>1. निर्धारित प्रारूप के भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है।</p> <p>2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है।</p> <p>3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।</p>

गढ़वाल मण्डल विकास निगम



गढ़वाल मण्डल विकास निगम

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार का एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना दिनांक 31 मार्च 1976 को हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 40.00 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 406.45 करोड़ है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम में 1200 से अधिक कर्मचारियों का समर्पित कार्यबल है। निगम द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत 90 पर्यटक आवास गृह, 34 कुकिंग गैस एजेन्सी, 04 पेट्रोल पम्प तथा 01 फ़ैक्ट्री का संचालन, विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु अभियन्त्रण अनुभाग, रोपवे, चेयर लिफ्ट एवं स्की लिफ्ट के संचालन हेतु परियोजना अनुभाग एवं खनन गतिविधियों के संचालन हेतु खनन अनुभाग कार्यरत है।

निगम द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां की जा रही है।

- **पर्यटन-** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटक आवास गृहों, चारधाम यात्रा पैकेज टुअर, साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत टैकिंग एवं माउण्टेनियरिंग, रीवर राफ्टिंग, स्नो स्कीइंग एवं वाइल्ड लाइफ सफारी आदि का संचालन किया जा रहा है। निगम द्वारा चारधाम मार्गों एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग में संचालित पर्यटक आवास गृहों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग-** होटल द्रोण, पर्यटक आवास गृह मसूरी, बड़कोट, स्यानाचट्टी, अस्नोलगाड़, फूलचट्टी, हनुमानचट्टी एवं जानकीचट्टी।
2. **गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग-** पर्यटक आवास गृह भरतभूमि (ऋषिकेश), ऋषिलोक (मुनीकीरेती), गंगा रिसोर्ट (शीशमझाडी), चम्बा, नई टिहरी, उत्तरकाशी, मनेरी, रैथल, बार्सू, हर्षिल, भैरोघाटी एवं गंगोत्री।
3. **श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग-** पर्यटक आवास गृह कौड़ियाला, श्रीनगर, श्रीकोट, रूद्रप्रयाग, तिलवाडा, स्यालसौड, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, रामपुर, सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड, भीमबली, लिन्चोली तथा श्री केदारनाथ धाम स्थित बेस कैम्प, स्वर्गारोहिणी कॉटेज एवं हिमलोक टेन्ट कॉलोनी।
4. **श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग** पर्यटक आवास गृह गौचर, कर्णप्रयाग, कालेश्वर, नन्दप्रयाग, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ (नया), जोशीमठ (पुराना), पाण्डुकेश्वर एवं होटल देवलोक बद्रीनाथ तथा जनता यात्री निवास बद्रीनाथ।

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों का आरक्षण निगम की अधिकृत वेबसाइट www.gmvnonline.com एवं ओ0टी0ए0 (Make My Trip, Goibibo, Google Hotels Ads) के माध्यम से किया जा सकता है तथा यात्रा कार्यालय ऋषिकेश से मो0नं0- 9568006600, 9568006619, 9568006623 एवं 0135-2430799 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही है:-

1. **रीवर राफ्टिंग-** निगम द्वारा रीवर राफ्टिंग हेतु निम्नलिखित कोर्स चलाये जा रहे है। 03 Days Non Certificate, 05 Days Certificate Course and 04 Days Rafting Expeditions, Doy rafting one stretch (10-12 KM).

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष माह अप्रैल से जून तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संचालित किये जाते है। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मो0 न0 9568006639, 9536006156 तथा ई-मेल gmvnraftingcenter94@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- **स्नो स्कीइंग-** औली में विभिन्न स्नो स्कीइंग कोर्स संचालित किये जाते है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

01 Day Non Certificate Course, 03 Days Non Certificate Course, 07 Days Non Certificate Course and 14 Days Non Certificate Course

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष माह जनवरी से माह मार्च तक संचालित किये जाते है जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी निगम के यात्रा कार्यालय ऋषिकेश से मो0नं0- 9568006600, 9568006619, 9568006623 से प्राप्त जा सकती है।

- **ट्रैकिंग एवं माउण्टेनियरिंग-** निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न ट्रैकिंग रूट जैसे डोडीताल, चोपता, तुंगनाथ, चन्द्रशिला, बगनी ग्लेशियर, बद्रीनाथ सतोपंथ, क्वारी पास, तपोवन, दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी आदि ट्रैकिंग स्थलों हेतु ट्रैकिंग टूर का संचालन किया जा रहा है। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मो0नं0- 9568006695 तथा ई-मले gmvnmountdiv@gmail.com एवं GMVN वेबसाइट www.gmvnonline.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- **पैकेज टुअर-** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा 07 महानगरों में संचालित जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से चारधाम यात्रा हेतु निगम के विभिन्न पर्यटक आवास गृहों एवं निगम द्वारा पैकेज टुअर एवं अन्य गतिविधियों की बुकिंग की जा सकती है। निगम द्वारा संचालित जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-
 1. जन सम्पर्क अधिकारी मुम्बई मो0नं0- 09653249499, फोन नं0- 022-20877009 एवं 022-20877007
 2. जन सम्पर्क अधिकारी बंगलुरु मो0नं0- 09886180515 एवं फोन नं0- 080-22249378
 3. जन सम्पर्क अधिकारी नई दिल्ली मो0नं0- 09312633180 एवं फोन नं0- 011-23327713
 4. जन सम्पर्क अधिकारी चैन्नई मो0नं0- 09444109395 एवं फोन नं0-044-25333524
 5. जन सम्पर्क अधिकारी कलकत्ता मो0नं0- 9831110999 एवं फोन नं0- 033-24765555
 6. जन सम्पर्क अधिकारी पुणे मो0नं0- 08619654014 एवं फोन नं0- 020-25535208
 7. जन सम्पर्क अधिकारी हैदराबाद मो0नं0- 09493982645 एवं फोन नं0- 040-23409945, 23400259
- **विपणन-** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में चार पेट्रोल पम्प, तथा एल0पी0जी0 वितरण 35 गैस एजेंसियों का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के सदूरवर्ती एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उपरोक्त गैस एजेन्सी में गैस बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के निराकरण हेतु को-आर्डिनेटर विपणन अनुभाग से मो0नं0- 8057912535 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- **अभियन्त्रण अनुभाग-** गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों, पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदामों की मरम्मत/नवनिर्माण तथा विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण कार्य हेतु निगम में अभियन्त्रण अनुभाग कार्यरत है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में पलायन को रोकने हेतु सीमान्त गाँवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान में निगम द्वारा जनपद चमोली में नीती घाटी तथा जनपद उत्तरकाशी में नेलांग, जादुंग घाटी में विभिन्न निर्माण/विकास कार्य कराये जा रहे हैं।
- **परियोजना अनुभाग-** निगम द्वारा जनपद चमोली स्थित औली में शीतकालीन क्रीड़ाओं का संचालन किया जाता है, जिसके लिये निगम द्वारा परियोजना अनुभाग के माध्यम से चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट तथा आर्टीफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम का संचालन किया जा रहा है।
- **खनन अनुभाग-** निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, टिहरी एवं देहरादून में खनन गतिविधियों संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 20 खनन लॉट संचालित हैं।
- **उद्योग अनुभाग-** निगम द्वारा मुनिकीरेती ऋषिकेश में उड वूल फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर उच्च श्रेणी के फर्नीचर का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार की प्रकाष्ट की रिटेल बिक्री की जाती है।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम



कुमाऊं मण्डल विकास निगम

कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार का एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना दिनांक 21 अगस्त 1976 को हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी ₹ 14.00 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर ₹ 1162.00 लाख है। कुमाऊं मण्डल विकास निगम में 750 से अधिक कर्मचारियों का समर्पित कार्यबल है। निगम द्वारा कुमाऊं क्षेत्र के अन्तर्गत 54 पर्यटक आवास गृह, 49 कुकिंग गैस एजेंसी, 03 पेट्रोल पम्प का संचालन, विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु अभियन्त्रण अनुभाग, रोपवे एवं स्की लिफ्ट के संचालन हेतु परियोजना अनुभाग एवं खनन गतिविधियों के संचालन हेतु खनन अनुभाग कार्यरत है।
निगम द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां की जा रही हैं।

पर्यटन- कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटक आवास गृहों, आदि कैलाश यात्रा, पैकेज टूर, साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत पिण्डारी टूर, माउण्टेनियरिंग, रीवर राफ्टिंग, स्नो स्कीइंग आदि का संचालन किया जाता है। निगम द्वारा आदि कैलाश मार्ग एवं पिण्डारी टूर मार्ग में संचालित पर्यटक आवास गृहों का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- **आदि कैलाश यात्रा मार्ग** - पर्यटक आवास गृह भीमताल, अल्मोड़ा, जागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, ज्योलिकोंग, नाभीढ़ाग, डीडीहाट, चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर।
- 2- **पिण्डारी टूर मार्ग** - भीमताल, बागेश्वर, लोहाखेत, द्वाली, खाती, फुरकिया।
- 3- **कफनी ग्लेशियर मार्ग** - भीमताल, बागेश्वर, लोहाखेत, धाकुड़ी, खाती, कफनी।
- 4- **सुन्दरदुंगा ग्लेशियर मार्ग** - काठगोदाम, बागेश्वर, लोहाखेत, द्वाली, खाती, जातौली, सुन्दरदुंगा।

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों का आरक्षण निगम की अधिकृत वेबसाइट www.kmvn.in एवं केन्द्रीय आरक्षण केन्द्र, नैनीताल 8650002520 के माध्यम से किया जा सकता है तथा यात्रा कार्यालय नई दिल्ली 09811556212, धारचूला - 7579231550, 9639910114 एवं केन्द्रीय आरक्षण केन्द्र, नैनीताल 8650002520 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1- रीवर राफ्टिंग - निगम द्वारा रीवर राफ्टिंग हेतु निम्नलिखित कोर्स चलाये जा रहे हैं -

03 Days Non Certificate, 05 Days Certificate Course

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष मई से जून तथा माह अक्टूबर से नवम्बर तक संचालित किये जाते हैं। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मोबाईल नम्बर - 8650002538 एवं 9412908530 तथा ई-मेल kmvn@yahoo.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पैकेज टूर - कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा 07 महानगरों में संचालित जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से आदि कैलाश एवं पिण्डारी टूर हेतु निगम के विभिन्न पर्यटक आवास गृहों एवं निगम द्वारा पैकेज टूर एवं अन्य गतिविधियों की बुकिंग की जा सकती है। निगम द्वारा संचालित जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है -

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1- जनसम्पर्क अधिकारी, मुम्बई | मो0 नं0- 09920593304 | फोन नं0 - 022-235366932 |
| 2- जनसम्पर्क अधिकारी, कोलकाता | मो0 नं0- 9339878995 | फोन नं0 - 033-24868295 |
| 3- जनसम्पर्क अधिकारी, देहरादून | मो0 नं0-9412040767, 7500482691 | फोन0 नं0- 0135-2719720 |

4- जनसम्पर्क अधिकारी, पुणे	मो0 नं0- 09869151829	फोन नं0 - 020-25535209
5- जनसम्पर्क अधिकारी, अहमदाबाद	मो0 नं0- 9426181624	फोन नं0- 079-26421214
6- जनसम्पर्क अधिकारी, दिल्ली	मो0नं0- 09811556212, 9891138461	फोन नं0- 011-23327713

विपणन -कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र में 03 पेट्रोल पम्प तथा एल0पी0जी0 वितरण 49 गैस एजेन्सियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । उपरोक्त गैस एजेन्सी में गैस बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के निराकरण हेतु को-आर्डिनेटर विपणन अनुभाग से मोबाइल नं0 8650002586 पर सम्पर्क कर सकते हैं । निगम के अन्तर्गत शॉपिंग काम्प्लेक्स, हल्द्वानी में 74 दुकाने हैं जिसमें से 72 दुकानों का संचालन किया जा रहा है, 02 दुकाने खाली हैं । इन दुकाने में स्टेट बैंक इण्डिया, यूनियन बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी शाखा खोली गयी है ।

अभियन्त्रण अनुभाग -कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों, पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदामों की मरम्मत/नवनिर्माण तथा विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण कार्य हेतु निगम में अभियन्त्रण अनुभाग कार्यरत है । वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के पलायन को रोकने हेतु सीमान्त गावों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है । जिसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, उधमसिंहनगर व अल्मोड़ा में राज्य सैक्टर, मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य करवाये जा रहे हैं ।

खनन अनुभाग-निगम द्वारा कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, उधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत में खनन गतिविधियों संचालित की जा रही है । जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 07 खनन लॉट संचालित हैं ।

राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून




क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	चार वर्षीय डिग्री कोर्स (AICTE के मानकों के अनुसार)	चार वर्षीय डिग्री कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को देश विदेश में रोजगार/स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होता है।	इन्टरमीडिएट 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण जिसमें अंग्रेजी विषय आवश्यक है।	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा बेबसाईट www.uktech.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन के उपरान्त मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र।

जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, अल्मोड़ा



क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एव चयन प्रक्रिया
1.	होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) (AICTE के मानकों के अनुसार)	प्राइवेट और सरकारी विभागों में रोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु कुल सीट का 5 प्रतिशत रखा जाता है अनारक्षित वर्गों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कुल सीट का 10 प्रतिशत आरक्षण रखा जाता है। मात्र 13 हजार से 14 हजार के वार्षिक खर्च पर यह डिग्री कोर्स कराया जाता है।	इंटरमीडिएट (किसी भी विषय से उत्तीर्ण)	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा बेबसाइट www.uktech.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन के उपरान्त मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र।

ऊर्जा विभाग (उरेड़ा), उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1.	पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना	<p>पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 01 कि०वा० से 03 कि०वा० तक की श्रेणी वाले संयंत्रों हेतु रू० 17000.00 प्रति कि०वा० की दर से एवं 03 कि०वा० से अधिक क्षमता के संयंत्रों हेतु रू० 51000.00 नियत लाभ अनुदान के रूप में अनुमन्य किया गया है।</p> <p>आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू०पी०सी०एल० द्वारा नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा तथा शेष विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर उसके सापेक्ष भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।</p> <p>योजनान्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा अधिकतम धनराशि रू० 85,800.00 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेजिडेन्शियल वेलफैर एसोशिएशन हेतु 500/KW क्षमता तक रू० 18,000/KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।</p>	<p>राज्य योजना हेतु सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा संचालित “पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना” के अन्तर्गत एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https://pm.suryaghar.gov.in पर आवेदन किया गया हो एवं जिनके संयंत्र स्थापना दिनांक 19 जून 2023 के उपरान्त की गयी हो तथा संयंत्र की स्थापना उपरान्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्गत की जा चुकी हो, पात्र होंगे।</p>	<p>एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा संचालित “ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉफ सोलर पावर प्लान्ट योजना” के अन्तर्गत यू०पी०सी०एल० के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा योजना के अन्तर्गत संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं। इस योजना हेतु एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल पर https://pm.suryaghar.gov.in पर online आवेदन किये जा सकते हैं।</p> <p>एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो, उनके द्वारा जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों सहित, आधार कार्ड/बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा किये जायेंगे। जनपदीय अधिकारी उरेडा उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।</p>
2.	सोलर वाटर हीटर योजना	<p>1.सोलर वाटर हीटर योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु पीक आवर्स में डिस्कॉम द्वारा मंहगी दरों पर विद्युत क्रय कर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति</p>	<p>इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के निवासी जिनके पास यू०पी०सी०एल० का</p>	<p>1.योजनान्तर्गत आवेदन एवं चयन हेतु Online portal www.uredaonline.uk.gov.in विकसित किया गया है।</p> <p>2.आवेदनकर्ता Online portal पर अपने मोबाईल नम्बर,</p>

		<p>की जाती है। जिसका सीधा प्रभाव विद्युत उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। सोलर वाटर हीटर की स्थापना से न केवल विद्युत उपभोक्ताओं की ग्रिड विद्युत पर निर्भरता कम होगी, इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना भारत सरकार के वैश्विक स्तर पर एस.डी.जी.-7 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की गयी प्रतिबद्धता में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होगा।</p> <p>2. प्रदेश में हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।</p> <p>3.सोलर वाटर हीटर स्थापना में वृद्धि होने से अधिकतम मांग के समय विद्युत की बचत होगी एवं प्रति वर्ष कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। 100ली0 प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापना पर 1.5 टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा कार्बन उत्सर्जन कम होने पर पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे।</p> <p>4.उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः गर्म पानी की आवश्यकता होती है एवं इस हेतु लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता है, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। सोलर वाटर हीटर संयंत्रों के उपयोग से पूर्व में प्रचलित माध्यम (लकड़ी, विद्युत आदि) से प्रकृति हो रहे नुकसान में कमी आयेगी।</p>	<p>विद्युत कनेक्शन होगा तथा सम्बन्धित भवन का स्वामित्व होगा, वही आवेदन हेतु पात्र होंगे।</p>	<p>स्थापना स्थल की सूचना, आधार कार्ड की प्रति, विद्युत बिल की प्रति, स्थापित संयंत्र के बिल की प्रति, निर्धारित स्व-घोषणा पत्र, अनुदान प्राप्त करने हेतु खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति तथा निदेशक उरेडा के पक्ष में निर्धारित आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट की प्रति/ऑनलाईन आवेदन शुल्क स्थानान्तरित किये जाने की रसीद पोर्टल पर अपलोड कर पंजीकरण करायेगें। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदनकर्ता की श्रेणी सामान्य/ अनु0जाति/अनु0जनजाति का भी चयन करें। पंजीकरण के समय स्थापित संयंत्र की क्षमता का अंकन किया जाना होगा।</p> <p>3.पोर्टल पर विद्युत बिल के आधार पर घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता का विकल्प भी दर्ज करना होगा। प्रति 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता हेतु रू0 100/- आधार पर क्षमता अनुसार आवेदन शुल्क ऑनलाईन पोर्टल में किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।</p> <p>4.पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर धनराशि उपलब्धता सीमा के अन्तर्गत उरेडा द्वारा सत्पापन करने के उपरान्त स्थापना उचित पाये जाने पर अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। संयंत्र स्थापना होने पर पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन करने के उपरान्त उरेडा द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा।</p> <p>5.आवेदन शुल्क उरेडा के खाते में प्राप्त होने पर तथा निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते हुए संयंत्र की स्थापना संतोषजनक होने पर अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु उरेडा मुख्यालय को संस्तुति (संयुक्त निरीक्षण आख्या upload करते हुये) की जायेगी। स्थल पर कमी पाये जाने पर आवेदक से अपेक्षित कार्यवाही का प्रपत्र अपलोड करते हुए आवेदक</p>
--	--	---	--	---

			<p>को स्थल निरीक्षण अनुरोध वापस करना होगा। स्वीकृत आवेदक द्वारा कमियां पूर्ण करवाते हुए पोर्टल पर पुनः निरीक्षण का अनुरोध करना होगा। उरेडा द्वारा निरीक्षण के समय उचित पाये जाने पर ही सम्बन्धित स्थापनाकर्ता फर्म को अन्तिम भुगतान किया जाना आवेदक/लाभार्थी के हित में होगा।</p> <p>6.संयत्र के सापेक्ष अनुदान अवमुक्त किये जाने की संस्तुति सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी उरेडा से प्राप्त होने पर उरेडा मुख्यालय द्वारा अनुदान सम्बन्धित के खाते में online transfer किया जायेगा, संयत्र स्थापनाकर्ता फर्म को लाभार्थी/स्वीकृत आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिसमें उरेडा की कोई भूमिका नहीं होगी तथा दोनों के मध्य भुगतान सम्बन्धित विवाद में उरेडा कोई पक्षधर नहीं होगा।</p> <p>7.योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध न होने/उपलब्ध बजट से अधिक आवेदन होने पर अतिरिक्त आवेदन के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्राप्त न होने पर अथवा अन्य किसी कारण से आवेदक को राज्य अनुदान निर्गत किया जाना सम्भव न होने पर ऐसी दशा में आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।</p>
--	--	--	--

PROGRAMME IV

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग



PROC

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ०वि०नि०आ०) के कार्य एवं दायित्व

कार्यवृत्त	कार्य एवं दायित्वों का विवरण
शुल्क अवधारण	<p>निम्नलिखित हेतु शुल्क (टैरिफ) का अवधारण-</p> <p>a) वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति।</p> <p>b) विद्युत का पारेषण।</p> <p>c) विद्युत का चक्रण।</p> <p>d) विद्युत का खुदरा विक्रय।</p> <p>वितरण अनुज्ञापियों की विद्युत क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें, वह मूल्य भी सम्मिलित है, जिस पर राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति हेतु ऊर्जा के क्रय के लिये करार द्वारा उत्पादक कम्पनियों या अनुज्ञापियों या अन्य स्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्ति की जायेगी।</p>
अनुज्ञापन (लाईसेंस प्रदान करना)	<p>अनुज्ञापितियाँ जारी करना :-</p> <p>a) पारेषण अनुज्ञापी के रूप में विद्युत के पारेषण हेतु।</p> <p>b) वितरण अनुज्ञापी के रूप में विद्युत के वितरण हेतु।</p> <p>c) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत के व्यापार हेतु।</p>
न्याय निर्णयन	<p>अनुज्ञापियों और उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय।</p>
विनियमों की संरचना एवं प्रवर्तन	<p>a) विद्युत का राज्य के भीतर पारेषण और चक्रण सुगम बनाना।</p> <p>b) विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों से सह-उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना।</p> <p>c) विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के क्रय को विनिर्दिष्ट करना।</p> <p>d) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शुल्क का दंड का उद्ग्रहण करना।</p> <p>e) अनुज्ञापियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के सम्बन्ध में संहिताएं और मानक विनिर्दिष्ट करना।</p>
सलाहकारी कार्य	<p>निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना:-</p> <p>a) विद्युत उद्योग के कार्यकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को बढ़ावा देना।</p> <p>b) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।</p> <p>c) राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्धिष्ठापन एवं पुनर्गठन।</p> <p>d) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से सम्बन्धित मामले या सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य मामले।</p>

उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु आयोग ने विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सुविधाओं में सुधार लाने पर बल देने का निर्णय लिया है :-

- गुणवत्ता (उचित वोल्टेज) और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति।
- 100% उपभोक्ता की इलेक्ट्रॉनिक मीटर द्वारा मीटरिंग।
- सही मीटरों के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति।
- नियमित मीटर रीडिंग और बिल वितरण।
- स्पॉट बिलिंग।
- अस्थायी बिलिंग वाले मामलों जैसे मीटर तक पहुँच नहीं (NA)/मीटर पढ़ा नहीं गया (NR)/त्रुटि पूर्ण मीटर (IDF) इत्यादि को क्रमवार समाप्त/न्यूनतम करना।
- पर्याप्त प्रचार अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में विद्युत से सम्बन्धित नियमों/विनियमों की जागरूकता फैलाना एवं सशक्तिकरण।
- उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त की तिथि से 10 दिवस के भीतर डिजिटल माध्यम से भुगतान किये जाने पर बिल धनराशि में 1.25 प्रतिशत छूट की सुविधा तथा नकद/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने पर 0.75 प्रतिशत छूट प्रदानित।
- पूरे राज्य में प्रभावी बिल संग्रहण प्रणाली हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित सुविधाएँ सुदृढ़/विकसित करना।

शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
UPCL के बिल संग्रहण केन्द्रों से	सब-स्टेशन पर संग्रहण केन्द्र
चैक ड्रॉप बॉक्स (चैक संग्रहण बॉक्स) से	सामान्य सेवा केन्द्र योजना (CSC) के माध्यम से
बैंकों के माध्यम से	बिल संग्रहण शिविरों के माध्यम से
ऑनलाईन/इन्टरनेट के माध्यम से	ऑनलाईन/इन्टरनेट के माध्यम से

(A) नये एल0टी0 संयोजन जारी करने, भार में वृद्धि और कमी करने के लिये लागू अधिसूचित प्रभार

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एवं ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्जेज		प्रारम्भिक प्रतिभूति(रू./कि.वा.)			
		सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्जेज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर-घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	बीपीएल उपभोक्ता (1 कि.वा.तक)*	100	100	ओवर हैड - रू. 300 भूमिगत - रू. 300	100	.	.
2.	4 कि.वा. तक	1000	2000	ओवर हैड -रू. 1500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. तक (प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	1000	2000		-	-	-

यदि कोई बीपीएल उपभोक्ता 1 किलोवाट से अधिक भार के लिए आवेदन करता है, तो वह तालिका 3.4 तथा तालिका 3.5 के क्रम संख्या-2 के अनुसार जो भी लागू हो, मानक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4 kW से अधिक तथा 25 kW तक भार हेतु सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड लाईन प्रभार और प्रारम्भिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एवं ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्जेज		प्रारम्भिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.)			
		सर्विस लाईन प्रभार (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्जेज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर-घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक #	2000	5000	ओवर हैड -रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक #(प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	2000	5000		.	.	.
2.	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक #	4000	10000	ओवर हैड -रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर	600	1500	1500
	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक #(प्रीपेड मीटर के	4000	10000		-	-	-

माध्यम से)#		या उसका भाग			
-------------	--	-------------	--	--	--

#उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के उप-विनियम 3.3.1 के क्लॉज (3) के अन्तर्गत एच.वी.डी.एस. संयोजन लेने वाले आवेदक को 25 के.वी.ए. के सब-स्टेशन (20 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रु0 1,50,000/- तथा 63 के.वी.ए. (21 किलोवाट से 25 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रु0 2,00,000/- साथ ही 11 के.वी. लाईन विस्तार हेतु लागत निम्नलिखित तालिका 3.6 के अनुसार तथा सर्विस लाईन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज तालिका 3.5 के अनुसार, भुगतान करना होगा।

25 kW से अधिक तथा 75 kW तक के भार हेतु सर्विस चार्जेज 11 kV ओवरहेड/भूमिगत लाईन, सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एवं 11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज		प्रारंभिक प्रतिभूति (रु./कि.वा.) या (रु./के.वी.ए.)			
		सर्विस लाईन चार्जेज (रु.)		11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज (रु.)	घरेलू	गैर-घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1	11 के.वी. लाईन चार्जेज						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक **	6000	15000	ओवर हैड-0 रु. 8000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत- रु. 30000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक **	8000	20000				
2	11 के.वी. सबस्टेशन चार्जेज						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक	63 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,00,000			
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक	100 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,50,000			
3	ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि						
	63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. तक			50,000			

** केवल भूमिगत नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के उप-विनियम 3.3.1 के क्लॉज (3) के प्रथम नियम के अन्तर्गत संयोजन चाहने वाले आवेदक, 63 के.वी.ए./100 के.वी.ए. के

उप-स्टेशन के लिए तालिका 3.6 के अनुसार प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिए एल.टी. मेन के विस्तार तथा सर्विस लाईन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्ज के साथ रु. 20,000/- का भुगतान करेंगे।

5 बी.एच.पी. तथा 20 बी.एच.पी. तक के भार वाले निजी नलकूपों (PTW) के लिए सर्विस लाईन चार्ज, ओवरहेड लाईन चार्ज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	संविदाकृत भार	सर्विस लाईन चार्ज (रु.)	विद्यमान एल.टी. वितरण मेन तथा /एच.टी.मेन के विस्तार के साथ वितरण ट्रांसफॉर्मर की संस्थापना का प्रभार (रु.)	प्रारंभिक प्रतिभूति (रु./बी.एच.पी.)
1	5 बी.एच.पी. से 20 बी.एच.पी.	1000	रु. 750 प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिये	200

(B) उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं के लिये अधिसूचित सेवा मानक:

क्रम सं०	सेवा क्षेत्र	उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 में मानक	मानक के उल्लंघन होने पर भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति के मामले में देय प्रतिपूर्ति (व्यतिक्रम, उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के समय से माना जाएगा)	
			यदि घटना से एकल उपभोक्ता प्रभावित होता है तो व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति	यदि घटना से एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति
1. नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी				
(1)	नए एलटी संयोजनों को जारी करना	<p>एलटी संयोजनों के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 दिन के भीतर – जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण मेन्स बिछाने या नये सबस्टेशन के चालू करने की आवश्यकता नहीं है। जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण मेन्स को बिछाने या नए सबस्टेशन के चालू करने की आवश्यकता है:- • 60 दिन के भीतर – वितरण मेन्स का विस्तार अपेक्षित है • 90 दिन के भीतर – नये 11/0.4 केवी सबस्टेशन को चालू करना अपेक्षित है • 180 दिन के भीतर – नये 33/11 केवी सबस्टेशन को चालू करना अपेक्षित है 	<p>व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिन के लिए उपभोक्ता को जमा धनराशि प्रति रु0 1000/- पर रु0 5/- प्रत्येक दिन के लिए (जोकि अधिकतम रु0 500/- तक होगी) देय होगी।</p> <p>(प्रतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक सीमित रहेगी)</p>	लागू नहीं

(2)	नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करना	<p>नए एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए</p> <p>1) जहां आवेदन किये गये परिक्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सबस्टेशन/बे की आवश्यकता न हो।</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 दिन के भीतर – 11 केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर से संलग्न न होने वाली लाईनें सम्मिलित हैं। • 90 दिन के भीतर – 11 केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर हों। • 180 दिन के भीतर – 33 केवी कार्य लाईन सहित। • 300 दिन के भीतर – 132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज के कार्य लाईन सहित। <p>2) जहां आवेदन किये गये परिक्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सबस्टेशन/बे की आवश्यकता हो वहां नए एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए अतिरिक्त समय सीमा होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 180 दिन के भीतर – नया 33/11 केवी सबस्टेशन। • 120 दिन के भीतर – विद्यमान 33/11 केवी सबस्टेशन का विस्तार। • 45 दिन के भीतर – 33/11 केवी सबस्टेशन पर बे का विस्तार। • 540 दिन के भीतर – 132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन। • 90 दिन के भीतर – 132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन पर बे का विस्तार। 	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम ₹0 500/- (प्रतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक सीमित रहेगी)	लागू नहीं
(3)	भार में वृद्धि/कमी	<p>जहां लाईन्स/सबस्टेशन कार्य में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 दिन के भीतर – एलटी संयोजनों के लिए। 30 दिन के भीतर – एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए। 	अधिकतम ₹0 50000/- की सीमा के अधीन व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिवस हेतु ₹0 50/-	लागू नहीं

		जहां लाईन्स/सबस्टेशन्स कार्य में परिवर्तन की आवश्यकता है वहां समय-सीमा ऊपर दी गयी सारिणी की क्रम सं0 1) व 2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।		
2. ऊर्जा आपूर्ति की बहाली				
(1)	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/ एससीसीबी ट्रिप्ड (यदि फ्यूज या एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञापिधारी के हैं)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए। • 8 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 12 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों। 	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(2)	सर्विस लाईन का टूटना/सर्विस लाईन का खंबे से निकलना	<ul style="list-style-type: none"> • 6 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए। • 12 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से जुड़े न हों। 	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(3)	एलटी वितरण लाईन/प्रणाली में दोष	दोष का सुधार और तत्पश्चात् सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली: <ul style="list-style-type: none"> • 12 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों। 	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(4)	वितरण प्रवर्तक विफल होना/जलना	<p>विफल प्रवर्तक को बदलने हेतु:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। • 48 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से जुड़े हों। • 72 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से जुड़े न हों। 	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(5)	फ्यूज उड़ने, लाईन टूटने या किसी अन्य दोष के कारण एचटी 11 केवी व 33 केवी मेन्स विफल	दोष का निवारण:- <ul style="list-style-type: none"> • 12 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र, 	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-

	होना	<ul style="list-style-type: none"> • 36 घंटे के भीतर – (फ्यूज उड़ने के मामलों को छोड़कर, जहां समय सीमा 24 घंटे होगी) ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों। 		
(6)	33/11 केवी सबस्टेशन में समस्या	मरम्मत और ऊर्जा की बहाली: <ul style="list-style-type: none"> • 24 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों में। • 48 घंटे के भीतर – पर्वतीय क्षेत्रों में। 	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(7)	ऊर्जा प्रवर्तक का विफल होना	10 दिन के भीतर – सही करना पूरा हो जाए	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 1000/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 300/-
(8)	भूमिगत प्रणाली (अंडरग्राउण्ड) में दोष	<ul style="list-style-type: none"> • 12 घंटे के भीतर – एलटी प्रणाली के लिए। • 48 घंटे के भीतर – एचटी प्रणाली के लिए। 	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
3. ऊर्जा आपूर्ति हेतु गुणवत्ता वोल्टेज का विचरण				
(1)	स्थानीय समस्या (वोल्टेज विचलन, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, फिलकरिंग या कोई अन्य समस्या)	4 घंटे के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 5/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 2/-
(2)	प्रवर्तक का टैप परिवर्तन	3 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 50/-
(3)	वितरण लाईन/प्रवर्तक/कैपेसिटर की मरम्मत	<ul style="list-style-type: none"> • 15 दिन के भीतर – एलटी वितरण लाईन। • 90 दिन के भीतर – एचटी वितरण लाईन। • 30 दिन के भीतर – वितरण प्रवर्तक। • 120 दिन के भीतर – ऊर्जा प्रवर्तक। • 30 दिन के भीतर – कैपेसिटर। 	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 200/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-
(4)	एचटी/एलटी प्रणाली का संस्थापन और उच्चिकरण	<ul style="list-style-type: none"> • 90 दिन के भीतर – एलटी प्रणाली के लिए। • 180 दिन के भीतर – एचटी प्रणाली के लिए। 	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 200/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-

<p>(5) वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति (यदि</p>	<p>दोषपूर्ण भाग को तुरन्त पृथक करना</p>	<p>प्रति उपकरण अधिकतम ₹0 1000/- की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सी, ग्राइंडर, टोस्टर, अन्य पोर्टेबल विद्युतीय उपकरण के लिए।</p>
<p>निकट पड़ोस में एक से अधिक उपभोक्ता के उपकरण प्रभावित हुए हैं और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 72 घंटे के भीतर क्षतिपूर्ण उपकरण का भौतिक सत्यापन कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात् मरम्मत* पर हुए व्यय के संबंध में प्रभावित उपभोक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जमा कर दिया जाता है और इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित कर दिया जाता है।)</p> <p>* किसी क्षतिग्रस्त उपकरण के बदले नये उपकरण का प्रतिस्थापन/ विनिमय किये जाने के मामले में क्षतिपूर्ति, मूल बिल प्रस्तुत करने और उसका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा</p>		<p>प्रति उपकरण अधिकतम ₹0 3000/- की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: 43 इंच तक का कलर टीवी, सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज, माइक्रोवेव, चिमनी के लिए।</p> <p>प्रति उपकरण अधिकतम ₹0 5000/- की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: 43 इंच से अधिक का कलर टीवी, पूरी तरह ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कम्प्यूटर, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, 200 लीटर से अधिक का फ्रिज।</p>

	सत्यापन कराये जाने की शर्त उल्लेखित है, जोकि उक्त उपकरण हेतु अनुमोदित अधिकतम मरम्मत व्यय तक सीमित रहेगी।			
4. मीटर से संबंधित शिकायतें				
(1)	मीटर की परिशुद्धता परीक्षण के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात् 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 50/-	लागू नहीं।
(2)	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात् 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-	लागू नहीं।
(3)	जले हुए मीटर हेतु दर्ज शिकायत	• 06 घंटे के भीतर – जले हुए मीटर को बाईपास करते हुए आपूर्ति की बहाली। • 03 दिन के भीतर – नया मीटर संस्थापित किया जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-	लागू नहीं।
5. उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन				
(1)	संपत्ति पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात् 02 माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-	लागू नहीं।
(2)	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अन्तरण	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात् 02 माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-	लागू नहीं।
(3)	श्रेणी का परिवर्तन	05 दिन के भीतर – परिसर का निरीक्षण। 02 माह के भीतर – श्रेणी का परिवर्तन	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-	लागू नहीं।

6- उपभोक्ता के बिल के संबंध में शिकायत				
(1)	पहला बिल	संयोजन जारी होने के 02 माह के भीतर	प्रति माह अधिकतम रू0 500/- की सीमा के साथ, बिल की गयी राशि का 10 प्रतिशत।	लागू नहीं।
(2)	बिलिंग की शिकायतें	(शिकायत की पावती • तुरन्त – हस्ती प्राप्त शिकायतों के लिए • 3 दिन के भीतर – डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिए) शिकायतों का समाधान और उपभोक्ता को सूचना • 15 दिन के भीतर – यदि कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो • 30 दिन के भीतर – यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो।	बिल की गयी राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत या रू0 500/- दोनों में से जो कम हो की सीमा के साथ व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रू0 20/-	लागू नहीं।
(3)	परिसर खाली करने/ कब्जे के परिवर्तन हेतु अंतिम बिल	(परिक्षेत्र खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 07 दिन पहले उपभोक्ता द्वारा विशेष रीडिंग हेतु निवेदन किया जाएगा) अंतिम बिल की डिलीवरी, पिछला बकाया सहित, यदि कोई हो- विशेष रीडिंग की व्यवस्था करने के पश्चात् परिक्षेत्र खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 03 दिन पहले	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रू0 20/-	लागू नहीं।
(4)	उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन के पश्चात् बिलिंग	(स्थायी विच्छेदन के पश्चात् अनुज्ञापिधारी कोई बिल जारी नहीं करेगा) यदि अनुज्ञापिधारी स्थायी विच्छेदन के पश्चात् बिल जारी करता है तो वह प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।	प्रत्येक मामले के लिए रू0 500/-	लागू नहीं।

(5)	बिल में दर्शाए जा रहे पिछले बकाया/त्रुटिपूर्ण रूप से जारी किये गये बिल	अनुज्ञप्तिधारी ऐसी राशि हेतु बकाया जारी नहीं करेगा जिसका उपभोक्ता द्वारा देय तिथि के भीतर भुगतान कर दिया गया है या जो अनुज्ञप्तिधारी को देय नहीं है।	<p>पहली बार के लिए – अधिकतम रू0 500/- की सीमा के अधीन बकाया राशि का 10 प्रतिशत (पहली बार के लिए प्रतिपूर्ति की गणना अनुज्ञप्तिधारी के बिलिंग पोर्टल से डाउनलोड किये गये बिलों पर आधारित होगा)</p> <p>दूसरी बार के लिए – अधिकतम रू0 1000/- की सीमा के अधीन बकाया राशि का 15 प्रतिशत</p> <p>तीसरे और इससे आगे के समयों के लिए – अधिकतम रू0 2000/- की सीमा के अधीन बकाया राशि का 20 प्रतिशत</p>	लागू नहीं।
7. आपूर्ति के विच्छेदन/पुनः संयोजन से संबंधित मामले				
(1)	पुनः संयोजन हेतु निवेदन	पिछले देयों और पुनःसंयोजन प्रभारों के भुगतान के 5 दिन के भीतर – (यदि उपभोक्ता संयोजन के विच्छेदन के पश्चात् छः माह की अवधि के भीतर या स्थायी विच्छेदन दोनों में से जो बाद में हो, से पूर्व पुनः संयोजन हेतु आवेदन करता है। तथापि यदि उपभोक्ता विच्छेदन के छः माह की अवधि के पश्चात् या स्थायी विच्छेदन के पश्चात् पुनः संयोजन, दोनों में से जो बाद में हो, हेतु आवेदन करता है, तो संयोजनों का पुनः संयोजन तभी किया जाएगा जब उपभोक्ता नए संयोजन जारी किये जाने के मामले में अपेक्षित सभी औपचारिकताएं तथा उस श्रेणी हेतु लागू देय, इत्यादि के भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर लेगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रू0 100/-	लागू नहीं।
(2)	विच्छेदन उपभोक्ता की इच्छा पर	स्थायी विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने के 7 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रू0 100/-	लागू नहीं।

(3)	स्मायोजन के पश्चात् जमा की गयी सिक्योरिटी को लौटाना (उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु)	स्थायी विच्छेदन के 30 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रू0 100/-	लागू नहीं।
8. उपभोक्ता/आवेदक को प्रभारित अन्य सेवाएं				
(1)	लाईन्स/पोल्स/प्रवर्तक का स्थान परिवर्तन	90 दिन के भीतर – एलटी प्रणाली हेतु 180 दिन के भीतर – एचटी प्रणाली हेतु नोट:- विनिर्दिष्ट समय सीमा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आंकलित आवश्यक राशि जमा करने या सुसंगत प्राधिकारी से एनओसी, यदि कोई है, प्राप्त करने की तिथि, दोनों में से जो बाद में हो, से प्रारंभ होगी। यदि कार्य निष्पादन के दौरान आरओडब्ल्यू के मुद्दे उत्पन्न होते हैं तो आरओडब्ल्यू के कारण हुए विलम्ब पर छूट प्रदान की जाएगी।	एलटी प्रणाली हेतु – उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रू0 100/- एचटी प्रणाली हेतु – उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रू0 200/-	लागू नहीं।

विद्युत मामलों में उपभोक्ता शिकायतों के लिये निवारण मंच :

“शिकायत” की अधिसूचित परिभाषा के अनुसार यह विद्युत की आपूर्ति, नये संयोजन या अनुज्ञापि द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जिनमें भार/मांग में परिवर्तन, मीटर सम्बन्धी मामलों, बिल सम्बन्धी मुद्दे सम्मिलित है और ऐसे मामले जहां अनुज्ञापि ने आयोग द्वारा तय की गई कीमतों से अधिक कीमत प्रभारित की है या विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने में आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों से अधिक व्यय प्रभार वसूल किये हैं, से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु मंच के समक्ष दाखिल किया गया पत्र या आवेदन है। निम्न वर्णित विषय में से जो कि अधिनियम की धाराओं में है, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की परिधि में नहीं है :-

- (i) अधिनियम की धारा 126 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग;
- (ii) अधिनियम की धारा 135 से 139 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार अपराध और दण्ड;
- (iii) अधिनियम की धारा 161 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार विद्युत के वितरण, आपूर्ति या उपयोग में दुर्घटना; और
- (iv) जहां बिल की राशि में कोई विवाद नहीं है वहां बकायों की वसूली;

आयोग द्वारा राज्य में गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों (CGRFs) के कार्यालयों का पता निम्नलिखित है:-

जोन	पता	दूरभाष सं०	आच्छादित विद्युत वितरण सर्किल
गढ़वाल जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड, देहरादून	दूरभाष – 0135-2763672 से 2763675 (एक्सटेंशन-257) +91-9411113708, 8433166879	देहरादून (ग्रामीण) देहरादून (शहरी)
	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर, गढ़वाल, पिन-246174	दूरभाष – 01346-252137, +91-9012783369 Email: Cgrfsrinagar@gmail.com	श्रीनगर
	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तरकाशी / टिहरी) उत्तरकाशी, पिन-249193	दूरभाष – +91-8534936955, 8171333308 Email: Cgrfuki@gmail.com	उत्तरकाशी
	कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (कर्णप्रयाग) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण मण्डल, कर्णप्रयाग, निकट-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58, गौचर (भट्ट नगर) जिला चमोली-246429	दूरभाष: +91-7060214681, 9756838527	कर्णप्रयाग
कुमाऊँ जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, 132 के० वी० उपसंस्थान परिसर, पोस्ट ऑफिस – काठगोदाम, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल	दूरभाष – 05946-266223, +91-9897797665, 9410975365 Email: cgrf.kumaoun@gmail.com	हल्द्वानी, काशीपुर
	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, निकट विकास भवन, स्यालीधार, अल्मोड़ा।	दूरभाष: +91-9412175301, 6397031735	रानीखेत
हरिद्वार जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, हिल बाई पास रोड, हरिद्वार, पिन-249401	दूरभाष – 01334-265368 Email: cgrf.haridwar@gmail.com	हरिद्वार, रुड़की
रुधमसिंह नगर जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, एमआईजी-151, वार्ड नम्बर-19, आवास विकास कालोनी, रुद्रपुर पिन-263153	दूरभाष – 05944-240503, +91-9412076200, 9927396818 Email: cgrf.rudrapur@gmail.com	रुद्रपुर

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, 132 के0 वी0 उपसंस्थान परिसर, भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़, पिन-262501	दूरभाष – 05964-297743, +91-7906829422, 9412947287 Email: cgrfpithoragarh@gmail.com	पिथौरागढ़
--	---	-----------

यदि उपभोक्ता मंच के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो, वह ओम्बड्समैन के समक्ष याचिका दर्ज कर सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यालय	पता	दूरभाष संख्या
ओम्बड्समैन (विद्युत)	80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून	0135-2762120

(C) यू0पी0सी0एल0 के विभिन्न मीटरिंग/बिलिंग मानदण्डों की प्रास्थिति

- यू0पी0सी0एल0 के उपभोक्ताओं की कुल संख्या :- 27,50,872 (मार्च 2022 तक)

क्र0सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या
1	घरेलू	23,94,641
2	अघरेलू	2,89,867
3	गवर्नमेंट पब्लिक युटिलिटीज	7,083
4	निजी नलकूप/पम्पिंग स्टेट्स	42,718
5	उद्योग	16,473
6	अन्य	90

- वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में प्रबन्धित विद्युत, निर्धारण और संग्रहण

क्र0सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22
1	इनपुट ऊर्जा	14,581.68 MUs
2	विक्रय की गयी ऊर्जा	12,518.80 MUs
3	निर्धारण	₹ 7,83,8.63 करोड़
4	संग्रहण	₹ 7,69,2.59 करोड़
5	वितरण हानियां	14.15 %
6	संग्रहण दक्षता	98.14 %
7	AT&C हानियां	15.75 %

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड



PROO

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	फिल्मों को अनुदान (संशोधित)	<p>उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोली में बनने वाली फिल्मों को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या रु. 2 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 2. हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा में बनने वाली फिल्मों को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या रु. 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 3. विदेशी भाषा में बनने वाली फिल्मों को जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो, राज्य में की गयी शूटिंग लोकेशंस को फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो। राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या 3 करोड़ तक जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 4. हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाले टीवी सीरियल / वेबसीरीज की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 	फिल्म निर्माता	<p>फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज/प्रदर्शन के उपरांत अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय/खर्चों, अनुबन्ध, बीजक तथा अन्य अभिलेख इत्यादि विभाग में जमा कराने होते हैं।</p> <p>फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा० मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद से अनुमोदनार्थ/स्वीकृति के उपरांत अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में सम्पर्क करना होगा)</p>

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड



PRO

ग्राम्य विकास विभाग

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत (संशोधित) (Percentage of youth trained and certified in short term and long term training schemes out of total number of youth in the block (of age group 15-35 year)	ग्रामीण गरीब युवाओं को अंग्रेजी, सॉफ्ट स्क्लस और कम्प्यूटर के अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों जैसे tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था, यूनिफार्म एवं किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण युवा जिसकी आयु 15 से 35 वर्ष तक हो। महिलाओं, कमजोर जनजातीय समूह, पी0डब्ल्यू0डी0 और अन्य विशेष समूहों के लिये 45 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित है। बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवार अथवा पी0आई0पी0 के माध्यम से चिन्हित परिवार। मनरेगा मजदूर परिवारों के ऐसे युवा जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। अन्त्योदया अन्न योजना के बी0पी0एल पी0डी0एस0 कार्ड धारक परिवार। एन0आर0एल0एम0 स्वयं सहायता समूह के परिवार। एस0सी0सी0सी0-2011 के तहत चिन्हित Auto included परिवार। <p>लाभार्थियों के चयन हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया है।</p>	<p>आवेदन हेतु इच्छुक लाभार्थी www.kaushalpanjee.nic.in में जाकर candidate registration अपना पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु/जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की आवश्यकता होती है।</p> <p>विभाग के पास ऑनलाइन सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा विभाग अपने स्तर से संबंधित आवेदक को प्रशिक्षण कहां पर आयोजित कराया जा रहा है, की सूचना उपलब्ध कराते हैं। आवेदकों को निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में अथवा राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 09 माह तक हो सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत, जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, वही संस्था अभ्यर्थी को राजेगार मुहैया कराती है।</p>

<p>2. लखपति दीदी योजना</p>	<p>देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विगत वर्ष में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ का किया गया है। योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हुए उन्हें लखपति बनाया जाना है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक 1.50 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2022-23 में 40,270 तथा वर्ष 2023-24 में वर्तमान तक 52729 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग कर उत्पादों को विक्रय किए जाने हेतु उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 17 सरस सेंटर, 2 राज्य स्तरीय उत्तरा आउटलेट, 24 ग्रोथ सेंटर, 7 मिलेट बेकरी की स्थापना की गई है तथा विभिन्न सरस मेलों में भी समूहों के उत्पादों को विक्रय किया जाता है जिससे उनकी आय में वृद्धि करते हुए आजीविका को बढ़ाया जाता है।</p>	<p>लखपति दीदी योजना की पात्रता के लिए महिलाओं का किसी भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो वो लखपति दीदी योजना का लाभ ले सकती हैं।</p>	<p>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं जिनके द्वारा विभिन्न आयोजार्जक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हो। विकासखंड स्तर पर ऐसी महिला समूह सदस्यों का चयन किया जाता है जिनकी प्रति वर्ष आय ₹0 1.00 लाख से कम हो। लखपति दीदी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला मिशन प्रबंधक, जिला थीमेटिक एक्सपर्ट तथा विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।</p>
----------------------------	--	--	---

3.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम	<p>वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तरी सीमा (इण्डो चाइना बोर्डर) पर राज्य के चिन्हित गांवों का व्यापक विकास करना है, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके जिससे उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके और सीमा सुरक्षा में सुधार हेतु इन गांवों से पलायन को रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के 05 विकासखण्डों के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आर्थिक विकास-आजीविका सृजन ● सड़क सम्पर्क ● आवासन एवं ग्रामीण अवसंरचना ● पवन ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता ● सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांवों में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेस्टिविटी की स्थापना ● पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नउत्थान ● पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना 	---	---
----	---------------------------	--	-----	-----

		<ul style="list-style-type: none"> • वित्तीय समावेशन • कौशल विकास और उद्यमिता <p>कृषि/बागवानी/औषधीय पौधों/जड़ी बूटियों आदि सहित, आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिये स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों का विकास।</p>		
4.	हाउस ऑफ हिमालयाज	<p>1. “स्थानीय उत्पादों को नई पहचान”: हाउस ऑफ हिमालयाज के बैनर तले उत्तराखण्ड के विभिन्न उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इससे स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में मदद मिलेगी।</p> <p>2. “महिला सशक्तिकरण”: राज्य के सभी जनपदों में स्थित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। यह पहल उन्हें रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर रही है।</p> <p>3. “बाजार पहुंच और प्रसार”: हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, गुणवत्ता सुधार, और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों में पहुंचने का अवसर मिल रहा है।</p> <p>“गुणवत्ता नियंत्रण”: संभावित गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एसएचजी/ एलसी/ सीएलएफ के माध्यम से योजनाएं बनाई गई हैं।</p>	उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासी तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किसी भी योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, सी0बी0ओ0, महिला उद्यमी, एल0सी0 एवं सी0एल0एफ0 द्वारा उत्पादित उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालया के अंतर्गत जोड़ा जायेगा।	

5.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत (Percentage of banking correspondent (BC) sakhis/digiPay sakhis are deployed)	जिन स्थानों पर बैंक नहीं है उन ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को बैंकिंग एवं डिजिटल सेवायें पहुँचाना।	1. स्वयं सहायता समूहों का सदस्य होना चाहिये। 2. 10वीं या 12वीं पास होना चाहिये। 3. दस्तावेजीकरण का कौशल होना चाहिये। कम्प्यूटर एवं मोबाईल फोन चलाने में दक्षता।	यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा पोलसी के अनुसार ब्लॉक स्तर पर संगठनों के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाता है। चयनित सदस्यों का आर.सेटी. के माध्यम से प्रशिक्षण किया जाता है, जो इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेता है, उन्हें आई.आई.बी.एफ प्रमाणिकरण किया जाता है।
6.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण समुदाय की समस्त बसावटों को पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न चरणों के मानकानुसार संयोजित कर ग्रामीण जनमानस के आजीविका वृद्धि एवं आर्थिक विकास हेतु मोटर मार्ग के सफल संचालन कर लाभान्वित करना है, जिससे कि राज्य का अन्तिम व्यक्ति भी तक उक्त योजना से लाभान्वित हो सके। उक्त परियोजनान्तर्गत वर्तमान में 0.96 प्रतिशत बसावटे असंयोजित अवशेष है।	• उक्त परियोजनान्तर्गत कोर नेटवर्क के अनुसार 250 से अधिक आबादी की असंयोजित बसावटें।	---

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग



उत्तराखण्ड सरकार ने पलायन की समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करेगा, ज़मीनी स्तर पर बहु-क्षेत्रीय विकास पर सरकार को सलाह देगा, जिला और राज्य स्तरों पर सरकार को विभिन्न अन्य संबंधित मामलों को भी प्रस्तुत करेगा।

उत्तराखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन एक गंभीर समस्या है। 2001 तथा 2011 की जनगणना के आकड़ों की तुलना में राज्य के पर्वतीय जिलों में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से देखी जा रही है। 2001 और 2011 के बीच अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों की आबादी में गिरावट राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन

की ओर इशारा करती है। पलायन की गति ऐसी है कि कई ग्रामों की आबादी दो अंको में रह गयी है, आँकड़े दर्शाते हैं की देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जनपदों में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है, जबकि पौड़ी तथा अल्मोड़ा जनपदों में यह दर नकारात्मक है। टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जनपदों में असामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है।

आयोग के कार्य:-

- 1- राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास की मात्रा और सीमा का आंकलन करने के लिए।
- 2- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, जो कि पलायन को कम करने में मदद करेगा और ग्रामीण आबादी के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देगा।
- 3- सरकार को ज़मीनी स्तर पर बहु-क्षेत्रीय विकास पर सलाह देने के लिए जो जिला और राज्य स्तरों पर एकत्रित होगा।
- 4- राज्य की आबादी के उन वर्गों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में हैं।
- 5- उन क्षेत्रों में केंद्रित पहलों की सिफारिश करना और उन पर निगरानी रखना जो ग्रामीण क्षेत्रों के बहु-क्षेत्रीय विकास में मदद करेंगे और इस तरह से पलायन की समस्या को कम करने में मदद करेंगे।
- 6- राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर सिफारिशें प्रस्तुत करना।

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड



क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्टेट मिलेट मिशन	मिशन अन्तर्गत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग द्वारा समूह के माध्यम से 16820 मै0 टन मण्डुवा एवं झंगोरा का क्रय कृषकों के खेतों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार के चार जनपदों-उधमसिंहनगर, हरिद्वार, नैनीताल एवं देहरादून में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड) में मण्डुआ को प्रत्येक माह 01 किलोग्राम की दर से वितरण किया जायेगा। कृषक समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 स्तर पर अथवा PACS स्तर पर	पर्वतीय जनपद के समस्त कृषक	आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं है। कृषकों को उत्पादित फसल को कृषक समूह/ एल0सी0/ एल0सी0एफ0 स्तर पर अथवा PACS

		<p>स्थापित क्रय केन्द्र पर मंडुवा विक्रय हेतु देने के लिए स्वतन्त्र है। समूह को मंडुवा क्रय कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रू0 150.00 प्रति कु0 की दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रस्ताव है।</p> <p>समूह द्वारा पैक्स पर मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण कराने के उपरान्त पैक्स के माध्यम से भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा अधिकतम 72 घण्टों में कर दिया जायेगा।</p>		<p>स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्र पर मंडुवा विक्रय हेतु उपलब्ध कराना है।</p>
2.	स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम	<p>योजनान्तर्गत स्थानीय फसलों के सत्यापित बीजों को शत प्रतिशत अनुदान पर वितरण कर निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जायेगी-</p> <p>क- क्षेत्र विशेष के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु सत्यापित बीज (truthful level seed) अनुदान पर वितरण करना</p> <p>ख- बीज प्रतिस्थापन दर की पूर्ति करना।</p> <p>ग- गुणवत्तायुक्त बीज के उपयोग मात्र से ही उत्पादन में वृद्धि की जाना सम्भव है। इससे जनपदों में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।</p> <p>घ- स्थानीय दलहन फसलों को प्रोत्साहन करना।</p> <p>ङ- कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कराना।</p> <p>बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गठित कलस्टरों में UGVS-REAP के अन्तर्गत गठित CLF/LC तथा कृषि विभाग के माध्यम से किया जायेगा। जिन फसलों में परम्परागत योजनान्तर्गत कलस्टर संचालित नहीं है उनमें सत्यापित बीज उत्पादन हेतु CLF/LC के माध्यम से कलस्टर का चयन किया जायेगा। संस्था द्वारा इन्ही क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया जायेगा तथा उत्पादित बीज को क्षेत्रवार विधायन कर उन्ही क्षेत्रों में वितरित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित परम्परागत फसलें-</p> <p>1.राजमा 2.गहत 3.रामदाना 4.लाल धान 5. मक्का-नैनीताल एवं चकराता क्षेत्र 6. भट्ट 7. उगल/ फ्राफ़र 8. कौंणी 9. तोर (अरहर)</p>	पर्वतीय जनपद के समस्त कृषक	चयनित कलस्टर के समस्त कृषक।

उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद



क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	नमामि गंगे योजना	योजनान्तर्गत कृषकों को कलस्टर के रूप में जैविक खेती किये जाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।	प्रदेश में गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों के किनारे के ग्रामों में आने वाले कृषक।	आवेदन संलग्न प्रारूप पर जैविक उत्पाद परिषद कार्यालय किसान भवन देहरादून में जमा किये जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड



उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड

क्र.सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	व्यवसायिक दुकानों का आवंटन	व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा	मण्डी समिति का लाईसेंस धारी व्यापारी होना आवश्यक है।	<p>आवेदन प्रक्रिया</p> <p>1- दुकान आवंटन की सूचना प्राप्त (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर फार्म प्राप्त करना। 2- फार्म में उल्लिखित सूचना भरकर समिति कार्यालय में जमा कराना।</p> <p>चयन प्रक्रिया-</p> <p>1- व्यवसायिक दुकानों का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2- प्राप्त आवेदन फार्म से उपलब्ध दुकानों के आधार पर उन व्यापारियों का घटते क्रम में चयन किया जाता है। जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में सर्वाधिक मण्डी शुल्क जमा किया गया है।</p>
2.	किसान बाजार की दुकानों का आवंटन	कृषि उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों का व्यापार।	जन सामान्य।	<p>आवेदन प्रक्रिया</p> <p>1- किसान बाजार की दुकान आवंटन की सूचना (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) प्राप्त होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त करना। 2- निविदा फार्म हेतु निर्धारित तिथि को टेण्डर बॉक्स में निविदा डालना।</p> <p>चयन प्रक्रिया-</p> <p>1- किसान बाजार की दुकानों का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2- दुकान आवंटन कमेटी द्वारा निविदा दाताओं के सम्मुख निविदा खोली जाती है। 3- सर्वाधिक निविदा धनराशि पर कमेटी द्वारा आवेदकों/निविदादाताओं से बोली लगाई जाती है। 4- सर्वाधिक बोली बोलने वाले बोलीदाता को दुकान आवंटन की जाती है।</p>
3	कैण्टीनों का आवंटन	चाय व अन्य खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार।	जन सामान्य।	<p>आवेदन प्रक्रिया</p> <p>1- कैण्टीनों के आवंटन की सूचना (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक</p>

				<p>स्थलों पर चस्पा सूचना) प्राप्त होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त करना।</p> <p>2- निविदा फार्म हेतु निर्धारित तिथि को टेण्डर बॉक्स में निविदा डालना।</p> <p>चयन प्रक्रिया-</p> <p>1- कैंटीनों का आवंटन समिति स्तर से गठित कमेटी के माध्यम से किया जाता है।</p> <p>2- कमेटी द्वारा निविदा दाताओं के सम्मुख निविदा खोली जाती है।</p> <p>3-सर्वाधिक निविदा धनराशि पर कमेटी द्वारा आवेदकों/निविदा ताओं को कैंटीन एक वर्ष के लिए आवंटित कर दी जाती है।</p>
4	व्यापारिक गोदाम	व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा	मण्डी समिति का लाईसेंस धारी व्यापारी होना आवश्यक है।	<p>आवेदन प्रक्रिया</p> <p>1- गोदाम आवंटन की सूचना प्राप्त (समाचार पत्र एवं सर्वाजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर फार्म प्राप्त करना।</p> <p>2- फार्म में उल्लिखित सूचना भरकर समिति कार्यालय में जमा कराना।</p> <p>चयन प्रक्रिया-</p> <p>1 व्यापारिक गोदाम का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है।</p> <p>2- प्राप्त आवेदन फार्म से उपलब्ध गोदामों के आधार पर उन व्यापारियों का घटते क्रम में चयन किया जाता है। जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में सर्वाधिक मण्डी शुल्क जमा किया गया है।</p>
5.	छात्रवृत्ति योजना	उत्तराखण्ड राज्य के गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, आर0एम0पी0 (पी0जी0) कालेज, गुरुकुल नारसन, हरिद्वार, औद्योगिक महाविद्यालय, वी. च. सिं. ग. उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल एवं वानिकी महाविद्यालय, वी. च. सिं. ग.	<p>1- उत्तराखण्ड राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र/पुत्रियों के लिए है।</p> <p>2- जिनकी परिवार की कुल वार्षिक आय रू0 3,00,000 /-(रू0 तीन</p>	<p>1- आवेदक द्वारा संबंधित मण्डी समिति द्वारा प्राप्त संबंधित मण्डी क्षेत्र का होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।</p> <p>2- पात्र विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में आवेदन किया जायेगा।</p> <p>3- विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।</p>

		उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी में कृषि, वानिकी, मत्स्य, औद्यानिक संकाय में अध्ययनरत छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के चयन में लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र एवं पुत्रियों तथा उन पर आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है।	लाख) से अधिक न हो।	
6.	व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना	उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित मण्डी क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी मजदूरों, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलिप्त हैं। जैसे कृषि सम्बन्धी बिजली उपकरणों तथा खेत की सिंचाई हेतु कुओं तथा तालाबों की खुदाई या गहराई बढ़ाने में कार्यरत हैं, या ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पाद की श्रेसिंग/दुलाई करते समय या खेत में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक क्षति/मृत्यु होने पर, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मण्डी विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से योजना का संचालित किया जाता है।	1- व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अर्न्तगत क्षति पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए। 2- दावा स्वीकार करने के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु 18 है।	1- उपरोक्त स्वीकार की गयी दुर्घटना के लिए प्रभावित कृषक/ मजदूर द्वारा संभव तुरन्त अथवा 45 दिनों के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति अथवा परगनाधिकारी को देनी होगी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर अधिकतम 15 दिनों के अन्दर स्वयं अथवा मण्डी समिति कर्मचारी से जांच करायी जायेगी। 2- दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी के अतिरिक्त दावा प्रपत्र पर उसके निकट के दो रिश्तेदारों के गवाह के रूप में अथवा सत्यापन हेतु हस्ताक्षर होने चाहिए। दावे का प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित होने की स्थिति में आवेदन पत्र सभी प्रविष्टियां/हस्ताक्षर/अंगूठे/कटे हाथों के निशान सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव/अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा प्रमाणित/सत्यापित होने चाहिए। 3- दुर्घटना द्वारा मृत्यु की दशा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/जिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र/शव विच्छेदन रिपोर्ट/विशेष परिस्थिति में शवदाह हेतु कराया गया पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 4- दुर्घटना ग्रस्त स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र कटे या अलग हुए तथा क्षतिग्रस्त अंगों के रंगीन दो फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज) एवं निकटस्थ दो रिश्तेदारों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

				<p>5- दावा प्रपत्र सम्पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। मण्डी समिति द्वारा दुर्घटना की पुष्टि एवं प्रमाण पत्र हेतु जांच की पूर्ण आख्या (रिपोर्ट) संलग्न होना आवश्यक है।</p> <p>6- दावा प्रपत्र पर आवेदक की ओर से हस्ताक्षर/बांये/दांये अंगूठे के निशान सहित दावा प्रपत्र भरा होना चाहिए। यदि बांया अंगूठा कटा हो, तो दांये अंगूठे का निशान, यदि दोनों अंगूठे कटे हो, तो क्रियाशील हाथ की अंगुलियों के निशान लगाये जा सकते हैं। यदि दोनों हाथ कट गये हो तो कटे हुए हाथ के आगे के भाग का निशान लगाना होगा, यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए होगा।</p> <p>7- सचिव, मण्डी समिति द्वारा जांचोपरान्त सम्पूर्ण दावा प्रपत्र अपनी संस्तुति सहित भुगतान हेतु अध्यक्ष/प्रशासक को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। जैसा कि दावा प्रपत्र के अन्त में दिया गया है, दावा स्वीकृत करने के पूर्व इसकी जांच अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों से करायी जायेगी। दावा यथा संभव एक माह में स्वीकृत किया जायेगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा उक्त समयवधि बढ़ायी जा सकती है। दावा स्वीकृत करने के उपरान्त अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा दावा प्रपत्र भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को भेज दिया जायेगा तथा मण्डी बोर्ड द्वारा दावे की धनराशि का ड्राफ्ट दावाकर्ता के नाम बनाकर सम्बन्धित मण्डी सचिव को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।</p>
7.	कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना	उत्तराखण्ड राज्य के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में खेत में तैयार फसल/खेत में कटी हुई फसल/खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज अवशेष अंश का अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति, कृषक के मकान में आग लगने से सम्पत्ति एवं पशुधन की क्षति तथा बाढ़ अथवा वर्षा से कृषि योग्य	<p>1- कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना के अर्न्तगत क्षति पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।</p> <p>2- दावा स्वीकार करने</p>	<p>1- अग्नि दुर्घटना एवं बाढ़ से हुई दुर्घटना की सूचना के लिए प्रभावित कृषक/उत्पादक को निर्धारित प्रारूप (निःशुल्क प्रार्थना पत्र, जो मण्डी समिति कार्यालय में उपलब्ध है) पर घटना के अधिकतम 7 दिनों के अन्दर सचिव/अध्यक्ष/प्रशासक अथवा सम्बन्धित मण्डी समिति के क्षेत्रान्तर्गत तहसीलदार को प्रस्तुत करना आवश्यक है।</p> <p>2- प्राप्त दावा की जांच मण्डी समिति के सचिव द्वारा कराई</p>

		भूमि के कटाव से हुई क्षति पूर्ति का लाभ कृषकों को।	के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।	जायेगी तथा अपनी जांच एक सप्ताह में पूर्ण करके अपनी अन्तिम आख्या अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति को अनिवार्यतः निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि दावा प्रपत्र में अन्त में दिया गया है। जहां मण्डी समिति के कार्यालय नहीं है, वहां ऐसी जांच सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा करके उस क्षेत्र से सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रेषित की जायेगी। 3- मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दावा प्रपत्र का विधिवत परीक्षणोपरान्त उसके भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति का अनुमोदन लेकर की जायेगी। 4- उपरोक्त समस्त कार्यवाही यथा संभव दो माह में पूर्ण कर ली जायेगी एवं आवश्यकतानुसार समयावधि अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है। 5- सहायता दावों के भुगतान हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट दावाकर्ता के नाम बनाकर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव को भुगतान करने हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
8.	टेकदारी का पंजीकरण	समस्त आवेदक/जनसामान्य	फर्म/टेकदार द्वारा सभी श्रेणियों हेतु निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना।	विपणन बोर्ड में चार श्रेणियों में पंजीकरण किया जाता है (अ,ब,स एवं द) सर्वप्रथम पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित कर पंजीयन फार्म क्रय किया जाता है। उसके उपरान्त फर्म/टेकदार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है। जिसका विवरण श्रेणीवार निम्नवत है:- श्रेणी-अ 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रू0 30.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. डिग्री होल्डर की डिग्री की प्रति 5. डिग्री होल्डर की ओर से शपथ-प्रति 6. डिग्री होल्डर को रखने का शपथ-पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 8. ई0पी0एफ0 में पंजीकरण की प्रति 9. ई0एस0आई0 में पंजीकरण की प्रति 10. पैनकार्ड की प्रति 11. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 12. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 13. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 14. पार्टनर शिप डीड की

				<p>प्रति 15. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 300.00 लाख का, जिसमें रू0 50-50 लाख के तीन पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 16. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 17. पंजीकरण शुल्क: रू0 10000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में, 18. पंजीकरण जमानत राशि: रू0 2.00 लाख एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 19. कार्य क्षमता रू0 50.00 लाख से अधिक।</p> <p>श्रेणी-ब</p> <p>1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रू0 15.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. डिप्लोमा होल्डर की डिप्लोमा की प्रति, 5. डिप्लोमा होल्डर की और से शपथ-पत्र 6. डिप्लोमा होल्डर को रखने का शपथ-पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति, 8. ई0पी0एफ0 में पंजीकरण की प्रति 9. ई0एस0आई0 में पंजीकरण की प्रति 10. पैनकार्ड की प्रति 11. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 12. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 13. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 14. पार्टनर शिप डीड की प्रति 15. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 150.00 लाख का जिसमें रू0 25-25 लाख के तीन पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 16. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 17. पंजीकरण शुल्क: रू0 5000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में, 18. पंजीकरण जमानत राशि: रू0 1.00 लाख एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 19. कार्य क्षमता रू0 50.00 लाख तक।</p> <p>श्रेणी-स</p> <p>1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रू0 10.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. डिप्लोमा होल्डर की डिप्लोमा की प्रति 5. डिप्लोमा होल्डर की और से शपथ-पत्र 6. डिप्लोमा होल्डर को रखने का शपथ-पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 8. पैनकार्ड की प्रति 9. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 10. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 11. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 12. पार्टनर शिप डीड की प्रति 13. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 45.00 लाख</p>
--	--	--	--	---

			<p>का, जिसमें रू0 15-15 लाख के दो पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 14. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 15. पंजीकरण शुल्क: रू0 3000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में 16. पंजीकरण जमानत राशि: रू0 50.00 हजार एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 17. कार्य क्षमता रू0 20.00 लाख तक।</p> <p>श्रेणी-द</p> <p>1. नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण-पत्र रू0 5.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द-बुर्द न करने का शपथ-पत्र 4. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति, 5. पैनकार्ड की प्रति 6. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 7. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 8. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 9. पार्टनर शिप डीड की प्रति 10. अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 5.00 लाख का 11. नवीनतम फोटोग्राफ-02 नग 12. पंजीकरण शुल्क: रू0 2000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में, 13. पंजीकरण जमानत राशि: रू0 20.00 हजार एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 14. कार्य क्षमता रू0 10.00 लाख तक।</p> <p>नोट:- प्रत्येक श्रेणी में दिये गये प्रमाण-पत्रों की जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त पंजीकरण किया जाता है।</p>
9.	सम्पर्क मार्ग	ग्रामीणों/कृषकों	<p>ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां फसल को मुख्य मार्ग तक लाने की आवश्यकता हो।</p> <p>किसानों/ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की मांग पर मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अधार पर मण्डी विकास निधि से एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर केन्द्रीय मण्डी निधि से निर्माण शाखा द्वारा सम्पर्क मार्ग की परियोजना/आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है।</p>
10.	हैण्डपम्प	ग्रामीणों/कृषक	<p>ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता हो</p> <p>किसानों/ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की मांग पर मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मण्डी विकास निधि से एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर केन्द्रीय मण्डी निधि से वि0/यां0 शाखा द्वारा हैण्डपम्प की परियोजना/आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है।</p>



गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर अमेरिका के लैण्ड ग्रांट पैटर्न पर स्थापित भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 17 नवम्बर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबल पुरस्कार विजेता डॉ० नारमन ई० बोर्लॉग द्वारा इसे “हरित क्रान्ति की जन्मस्थली” के नाम से सम्बोधित किया गया है। विगत छः दशकों में यह विश्वविद्यालय खाद्यान्न उत्पादन के अलावा पशुधन, दुग्ध, तिलहनी फसलों तथा मत्स्य उत्पादन में भी अपना अहम योगदान दे रहा है। कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार में अपने अहम योगदान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (आईसीएआर) द्वारा इसे तीन बार सरदार पटेल आउट स्टैंडिंग इन्स्टीट्यूशन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के अलावा विश्वविद्यालय आईसीएआर रैंकिंग में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के बीच लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है। पंत विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ड रैंकिंग बाई सवजैक्ट में 301-350वें स्थान के साथ देश के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाने वाला अकेला विश्वविद्यालय रहा है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक्रिडिटेशन में “ए” रैंक प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर की एनआईआरएफ रैंकिंग-एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड 2024 में विश्वविद्यालय को 8वां स्थान एवं कृषि विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान प्राप्त है।

शैक्षणिक कार्यक्रम

विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय में सात महाविद्यालय क्रमशः कृषि महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, पशुचिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान महाविद्यालय, विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, प्रौद्योगिक महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 4300 विद्यार्थी विभिन्न उपाधियों के लिए अध्ययनरत हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय निम्न पाठ्यक्रमों के स्नातक, पारस्नातक एवं पी०एच०डी० की उपाधि प्रदान कर रहा है।

1.	स्नातक पाठ्यक्रम	बी.एस.सी. (ऑनर्स) कृषि, बी.एस.सी. (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान, बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच., बी.एफ.एस.सी., बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी), बी.टेक. (बायोटेक्नोलॉजी), बी.टेक- (जैव प्रौद्योगिकी), बी.टेक. सिविल इंजीनियरिंग, बी.टेक. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बी.टेक. इलेक्ट्र. इंजीनियरिंग, बी.टेक. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, बी.टेक. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी.टेक. औद्योगिक और उत्पादन इंजीनियरिंग
2.	परास्नातक पाठ्यक्रम	कृषि अर्थशास्त्र, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि विस्तार शिक्षा, कीट विज्ञान, आनुवांशिकी और पादप प्रजनन, फल विज्ञान, फूलों की खेती और भूनिर्माण, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, (मत्स्य विज्ञान प्रमुख) जलीय कृषि, मत्स्य विज्ञान/जलकृषि में स्नातक की डिग्री मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी मत्स्य विज्ञान स्नातक

	<p>(सामुदायिक विज्ञान प्रमुख) परिधान और वस्त्र विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र/परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान के साथ-साथ इंटरमीडिएट विज्ञान संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र/परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ। खाद्य और पोषण, बीएससी होम साइंस विद इंटरमीडिएट साइंस/बीएससी फूड टेक/बीएससी (ऑनर्स) कम्युनिटी साइंस/बीएससी होम इकोनॉमिक्स/बीएससी (ऑनर्स) फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स/बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। मानव विकास और परिवार अध्ययन बीएससी गृह विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान/बीएससी गृह अर्थशास्त्र/बीएससी परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान/बीएससी सामुदायिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के साथ-साथ इंटरमीडिएट विज्ञान।</p> <p>(विज्ञान प्रमुख) कृषि रसायन, बीएससी रसायन विज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप में/ बीएससी कृषि/बागवानी/वानिकी/बीएससी (ऑनर्स) कृषि। जैव रसायन, जैव रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/कृषि/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/वानिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी में बीएससी/रसायन विज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप में लेकर बीएससी/बागवानी में बीएससी। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में लेकर बी.एस.सी. रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में लेकर बी.एस.सी. पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण जीव विज्ञान के साथ बीएससी एक प्रमुख विषय के रूप में/जेडबीसी/कृषि/मत्स्य पालन/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/वानिकी/बागवानी में बीएससी। एम.टेक. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी/डेयरी प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री गणित, बी.एस.सी. गणित विषय के साथ एक प्रमुख विषय के रूप में</p>
--	--

	<p>सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / कृषि / मत्स्य / वानिकी / गृह विज्ञान / सामुदायिक विज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी / बायोलॉजी (जूलॉजी और बॉटनी के साथ कोई अन्य विषय) / बीएससी बागवानी / बीटेक (बायोटेक्नोलॉजी)।</p> <p>आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि / बागवानी / वानिकी / मत्स्य विज्ञान / कृषि जैव प्रौद्योगिकी / बी.टेक. जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री</p> <p>प्लांट फिजियोलॉजी, कृषि / बागवानी / वानिकी में बीएससी या प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में बीएससी / रसायन विज्ञान / जैव रसायन विज्ञान / सूक्ष्म जीव विज्ञान / पादप कार्यिकी में बीएससी।</p> <p>भौतिकी भौतिकी विषय के साथ बी.एस.सी.</p> <p>(पशु चिकित्सा विज्ञान प्रमुख) पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, पशु चिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान, पशु चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान, पशु चिकित्सा विस्तार शिक्षा, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, पोल्ट्री विज्ञान, पशु पोषण, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन बी.वी.एससी. एवं ए.एच. / बी.वी.एससी.</p> <p>(इंजीनियरिंग प्रमुख)</p> <p>कृषि मशीनरी और विद्युत इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।</p> <p>सिंचाई और जल निकासी इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।</p> <p>प्रसंस्करण और खाद्य इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग / रासायनिक इंजीनियरिंग / बी.टेक. खाद्य विज्ञान / बी.टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी / बी.टेक. डेयरी प्रौद्योगिकी / बी.टेक. खाद्य इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री</p> <p>मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।</p> <p>कंप्यूटर इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना संचार प्रौद्योगिकी में बी.टेक. / बी.ई. डिग्री।</p>
--	--

	<p>डिजाइन और उत्पादन इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल एवं ऑटोमेशन/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/औद्योगिक एवं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री।</p> <p>विद्युत ऊर्जा प्रणाली, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/संचार इंजीनियरिंग/दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।</p> <p>हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना संचार प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक. डिग्री।</p> <p>विनिर्माण इंजीनियरिंग और प्रबंधन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल/प्रोडक्शन और टूल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/मेक्ट्रॉनिक्स/मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन/प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. (इंजीनियरिंग) की डिग्री।</p> <p>मृदा यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री</p> <p>संरचनात्मक इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री</p> <p>थर्मल इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री</p> <p>परिवहन इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(प्रबंधन कार्यक्रम) एमबीए (कृषि व्यवसाय), कृषि, कृषि रसायन, कृषि इंजीनियरिंग, डेयरी विज्ञान/प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, खाद्य विज्ञान/प्रौद्योगिकी, वानिकी, बागवानी,</p>
--	---

		<p>पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान या बी.टेक. (जैव प्रौद्योगिकी) में स्नातक और/या मास्टर डिग्री।</p> <p>एमबीए एआईयू यूजीसी या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (एससी / एसटी वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में 45 प्रतिशत) के साथ स्नातक की डिग्री।</p> <p>एमसीए एम.सी.ए. कार्यक्रम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ बीसीए/बीएससी/बीएससी (सूचना प्रौद्योगिकी)/बीएससी कंप्यूटर विज्ञान</p>
3.	पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम	<p>कृषि कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि विस्तार शिक्षा, कीट विज्ञान, आनुवांशिकी और पौध प्रजनन, फल विज्ञान, फूलों की खेती और भूनिर्माण, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान</p> <p>इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी और पावर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिंचाई एवं जल निकासी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरिंग, मृदा एवं जल संरक्षण इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग</p> <p>सामुदायिक विज्ञान खाद्य एवं पोषण, परिधान एवं वस्त्र विज्ञान, संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान</p> <p>मत्स्य विज्ञान-एक्वाकल्चर विज्ञान एम.एससी. एजी./एम.एससी. कृषि रसायन में, जैव रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, भौतिकी, प्लांट फिजियोलॉजी</p> <p>पशु चिकित्सा विज्ञान पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, पशु प्रजनन स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, पशु चिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान, पशु चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान, पोल्ट्री विज्ञान, पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सा और रेडियोलॉजी, पशु चिकित्सा जैव रसायन, पशु आनुवांशिकी और प्रजनन, पशु पोषण, पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी</p> <p>प्रबंधन-प्रबंध</p>

विश्वविद्यालय में विभिन्न विषय की पुस्तकों से तथा डिजिटल लाइब्रेरी से सुसज्जित विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के अध्ययन अध्यापन के लिए उपलब्ध है। विभिन्न महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम तथा गोष्ठी आदि के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर एक हजार क्षमता वाला सभागार (गांधी हॉल) उपलब्ध है। विद्यार्थियों को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सके इसलिए छात्र कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ छात्रों को समय समय पर निम्नानुसार दी जा रही हैं।

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	खेल छात्रवृत्ति (यूजी)	रु० 800/- प्रति माह	01 वर्ष (यूजी) 06 विद्यार्थी	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति जी द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर चयनित विद्यार्थियों को कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
2	विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (पीएचडी)	रु० 6,000/- प्रति माह	पी०एच०डी० में अध्ययनरत विद्यार्थी 36 महीने या रफ थीसिस जमा करने की तारीख, जो भी पहले हो	नये एवं पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को उनके पंजीकरण की दिनांक से अध्येतावृत्ति दिये जाने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा वर्ष 1994-95 में निर्धारित एवं कुलपति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अन्तर्गत उनसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शैक्षिक प्रगति के आधार पर इसका प्रत्येक मास में नवीनीकरण किया जायेगा। रु० 6000/-प्रतिमाह की यह अध्येतावृत्ति पीएच०डी० के प्रत्येक उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त दो छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मैरिट के अनुसार स्वीकृति की जायेगी। मैरिट लिस्ट तैयार कर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उसे अपनी संस्तुतियों के साथ अपने विभाग के समस्त छात्रों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का संलग्न करते हुए इस कार्यालय को भेजेंगे, तदोपरान्त विभागाध्यक्षों की यह संस्तुतियाँ अध्येतावृत्ति स्वीकृति किये जाने हेतु पूर्व में गठित समिति के सम्मुख अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा रखी जाती है। गठित समिति की संस्तुति पर कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है एवं चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा निर्गत की जाती है। जिसका भुगतान निदेशक शोध कार्यालय द्वारा की जाती है।
3	मेरिट छात्रवृत्ति (शीर्ष 03 यूजी छात्र)	/800 प्रति माह	यूजी छात्र 3 वर्ष और पशु चिकित्सा छात्र 4 वर्ष	सर्वप्रथम कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्राप्त विभिन्न स्नातक प्रोग्राम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम 03 विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
4.	फ्रीशिप स्टाफ वार्ड	ट्यूशन का 50	यूजी छात्र 4 वर्ष,	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त

		प्रतिशत फीस	पीजी छात्र 03 वर्ष पी.एच.डी छात्र 3 वर्ष	आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा निर्गत की जाती है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
5.	रु0 1,00,000 से कम फ्रीशिप (केवल यूजी छात्र)	फ्रीशिप ट्यूशन फीस	यूजी छात्र 3 वर्ष और वेटी, छात्र 4 वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा निर्गत की जाती है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
6.	मंडी समिति	1500 रु0 प्रतिमाह	04 वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति जी द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर चयनित विद्यार्थियों को कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
7.	छात्रवृत्ति योजना पीएमएसएस (सीधे प्रवेश फॉर्म एआईसीटीई)	सरकार द्वारा छात्र के खाते में सीधे केवल ट्यूशन फीस प्राप्त होती है	यूजी छात्र - 4 वर्ष	विद्यार्थियों द्वारा (J&K PMSSS) पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न करेंगे आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो का स्वघोषणा पत्र आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को DBT Status को admitted and verified किया जाता है, AICTE, द्वारा का DBT Status approve किया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों, जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है पात्र आवेदकों हेतु AICTE द्वारा धनराशि प्राप्त होती है। जिसका भुगतान विद्यार्थियों को किया जाता है।
8.	गेट छात्रवृत्ति	12,400/- प्रति माह	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया प्रौद्योगिक महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।

9.	डीएसटी-इंस्पायर (पीएचडी)	(एम.टेक.)	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को डी0एस0टी0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पी0एफ0एम0एस0 में डी0एस0टी0 द्वारा लिमिट प्रदान की जाती है। जिसके पश्चात् विद्यार्थियों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
10.	आईसीएमआर (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000/- प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आई0सी0एम0आर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
11.	आईसीएसएसआर (पीएचडी)	अगले 03 वर्ष के लिए 35,000/- प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आई0सी0एस0एस0आर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
12.	सीएसआईआर (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000/- प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को सीएसआईआर द्वारा अवॉर्ड लेटर प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का आवेदन पत्र ऑन लाईन दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् विद्यार्थियों के सलाहकार द्वारा ऑन लाईन verified किया जाता है तत्पश्चात् अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय द्वारा अग्रसारित किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार सीएसआईआर द्वारा धनराशि सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
13.	आईसीएआर-एनटी एस यूजी (बी. एससी.)	3,000/- प्रति माह	04 वर्ष 05 वर्ष 6 माह केवल वी. सी.आई. के लिए।	सर्वप्रथम ICAR द्वारा प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की मांग ICAR के पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसके उपरांत ICAR द्वारा विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
14.	आईसीएआर-एनटी एस पीजी (एम. एससी.)	5,000/- प्रति माह	02 वर्ष	क्रमांक- 25 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
15.	आईसीएआर-एसआरएफ (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000/- प्रति माह अगले 01 वर्ष के लिए 35,000/- प्रति माह	03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 25 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16	आईसीएआर-जेआर एफ एम.एससी.	12,640 / - प्रति माह	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 25 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
17	आरजीएनएफ-नेट-जेआरएफ (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / - प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / - प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को यू0जी0सी0 द्वारा प्राप्त अवॉर्ड लेटर प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का आवेदन पत्र ऑन लाईन (ugc.ac.in) पर verified किया जाता है पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार यू0जी0सी0 द्वारा धनराशि सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
18	आरजीएनएफ-एससी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / - प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / - प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 29 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
19	आरजीएनएफ-एसटी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / - प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / - प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	-तदैव-
20	आरजीएनएफ-ओबीसी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 / - प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 / - प्रति माह	05 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	-तदैव-

21	पीडीएफ-एचएससी	45,480 /- प्रति माह	03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	-तदैव-
22	पीडीएफ-महिला	43,200 प्रति माह	03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	-तदैव-
23	अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 /- प्रति माह	अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी)	-तदैव-
24	आईसीएआर- अफगानिस्तान	15,000 /- प्रति माह (एम. एससी.) 18,000 /- प्रति माह (पीएचडी)	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो 03 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएआर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
25	आईसीएआर- अफ्रीकी	18,000 /- प्रति माह (एम. एससी.)	02 वर्ष या रफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएआर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
26	अमित गौतम मेमोरियल स्कॉलरशिप (बी.टेक (इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग) चतुर्थ)	रु0 7000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
27	मेरिट एसएच का पुरस्कार। एजी के छात्रों के लिए. इंजीनियरिंग (बी.टेक	रु0 2000 प्रति माह	एक वर्ष	क्रमांक- 38 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

	तृतीय/चतुर्थ वर्ष)			
28	चांसलर स्वर्ण पदक	स्वर्ण पदक	एक वर्ष	-तदैव-
29	डॉ. ध्यानपाल सिंह मेमोरियल अवार्ड (सभी महाविद्यालयों के यूजी अंतिम वर्ष के छात्र)	रु0 30000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	-तदैव-
30	डॉ. एस.के. मुखर्जी छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. द्वितीय और तृतीय वर्ष)	रु0 1100 प्रति माह	एक वर्ष	-तदैव-
31	एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन रिसर्च फेलोशिप (एमएससी एजी सभी अनुशासन)	रु0 1200 अपराहन	एक वर्ष	-तदैव-
32	प्रियांक पाठक छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी (चतुर्थ वर्ष) छात्र)	रु0 800 प्रति माह	एक वर्ष	-तदैव-
33	मोनसेंटो छात्रवृत्ति (एम.एससी. कृषि विज्ञान और कृषि। जैव प्रौद्योगिकी)	रु0 1000 प्रति माह	तीन सेमेस्टर	-तदैव-
34	के.सी. शर्मा फेलोशिप (एम. एससी. एजी, एग्रोनॉमी (द्वितीय वर्ष) छात्र)	रु0 1000 प्रति माह	एक वर्ष	-तदैव-
35	डॉ. एस.के. शर्मा और (पीएचडी)	रु0 25000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	-तदैव-

	गणित)			
36	डॉ. वी.एन. माथुर पुरस्कार (एम.एससी. गणित)	रु0 20000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	-तदैव-
37	डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय स्वर्ण पदक (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र)	रु0 25,000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	-तदैव-
38	डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय जरूरतमंद छात्र निधि (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र)	रु0 25,000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	-तदैव-
39	श्रीमती उमा गुप्ता फेलोशिप (एम. एससी. एजी. (जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग)	रु0 1000 प्रति माह	तीन सेमेस्टर	-तदैव-
40	श्रीमती बिमला रानी मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी., बी.वी.एससी. और ए. एच., बी.एचएससी. और बी.एफ.एससी.)	रु0 12,000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	-तदैव-
41	डॉ. वाई.वी. सब्जी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थीसिस के लिए सिंह पुरस्कार	रु0 20,000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	-तदैव-
42	वरुण पंवार मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी.)	रु0 10000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	-तदैव-

द्वितीय वर्ष (1), तृतीय वर्ष (01) और चतुर्थ वर्ष (01) छात्र)			
---	--	--	--

विश्वविद्यालय का विभिन्न फसलों की अब तक कुल 354 प्रजातियों का विकास किया जा चुका है जिससे कि पूरे देश के किसान लाभांवित होते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों का लगभग 7000 कुन्तल प्रजनक बीज देश के प्रत्येक कोने में पहुंचता है। जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक फसलों की सैपलिंग भी कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है। विश्वविद्यालय का देश एवं विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से करार है जिससे विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, जो कि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फसलों के अलावा गुणवत्तापूर्ण मशरूम, शहद आदि का भी उत्पादन किया जाता है।

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	बीज अनुदान	किसानों को किसान मेले के दौरान 15 प्रतिशत तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है।	कृषक	सभी कृषकों को बीज उपलब्धता के आधार पर किसान मेले के दौरान प्रदान किये जाते हैं।
2.	रिसर्च असिस्टेंटशिप	स्नातक एवं स्नातकोत्तर शोधार्थियों को रिसर्च असिस्टेंटशिप दी जाती है।	स्नातक एवं स्नातकोत्तर शोधार्थी	विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित लिखित परीक्षा एवं ग्रेड (OGPA) के आधार पर चयन किया जाता है।

- वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु 404 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें से कृषकों को सीधे लाभ हेतु 14 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं द्वारा कृषकों को नवीनतम तकनीक प्रदान की जाती है। साथ ही उपलब्धतानुसार चयनित कृषकों को कृषि इनपुट भी प्रदान किये जाते हैं। इनमें प्रगतिशील कृषक, एस0सी0, एस0टी. कृषक एवं महिला कृषक सम्मिलित हैं।
- अब तक विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों हेतु विभिन्न फसलों की 354 प्रजातियाँ विकसित की गयी हैं। इन प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त बीज से उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 5-10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह बीज उपलब्धता के आधार पर विवि में विक्रय किये जाते हैं। कृषि मेलों के समय (वर्ष में दो बार) सभी फसलों के बीज 15 प्रतिशत छूट पर प्रदान किये जाते हैं।

प्रसार शिक्षा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रशिक्षण एवं भ्रमण इकाई	विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों, युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि एवं सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराया जाना।	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता	विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रशिक्षण कार्ययोजना जारी की जाती है तथा लाभार्थी आवश्यकतानुसार पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त करते हैं। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न प्रदेशों के रेखीय विभागों के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।
2.	समेटी-उत्तराखण्ड	समेटी-उत्तराखण्ड द्वारा कृषकों, युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि एवं सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जाना।	आत्मा एवं कृषि आधारित रेखीय विभाग के अधिकारी/प्रसार कार्यकर्ता एवं प्रगतिशील किसान	समेटी-उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रशिक्षण कार्ययोजना जारी की जाती है तथा लाभार्थी मुख्य कृषि अधिकारी/परियोजना निदेशक 'आत्मा' के माध्यम से नामांकन कराकर कार्यक्रम में भाग लेते हैं।
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र	वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के 09 जनपदों (अल्मोड़ा, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून) में कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं, जिनके द्वारा जनपद में स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, अनुकरणीय प्रदर्शन तथा अन्य प्रसार गतिविधियों का संचालन किया जाता है।	कृषक, ग्रामीण युवा, रेखीय विभाग के अधिकारी/प्रसार कार्यकर्ता	कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना जारी की जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं का सर्वे उपरान्त योजना तैयार की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किये जाते हैं।
4.	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, एटिक	एकल खिड़की प्रणाली अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समस्त उत्पादों, साहित्य, तकनीकी सूचना इत्यादि की उपलब्धता।	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता, छात्र एवं विश्वविद्यालय में पधारने वाले आगन्तुक	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता, छात्र एवं विश्वविद्यालय में पधारने वाले आगन्तुक।
5.	अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी	वर्ष में दो बार अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया जाता है।	कृषक, कृषक उद्यमी, कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विषयों के फर्मों द्वारा नवीनतम तकनीकियां उपलब्ध कराने हेतु प्रतिभाग करना।	कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित फर्मों द्वारा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रदर्शनी लगायी जाती है तथा कृषकों द्वारा पंजीकरण कराकर प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया जाता है।

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड



उद्यान विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र	प्रशिक्षण: सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में 10 दिवसीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिवसीय फल सब्जी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सामुदायिक प्रसंस्करण केन्द्र से कोई भी व्यक्ति/कास्तकार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता/सकती है। जिसके प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी रु0 15 (पन्द्रह रुपये) शुल्क प्राप्त किया जाता है।	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।
		खाद्य प्रसंस्करण: सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा सामुदायिक प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है।	सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर खाद्य उत्पाद तैयार करवाया जा सकता है। खाद्य उत्पाद तैयार करवाने हेतु शुल्क रु0 15 (पन्द्रह रुपये) प्रति किलोग्राम लिया जाता है।	
2	राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र	राज्य में 02 खाद्य विभाग प्रशिक्षण केन्द्र है। जहां पर कैनिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फैक्सनरी एवं कुकरी (पाककला) में एक वर्ष छः माह का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।	डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के होंगे, तदनुसार छात्र/छात्राओं को कैनिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण कोर्स में प्रवेश हेतु (इण्टरमीडिएट विज्ञान कृषि) तथा अन्य कोर्स में प्रवेश हेतु (इण्टरमीडिएट) उत्तराखण्ड स्थित संस्था से उत्तीर्ण की हो, वे ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।	अभ्यर्थियों का चयन इण्टरमीडिएट में प्राप्त प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर किया जाता है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल



विश्वविद्यालय का गठन एवं उद्देश्य: औद्यानिकी, पर्वतीय कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में प्रदेश के सतत विकास के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन, के पत्रांक सं० 732/XIII-II/2011-12(02)/2011 देहरादून दिनांक 26 सितम्बर, 2011 द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का गठन किया गया। विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख आयाम हैं—

1. शिक्षण – विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में बी०एस०सी०, एम०एस०सी० एवं पीएच०डी० के विभिन्न अनुशासनों में पाठन-पठन।
2. शोध – विश्वविद्यालय में पर्वतीय कृषि, औद्यानिकी, वानिकी तथा अन्य सम्बन्धित विषयों में शोध कार्य करना।
3. आपने शोध एवं प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अनुदेशकों के माध्यम से किसानों/पंचायतों को कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी का प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसके साथ ही किसानों को आवश्यकतानुसार उत्तम बीज तथा उत्कृष्ट प्रजाति की बागवानी पौध उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा कराई जाती है जिसके माध्यम से बी०एस०सी०, एम०एस०सी० एवं पीएच०डी० के विभिन्न विषयों में प्रवेश दिया जाता है।

पीएच०डी० कार्यक्रम			
1.	एग्रसेफॉरेस्ट्री	2. सिल्वीकल्चर	3. ट्री इम्प्रूवमेन्ट
4.	फॉरेस्ट प्रोडक्ट एण्ड यूटिलाइजेशन	5. मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स	6. फ्रूट साइंस
7.	एनवायरमेन्टल साइंस		

एम0एस0सी0 कार्यक्रम			
1	फ्रूट साइंस	2. वेजीटेबल साइंस	3.पलोरीकल्चर एण्ड लैंडस्केपिंग
4.	प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स	5.एन्टोमालोजी	6. प्लांट पैथोलॉजी
7.	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट	सीड साइंस एण्ड टैकनालॉजी	9. सिल्वीकल्चर एण्ड एग्रसेफॉरेस्ट्र
10.	फॉरेस्ट बायोलॉजी एण्ड ट्री इम्प्रूवमेन्ट	11. फॉरेस्ट प्रोडक्ट एण्ड यूटिलाइजेशन	12. सिल्वीकल्चर
13.	एग्रसेफॉरेस्ट्र	14.एनवायरमेन्टल साइंस	15.एक्टेशन एजुकेशन
16.	एग्रोनामी	17. प्लांट पैथोलॉजी	
बी0एस0सी0 (आनर्स) कार्यक्रम			
1	फॉरेस्ट्री	2.हॉर्टीकल्चर	3.एग्रीकल्चर

अन्य विवरण :-

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं पीएच0डी0	कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता परख शिक्षा प्राप्त करना	बी0एस0सी0 हेतु विज्ञान से इन्टरमीडिएट, एम0एस0सी0 हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक तथा पीएच0डी0 हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर	राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है
2	किसान विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रशिक्षण तथा अन्य सहायक योजनायें	कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी के आधुनिकतम तकनीकी प्रशिक्षण तथा उन्नत बीज एवं पौध प्रदान किए जाते हैं।	प्रदेश के कृषक	समय-समय पर किसान मित्रों से कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा स्वयं सम्पर्क कर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उपलब्धियों के द्वारा उन्नत बीज एवं उन्नत पौध प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा किसानों को जानकारी प्रदान की जाती है।
3	ग्रामीण कृषि मौसम सेवा	किसानों को सप्ताहिक मौसम की जानकारी दी जाती है	समस्त किसान	-
4	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	चयनित प्रजातियों पर शोध, संरक्षण, जनन द्रव्य संरक्षण, प्रजातियों में सुधार की सम्भावनाओं का अध्ययन तथा गुणवत्ता परख पौध वितरण एवं प्रशिक्षण	प्रदेश के कृषक	समय-समय पर किसान मित्रों से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान विभिन्न परियोजना द्वारा स्वयं सम्पर्क कर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उपलब्धियों के द्वारा उन्नत बीज एवं उन्नत पौध प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा किसानों को जानकारी प्रदान की जाती है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड



PK

पशुपालन विभाग

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पशुधन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान	<p>स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु – डेरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत (05 गाय इकाई), (10 गाय इकाई) (02 भैंस इकाई), (05 भैंस इकाई)</p> <p>भारवाहक उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत – एक खच्चर इकाई व दो खच्चर 250 इकाई</p> <p>भेड़ बकरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत – पशुधन मिशन योजनान्तर्गत (5 मादा+1 नर) व (10 मादा+1 नर)</p> <p>सूकर उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत (5मादा+1नर) व (10मादा+1नर) कुक्कुट उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत (Commercial Broile) फार्म 1000 पक्षियों व Small Commercial Layer फार्म 250 पक्षियों की स्थापना हेतु उक्त इकाइयों की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।</p>	इच्छुक पशुपालक जो बैंक ऋण की पात्रता रखते हैं।	<p>योजना का संचालन वर्तमान में ऑफलाइन मोड में किया जायेगा। विभागीय पोर्टल के सुचारु रूप से संचालित होने के उपरान्त लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन/पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।</p> <p>आवेदक द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिलास्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए) को आवेदन किया जायेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए०) द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात् पात्र आवेदनों की सूची तैयार कर समस्त प्राप्त आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त लाभार्थी के आवेदन-पत्र सहित सम्बन्धित बैंक के माध्यम से जांच एवं ऋण संस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना जिलास्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए०) को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आइ०ए०) द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>राज्य अनुश्रवण समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय, देहरादून में स्थापित होगा तथा निदेशक, पशुपालन के नियंत्रणाधीन समिति योजना की प्रगति का अनुश्रवण का कार्य करेगी तथा जिलास्तरीय अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर योजना संचालित करवायेगी।</p>

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड



उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड (यू0एल0डी0बी0)

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.पर्वतीय जनपदों में रु0 100/न्यूनतम कृत्रिम गर्भाधान 25 से 30 2.मैदानी जनपदों में रु0 100 न्यूनतम कृत्रिम गर्भाधान 50 से 60	पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की डाटा एन्ट्री भारत पशुधन ऐप पर करना अनिवार्य, प्रशिक्षण हेतु उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी, एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संस्तुति	उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट— uldb- org पर Service section के Training sub head से निर्धारित प्रारूप डाउनलोड कर स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जायेगा।
2.	ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म	एक करोड़ की परियोजना लागत में अधिकतम 50 लाख की राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग, केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी	पशुपालक, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सेक्शन 8 में पंजीकृत कम्पनी, स्वयं सहायता समूह	Eoi-nddb-coop लिंक पर ऑनलाइन आवेदन आवेदक द्वारा किया जाना है।
3.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना	पशुधन बीमा	उत्तराखण्ड के समस्त पशुपालक	राजकीय पशुचिकित्सालयों पर पशुपालकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
4.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास योजना	छोटे जुगाली करने वाले पशु कुक्कुट और सूअर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन।	1.निजी व्यक्ति 2.स्वयं सहायता समूह (एस.एच. जी0) 3.किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	www.nlm.udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना:- 1.राज्य कार्यान्वयन संस्था द्वारा आवेदन की स्क्रीनिंग। 2.ऋणदाता द्वारा ऋण की स्वीकृति।

			<p>4.किसान सहकारिता (एफ.सी.ओ.)</p> <p>5.संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)</p> <p>6.धारा 8 की कंपनियाँ।</p>	<p>3.राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (एस.एल.ई.सी.) द्वारा अनुशंसा।</p> <p>4.पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सब्सिडी की स्वीकृति।</p> <p>5.सब्सिडी को जारी करना और उसका वितरण। विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की बेसाइट www.dahd.nic.in को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।</p>
5	ऐ-हेल्थ कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	सामुदायिक-सेवा आधारित ऐ-हेल्थ कार्यकर्त्रियों द्वारा पशुपालन विभाग तथा पशुपालकों के मध्य रिक्त स्थान के भरने के कार्य रा रोजगार का सृजन	उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास हों, 07 दिवसीय पशु सखी का प्रशिक्षण लिया गया हो।	उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चयनित पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती है।

* अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें- uldb.org or www.dahd.nic.in

PROGRAMME IMPLEMENTATION

उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग



उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग

राज्य में गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण हेतु वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग की स्थापना की गयी है। आयोग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:-

1. आयोग द्वारा दूरभाष, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से गौवंश के प्रति क्रूरता, गौहत्या, गौकशी गौतस्करी से संबंधित प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।
2. आयोग द्वारा सड़क मार्गों पर गोवंश के घायल/बीमार पड़े होने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को दूरभाष/ई-मेल के माध्यम से सूचित कर उस क्षेत्र के समीपस्थ पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से घायल/बीमार गोवंश का घटनास्थल पर निःशुल्क उपचार कराया जाता है।
3. आयोग द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पशुक्रूरता निवारण समितियों की बैठकों का आयोजन कराकर गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ गोवंश से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर निस्तारण कराया जाता है।
4. राज्य सरकार द्वारा इन निराश्रित गौ एवं गौवंश को शरण दिए जाने हेतु नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कराने के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर एन0जी0ओ0 के माध्यम से छोटे-छोटे निजी गौसदनों के निर्माण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए जून-2023 में जारी गाइड लाइन में निम्न प्रावधान किए गये हैं:-
 - गौसदनों की स्थापना हेतु एन0जी0ओ0 को भूमि दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। चिन्हित भूमि पर स्वामित्व राज्य सरकार का होगा, मात्र प्रबंधकीय कार्यों हेतु यथा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त एन0जी0ओ0 से एमओयू/अनुबंध किया जायेगा।
 - यदि किसी एन0जी0ओ0 के पास भूमि पहले से उपलब्ध होगी तो उसे गौसदन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग किया जायेगा। अर्ह गौसदनों में शरणांगत गौवंश के भरण पोषण हेतु रू0 80/- प्रतिदिन प्रतिगौवंश राजकीय सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।आयोग द्वारा सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाता है। साथ ही सर्दी, गर्मी एवं बरसात बाढ़ जैसी आपदा के समय संबंधित विभागों के माध्यम से गौ एवं गौवंश को उचित शरण दिलाने एवं उनके चिकित्सा/उपचार व चारे दानों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है।

डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड



डेयरी विकास विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड	प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पर ही महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से समुचित संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु महिला सदस्यों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। जिसमें सचिव, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रबंध कमेटी सदस्यों का प्रशिक्षण, महिला प्रोत्साहन/प्रेरक कार्यक्रम, स्वच्छ दुग्ध उपार्जन हेतु गोष्ठी एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलब्ध में महिला सेमिनार कराया जाता है। दुग्ध उपार्जन बढ़ाने हेतु महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सर्वाधिक दूध लाने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाता है।	प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जनपद की वो सभी महिलाएं जिनकी दिलचस्पी दुग्ध उपार्जन व्यवसाय क्षेत्र में है।	खुली बैठक में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गठन से संबंधित पूर्ण जानकारी देने के उपरांत महिला दुग्ध समिति गठन की सहमति होने पर महिला दुग्ध समिति सदस्यों से 9 महिलाओं को प्रबंध कमेटी सदस्य के रूप में चयनित किया जाता है तथा चयनित सदस्यों के बीच से ही एक सभापति का चुनाव किया जाता है। तत्पश्चात् दुग्ध समिति के संचालन हेतु कर्मचारी के रूप में सचिव की नियुक्ति प्रबंध कमेटी द्वारा की जाती है। सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों को जो, दुग्ध समिति में दूध देती है उन्हें समिति की सदस्यता लेनी होती है।

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड



PROGRAM

मत्स्य विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मात्स्यकी क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े किसानों/महिलाओं को विभिन्न गतिविधि/मदों में संलग्न तालिकानुसार। (तालिका 01) मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण/फील्ड भ्रमण/सेमिनार निःशुल्क उपलब्ध कराना।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग जिनके पास भूमि एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता हो अथवा पूर्व से मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हो।	संबंधित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी को प्रार्थना पत्र जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा अथवा अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा-खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, संलग्न करेगा। योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत (First Come First Serve) के उपरान्त योजना के दिशा-निर्देशानुरूप वरीयता के आधार पर किया जायेगा। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात् फील्ड कर्मियों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरांत सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान किया जाता है।
2.	प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (नवीन योजना) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सह	राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मछुआरों, मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्व-पंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। जलकृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना।	मछुआरे, मत्स्य पालक, फिश वर्कर, मछली विक्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं। राज्य में पंजीकृत स्वामित्व फर्मों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों, समितियों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), सहकारी समितियों, महासंघों, ग्राम स्तरीय संगठनों और मत्स्य	1 राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने हेतु स्वयं अथवा सी.एस.सी. के माध्यम से। 2 राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से (क) संस्थागत वित्त पोषण आवेदन। (ख) जलकृषि बीमा खरीदने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन हेतु आवेदन। (ग) incentive based /प्रदर्शन अनुदान हेतु आवेदन।

	योजना		पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में लगे स्टार्टअप के रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यम।	
3.	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मत्स्य क्षेत्रक	मात्स्यकी क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यरत/इच्छुक समिति के लिये पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में ऋण आधारित बड़ी परियोजना लगाने के विकल्प। पर्वतीय जनपदों में कलस्टर आधार पर ट्राउट फार्मिंग, एंग्लिंग, रिटेल आउटलेट तथा मैदानी जनपदों में पंगेशियस फार्मिंग, मेजर कार्प, समन्वित मत्स्य पालन हेतु सुविधा उपलब्ध। परियोजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत ऋण, 20 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं समिति द्वारा वहन किया जायेगा। समितियों को डी0पी0आर0/ व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) तैयार करने में परियोजना से सहयोग तथा समय-समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन। समितियों द्वारा उत्पादित मछलियों की बिक्री हेतु सहयोग।	मत्स्य सहकारी समितियाँ	<p>जो समिति अपने कार्यों को विस्तार देने तथा बड़ी योजना तैयार करने हेतु इच्छुक हो तथा उस समिति को निम्न औपचारिकताएँ पूर्ण करती हो</p> <ul style="list-style-type: none"> उत्तरांचल सहकारी अधिनियम-2003 यथा संशोधित के अन्तर्गत पंजीकृत हो। समिति महासंघ/फ़ेडरेशन से सम्बन्ध हेतु सहमत हो, इस आशय का समिति द्वारा विधिवत् प्रस्ताव पारित हो। समिति राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अनुरूप कार्य करने/ऋण/ याज/अन्य देयतायें आदि का भुगतान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकानुसार वापसी करने हेतु सहमत हो। पूर्व में ऋण की राशि पर 10.95 प्रतिशत वार्षिक दर एवं वर्तमान में 9.61 की दर से ब्याज देय है, ब्याज दर समय-समय पर परिवर्तित होती है तथा ऋण धनराशि का आठ वर्षों के अन्तर्गत वापस की जानी है, जिसे एन०सी०डी०सी० द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जाता है। समिति प्रस्तावित कार्यों का आंगणन डी0पी0आर0/व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी को उपलब्ध कराते हुये अपना आवेदन पत्र उपलब्ध करा सकती है। समितियों को डी0पी0आर0/व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) तैयार करने में निरन्तर सहयोग दिया जाता है। जनपद/राज्य स्तर पर डी0पी0आर0/व्यावसायिक विकास योजना (बी0डी0पी0) का मूल्यांकन करते हुये तथा उपयुक्त पाये जाने पर समिति का परियोजना अन्तर्गत चयन किया जाता है। समितियों को धनराशि किश्तों में उपलब्ध करायी जाती है। परियोजना के अन्तर्गत अभिसरण के माध्यम से चयनित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाता है। <p>परियोजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु बेबसाईट https://www.ukcdp.com/sector/fisheries पर सम्पर्क कर सकते है।</p>

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारूप तालिका -1

गतिविधि / मद	यूनिट लागत	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला / अनु. जाति / जनजाति)	अधिकतम लिमिट / अनुदान सीमा
सघन मत्स्य पालन	4 हजार (प्रति 1000 फिंगरलिंग)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	मत्स्य पालन की वैज्ञानिक विधि द्वारा निर्धारित विभागीय मानकानुसार अधिकतम 2 वर्ष हेतु
ट्राउट रियरिंग यूनिट	90 हजार प्रति यूनिट	45 हजार	54 हजार	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 अथवा 6 यूनिट समिति / समूह आदि
लघु आर०ए०एस० यूनिट की स्थापना (50 वर्ग मीटर का 1 टैंक) / बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मीटर डायामीटर एवं 1.5 मीटर ऊँचाई के 3 टैंक)	4 लाख 50 हजार प्रति यूनिट	2 लाख 25 हजार	2 लाख 70 हजार	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 यूनिट समिति / समूह आदि
एंग्लिंग बीट विकास	2 लाख 10 हजार प्रति बीट	1 लाख 5 हजार	1 लाख 26 हजार	01 बीट के विकास हेतु एक ही बार सुविधा अनुमन्य होगी
केन्द्र सरकार की एफ०आई०डी०एफ० योजना हेतु ब्याज सबवेंशन	स्वीकृत प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत	2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन	2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन	केन्द्र सरकार की एफ०आई०डी०एफ० योजना हेतु स्वीकृत मदवार वास्तविक लागत पर 2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन
अवसंरचनाओं एवं लाईवस्टॉक का बीमा	प्रीमियम धनराशि के अनुसार	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत
एक्वाकल्चर हेतु सोलर पावर सर्पोट सिस्टम	15.00 लाख प्रति यूनिट	7 लाख 50 हजार	9 लाख	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत एवं समिति / समूह आदि हेतु
मत्स्य सहेली (महिला अथवा उनके समिति / समूह हेतु)	10 लाख (डी.पी.आर. आधारित)	—	6 लाख	अधिकतम 1 यूनिट प्रति लाभार्थी प्रति ब्लॉक

पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर आधारित मत्स्य पालन (तालाब निर्माण)	1 हजार प्रति धन मी0	रु0 500 प्रति धन मी0	रु0 600 प्रति धन मी0	अधिकतम 500 धन मी0 व्यक्तिगत एवं 1000 धन मी0 समिति/समूह आदि
मैदानी क्षेत्र में तालाब निर्माण	11 लाख प्रति हैक्टेयर	5 लाख 50 हजार	6 लाख 60 हजार	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 10 हैक्टेयर समिति/समूह आदि
पर्वतीय क्षेत्र में तालाब सुधार	रु0 575 प्रति धन मी0	रु0 287.50 प्रति धन मी0	रु0 345 प्रति धन मी0	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 5 यूनिट समिति/समूह आदि
मैदानी क्षेत्र में निजी/ग्राम समाज के तालाबो का सुधार	7 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर	3 लाख 75 हजार प्रति हैक्टेयर	4 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 5 हैक्टेयर समिति/समूह/पट्टे तालाब आदि
समन्वित मत्स्य पालन (पर्वतीय क्षेत्र)	2 लाख प्रति यूनिट	1 लाख प्रति यूनिट	1 लाख 20 हजार प्रति यूनिट	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत, 02 यूनिट पट्टे तालाब एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि
समन्वित मत्स्य पालन (मैदानी क्षेत्र)	7 लाख प्रति यूनिट	3 लाख 50 हजार प्रति यूनिट	4 लाख 20 हजार प्रति यूनिट	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत, 02 यूनिट पट्टे तालाब एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि
मत्स्य आहार वितरण	मार्केट दर के अनुरूप (विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	मत्स्य पालन की वैज्ञानिक विधि द्वारा निर्धारित विभागीय मानकानुसार
अन्य इनपुट सामग्रियाँ (जाल, हैंडनैट, हापा, मिनीकीट)	मार्केट दर के अनुरूप (विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत एवं 2 यूनिट समिति/समूह आदि

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड



PROO

“मेरी योजना” प्रथम संस्करण में वन विभाग के क्रम संख्या-4 के संलग्नक-1 में उल्लिखित मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण निधि के अन्तर्गत मुआवजे के विवरण में राज्य सरकार द्वारा मुआवजा धनराशि में संशोधन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. वन्यजीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है (संशोधित) -

मानव क्षति का प्रकार	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली, 2024 के अनुसार अनुग्रह राशि हेतु देय दरें (रु० में)	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानक	भुगतान का स्रोत (रु० में)	
			राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 से देय राशि
साधारण रूप से घायल	15,000/- 16,000/-	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। (1) रु० 5,400/- प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में। (2) रु० 16,000 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	5,400/- प्रति व्यक्ति 16,000/- प्रति व्यक्ति	9,600/- प्रति व्यक्ति
गम्भीर रूप से घायल	1,00,000/- आवश्यकता है।	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। (1) रु० 5,400 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह कम से अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में। (2) रु० 16,000 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	5,400/- प्रति व्यक्ति 16,000/- प्रति व्यक्ति	94,600/- प्रति व्यक्ति 84,000/- प्रति व्यक्ति
आंशिक रूप से अपंग	1,00,000/-	शरीर के किसी अंग (लिंग) अथवा आंख / आंखों की हानि होने पर। रु० 74,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 60 प्रतिशत के मध्य होने की स्थिति में।	74,000/- प्रति व्यक्ति	26,000/- प्रति व्यक्ति
पूर्ण रूप से अपंग	3,00,000/-	रु० 3.00 लाख, प्रति व्यक्ति अपंगता के 60 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डाक्टर द्वारा किये प्रमाणन अधीन।	2,50,000/- प्रति व्यक्ति	50,000/- प्रति व्यक्ति
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	6,00,000/-	4.00 लाख प्रति व्यक्ति। इसमें वे भी शामिल हैं, जो राहत अभियानों में शामिल अथवा तैयारियों संबंधी कार्य कलापों से संबद्ध हैं। यह उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अधधीन है।	4,00,000/- प्रति व्यक्ति	2,00,000/- प्रति व्यक्ति

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्र०सं०	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं एवं चयन प्रक्रिया
1	स्थापनार्थ सहमति (CTE)	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974	उत्तराखण्ड में स्थापन करने वाली इकाई/ उद्योग	<p>जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service में ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नं० के द्वारा पंजीकरण किया जाता है। URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ पंजीकरण के पश्चात् CAF approval के लिए जिला उद्योग में आवेदन किया जाता है। CAF approval के पश्चात् स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑनलाईन पोर्टल ukocmms पर आवेदन किया जाता है। URL:- https://ukocmms.nic.in/ उक्त पोर्टल में आवेदन किये जाने हेतु उद्योग द्वारा निम्न दस्तावेज़ अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि आवंटन पत्र 2. प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान 3. उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रक्रिया का फ्लोचार्ट 4. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) 5. प्रपोज़ल ऑफ एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल मेज़र्स 6. जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण सुविधा एवं उसकी स्थापित क्षमता का प्रपोज़ल 7. पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि आवश्यक है। <p>उक्त समस्त प्रपत्र अपलोड करने व फार्म पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही शुल्क को जमा किया जाना होता है। वैधता-05 वर्ष</p>
2	संचालनार्थ सहमति (CTO)	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981, जल (प्रदूषण	उत्तराखण्ड में संचालन करने वाली इकाई/ उद्योग	<p>जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ संचालनार्थ सहमति (CTO) हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज़ निम्न</p>

		निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016		हैं:- <ol style="list-style-type: none"> 1. स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति की प्रतिलिपि 2. नवीनतम बैलेंसशीट 3. पर्यावरण वक्तव्य (फॉर्म- V) 4. स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति में उल्लेखित निर्देशों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 5. पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति, यदि आवश्यक है।
3	जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी/निजी बैडेड एवं नान बैडेड चिकित्सालय, पैथेलोजी लैब, वैटनरी चिकित्सालय, होम्योपैथिक/ आयुर्वेदिक/ यूनानी चिकित्सालय, निजी क्लीनिक	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सहमति/प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न हैं:- <ol style="list-style-type: none"> 1. वार्षिक आख्या (फॉर्म-2) 2. लॉग बुक की प्रति 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के इन हाऊस ट्रीटमेन्ट एवं निस्तारण का विवरण 4. क्लीनिकल स्टैबलिशमेंट की प्रति 5. अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 के संचालक के साथ ईकाई का करारनामा
4	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम- 2016	उत्तराखण्ड राज्य में निर्माण एवं विध्वंस का कार्य करने वाली इकाई/ उद्योग	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के सहमति/प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न हैं:- <ol style="list-style-type: none"> 1. फॉर्म-1 2. संचालनार्थ सहमति की प्रति 3. जनित अपशिष्ट की मात्रा विवरण (Waste generation greater than 20 ton but less than 300 ton) 4. फॉर्म-3, वार्षिक आख्या
5	ठोस अपशिष्ट	ठोस अपशिष्ट	समस्त नगर निकायों	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service

	प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	प्रबंधन नियम-2016	को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व निस्तारण हेतु यह प्राधिकार लिया जाना है।	URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in/ ठोस अपशिष्ट की सहमति/प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न हैं:- 1. प्रोसेसिंग फैसेलिटी की पर्यावरणीय स्वीकृति 2. फार्म-3 3. फार्म-1 4. संचालनार्थ सहमति की प्रति 5. अपशिष्ट की जनित, एकत्रण, परिवहन एवं निस्तारण की मात्रा की वार्षिक आख्या
6	ई-वेस्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत प्राधिकार	ई-वेस्ट प्रबंधन नियम-2024	Recyclers, Producer, Manufacturer of E-Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित ई-वेस्ट ई.पी.आर. पोर्टल की सेवा। URL:- https://eprewastecpcb.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु ई-वेस्ट की श्रेणी:- 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्यूफैक्चर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल नं0 एवं पैनकार्ड व पोर्टल में ई-वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों, जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कुल अपशिष्ट की आयात की मात्रा, पुनःचक्रण की मात्रा इत्यादि को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाना है।
7	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2022	Recyclers, Producer, Manufacturer of Plastic Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित प्लास्टिक ई.पी.आर. पोर्टल की सेवा। URL:- https://eprplastic.cpcb.gov.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु प्लास्टिक वेस्ट की श्रेणी:- 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्यूफैक्चर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल नं0 एवं पैनकार्ड व पोर्टल में प्लास्टिक वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाना है।
8	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2022	Recyclers, Producer, Manufacturer of Battery Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित बैटरी ई.पी.आर. पोर्टल की सेवा। URL:- https://www.eprbattery.cpcb.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु बैटरी-वेस्ट की श्रेणी:- 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्यूफैक्चर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल नं0 एवं पैनकार्ड व पोर्टल में बैटरी-वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाना है।

आवास विभाग, उत्तराखण्ड



क्र. सं.	योजना नाम का	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2024 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चार प्रकार से आवास बनाने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है:- 1. इन सीटू स्लम पुनर्विकास 2. ऋण से जुड़ी सब्सिडी ।	लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 तीन लाख से कम हो तथा भारत का नागरिक हो एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास	सम्बन्धि विकास प्राधिकरणों/ आवास विकास परिषद अथवा निजी विकासकों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों से आवेदन निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थियों से आवेदन फार्म पर वांछित सूचना एवं रू

<p>योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक। (संशोधित)</p>	<p>3.भागीदारी में किफायती आवास। 4.लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार। उक्त बिंदु 03 “भागीदारी में किफायती आवास घटक” का लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया का उल्लेख निम्न है— उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में निवास कर रहे निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को 30 वर्ग0 मी0 तक कारपेट एरिया के पक्का आवास एवं मूलभूत सुविधाएं जैसे विद्युत, पेयजल, आदि सुविधा दी जाती है। वर्तमान में राज्य अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवास विभाग द्वारा कुछ 20 परियोजनाओं में 15960 ई0डल्यू0एस0 आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास का विक्रय मूल्य रु 6.00 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा रु 1.50 लाख, राज्य सरकार द्वारा रु0 1.50 लाख प्रति इकाई एवं लाभार्थी द्वारा शेष रु 3.00 लाख प्रति इकाई दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को स-समय पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा रु 50 हजार प्रति इकाई वी0जी0एफ0 का भी प्राविधान है।</p>	<p>कर रहा हो (निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध करना होगा) एवं भारत आवास न हो, पंजीकरण भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://pmaymis.gov.in/ पर होना चाहिए। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगम कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय अथवा परियोजना विकासकों-प्राधिकरणों परिषद् के माध्यम से कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार उक्त योजना अन्तर्गत वही लोग आवास आवंटन हेतु पात्र होते हैं, जिनका पंजीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)के पोर्टल पर हो तथा इस हेतु उनको Unique identification नम्बर निर्गत हो गया हो।</p>	<p>5000.00की बुकिंग धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद्/निजी विकासकों के कार्यालय पर प्राप्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों, नगर निकायों, कार्यालयों, तहसील कार्यालयों पर भी आवेदन लिये जाते हैं। आवेदन हेतु ब्रोशर निःशुल्क प्राधिकरण /आवास एवं विकास परिषद्/निजी विकासकों के द्वारा रेरा पंजीकरण के उपरांत उपलब्ध कराये जाते हैं। ब्रोशर/आवेदन ऑनलाइन एवं कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। फार्म सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम/परिषद् कार्यालय, सम्बन्धित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय, एवं बैंक तथा ब्लॉक कार्यालयों में फार्म जमा कराये जाते हैं। आवेदन के साथ लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटों, उत्तराखण्ड में निवास की तिथि से सम्बन्धित दस्तावेज तथा देश में कहीं भी आवास न होने संबंधी शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा प्राधिकरण/आवास सम्बन्धित एवं विकास प्राधिकरण/आवास परिषद्/प्रायोजक, एवं विकास परिषद् स्तर पर की जाती है। संवीक्षा उपरांत सम्बन्धित प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय द्वारा आवश्यक स्थलीय सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के मध्य लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन की व्यवस्था है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को प्राथमिकता पर भू-तल पर आवास आवंटित किए जाने का प्राविधान है। उक्त सूची पर लॉटरी किये जाने के उपरान्त लाभार्थियों द्वारा धनराशि जमा की जाती है तथा उनको आवास आवंटित किया जाता है।</p>
---	---	---	--

उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण



उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण
UTTARAKHAND REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

[About Us](#) | [Acts & Rules](#) | [FAQ](#) | [Order/Notice](#) | [Registered](#) | [Defaulters](#) | [Login](#)



WHAT'S NEW

Search project, name, Builder or Agent

Search

Advanced Search

 <p>PROJECT REGISTRATION Promoters/Developers may click here to register their project</p>	 <p>AGENT REGISTRATION Agents may click here to register for project</p>	 <p>COMPLAINT REGISTRATION Users may click here to register their complaints</p>
--	---	--

PROJ

उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण

भू-सम्पदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा यथास्थिति, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन का विक्रय या भू-सम्पदा परियोजना का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में सुनिश्चित करने तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने और विवाद के शीघ्र समाधान के लिए एक न्यायनिर्णायक तंत्र की स्थापना और भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों, निदेशों अथवा आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए भी एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषांगिक विषयों हेतु उपबन्ध करने के लिए भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 दिनांक 25 मार्च, 2016 को प्रख्यापित किया गया। अधिनियम के समस्त प्रावधान दिनांक 01.05.2017 से लागू हुए।

उद्देश्य:—अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी, दक्षतापूर्ण एवं गुणवत्तापरक भूसंपदा सेक्टर का विनियमन एवं विकास तथा आवंटियों के हितों की रक्षा करना तथा इस हेतु भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करना है।

कार्य:— भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) का मुख्य कार्य रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं रियल इस्टेट एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन; आवंटियों (allottees) एवं सम्प्रवर्तकों (promoters) के मध्य उपजे विवादों के कारण दर्ज शिकायतों का निस्तारण करना; अपनी वेबसाइट विकसित कर उसमें डाटाबेस संचारित करना, जिसमें जनसाधारण के अवलोकन के लिए पंजीकृत रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं रियल इस्टेट एजेंटों का विवरण हो; सम्प्रवर्तकों, रियल इस्टेट एजेंटों तथा आवंटियों हेतु अधिनियम में निर्धारित बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित कराना; एवं एडवोकेसी के संवर्द्धन तथा जागरुकता सृजन के लिए समुचित उपाय करना है। भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अधिसूचित होने के उपरान्त दिनांक 28.04.2017 को उत्तराखण्ड भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली 2017, अधिसूचित की गई एवं 01 मई, 2017 से अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में लागू हो गया।

प्राधिकरण के गठन के पश्चात् से वर्तमान तक प्राधिकरण द्वारा 508 रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं 411 रियल इस्टेट एजेंट्स का पंजीकरण किया गया है। प्राधिकरण के गठन से वर्तमान तक प्राधिकरण को 1168 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 861 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। प्रमोटर/विकासकर्ता तथा आवंटी के मध्य किसी भवन, प्लॉट, अपार्टमेंट, प्लॉट इत्यादि क्रय किए जाने हेतु निष्पादित होने वाले विक्रय अनुबन्ध में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत अधिनियम में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय के लिए करार) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया है।

प्राधिकरण, न्याय निर्णायक अधिकारी तथा अपीलीय अधिकरण के आदेशों/निर्देशों के प्रभावी रूप से अनुपालन कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य), नियमावली, 2017 के नियम 23 में संशोधन कर उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) संशोधन नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें आवंटियों के हितार्थ आदेशों/निर्देशों का अनुलापन सुगमता से कराया जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा आम जनमानस एवं प्रमोटर/एजेंट्स हेतु शिकायत तथा पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल (<http://ukrera.org.in:8080/rerauk/>) विकसित किया गया है, जिसमें कोई भी शिकायतकर्ता/आवंटी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही प्रमोटर एवं एजेंट्स के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार



PRO

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मानचित्र सरलीकरण प्रक्रिया	आवासीय मानचित्र की स्वीकृति 15 दिन एवं व्यवसायिक मानचित्र की स्वीकृति 30 दिन प्रदान की जा रही है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू-स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू-स्वामियों के लिए अपने निजी आवास एवं व्यवसायिक आवास की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जिसके लिए भू-स्वामी अपने घर से ही आवेदन प्रेषित कर निर्धारित अवधि में मानचित्र स्वीकृत करा सकता है।
2.	उदय ऐप के द्वारा मानचित्र स्वीकृति	समस्त जनपद के भूखण्ड स्वामियों को मानचित्र स्वीकृति का लाभ मोबाईल ऐप पर उपलब्ध है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू-स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू-स्वामियों को मानचित्र बनाने एवं स्वीकृति प्रक्रिया को सरल करते हुए उदय ऐप की व्यवस्था की गयी है, जिसमें बिना शुल्क के आवासीय मानचित्र प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण आर्किटेक्ट से तैयार कराकर मानचित्र स्वीकृति में सहयोग किया जा रहा है।
3.	आवासीय निर्माण हेतु माडल मानचित्र उपलब्ध कराना	समस्त जनपद के भूखण्ड स्वामी को लाभ प्रदान किया जा रहा है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू-स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू-स्वामियों के सुविधा हेतु माँडल मानचित्र प्राधिकरण वेबसाईट पर अपलोड कराये गये है, भू-खण्ड स्वामी अपने भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार माँडल मानचित्र का चयन कर सुविधा प्राप्त कर सकता है।
4.	हेल्प डेस्क	प्राधिकरण में आने वाले व्यक्तियों को प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के साथ-साथ प्राधिकरण की अन्य जनहित योजनाओं की जानकारी तथा सहायता प्रदान किया जाता है।	समस्त आगुन्तकों के लिए	प्राधिकरण में आने वाले आगुन्तकों की सुविधार्थ कोई भी व्यक्ति/हित धारक हेल्प डेस्क से सुविधा प्राप्त कर सकता है।
5.	आवासीय सुविधा 1-इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप आवास)	छत रहित परिवारों के लिए आवासीय सुविधा का लाभ	राज्य के सभी निवासियों हेतु।	प्राधिकरण आवासीय ईकाईयों का चयन पंजीकरण के माध्यम से तथा आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जाता है।

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
(राज्य सफाई कर्मचारी आयोग)

उत्तराखण्ड राज्य के सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए, रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा करने, उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों के निवारण, निस्तारण/ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाने, किसी विभेद से उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन/उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करने आदि के लिए उत्तराखण्ड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।

आयोग की संरचना:-

- (1) अध्यक्ष (पूर्णकालिक)-01 (एक) (2) उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक)-01 (एक)
(3) सदस्य (अंशकालिक)-05 (पांच) तक, जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति:- राज्य सरकार द्वारा ऐसे गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के रूप में की जायेगी, जिनका सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकों के कल्याण, उनके पुनर्वास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण में उल्लेखनीय योगदान हो।

आयोग के कार्य:- (क) सफाई कर्मचारियों के लिए हैसियत, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना के अधीन कार्यवाही के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ख) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना तथा राज्य सरकार को ऐसे कार्यक्रमों तथा स्कीमों के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(ग) विनिर्दिष्ट शिकायतों का प्रन्वेषण करना और निम्नलिखित के न किये जाने के संबंधित मामलों को स्वप्रेरणा से अवेक्षा करना:-

1. सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के बावत कार्यक्रम और स्कीमों;
2. सफाई कर्मचारियों की कठिनाईयों को कम करने के लिए विनिश्चय, मार्गदर्शन या अनुदेश;
3. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अध्यापय;
4. सफाई कर्मचारियों पर लागू किसी विधि के उपबन्ध और ऐसे मामलों के संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से परामर्श करना।

(घ) सफाई कर्मचारियों द्वारा जिन कठिनाईयों या निर्योग्यताओं का सामना किया जा रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को नियतकालिक रिपोर्ट देना।

(ङ) कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा उसे निदिष्ट किये जाए।

आयोग की कार्य प्रणाली:- आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अंशकालिक सदस्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों को विस्तृत दौरा करेंगे तथा सफाई कर्मचारियों उनके संघों, गणमान्य नेताओं, नोडल एंजेसी तथा सरकारी पदाधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उनके पारस्परिक विचार तथा व्यक्तिगत टिप्पणियों के आधार पर आयोग, विचारोपरान्त अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा।

आयोग की शक्तियां:-(1) साक्ष्य लेना, प्रपत्र तलब करना, साक्षियों से बयान लेना तथा अन्य अधिकार, जो शासन द्वारा आवश्यक समझा जाये, आयोग को होंगे।

(2) आयोग को अपने कार्य सम्पादन में उपर्युक्त विहित किसी विषय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी समय राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से किसी विषय के बावत जानकारी मांगने की शक्ति होगी किन्तु किसी मुकदमें की न्यायिक जांच करने का दीवानी न्यायालय का अधिकार आयोग के पास न होगा।

शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण: आयोग में सफाई कर्मचारियों और मैनुअल स्केवेंजर्स से उनके अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का एक निवारक मंच है। शिकायत करने के प्रयोजनार्थ आवेदन मा0 अध्यक्ष/मा0 उपाध्यक्ष/मा0 सदस्यगणों, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तराखण्ड सरकार एवं सचिव, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जायेगा।

शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड
(नगर निगम, देहरादून)



नगर निगम, देहरादून

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी				
1.	व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बी०एल०सी०)	1-योजनान्तर्गत स्वीकृत लाभार्थी को रूपये 2 लाख का अनुदान आवास निर्माण कार्य प्रगति के सापेक्ष किश्तवार दिये जाने का प्रावधान है। इस धनराशि में रू० 1 लाख 50 हजार भारत सरकार तथा रू० 50 हजार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। 2-मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 458/2022 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आवास पूर्ण करने पर घरेलू साज-सज्जा हेतु रू० 5 हजार प्रोत्साहन राशि दिये जाते हैं।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न पात्रता मानक हैं:- 1. 17 जून, 2015 से पूर्व उस शहर में निवासरत होना चाहिए, जिससे लाभ प्राप्त करना चाहता है। 2. आवेदक का स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भाग में घर नहीं होना चाहिए। (घर का आशय सभी मौसम में रहने योग्य इकाई से है) 3. परिवार की वार्षिक आय रू० 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. किसी भी अन्य केन्द्र/राज्य/बाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु लाभ प्राप्त नहीं किया हो। 5. विधिक भू-स्वामित्व का भू-खंड अथवा कच्चा आवास/कमजोर आवासीय स्थिति होना आवश्यक है, जिस पर पक्का आवास निर्माण करना चाहते हैं।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/परिवार अपनी आवास मांग एवं धारित पात्रता के अनुसार नगर निकाय कार्यालय में आकर निम्न दस्तावेज / विधिक भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख के साथ निःशुल्क आवास मांग दर्ज करा सकते हैं। 1. पहचान पत्र हेतु पूरे परिवार आधार कार्ड की उपलब्धता होनी चाहिए। 2. दिनांक 17 जून, 2015 से पूर्व शहर में रहने का प्रमाण (यथा बिजली का बिल/पानी/टेलीफोन बिल, वोटर आई०डी०, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट अथवा अन्य प्रमाणिक अभिलेख) 3. बैंक खाता लाभार्थी परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम से होना चाहिए, वयस्क महिला सदस्य न होने पर पुरुष सदस्य के नाम से होना चाहिए। 4. विधिक भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख (रजिस्ट्री/खसरा खतौनी/पट्टा इत्यादि) की प्रमाणित प्रति जिसका भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन किया जाना। 5. वैध आय प्रमाण-पत्र अथवा रू० 10 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषित आय। 6. जाति प्रमाण पत्र/बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति/दिव्यांग प्रमाण पत्र।

				<p>7. पात्रता मानक के आधार पर रू0 10 के स्टाम्प पेपर का नोटराईज्ड शपथ पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ नगर निकाय क्षेत्र में 17 जून, 2015 अथवा उससे पूर्व से निवासरत है। ➤ उसके स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भाग में पक्का आवास नहीं है। (लाभार्थी परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र अथवा पुत्रियों से है) ➤ परिवार की वार्षिक आय रू0 3 लाख से अधिक नहीं है। ➤ उसके द्वारा किसी भी अन्य केन्द्र/राज्य/बाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। <p>8. उक्त अभिलेखों/दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन कर लाभार्थी चयन किया जाता है। जिसका विवरण प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी की अधिकारिक वेबसाईट www.pmaymis.gov.in पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाता है। पोर्टल पर आवास मॉग दर्ज कर सर्वे कोड जारी किया जाता है। जिसको पात्र लाभार्थियों की सूची के साथ संकलित कर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत लाभार्थी को लाभान्वित किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया है।</p>
--	--	--	--	--

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)				
2.	स्वतः रोजगार कार्यक्रम	<p>स्वतः रोजगार कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्र में लाभार्थी अपनी और परिवार की आर्थिकी को सशक्त करते हुए अपनी आजीविका का सम्वर्द्धन करता है।</p> <p>स्वतः रोजगार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को रू0 2.00(लाख) तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है।</p> <p>स्वतः रोजगार कार्यक्रम के लाभार्थी को ब्याज पर सब्सिडी देने का प्राविधान है। जिसमें 7 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा तथा अवशेष भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।</p> <p>स्वतः रोजगार कार्यक्रम में लाभार्थी अपना नया रोजगार एवं रोजगार में अभिवृद्धि भी कर सकता है।</p>	<p>नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत लाभार्थी इस योजना हेतु पात्रता रखता है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय भारत सरकार के मानकों के अनुसार रू0-3.00 (लाख) से कम होनी चाहिए।</p>	<p>स्वतः रोजगार कार्यक्रम निकाय स्तर से आवेदन पत्र प्राप्त करना, आवेदन पत्र पर लाभार्थी द्वारा कमशः आधार कार्ड, आय-प्रमाण या स्वघोषित 10 रू0 के शपथ पत्र (पूर्व में किसी भी बैंक से ऋण ना लिया हो), लाभार्थी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की परियोजना रिपोर्ट अनुमानित 2.00(लाख) तक, 01 पासपोर्ट साईज की फोटो, पते हेतु राशनकार्ड या बिजली का बिल, बैंक पास बुक, उपरोक्त सभी दस्तावेजों की छाया प्रति, आवेदन पत्र पर संलग्न कर नगर निकाय मे जमा करना होगा। निकाय स्तर पर आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क की जाती है।</p> <p>स्वतः रोजगार कार्यक्रम में आवेदन पत्रों का परीक्षण निकाय स्तर पर किया जाता है।</p> <p>स्वतः रोजगार कार्यक्रम के ऋण आवेदन पत्र को नगर निकाय द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति के सामने प्रस्तुत कर टास्क फोर्स द्वारा आवेदन पत्रों को लाभार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों एवं लाभार्थी से वार्ता कर परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात लाभार्थी का ऋण आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक को निकाय द्वारा भेजा जाता है।</p>
3.	स्वयं सहायता समूह	<p>नगर निकाय क्षेत्र में शहरी गरीब महिलाओं को योजना के तहत लाभ दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक समूह को एक बार में रू0-10000/- की धनराशि दी जाती है। समूहों द्वारा बैंकों से ऋण में माध्यम से महिलाओं की</p>	<p>स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु लाभार्थी शहरी निकाय का होना चाहिए। आधार कार्ड, 01 पासपोर्ट साईज की फोटों एवं परिवार की वार्षिक आय रू0 3.00(लाख) से कम होनी चाहिए।</p>	<p>स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु नगर निकाय से योजना से सम्बन्धित कर्मचारी वार्डों में जाकर महिलाओं के साथ मिलकर सामूहिक बैठक करते हैं। बैठक के उपरान्त महिलाओं को समूह गठन हेतु प्रेरित करते हैं। उसके उपरान्त स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। गठन के पश्चात् समूह का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जाता है। जिसमें समूह की महिलाएं मासिक बचत</p>

		आजीविका सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। समूहों को स्वरोजगार अपनाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।		जमा करती है। समूह की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। बैंकों के माध्यम से सी0सी0एल0 लिमिट के तहत स्वरोजगार हेतु कार्यवाही नगर निकाय स्तर से की जाती है।
4.	शहरी निराश्रितों हेतु सहयोग।	रैन बसेरों में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभ दिया जाता है।	नगर निकाय क्षेत्र में जो भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रहता हो वो व्यक्ति रैन-बसेरे में रह सकता है।	नगर निकाय के अन्तर्गत बने रैन बसेरों में रहने/ठहरने हेतु व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आ सकता है।
5.	प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना (पी0एम0स्वनिधि)	पी0एम0स्वनिधि योजना के तहत उत्तराखण्ड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली-2014 के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में शहरी गरीब परिवारों जो टेली, फड एवं पटरी, चलते फिरते, टैला गाड़ी, सिर पर टोकरी पर सामान या चलती बस में सामान बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। कोविड-19 के समय भारत सरकार द्वारा योजना को संचालित किया गया था।	पी0एम0स्वनिधि योजना के अन्तर्गत नगर निकाय द्वारा जो भी लाभार्थी टेली, फास्टफूड, फड लगाकर, सब्जी की टेली, पटरी, नाई, मोची, टैला गाड़ी एवं साईकिल टोकरी पर सामान या चलती बस में सामान बेच कर जीवनयापन करने वाले आदि लोग इसके पात्र हैं।	पी0एम0स्वनिधि योजना को भारत सरकार के एम0आई0एस0पोर्टल पर ऑन लाईन pmsvanidhi.mohua.gov.in पर भी लाभार्थी स्वयं भी आवेदन कर सकता है। तथा फेरी व्यवसाय द्वारा आवेदन नगर निकाय स्तर पर भी किया जा सकता है। आवेदन पत्र हेतु जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, 01 पासपोर्ट साईज की फोटों, बैंक पास बुक की छाया प्रति एवं आधार लिंक मौबाईल न0 की आवश्यकता होती है। नगर निकाय द्वारा लाभार्थी के आवेदन पत्र का परीक्षण कर पोर्टल के माध्यम से बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक द्वारा लाभार्थी को कार्य करने हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में प्रथम बार 10000/- द्वितीय बार 20000/- एवं तृतीय बार 50000/- दिये जाते हैं।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण				
6.	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र जन्म तिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। जो शिशु का सर्वप्रथम जन्म का मूल प्रमाण है, इसका उपयोग आधार कार्ड बनाने में, शिशु के उम्र को प्रमाणित करने, स्कूल में दाखिला के	उत्तराखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत) में जन्मे समस्त व्यक्ति जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र न बना हो इसके लिए भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु पात्र होंगे।	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन पंजीकरण राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत) जन्म पंजीकरण एवं जन्म-प्रमाण पत्र बनाने हेतु पिता/अभिभावक/आवेदक को अपणि सरकार पोर्टल https:// DC. CRSORGI. GOV.IN के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन

		<p>दौरान, छात्रवृत्ति के हेतु, परिवार रजिस्टर में नाम अंकित करने हेतु एवं अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।</p>	<p>करना होगा/कर सकता है। बच्चे के जन्म होने पर, जन्म होने की 21 दिन के भीतर आवेदन करने हेतु जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, एं एन एम/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र (मुहर के साथ), माता पिता का आधार कार्ड, आवेदन के दौरान प्रस्तुत करने होंगे आवेदन के उपरांत सम्बन्धित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा जाँच के उपरांत एवं सही पाए जाने पर निर्धारित 03 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका नगर निकाय द्वारा जन्म पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा एवं निर्धारित प्रमाण पत्र शुल्क ₹0 5/- प्रति कापी देय होगा। बच्चे के जन्म होने के 01 वर्ष के अन्दर जन्म की सूचना हेतु अभिभावक को जन्म की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः- जच्चा बच्चा कार्ड/अस्पताल/नर्सिंग होम का प्रमाण पत्र, बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जन्म फार्म सं0 1) पर सूचना एवं पंजीकरण शुल्क ₹0 5/-, विलम्ब शुल्क ₹0 5/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क ₹0 5/-, कुल ₹0 15/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा। 01 वर्ष के उपरांत जन्म की सूचना हेतु अभिवाहक को जन्म की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः- प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी सदर, देहरादून के नाम, रुपये 10 के स्टाम पेपर पर उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के नाम शपथ पत्र, जच्चा बच्चा</p>
--	--	---	--

				कार्ड/अस्पताल/नर्सिंग होम का प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म के समय निवास प्रमाण पत्र जैसे- बिजली, पानी, टैक्स की रसीद, बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जन्म फार्म सं0 1) पर सूचना एवं पंजीकरण शुल्क रू0 7/-, विलम्ब शुल्क रू0 10/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5/-, कुल रू0 22/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
7.	मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है, इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, जमिनी दस्तावेजों में नाम हटाने एवं अन्य पैतृक लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	उत्तराखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत) में मृत्यु हुये व्यक्ति जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र न बना हो इसके लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ग्रह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु पात्र होंगे।	<p>मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन पंजीकरण राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत) मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु-प्रमाण पत्र बनाने हेतु अभिभावक/ आवेदक को अपणि सरकार पोर्टल https://DC.CRSORGL.GOV.IN के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कोमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा/कर सकता है।</p> <p>मृतक के मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की 21 दिन के भीतर आवेदन करने हेतु जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड एवं फोटो, शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2) पर सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत सम्बन्धित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा जाँच के उपरांत एवं सही पाए जाने पर निधारित 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका नगर</p>

				<p>निकाय द्वारा मृत्यु पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा एवं निर्धारित प्रमाण पत्र शुल्क रु0 5/- प्रति कॉपी देय होगा ।</p> <p>मृतक के मृत्यु होने के 01 वर्ष के अन्दर मृत्यु की सूचना हेतु अभिवाहक को मृत्यु की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः-</p> <p>कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2) पर सूचना, शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद की मूल प्रति, यदि मृत्यु अस्पताल/नर्सिंग होम में हुई है तो वहां से निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, मृतक का आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति एवं पंजीकरण शुल्क रु0 5/-, विलम्ब शुल्क रु0 5/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रु0 5/-, कुल रु0 15/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा ।</p> <p>01 वर्ष के उपरांत मृत्यु की सूचना हेतु अभिवाहक को मृत्यु की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः- प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून के नाम, रूपये 10 के स्टाम पेपर पर उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के नाम शपथ पत्र, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2), शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद कि मूल प्रति, यदि मृत्यु अस्पताल/नर्सिंग होम में हुई है तो वहां से निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, मृतक का आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति ।</p> <p>मृत्यु के समय निवास प्रमाण पत्र जैसे- बिजली, पानी, टैक्स की रसीद, अन्य प्रपत्र जो</p>
--	--	--	--	---

				जॉचकर्ता द्वारा वांछनीय हो उसकी छायाप्रति एवं पंजीकरण शुल्क रू0 7/-, विलम्ब शुल्क रू0 10/-, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5/-, कुल रू0 22/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
8.	अनुपलब्धता जन्म प्रमाण पत्र हेतु			प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम, रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम पर शपथ पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आधार की छायाप्रति एवं राशन कार्ड की छायाप्रति अथवा पासपोर्ट की छायाप्रति एवं रू0 2/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
9.	अनुपलब्धता मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु			प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम, रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम पर शपथ पत्र शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद कि मूल प्रति अथवा छायाप्रति, आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं रू0 2/- प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
10.	सम्पत्ति कर संग्रह	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी जिनके भवन या भूमि नगर निगम सीमा में स्थित है।	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) होनी चाहिए।	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन nndonline.in पर आवेदित। सर्वप्रथम प्रथम बार भवनकर जमा कराने वाले स्वामियों/अध्यासियों द्वारा नगर निगम देहरादून द्वारा निर्धारित स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर उसमें संलग्नक के तौर पर खतोनी, विक्रय पत्र, दानपत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान आदि। एम0डी0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति आदि संलग्न कर स्वयं भवनकर का आंकलन कर कार्यालय में जमा कराया जाता है। कार्यालय स्तर पर आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से स्वकर निर्धारण प्रपत्र को स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति उपरान्त भवनकर स्वामी/अध्यासी अपनी सम्पत्ति का

				भवनकर ऑनलाईन nndonline.in site पर जाकर जमा करा सकते है। इसके अतिरिक्त ऐसे सम्पत्ति स्वामी जिनके पूर्व से ही स्वकर निर्धारण प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड है उपरोक्त ऑनलाईन साईट पर जाकर जमा करा सकते है।
11.	सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्र अविवादित/विवादित (आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी	<ol style="list-style-type: none"> 1. विक्रय पत्र/दानपत्र/लीज डीड (35 वर्ष से अधिक) के आधार पर उक्त प्रपत्र की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करते हुए 2. उत्तराधिकारी के आधार पर <ol style="list-style-type: none"> अ. वारिसान/उत्तरजीवी प्रमाण-पत्र ब. मृत्यु प्रमाण-पत्र स. आवेदन कर्ता शपथ पत्र समस्त वारिसानों के पता सहित मय फोटो नोटराईज 3. वसीयत के आधार <ol style="list-style-type: none"> अ. वसीयत की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित ब. मृत्यु प्रमाण-पत्र स. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र ड. शेष वारिसों का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान पते सहित मय फोटो नोटराईज 4. पारिवारिक बंटवारे के आधार पर <ol style="list-style-type: none"> अ. नोटरी से प्रमाणित, पारिवारिक बंटवारा सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत/अनुबंध के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ब. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र स. शेष वारिसों का वर्तमान पता स्टाम्प पेपर पर। 5. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर <ol style="list-style-type: none"> अ. मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित ब. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र 	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आनलाईन nndonline.in पर आवेदित।

			<p>6. नीलामी सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति ब. आवंटन कर्ता का शपथ पत्र 7. सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने पर अ. अधिग्रहण से सम्बन्धी प्रपत्र ब. आवेदन पत्र</p>	
12.	कर निर्धारण सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराये।	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति होनी चाहिए जिसका भवनकर बकाया न हो।	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय में आवेदन के उपरान्त। पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को सर्वप्रथम 10रु0 के स्टाम्प पेपर के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन के उपरान्त नगर निगम देहरादून के द्वारा सेवा हेतु निर्धारित शुल्क रु0 100/- की रसीद जारी की जाती है। रसीद जारी होने के 02 दिवस के भीतर आवेदक को कर निर्धारण सूची की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाती है।
13.	उत्तराखण्ड राज्य की लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रमाण पत्र (जांच आख्या)	उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु	<p>उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना- 29/XXXVI(3)2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी 2019 के अनुपालन में उक्त अध्यादेश की धारा-3 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु शासनादेशानुसार निम्न शर्तों को पूर्ण करना होगा-</p> <p>1. ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों को सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु 08.00 लाख से कम हो आरक्षण के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित है। परिवार की आय में सभी स्रोतों में अर्थात् वेतन कृषि व्यवसाय पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है।</p> <p>2. परन्तु यह कि जिनके आय या जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर</p>	पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को प्रमाण पत्र।

			<p>वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे :-</p> <p>(1) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक।</p> <p>(2) आवासीय भवन 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक, निर्मित क्षेत्रफल।</p> <p>(3) अधिसूचना नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड।</p> <p>(4) अधिसूचना नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अलावा अन्य क्षेत्रों में 250 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड।</p> <p>(5)सम्पूर्ण भारत में किसी भी अन्य राज्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु प्रमाण पत्र नहीं बनवाने का शपथ पत्र।</p>	
14.	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र से सम्बन्धित केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनको शहरी क्षेत्र में x,y,z श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता का लाभ मिलता है।	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु भूमि/सम्पत्ति सम्बन्धित दस्तावेज (फर्द,रजिस्ट्री) या नगर निगम की सम्पत्ति कर की रसीद /वार्षिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र/आधार कार्ड (जिसके पास जमीन है), किरायानामा, बिजली,पानी का बिल, (सम्पत्ति,स्वामी/आवेदक) एवं विभागीय परिचय पत्र शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप पर)	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदकों की जाँच उपरान्त 15 दिन में प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पेयजल विभाग- उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम



क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) (संशोधित)	घरेलू संयोजन से आच्छादित कर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।	इसलिए ग्रामीण पेयजल उपभोक्ता को पेयजल संयोजन/पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पात्रता का मानदण्ड नहीं है।	ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण के दौरान अथवा निर्माण उपरान्त प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जल संयोजन हेतु संयोजन शुल्क रू० 1.00 प्रतिकात्मक एवं आवेदन शुल्क रू० 25.00 विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराकर घरेलू जल संयोजन हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ रू० 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ एवं विशिष्ट पहचान पत्र (आधार कार्ड), वोटर आई०डी० कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी पहचान अभिलेख में से किसी एक की

				स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होती है। आवेदन करने के पश्चात् विभाग द्वारा अभिलेखों की जांचोपरान्त 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पेयजल एक जीवनदायिनी मूलभूत सुविधा/अति आवश्यक सेवा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उपभोक्ता को पेयजल संयोजन/पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पात्रता का मानदण्ड नहीं है और न ही उपभोक्ता के चयन हेतु कोई चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।
2.	विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अर्द्धनगरीय पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था।	संयोजन शुल्क रू0 1.00 प्रतिकात्मक एवं आवेदन शुल्क रू0 25.00 जमा कराकर घरेलू जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।	विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में चयनित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं है।	उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा राज्य के ऐसे 15 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों जिनकी जलापूर्ति योजना का निर्माण उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा कराया गया है, में निवासरत परिवार सीधे निकटवर्ती विभागीय क्लैकेशन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, वोटर आई0डी0 कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट पहचान पत्र, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेन्स बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (मानचित्र भवन निर्माण हेतु आवेदन संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यक नहीं है।) रू0 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जहाँ पर संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व/अध्यासी हेतु विक्रय पत्र, लीज पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र (फर्द), जमीन का पट्टा, वोटर आई0डी0 कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र किरायेदार अनुबन्ध राशन कार्ड बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी, विभागीय रजिस्टर्ड पलम्बर, जिसके माध्यम से आवेदक द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु जाति/अनु0 जनजाति/निराश्रित/भूमिहीन श्रमिक/सैनिक विधवायें/विभाग का कार्मिक है, तो उसका प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे 07 अर्द्धनगरीय क्षेत्र जिनकी जलापूर्ति योजना का निर्माण उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया गया है, उसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा भी जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत पेयजल संयोजन दिये जाने का प्राविधान है।

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड



क्र.सं.	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	अरायज नवीश लाईसेंस	कलेक्ट्रेट व तहसील कार्यालयों में फरियादियों के अनुरोध पर, उनके प्रार्थना पत्र लिखकर उनसे आंशिक लेकर जीविकोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो, लिखना पढ़ना जानता हो।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम,पता, सहित विवरण मांगा जाता है, जिसमें लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “अरायज नवीश लाईसेंस”चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:- अनिवार्य :-निवास का प्रमाण, पहचान का प्रमाण,चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी /प्रभारी अधिकारी द्वारा

				आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस के अंदर अरायज नवीश लाईसेंस जारी किया जाता है।
2	स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस	स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस पर स्टाम्पों की विक्री कर जीविकोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है, जिसमें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस” चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:- अनिवार्य: -निवास का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 20 कार्य दिवस के अंदर लाईसेंस जारी किया जाता है।
3	साहूकारी व्यवसाय लाईसेंस	साहूकारी व्यवसाय लाईसेंस लेकर व्यवसाय कर जीविकोपार्जन/ धनोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो व साहूकारी व्यवसाय की हैसियत रखता हो।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “साहूकारी लाईसेंस” चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:- अनिवार्य: -निवास का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित साहूकारी पंजीयक/अपर जिलाधिकारी द्वारा 10 कार्य दिवस के अंदर साहूकारी व्यवसाय लाईसेंस निर्गत किया जाता है।
4	उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र	अल्पसंख्यकों हेतु राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभ हेतु।	राज्य का मूल निवासी अल्पसंख्यक(मुस्लिम/ सिक्ख / ईसाई/ बौद्ध व जैन समुदाय में से किसी एक समुदाय का हो)	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा “उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र” चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते

				समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है :- अनिवार्य: -उत्तराखण्ड के मूल/स्थाई निवास का प्रमाण, उद्धरण खतौनी की प्रति 1989 से पूर्व की, परिवार रजिस्टर की प्रति अथवा उत्तराखण्ड में जन्म का प्रमाण पत्र। जांचोपरान्त नियमानुसार पाये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
5	तहसीलों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हुई टंकण त्रुटि दुरस्त किया जाना	पूर्व जारी प्रमाण पत्र में हुई टंकण त्रुटि दुरस्त कर सही प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	आवेदक के नाम पूर्व जारी प्रमाण पत्र जिसमें टंकण त्रुटि दुरस्त की जानी है, के सम्बन्ध में पूर्व में किये गये आवेदन व उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेज के आधार पर ही टंकण त्रुटि दुरस्त की जा सकेगी।	जिस पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है,उसी के स्तर से प्रमाण पत्र में हुई टंकण त्रुटि को दुरस्त किया जाता है। टंकण त्रुटि संज्ञान में आने पर या आवेदक द्वारा टंकण त्रुटि संज्ञान में लाने पर 05 कार्य दिवस के अंदर संशोधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
6	राजस्व अभिलेखागार /न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण	निजी जानकारी अथवा अभिलेखों की नकल प्राप्त करने में सुविधा।	आवेदक के आवेदन पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण कराया जाता है।	अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों के निरीक्षण की सुविधा आवेदक के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की तिथि पर अथवा अपरिहार्य स्थिति में दूसरे कार्य दिवस पर उपलब्ध करायी जाती है। यह सुविधा ऑनलाइन नहीं है। इस हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार के समक्ष आवेदन करना होता है।
7	लीज नवीनीकरण	किसी एक समयावधि के लिए सशुल्क स्वीकृत लीज को अग्रेत्तर वर्षों के लिए नवीनीकृत करना।	राजस्व विभाग के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत भूमि से संबंधित लीज की अवधि समाप्त होने पर स्वीकृत लीज में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत लीज का नवीनीकरण किया जाता है।	निर्गत लीज की शर्तों के अंतर्गत लीज नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन के साथ स्वीकृत लीज संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन की जिलाधिकारी के स्तर पर जांचोपरान्त स्वीकृत लीज को अग्रेत्तर वर्षों के लिए नवीनीकरण की दशा में लीज भूमि का वर्तमान दरों/लीज शर्तों के अंतर्गत निर्धारित नजराना जमा कराते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर नवीनीकरण स्वीकृति प्रदान कर सम्बन्धित अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी के द्वारा लीज नवीनीकरण किया जाता है। यह सेवा ऑनलाइन नहीं है। आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 कार्य दिवस के अंदर सम्बन्धित जिलाधिकारी की स्वीकृति से अपर जिलाधिकारी द्वारा लीज नवीनीकरण किया जाता है।

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड- उत्तराखण्ड परिवहन निगम




विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों हेतु निगम बसों में छूट का विवरण: -

क्र.सं.	विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों जिनको निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है।	यात्रा का आधार	अनुमन्य छूट
1	उत्तराखण्ड से निर्वाचित राज्यसभा लोकसभा के सदस्य	शासन से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क
2	उक्त के एक सहवर्ती	-	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)
3	उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य	सचिव विधान सभा से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क ।
4	उक्त के एक सहवर्ती	-	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)

5	उत्तराखण्ड विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्य	सचिव विधान सभा से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क
6	उक्त के एक सहवर्ती	—	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)
7	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
8	उक्त के एक सहवर्ती	—	पूर्णतः निःशुल्क
9	दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाएं।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
10	उक्त के एक सहवर्ती	—	पूर्णतः निःशुल्क
11	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के समस्त उत्तराधिकारी (विवाहित/अविवाहित पुत्र/पुत्री)	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
12	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
13	मान्यता प्राप्त पत्रकार	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत परिचय पत्र (प्रेस मान्यता कार्ड)	पूर्णतः निःशुल्क
14	40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति	प्रदेश के जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (UDID Card)	निगम किराया निःशुल्क (यात्रीकर / बीमा अधिभार तथा यात्री सुविधा, धनराशि देय होगी)
15	निम्नांकित श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक सहवर्ती अनुमन्य होगा:- (क) जो पूर्ण रूप से अंधे हो, या अल्पदृष्टि हो (लो विजन) से ग्रस्त हों। (ख) जो पूर्ण रूप से मूक बधिर हों (ग) जिनके एक हाथ या एक पैर अथवा दोनो हाथ या दोनो पैर पूर्ण रूप से कटे हों। (घ) जिनका एक हाथ या पैर अथवा	प्रदेश के जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।	निगम किराया निःशुल्क (यात्रीकर / बीमा अधिभार तथा यात्री सुविधा धनराशि देय, होगी)

	दोनो हाथ या दोनो पैर पूर्ण रूप से अंपग (पैरालाईज्ड) है। (ड) जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हों। (च) जो मानसिक रूप से रूग्ण हो।		
16	छात्राओं के लिए	प्रदेश के सभी छात्राओं को विद्यालय/महाविद्यालय/चिकित्सा/तकनीकी शिक्षण संस्थान के परिचय पत्र के आधार पर जिसे नजदीकी डिपो के स0म0प्र0 द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया हों।	केवल शैक्षणिक दिवसों में शिक्षण संस्थान तक जाने-आने के लिए। (एक ही बस में निरन्तर यात्रा मार्ग में यदि उत्तर प्रदेश का भू-भाग भी पड़ता है तो उस पर भी निःशुल्क यात्रा देय होगी।)
17	वरिष्ठ नागरिक	प्रदेश के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों (महिला व पुरुष) को फोटोयुक्त पहचान पत्र/ आयु प्रमाण -पत्र /आधरकार्ड /पैन कार्ड/वृद्धावस्था पेंशन कार्ड/पेंशन पट्टा अथवा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र जिसमें आयु का उल्लेख हो।	उत्तराखण्ड की सीमा में एवं यदि यात्रा का प्रारम्भिक स्थान एवं गन्तव्य स्थान के मध्य अन्य राज्य का अंश पड़ता है तब भी निःशुल्क यात्रा अनुमन्य होगी।
18	राज्य आन्दोलनकारी।	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत राज्य आन्दोलनकारी परिचय पत्र	निःशुल्क प्रदेश के अन्दर (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड जाने में यदि अन्य राज्य का भू-भाग पड़ता है तो उस पर भी)
19	मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी रियायत परिवहन योजना, 2023।	चयन संस्था (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र तथा उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र	किराये पर 50 प्रतिशत की छूट (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड जाने व अन्य राज्य से भी (उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होने अनिवार्य है।)
20	दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना।		दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, नानक मत्ता एवं रीठा-साहिब, कलियर शरीफ (हरिद्वार), ताडकेश्वर (पौड़ी) कालीमठ (रूद्रप्रयाग) जागेश्वर (अल्मोडा) गैराड गोलू (बागेश्वर) बैजनाथ (बागेश्वर) गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) महासू देवता हनोल, (देहरादून) कालिका (पौड़ी गढ़वाल,) ज्वालपा (पौड़ी गढ़वाल,) आदि धार्मिक स्थलों की यात्रायें भी निःशुल्क करायी जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडीए, उत्तराखण्ड)



सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA)

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ (संशोधित)	<p>उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपणि सरकार पोर्टल की शुरुआत की गयी है। इस पोर्टल में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों एवं पेशन/छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया जाता है।</p> <p>इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत न्यूनतम शुल्क भुगतान करना पड़ता है। आवेदक, अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जांच कर सकता है तथा सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक के प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं।</p> <p>यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई आपत्ति होती है। तो विभागीय अधिकारी, रिजेक्ट अथवा आपत्ति के साथ वापस कर देता है परंतु लम्बित नहीं रख सकता है। लम्बित रखने पर संबंधित व्यक्ति सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां पर संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क का जुर्माना हो सकता है।</p> <p>वर्तमान समय में नागरिकों को Whatsapp के माध्यम से आवेदन में पंजीकृत मोबाईल नम्बर से ही आवेदन की स्थिति व प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था उपलब्ध की गई है तथा Whatsapp के माध्यम से अपणि सरकार पोर्टल पर दी जाने वाली समस्त विभागों की सेवाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है।</p> <p>Whatsapp के माध्यम से ग्राहक सहायता केन्द्र का विवरण नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।</p>	<p>राज्य का कोई भी नागरिक जो सेवायें पोर्टल में उल्लिखित हों, उनका लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता है।</p> <p>1. वर्तमान समय में 73 विभाग की 886 सेवाएं नागरिकों को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है।</p> <p>2. जो लाभार्थी DBT Scheme के अन्तर्गत आते हैं, वे अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।</p> <p>3. वर्तमान समय में CSC के द्वारा नागरिक Doorstep Helpline No 18009110007 के</p>	<p>आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर पंजीकरण करना पड़ता है। आवेदक स्वयं भी पंजीकरण कर सकता है तथा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदक का विवरण, मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जिसका उपयोग कर आवेदक पोर्टल पर लॉगइन कर सकता है। किसी भी विभाग से संबंधित सेवा लेने हेतु संबंधित विभाग एवं सेवा का चयन कर उस सेवा हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होगी, उसकी पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है।</p> <p>अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एक आवेदन संख्या जारी हो जाता है, जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। आवेदक आवेदन संख्या का उपयोग कर अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है।</p> <p>आवेदन करने के उपरांत विभागीय कार्मिक /अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिसको आवेदक लॉगइन करके अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकता है।</p>

		<p>नागरिकों द्वारा सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए e- mail e-helpdesk@uk.gov.in के माध्यम से अपनी समस्याएँ दर्ज कर सकते हैं।</p> <p>अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त सेवाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों में संशोधन की व्यवस्था दी गई है। जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता स्वयं के नाम में, पिता, माता, मोबाईल नंबर में संशोधन कर सकता है।</p>	<p>माध्यम से अब घर बैठे सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जिसके लिए नागरिकों को Doorstep हेल्पलाइन नम्बर पर फोन कर घर पर ही सभी आवश्यक संबंधित दस्तावेज जमा कर आवेदन करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।</p>	
2.	ड्रोन नीति 2023	<p>1.राज्य के कठिन इलाकों में ड्रोन के माध्यम से सेवा वितरण और शासन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना।</p> <p>2.ड्रोन तकनीक में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना।</p> <p>3.ड्रोन सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (DSDM) और ड्रोन आधारित सेवाओं (Des) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।</p> <p>4.उद्योग, प्रशासन और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ड्रोन तकनीक से राज्य को अधिकतम लाभ पहुंचाना।</p> <p>5.ड्रोन सेवा प्रदाताओं, ड्रोन निर्माताओं, ड्रोन निवेशकों, ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप, उत्तराखण्ड के युवाओं, विश्वविद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को नीति के तहत लाभ मिलेगा।</p> <p>6.ड्रोन के उपयोग के लिए पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) ढांचे का विकास किया जाना।</p> <p>7.ड्रोन निर्माण और ड्रोन से संबंधित सेवाओं में उत्कृष्टता</p>	<p>ड्रोन सेवा प्रदाता,ड्रोन निर्माता, ड्रोन उद्योग के निवेशक, ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप उत्तराखण्ड के युवा, विश्वविद्यालय, आई.टी.आई. ,सरकारी, पॉलिटेक्निक कॉलेज</p>	<p>आवेदन राज्य के आईटी विभाग के अंतर्गत संस्था आई. टी.डी.ए. के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आवेदन प्रक्रिया और चयन मानदंडों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आईटीडीए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।</p>

		प्राप्त करने वाले स्टार्टअप/कंपनियों/व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना। 8.ड्रोन सेंटर ऑफ़ एकसीलेन्स की स्थापना। 9.विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ।		
3.	आई0टी0 इन्क्यूबेशन सेंटर	इन्क्यूबेशन सेंटर नये स्टार्टअप इकाइयों को उनके व्यवसाय को विकसित करने और उससे जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। स्टार्टअप और आई.टी., मेडिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को उनके नवीन पहल व विचारों व वेंचर के विकास में यह केन्द्र सहायता करता है। इन्क्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप को कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाता है साथ ही केंद्र का मिशन स्टार्टअप को इंटरनेट, चुनिंदा चिकित्सा उपकरण, बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है। इस केंद्र का मिशन नए स्टार्टअप और उनकी जरूरतों के अनुसार सहयोग करना है। स्टार्टअप को आगे बढ़ने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना है। आई.टी. इन्क्यूबेशन सेंटर विशेष रूप से शुरुआती चरणों में व्यवसाय और तकनीकी सेवाओं को प्रारंभिक स्टेज में स्टार्टअप कंपनी को प्रयोगशाला सुविधाओं, सलाहकार, नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। इन्क्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को जोखिम से मुक्त करने और उनकी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है।	उत्तराखंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप, आई.टी. स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, (विशेषतया कौशल विकास, आईटी और ए.आई, यात्रा और पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, जैव प्रौद्योगिकी और रोबोटिक)	स्टार्टअप टीम सेंटर मैनेजर से संपर्क करेगी। स्टार्टअप टीम में 1 से 3 सदस्य शामिल हो सकते हैं। स्थान 1 से 2 वर्ष के लिए आवंटित किया जाएगा (आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है)। स्टार्टअप उनकी आवश्यकताओं के लिए ई-मेल (diritda-uk@nic.in) पर भेजेगा। प्रबंधक स्टार्ट-अप की जरूरतों को आवंटित करेगा। स्टार्ट-अप टीम कार्य की उचित प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगी। स्टार्ट-अप को अपनी कंपनी का पंजीकृत नंबर हार्ड कॉपी या सॉफ्टकॉपी में तथा अन्य प्रमाण पत्र जैसे आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण जमा करना होगा। अभिलेख पूर्ण होने पर जांच के उपरान्त उपलब्धता के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।
4.	मुख्यमंत्री संदर्भ पोर्टल https://cmreferences.uk.gov.in/	माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्रों/सन्दर्भों को डिजिटली ऑनलाईन प्रेषण से सभी सन्दर्भों को त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा जिससे आम-जन से जुड़े सन्दर्भों में कार्यवाही से जनता को राहत प्रदान होगी।	राज्य के समस्त माननीय सांसद, मा.मंत्रीगण, मा. विधायक एवं समस्त	वर्तमान में माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्रों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्कैन कर पोर्टल के माध्यम से प्रेषण की व्यवस्था संचालित है, जिसमें अधिक समय लगने के साथ-साथ महानुभावों द्वारा बार-बार

			जनमानस।	कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा जाता है, जिसको डिजिटली सुविधा का स्वरूप प्रदान कर एडवांस पोर्टल cmreferences.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों यथा सम्बन्धित सचिवों, आयुक्तों, अपर सचिव एवं जिलाधिकारियों को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे उक्त पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही/प्रगति को माननीय महानुभावों द्वारा स्वयं समय-समय पर प्रदत्त आई0डी0 के माध्यम से ऑनलाईन देखा जा सकता है।
5.	मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल (तहसील दिवस) https://cmjs.uk.gov.in/	सुशासन सरलीकरण एवं समाधान के ध्येय पर अग्रसारित होते हुये तहसील दिवसों में प्राप्त होने वाली समस्त जनशिकायतों के अनुश्रवण हेतु डिजिटल व्यवस्था का निर्माण किया गया है। जिससे जन शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता आयेगी एवं त्वरित गति से समाधान किया जा सकेगा।	राज्य के समस्त नागरिक।	तहसील दिवसों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को डिजिटली प्रेषित किया जायेगा, एवं शिकायतों पर हुयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति को जनता द्वारा ऑनलाईन देखा जा सकता है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त जनपदों में होने वाले तहसील दिवसों एवं उक्त शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा सकता है, साथ ही तहसीलों में इन्टरनेट बाधित होने की दशा में शिकायतों का पंजीकरण offline भी किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

लघु सिंचाई विभाग



PROGR

लघु सिंचाई विभाग

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
केन्द्रपोषित योजना				
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (सतही योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सिंचाई सुविधा हेतु किये जाने वाले कार्य:- 1. पाईपलाईन/गूल, 2. हौज/जियो लाईन टैंक 3. सोलर पम्पसेट 4. छोटे गेटेड वियर	भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन के अनुसार:- (i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्राम के 05 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत कलस्टर निर्मित होगा, जिनका कमाण्ड एरिया 20.00 हैक्टे० या उससे अधिक हो। (ii) एकल योजना की दशा में कमाण्ड एरिया 10.00 हैक्टे० या उससे अधिक हो। (iii) योजना की लागत रू० 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iv) योजना का लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक होना चाहिए।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से परीक्षणोंपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहाकार समिति से अनुमोदन के उपरान्त मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृति के उपरान्त वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
2.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (भूजल योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं अथवा व्यक्तिगत भूजल सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य:- 1. सोलर चलित पम्पसेट,	भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन के अनुसार:- (i) सामूहिक योजनाओं के निर्माण हेतु कमाण्ड एरिया 5 हैक्टेयर उपलब्ध होना चाहिए। (ii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से

		2. विद्युत चलित पम्पसेट	कमाण्ड एरिया सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत हो।	परीक्षणोंपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहाकार समिति से अनुमोदन के उपरान्त मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृति के उपरान्त वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
केन्द्रीय सेक्टर योजना				
3	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी0एम0-कुसुम) (50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश, 20% कृषक अंश)	योजना में कृषकों को सोलर पम्पसेट की लागत का 80% अनुदान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तथा सोलर पम्पसेट की लागत का 20% अंश कृषक द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत कृषक द्वारा संचालित डीजल पम्पसेट को 7.5 एच0पी0 तक क्षमता वाले सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे डीजल आदि पर आने वाले व्यय में कमी होती है तथा उत्पादन लागत कम होने से कृषकों की आय में वृद्धि होती है।	MNRE भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार:- (i) कृषक सोलर पम्पसेट की लागत का 20 प्रतिशत कृषक अंश देने हेतु सहमत हो। (ii) कृषक के पास अपनी बोरिंग उपलब्ध हो। (iii) सिंचाई हेतु डीजल पम्पसेट का उपयोग कर रहे हो। (iv) सोलर पम्पसेट के साथ USPC लगवाने के इच्छुक कृषक उक्त कार्य के शतप्रतिशत भुगतान हेतु सहमत हो।	इच्छुक कृषक द्वारा जनपद में विभाग के खण्ड/उपखण्ड कार्यालय में प्रार्थना पत्र एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराया जायेगा। सर्वेक्षण उपरान्त उपयुक्तता की स्थिति में सोलर पम्पसेट का 20 प्रतिशत कृषक अंश की धनराशि सम्बन्धित कार्यालय में जमा की जायेगी। कृषक अंश प्राप्त होने के उपरान्त विभाग में सूचीबद्ध/चयनित फर्मों को सोलर पम्पसेट की स्थापना हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाता है। तथा स्थल सर्वेक्षण के उपरान्त सोलर पम्प की स्थापना की जाती है।
राज्य सेक्टर				
4	नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु किये जाने वाले कार्य:- 1. सोलर पम्प सिंचाई योजना 2. पाईपलाईन/गूल 3. हौज/जियो लाईन टैंक	(i) योजना के अन्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) ऐसी योजनाएं जो कि लाभकारी एवं आवश्यक हैं तथा जिनकी लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हों	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से

		<p>4. चैकडेम निर्माण (पर्वतीय क्षेत्र)</p> <p>5. छोटे गेटेड वियर (मैदानी क्षेत्र)</p>	<p>सम्मिलित की जाती हैं।</p> <p>(iii) चैकडेम निर्माण, प्राप्त प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त स्थलों पर किया जाता है।</p>	<p>परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त मुख्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन के माध्यम से नाबार्ड को प्रेषित किया जाता है, नाबार्ड से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।</p>
5.	<p>सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) (100% राज्यांश)</p>	<p>योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर स्थित ऐसे कृषि भूमि पर जहाँ गूल/पाईप लाईन से सिंचाई उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, उन स्थानों पर सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।</p>	<p>(i) योजना के अन्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है।</p> <p>(ii) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो।</p> <p>(iii) योजना का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र हेतु किया जाना है।</p>	<p>योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी।</p> <p>डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।</p>
6.	<p>अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण (100% राज्यांश)</p>	<p>योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों की स्थापना की जाती है।</p>	<p>(i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है।</p> <p>(ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो।</p> <p>(iii) योजना स्थल आर्टीजन कूप निर्माण हेतु उपयुक्त हो।</p> <p>(iv) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो।</p> <p>(v) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0</p>	<p>सामान्यतः आर्टीजन निर्माण हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के कुछ चयनित क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल के कुछ क्षेत्र ही उपयुक्त हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से प्रस्ताव खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जाती है।</p> <p>डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का</p>

			से अधिक हो।	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
7.	अनुसूचित जाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामूहिक सिंचाई हेतु निम्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है:- 1. हौज, 2. पाइर्प लाईन/गूल निर्माण	(i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (iv) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
8.	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामूहिक सिंचाई हेतु निम्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है:- 1. हौज, 2. पाइर्प लाईन/गूल निर्माण	(i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (iv) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हों एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती हैं, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (वित्त विभाग)



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	भूमि/भवन की रजिस्ट्री (अचल सम्पत्ति का पंजीकरण)	रजिस्ट्री किये जाने से लेखपत्र को विधिक ख्याति मिलती है। रजिस्ट्री के पश्चात् किसी अचल सम्पत्ति के स्वामित्व एवं अधिकारों से सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक होने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी सुरक्षित होती है, जिससे धोखाधड़ी व जाल-फरेब से मुक्ति मिलती है।	समस्त नागरिक।	भूमि/भवन के क्रय/विक्रय हेतु क्रेता/विक्रेता रजिस्ट्री को स्वयं अथवा दस्तावेज लेखक के माध्यम से तैयार करेगा। उसके बाद विभाग की वेबसाइट eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध (PDE) के माध्यम से ऑनलाईन एण्ट्री करेगा। तथा रजिस्ट्री कराने हेतु अपनी सुविधानुसार तिथि व समय पर क्रेता/विक्रेता दो गवाहों सहित पंजीकरण के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होगा। रजिस्ट्री तैयार करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :- <ul style="list-style-type: none"> • क्रेता/विक्रेता की पासपोर्ट फोटो। • क्रेता/विक्रेता एवं दो गवाहों के आधार कार्ड/पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र। • भूमि/भवन का पूर्ण विवरण भौगोलिक स्थिति के अनुसार। • भूमि/भवन के साथ क्रेता/विक्रेता की फोटोग्राफ।
02	विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान करना	सरकारी दस्तावेज के रूप में वैधानिक मान्यता प्रदान करना।	ऐसे पुरुष (21 वर्ष) एवं महिला (18 वर्ष) जिनका विवाह राज्य	विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-marriage Module के अन्तर्गत ऑनलाईन विवरण की प्रविष्टि अंकित करेगा। तथा अपनी

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			में हुआ हो अथवा राज्य के निवासी हो।	सुविधानुसार तय दिनांक व समय पर पति-पत्नी दो गवाहों के साथ विवाह के पंजीकरण हेतु सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होगा। विवाह प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :- • पूर्ण रूप से भरे ऑनलाईन आवेदन पत्र की दो मूल प्रतियां। • पति-पत्नी की दो पासपोर्ट फोटो। • पति-पत्नी व दो गवाहों के आधार कार्ड, शादी का कार्ड, जन्म तिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व अन्य पहचान पत्र।
03	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल प्रदान करना	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल का उपयोग भूमि/भवन की खरीद-फरोख्त, सरकारी कार्यालयों/बैंक लोन हेतु किया जा सकता है।	वह व्यक्ति जो किसी विलेख की प्रमाणित प्रति की वांछा रखता है।	आवेदक अपने घर, कार्यालय या साईबर कैफे से eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-Nakal के माध्यम से विलेख से सम्बन्धित जानकारी अंकित करते हुए विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
04	भूमि/भवन आदि की पूर्व में पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना	किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व में पंजीकृत समस्त विलेखों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	वह व्यक्ति जो किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व में पंजीकृत समस्त विलेखों की जानकारी चाहता है।	आवेदक अपने घर, कार्यालय या साईबर कैफे से eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-Search पोर्टल के माध्यम से विलेख से सम्बन्धित जानकारी अंकित करते हुए पूर्व में पंजीकृत अभिलेख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
05	रजिस्ट्री में दी जा रही स्टाम्प छूट	<ol style="list-style-type: none"> समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। आर्थिक उन्नयन करना। कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों में बेहतर प्रदर्शन करना। राज्य की सैन्य शक्ति को महत्व प्रदान करना। 	<ol style="list-style-type: none"> महिलाओं निःशक्त व्यक्तियों राज्य सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों। 	<ol style="list-style-type: none"> महिला क्रेता को 25 लाख रुपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार 25 प्रतिशत की छूट। निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में रु० 25 लाख (रु० पच्चीस लाख) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार 25 प्रतिशत की छूट। राज्य के सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों को 25 लाख रुपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत तक की छूट। कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की छूट।

रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स (वित्त विभाग)

क्र० सं०	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सोसाइटी पंजीकरण	समाज सेवा जनकल्याण एवं अन्य चैरिटेबल कार्य।	आमजन।	ऑन लाइन पोर्टल पर वेबसाइट-ifms.uk.gov.in पर लॉगिन कर ऑन लाइन फार्म भरते के उपरान्त निम्न प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना है:- 1-ऑनलाईन पंजीकरण फार्म 2-नोटिरी के सत्यापित शपथ-पत्र 3-सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण, जैसे-बिजली/पानी का बिल/सेलडीड/खतौनी की अद्यतन प्रमाणित प्रति। 4-प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारियों सदस्यों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड। 5-सोसाइटी के कार्यालय के पते के भवन स्वामी की NOC /किरायानामा /लीज। 6-सोसाइटी के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत, ऑनलाईन लिंक के माध्यम से रु 5550 पंजीकरण फीस को जमा कराया जाना होगा।
2.	फर्म पंजीकरण	व्यावसायिक गतिविधियां	भागीदार	ऑन लाइन पोर्टल पर वेबसाइट-ifms.uk.gov.in पर लॉगिन कर पर ऑन लाइन फार्म भरते के उपरान्त निम्न प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना है:- 1-ऑनलाईन फार्म न० 1(मूल में) 2-फार्म न० 1 के सत्यापन हेतु शपथ पत्र (मूल में) 3-फार्म के प्रधान स्थान अन्य स्थान के पते के प्रमाण बिजली/पानी/सेलडीड/खतौनी की अद्यतन सत्यापित प्रति। 4-भागीदारों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड। 5- रु 1000/-के स्टाम्प पेपर पर बनायी गयी नोटरी सत्यापित भागीदारी डीड की प्रति, जो भागीदारों के मूल हस्ताक्षरों से सत्यापित हो। 6-फर्म के प्रधान स्थान/अन्य के स्थान के भवन स्वामी की फर्म पंजीकरण हेतु NOC किरायानामा /लीज डीड की सत्यापित प्रति। 7-फर्म के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत, पंजीकरण फीस रु 5000/ का ऑनलाईन भुगतान, पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन लिंक के माध्यम से करना होगा।

PROGK

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विभाग, उत्तराखण्ड



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (NFSM)	योजना के अन्तर्गत गन्ने के साथ सहफसली खेती कराकर कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु गन्ना कृषकों को आधुनिक रूप से गन्ने की एक आंख गन्ना बुवाई, ट्रेंच विधि, रिंग विधि एवं गन्ने के साथ अन्य सहउत्पादों (सहफसली खेती जैसे :- गेहूँ, मटर, आलू, सरसों, राजमा, उरद एवं गोभी आदि) की खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें फसल लागत हेतु अनुदान रू० 9000 प्रति हेक्टे० दिया जाता है।	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील व गन्ने के साथ सहफसली खेती करने वाले कृषक।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से गन्ना बीज उत्पादन करना जिसमें आधार पौधशाला से बीज वितरण पर रू० 50/कु० एवं प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर रू० 25/कु०, फील्ड प्रदर्शन पर रू० 15000/हेक्टे०, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैविक उत्पादों के वितरण, कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। खेत प्रदर्शन पर किसानों भ्रमण कार्यक्रम, प्रचार प्रसार एवं किसानों की मृदा परीक्षण व ग्राम	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक, जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।

		तथा जिला स्तर के प्रशिक्षण व अधिक उपज वाले किसानों की पुरस्कार कार्यक्रम किया जाता है।		
3.	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना (SMAM)	योजना में कृषि यंत्रों को गन्ना कृषकों को (अनु0जाति, अनु0ज0जति, महिला, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य बड़े 40 प्रतिशत) अनुदान राशि पर उपलब्ध कराये जाते हैं।	योजना के अन्तर्गत गन्नों कृषक, जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।	किसान को SMAM के पोर्टल http://agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वयं अथवा नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना होता है। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में “पहले आओ पहले पाओ” की व्यवस्था लागू की गयी है।
4	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	<p>1. प्रजनक बीज गन्ना उत्पादन कार्यक्रम :- गो0 बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर द्वारा उनके अधीनस्थ शोध केन्द्रों के फार्म पर चलाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत गन्ने की नवीनतम प्रजातियों का प्रजनक बीज उत्पादन कराया जायेगा। गन्ना शोध केन्द्रों पर 25 प्रतिशत प्रजनक गन्ना बीज पौधशालायें शरदकालीन में एवं 75 प्रतिशत पौधशालायें बसन्तकालीन में स्थापित की जायेगी। इन पौधशालाओं से गन्ना विभाग द्वारा आबंटन अनुसार बीज वितरण पर रू0 100 प्रति कु0 की दर से संस्था को अनुदान राशि दिया जाता है, जो कि जनपद की औसत उपज के आधार पर देय अनुदान का 50 प्रतिशत पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि हेतु दिया जायेगा तथा शेष बीज वितरण होने पर देय होगा।</p> <p>2. आधार पौधशाला अधिष्ठापन :- आधार पौधशालाओं का अधिष्ठापन किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें रू0 50/- प्रति कु0 गन्ना बीज वितरण पर अनुदान देय प्रस्तावित है, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 15000 होगी।</p> <p>3. प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन :- प्राथमिक पौधशालाओं का अधिष्ठापन किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें रू0 25/- प्रति कु0 गन्ना बीज वितरण पर अनुदान देय प्रस्तावित है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 10000 होगी।</p> <p>4. क्षेत्रप्रदर्शन :- गन्ना बुवाई की नवीनतम तकनीक से प्रदर्शन स्थापित किये जायेंगे। जिसमें गन्ना कृषकों को 0.500 हेक्टेयर के प्रदर्शन पर रू0 7500 का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।</p>	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक, जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।

		<p>5. गन्ना बीज यातायात एवं कटाई लदाई :-शोध केन्द्रों के फार्म पर उत्पादित अभिजनक बीज के यातायात हेतु क्रेता आधार पौधशाला धारक अथवा गन्ना विकास परिषद को वास्तविक खर्च का शतप्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>6. कृषि यन्त्रों पर अनुदान :- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अनुसार गन्ने की खेती में प्रयोग होने वाले मानव चालित यंत्रों को वितरित किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>7. गन्ना बीज अन्तर मूल्य भुगतान :- विभाग द्वारा गन्ना बीज की वास्तविक लागत के आधार पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, या तो राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थित किसी भी गन्ना शोध केन्द्रों से गन्ना बीज दिया जा सकता है।</p> <p>8. कीट/रोग एवं खरपतवार नियंत्रण :- फसल संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए एक किसान अधिकतम रू0 3000 प्रति हेक्टेयर के लिए ही पात्र होगा। वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 3000 प्रति किसान अनुदान देना है।</p> <p>9. सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रो-न्यूट्रियन्ट) जैविक एवं जैव उर्वरकों का वितरण :- योजना के अन्तर्गत कृषकों को गन्ने की सफल खेती एवं चीनी परता सुधार हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों जैविक एवं जैव उर्वरकों की खरीद पर मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम रू0 1000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान देना।</p> <p>10. प्रचार प्रसार एवं किसानों की मृदा परीक्षण व ग्राम तथा जिला स्तर के प्रशिक्षणों का आयोजन कर किसानों को गन्ने की उन्नतशील खेती हेतु प्रोत्साहित करना।</p>		
5	<p>गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम/ उत्पादन में वृद्धि की योजना :-</p>	<p>1. गन्ना बीज बदलाव एवं प्रजातीय सन्तुलन :-गन्ना कृषकों द्वारा लम्बे समय से बोई जा रही है, (जैसे को0शा0-767, को-1148, को0शा0-97264, को0शा0-94257, व को0शा0-8436 आदि) गन्ना प्रजाति को अच्छी पैदावार व उच्च परते वाली प्रजातियों के माध्यम से प्रतिस्थापित करने की योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है, तथा अगेती प्रजाति के अन्तर्गत अन्य शीघ्र नवीनतम गन्ना प्रजाति को0पन्त0 12221, को0शा0 8272, को0 0118, को0पी0के0 5191, को0 15023, को0पी0बी0 91, को0पी0बी 92, को0पी0बी 96, को0पी0बी 98, को013035, को0लख0 9709, को0लख0 12207, को0लख0 14201, को0शा0</p>	<p>योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम दर्ज हो।</p>	<p>इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।</p>

	<p>13235, को0लख0 15201 एवं को0लख0 16202 आदि व लो-लेन्ड के लिए उच्च शर्करायुक्त शीघ्र नवीनतम गन्ना प्रजाति की व्यापक रूप से पैदावार की जा सके, जिससे गन्ने की पैदावार में वृद्धि के फलस्वरूप चीनी परता में भी वृद्धि हो सके।</p> <p>शोध केन्द्रों के गन्ना बीज पर सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य पर 20 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है। कृषकों को मिल गेट से अधिक गन्ना बीज का मूल्य प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा, तथा कृषकों को शोध केन्द्रों से गन्ना बीज मंगाकर प्रति कुन्तल मिल गेट रेट पर एवं कटाई-लदाई व यातायात पर विभाग द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित है।</p> <p>2. आधार/प्राथमिक पौधशाला पर अनुदान :-कृषकों को प्रोत्साहन करने हेतु आधार पौधशालाधारक को गन्ना बीज वितरण पर रू0 50.00 प्रति कु0 एवं प्राथमिक पौधशालाधारक को रू0 25.00 प्रति कु0 की दर से अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है।</p> <p>3. गन्ना बुवाई की नवीनतम विधियां :-गन्ना बुवाई हेतु नवीनतम ट्रैच विधि/रो-स्पेसिंग विधि अपनायी जाये जिसके अन्तर्गत गन्ना लगाने के लिए कूड से कूड की दूरी 4 फीट, गहराई 1 फीट तथा 2 आँख वाले टुकड़ों के बीच की दूरी 4 से 6 या 6 से 9 इन्च का अन्तर रखा जाये। कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों के खेतों पर शीघ्र प्रजाति, एक आँख दो आँख एवं मिश्रित खेती के 1.000 हेक्टेयर के प्रदर्शन पर 10000.00 रू0 का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है।</p> <p>4. खरपतवार प्रबन्धन पद्धति :-गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है।</p> <p>5. कीड़े एवं बीमारियों से फसल को बचाव :-गन्ना की फसल को कीट एवं रोगों से बचाव हेतु उच्चकोटि के इन्सेक्टिसाइड व पेस्टिसाइड किसानों को उपलब्ध कराने हेतु कृषि रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है।</p> <p>6. किसानों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी देना :-समय-समय पर किसानों को अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की बुवाई के सम्बन्ध में तकनीकी</p>		
--	---	--	--

		<p>जानकारी प्रदान किये जाने हेतु गन्ना विकास विभाग/गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर द्वारा कृषकों/कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला स्तर पर कृषकों गोष्ठी का आयोजन कराना।</p> <p>7. किसानों को आधुनिक कृषि यन्त्रों की जानकारी देना व उपलब्ध कराना:-किसानों को आधुनिक कृषि यन्त्रों के सम्बन्ध में समय-समय पर गन्ने की खेती में उपयुक्त उत्तम बैट्री चालित/पेट्रोल मोटर चालित स्प्रे मशीन, हैरो, कल्टीवेटर कृषि यन्त्र भी उपलब्ध कराये जायेंगे। आगामी वर्षों में ड्रोन स्प्रे, ट्रैच ऑपनर आदि वितरण करने का प्रस्ताव है।</p>		
6.	जिला योजना अ. गन्ना विकास की योजना :-	<p>1. उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन की योजना :- अधिष्ठापित आधार पौधशालाओं पर अंकन 1000 रु0 (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 2000.00 रु0) प्रति हेक्टे0 एवं प्राथमिक पौधशालाओं पर 500 रु0 प्रति हेक्टे0 पर (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 1000.00 रु0 प्रति हेक्टे0) अनुदान दिया जा रहा है।</p> <p>2.बीज/भूमि उपचार :-बीज/भूमि जनित कीटों एवं रोगों के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले जमाववर्धक/मृदा उपचारक रसायनों पर सभी चीनी मिल क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। जिसमें शासन का 25 प्रतिशत अंशदान एवं अवशेष 25 प्रतिशत अंशदान गन्ना विकास परिषद तथा चीनी मिल का होगा।</p> <p>3. पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम :-पेड़ी गन्ना फसल को कीटों एवं रोगों से बचाने के लिये इनके नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशकों पर सभी चीनी मिल क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। जिसमें शासन का 25 प्रतिशत अंशदान एवं अवशेष 25 प्रतिशत अंशदान गन्ना विकास परिषद तथा चीनी मिल का होगा।</p>	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हो, तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जमीनी वस्तावेजों में दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात् चयन किया जाता है।

	<p>ब. अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना</p>	<p>योजना के अन्तर्गत कृषकों को क्रय केन्द्र तक गन्ना ढुलान में सरलता एवं चीनी मिल को ताजे गन्ना उपलब्ध कराना। योजना के अन्तर्गत चयनित मार्गों का 75 प्रतिशत व्यय शासकीय अनुदान द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत लाभान्वित संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है।</p>	<p>भ्रमण कृषक, गन्ना समितियों/चीनी मिल।</p>	<p>इस योजना का लाभ लेने हेतु सड़कों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा उपरान्त सड़कों का प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करते हैं। तदुपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त के माध्यम से सड़क निर्माण का प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। जिलाधिकारियों के अनुमोदन उपरान्त ही गन्ना विकास परिषदों में मैचिंग ग्रांट में धनराशि उपलब्ध होने पर चयनित सड़कों का 75 प्रतिशत व्यय शासकीय अनुदान द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत गन्ना विकास परिषदों द्वारा वहन किया जाता है। इस मद की धनराशि सहायक गन्ना आयुक्त स्तर से सड़को की सूची प्राप्त होने के पश्चात् ही शासन स्तर से अवमुक्त होगी, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत सड़को का चयन समाज कल्याण द्वारा जारी मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा।</p>
<p>7.</p>	<p>गन्ना कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम</p>	<p>निःशुल्क गन्ने की उन्नतशील व आधुनिक खेती की जानकारी/प्रशिक्षण।</p>	<p>चीनी मिल एवं समितियों के परिक्षेत्रों के समस्त कृषक।</p>	<p>गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ग्राम स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय गोष्ठीयां की जाती हैं, जिसमें किसानों को गन्ने की उन्नतशील व आधुनिक खेती के साथ-साथ गन्ने में लगने वाले कीट रोग व उनके रोकथाम हेतु गन्ना अनुसंधानों के वैज्ञानिकों व गन्ना विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा गन्ना किसान संस्थान द्वारा राज्य एवं अन्तरराज्य गन्ना शोध केन्द्रों एवं अनुसंधान केन्द्रों पर भ्रमण कार्यक्रम किया जाता है।</p>

PROG.

आबकारी विभाग



कार्य:-

1. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिये गये प्राविधान तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप ही आबकारी अनुभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुये आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। राजस्व अर्जन के साथ-साथ विभाग द्वारा शीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के नीति निर्धारण एवं नियंत्रण से प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है।
2. वर्तमान आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद-47 के अन्तर्गत दिये गये नीति निदेशक तत्वों के दृष्टिगत मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, भण्डारण, आयात, निर्यात, बिक्री से सम्बन्धित गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना है।

3. पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत, पर्यावरणीय बाध्यताओं का पालन करते हुये कृषि तथा बागवानी उत्पादों को नष्ट होने से बचाने, आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाने हेतु निवेश को प्रोत्साहन, प्रसंस्करण द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित करने, उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासियों को रोजगार के अवसर एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान आबकारी नीति में शामिल किया गया है।
4. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों में पलायन रोकने व उद्योग स्थापित करने हेतु नई आबकारी नीति में विशेष प्राविधान किये गये है।
5. नई आबकारी नीति वर्ष 2024-25 में मदिरा व्यवसाय पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिये पूर्व में चली आ रही नीति को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है। नई आबकारी नीति का उद्देश्य मदिरा सेवन को सुरक्षित सीमा के अन्तर्गत जिम्मेदारी से रखा जाये तथा प्रदेश को मदिरा उपभोक्ता राज्य से उत्पादक एवं निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित होने के लिये निवेश को आकर्षित किये जाने के प्राविधान किये गये है।
6. नई आबकारी नीति का उद्देश्य सेवाओं के सरलीकरण, मदिरा अनुज्ञापनों के आवंटन में पारदर्शिता, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण एवं अनियमितताओं के लिये कठोर प्राविधान किये गये है।
7. नई आबकारी नीति में एक व्यक्ति को अधिकतम 03 मदिरा दुकानें आवंटित की गयी है, जो कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी आवंटन हेतु पात्र है।
8. पर्वतीय अंचल में उच्च गुणवत्तायुक्त बागवानी उत्पादों से निर्मित माईक्रो डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट स्थापना के प्राविधान किये गये है।
9. थोक मदिरा अनुज्ञापनों में निर्माता कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के लिये एफ0एल0-2/सी0एल0-2 अनुज्ञापन प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।
10. पर्वतीय जनपदों में प्रीमियम ब्राण्ड के डिपार्टमेन्टल स्टोर को प्रोत्साहित करने के लिये मानकों एवं लाईसेन्स फीस में छूट देते हुये 400 वर्ग फीट व लाईसेन्स फीस को 05 लाख रुपये वार्षिक किया गया है।
11. बार लाईसेन्स की व्यवस्था को सुविधाजनक करते हुये वनडे बार, स्टार कैटेगिरी बार, सीजनल बार आदि के प्राविधान पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन के दृष्टिगत किये गये है।
12. वर्ष 2023-24 में रू0 4000 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 4038.69 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा वर्ष 2024-25 हेतु रू0 4439 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.08.2024 तक रू0 1924.04 करोड़ लक्ष्य प्राप्त हो चुकी है।
13. आबकारी विभाग के मुख्यालय, समस्त जनपदीय कार्यालयों, आसवनियों, बॉटलिंग प्लांट, ब्रुवरी, मदिरा के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (दुकानों) पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार का गलत कार्य न कर सके और उन पर बराबर निगरानी रखी जा सके। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हेतु विभाग में मदिरा के आयात, निर्यात एवं विक्रय के लिए ऑनलाईन परमिट की व्यवस्था की गई है।
14. आबकारी विभाग के अन्तर्गत मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग सम्बन्धी शिकायतों में अनुज्ञापि के विरुद्ध आबकारी अधिनियम/संगत आबकारी नियमावली के अन्तर्गत तत्परता से आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के प्राविधान के तहत अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग के मुख्यालय पर आबकारी विभाग का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नम्बर-18001804253 एवं कंट्रोल रूम टेलीफोन नम्बर-01352656229 है जो 24 घण्टें कार्य करता है और इसमें कोई भी आबकारी विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
15. प्रवर्तन दल एवं अपराध निरोधक क्षेत्र द्वारा समय-समय पर शिकायत एवं मुखबरी के आधार पर प्रवर्तन की कार्यवाही कर अवैध मदिरा पर प्रभावी अंकुश लगाया जाता है।
16. चैक पोस्टों पर निममित चैकिंग की कार्यवाही की जाती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड

MENT



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड

क्र० सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	ई-निविदा सह ई-नीलामी खनन पट्टा	राजस्व की प्राप्ति व स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	निजी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी / संस्था	<p>1. जनपदों से प्राप्त रिक्त राजस्व उपखनिज क्षेत्रों का विज्ञापितकरण।</p> <p>2. निविदा में प्रतिभाग किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख / प्रपत्र / शुल्क:-</p> <p>क- ई-निविदा प्रपत्र शुल्क रु० 20,000.00 ऑन लाईन विभागीय लेखा शीर्षक 08530-01-02-01-00 में जमा किया जायेगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क का 18 प्रतिशत जी०एस०टी० का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में।</p> <p>ख आवेदन शुल्क रु० 1,00,000.00 निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक 0853-00-102-0-00 में ऑनलाईन जमा किया जायेगा।</p> <p>ग आवेदक का आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा कम्पनी के मामले में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का डी०आई०एन० के प्रमाण पत्र की प्रति, कोऑपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।</p> <p>घ- आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सचिव का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।</p> <p>ङ- आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।</p> <p>च- आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।</p> <p>छ- आवेदक के जी.एस.टी. नं० की प्रति।</p> <p>ज- आवेदक के बैंक खाते का विवरण, बैंक व शाखा नाम खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।</p> <p>झ-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा प्रकाशन के उपरांत निवेदित लॉट हेतु जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र। यदि आवेदक अपने गृह जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में स्थित खनन लॉट प्रतिभाग करता है, तो, अपने गृह जनपद के साथ-साथ सम्बन्धित जनपद हेतु प्राधिकृत अधिकारी से खनन अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।</p> <p>ट- कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित</p>

			<p>प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण की प्रति कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति।</p> <p>ठ- किसी भी राज्य में खनन सक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी रू0 100/- के ई-स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति।</p> <p>ड- परिवार (आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन) के सदस्यों के विरुद्ध खनन बकाया न होने के सम्बन्ध में आवेदक के द्वारा रू0 100/- के ई-स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति।</p> <p>ढ- निविदादाता के द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का प्रारूप रू0 100/- के ई-स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति।</p> <p>त- निविदादाता “निजी व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी” के द्वारा विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0 की स्वप्रमाणित प्रति।</p> <p>थ- नदी तल खनन स्थित खनन लॉटी/खनन अनुज्ञा/स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन का 06 माह का अनुभव प्रमाण-पत्र, जो, कि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत हो की प्रति।</p> <p>द- निविदित खनन लॉट के आधार मूल्य के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि धरोहर राशि (Earnest Money) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर० के रूप में, जो, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक हो, की प्रति।</p> <p>ध- जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण-पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र (Solvency Certificate), जो आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से कम न हो, तथा फर्म/कम्पनी आदि की दशा में विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट (Balance Sheet) की प्रति जिसका टर्नओवर नेटवर्थ (Net worth) अधार मूल्य से कम न हो।</p> <p>या</p> <p>यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अद्यतन न हो, तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा, कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण-पत्र की विधि से अद्यतन) नीलामी बॉलीवाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।</p> <p>या</p> <p>हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ०डी०आर० (राष्ट्रीयकृत बैंक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।</p>
--	--	--	---

				<p>या</p> <p>आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से, यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है, तो, उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर (राष्ट्रीयकृत बैंक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो), जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होंगे जमा कराये जा सकेंगे।</p> <p>2-तदोपरान्त उक्त क्षेत्रों की निविदा आमंत्रित।</p> <p>3 निविदा प्रपत्र को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।</p> <p>4-निविदा डाउनलोड बिक्री आरम्भ।</p> <p>5-ऑनलाईन ई-निविदा जमा करना प्रारम्भ।</p> <p>6-तकनीकी निविदा खोली जायेगी।</p> <p>7-तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।</p> <p>8-वित्तीय निविदा का परिणाम घोषित करते हुए सफल निविदादाता एच-1 घोषित किया जायेगा।</p> <p>9-सफल निविदादाता एच-1 के पक्ष में सीमाबन्धन, खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य आवश्यक वांछित अनुमतियों हेतु निदेशालय से आशयपत्र निर्गत किया जायेगा।</p> <p>10- आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त आशयपत्र धारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा शासनादेश निर्गत किया जायेगा।</p> <p>11-शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उपनिबन्धक से पट्टाविलेख हेतु स्टाम्प का आगणन कराने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर एक माह के अन्तर्गत पट्टाधारक विलेख का निष्पादित कराया जायेगा।</p> <p>12 पट्टाविलेख निष्पादित होने के उपरान्त सम्बन्धित उपनिबन्धक कार्यालय में पट्टाविलेख का पंजीकरण कराये जाने के उपरान्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सी०टी०ओ० प्राप्त किये जाने के उपरान्त ई-रवन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।</p> <p>13 पट्टाधारक के आवेदन पर जिला खान अधिकारी द्वारा ई-रवन्ना पोर्टल जारी किया जायेगा। तदोपरान्त पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ कर उपखनिज का विक्रय प्रारम्भ करेगा।</p>
2.	निगमों को पट्टे का आवंटन	राजस्व की प्राप्ति व स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	गढ़वाल परिक्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि०, कुमाऊँ परिक्षेत्र में	<p>1. सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम०एम०-1 पर आवेदन शुल्क रु० 1,00,000.00 निर्धारित है, को विभागीय लेखाशीर्षक 08630-01-02-01-00 में जमा करते हुए आवेदन किया जायेगा।</p> <p>क-खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति। ख-जी०एस०टी० की प्रति।</p> <p>2- जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आवेदित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा</p> <p>3-स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र निर्गत किये जाने हेतु आख्या निदेशालय को संस्तुति सहित प्रेषित की जायेगी।</p>

			कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० तथा वन क्षेत्र में वन विकास निगम लि०	<p>4 जिलाधिकारी की आख्या के आधार पर सीमाबन्धन, खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य आवश्यक वांछित अनुमतियों हेतु महानिदेशक द्वारा आशय पत्र निर्गत किया जायेगा।</p> <p>5- आशयपत्र में वांछित अनुमतियों को प्राप्त किये जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे का शासनादेश निर्गत किया जायेगा।</p> <p>6-शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०यू० निष्पादित कराया जायेगा।</p> <p>7-एम०ओ०यू० निष्पादित होने के उपरान्त सम्बन्धित राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सी०टी०ओ० प्राप्त किये जाने के उपरान्त ई-स्वन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।</p>
3.	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के उद्योग हेतु।	भारत का नागरिक होना।	<p>1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन मय अभिलेखों व आवेदन शुल्क रु० 10,000/- सहित जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।</p> <p>2. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा।</p> <p>3. गठित समिति यथा उप जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून न हो, जिला खान अधिकारी व पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी।</p> <p>4. जिलाधिकारी गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगा।</p> <p>5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगा।</p> <p>6. जिलाधिकारी व महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।</p>
4.	मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट	मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट उद्योग हेतु।	1. भारत का नागरिक होना। 2. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायीं	<p>1. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन मय अभिलेखों व आवेदन शुल्क रु० 2.00 लाख सहित सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।</p> <p>2. आवेदक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा।</p> <p>3. गठित समिति यथा उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगी।</p> <p>4. गठित समिति की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट (On Site) की स्थापना तथा प्लांट परिसर में कच्चे/तैयार माल के</p>

			संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदार।	भण्डारण की स्वीकृति अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना निर्माण अवधि की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए महानिदेशक/निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
5.	हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट	हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लांट उद्योग हेतु।	भारत का नागरिक होना।	<p>1.हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लांट के पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख सहित संबंधित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>2.गठित समिति यथा उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>3. गठित समिति की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में पक्के माल भण्डारण की स्वीकृति 02 वर्ष अथवा परियोजना निर्माण अवधि की तिथि, जो भी न्यून हो, के लिए महानिदेशक/निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।</p>
6.	रिटेल भण्डारण	—	भारत का नागरिक होना।	<p>1.रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन मय अभिलेखों व आवेदन शुल्क रू0 25,000/- जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।</p> <p>2. आवेदक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा।</p> <p>3. गठित समिति यथा जिला खान अधिकारी व तहसीलदार आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगा।</p> <p>4. गठित समिति की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।</p>
7.	रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा	—	—	<p>1. ऐसे क्षेत्र जहां नदी/गदरों/जलाशय/नहर के द्वारा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट अत्यधिक मात्रा निक्षेपित /जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/ आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।</p> <p>2. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तर के इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी (Open Auction) की विज्ञप्ति जारी की जायेगी।</p> <p>3. सफल बोलीदाता को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर०बी०एम०/ सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।</p>


आभार

कतिपय देखा गया है राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा मुख्यतः योजनाओं का लाभ उल्लेख किया जाता है, परन्तु जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे अधिकांश पात्र लाभार्थी समुचित जानकारी के अभाव में योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिये गत वर्ष, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के 55 विभागों की मुख्य योजनाओं/सेवाओं का संकलन करके एवं लाभ प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए “मेरी योजना” पुस्तक का प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया। पुस्तक को राज्य के समस्त जनप्रतिनिधियों/विभागाध्यक्षों एवं पुस्तकालयों को उपलब्ध कराया गया तथा पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी राज्य के समस्त विभागों के वेबसाइटों में उपलब्ध करायी गयी है।

“मेरी योजना” पुस्तक के प्रथम संस्करण की सफलता के उपरांत तथा इस प्रकार के अभिनव प्रयासों को देखकर मा० राज्यपाल महोदय एवं मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/आयोगों इत्यादि द्वारा भी संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में “मेरी योजना” पुस्तक का द्वितीय संस्करण तैयार किया गया है। साथ ही प्रथम पुस्तक की अभूतपूर्व सफलता तथा सूचना का अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार आयोग के मा० आयुक्तों द्वारा पुस्तक को अति जनोपयोगी देखते प्रशंसा की गयी, जोकि द्वितीय संस्करण के प्रकाशन हेतु उत्प्रेरक के रूप में साबित हुई।

इस पुस्तक को मूर्त रूप देना मा० राज्यपाल महोदय एवं मा० मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों, मार्गदर्शन एवं मुख्य सचिव महोदय के अपार सहयोग के बिना असम्भव था। साथ ही पुस्तक तैयार करने में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम यथा -श्री एन.एस. डुंगरियाल, संयुक्त सचिव, श्री पूरनगिरि, उप सचिव, श्री जे०पी० मैखुरी, अनु सचिव, श्री नन्दराम, अनुभाग अधिकारी, श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल, अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा, समीक्षा अधिकारी, श्रीमती रंजना, समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी, कम्प्यूटर सहायक, श्री मुकेश चन्द्र देवरानी कनिष्ठ सहायक, श्री अमित वर्मा, होमगार्ड तथा विशेष कार्याधिकारीगण-श्रीमती वंदना घाटनी, श्री आर०के० चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ० शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल, साथ ही मेरे निजी स्टाफ में तैनात श्री जितेन्द्र पाण्डेय, निजी सचिव, श्री उमेश कुमार अपर निजी सचिव के अपार सहयोग एवं अथक प्रयासों और कड़ी लगन के बिना पुस्तक पूर्ण होना असम्भव था।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के उपरोक्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारीगणों, जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं/योजनाओं/कार्यों का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूँ साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे राज्य के यशस्वी मा० मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश की प्रशासनिक मुखिया के रूप में श्रीमती राधा रतूडी, मुख्य सचिव महोदय का “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण को मूर्त रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु भरपूर योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।


(दीपक कुमार)
सचिव

राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, संगठन व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल

विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई.मेल	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई.मेल
<p>1. समाज कल्याण विभाग कार्यालय-निदेशालय, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल दूरभाष न0-05946-297051, फ़ैक्स न0-05946-297050 ईमेल-directorsocialwelfare@gmail.com</p> <p>अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय-धर्मपुर डाण्डा, लेन न0 भवन न0-24 अम्बीवाला गुरुद्वारा, देहरादून। दूरभाष फ़ैक्स-0135-3510631 मा0 अध्यक्ष-8958591111 सचिव-9411717352 ईमेल-scstcommission2001@gmail.com, kavitatamta@gamil.com</p>	<p>2. जनजाति कल्याण विभाग, कार्यालय-निदेशालय, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिं कॉलोनी डालनवाला, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2975304, 9927699532, 9758253322 ईमेल-janjatikalyan@yahoo.co.uk.com, janjatikalyanuk@gmail.co अनुसूचित जनजाति आयोग, कार्यालय-उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून। दूरभाष न0-0135-2975374, ईमेल- uk.stcommission@gmail.com</p>
<p>3. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम कार्यालय-शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला (निदेशालय, जनजाति कल्याण परिसर), देहरादून दूरभाष - 0135-2675226 ईमेल-vikasnigam12@gmail.com</p>	<p>4. सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय- निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, 15-सी, कालिदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून। दूरभाष न.-0135-2744208, ईमेल-dir-soldierwel-uk@nic.in उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि., कार्यालय-अंडमान रोड गढ़ी कैंट देहरादून दूरभाष-0135-2750913, 2750140 ईमेल-agreement@upnl.co.in, info@upnl.co.in</p>
<p>5. महिला कल्याण विभाग कार्यालय- निकट नन्दा की चौकी सुद्धोवाला प्रेमनगर देहरादून दूरभाष न0-0135-2974534, ईमेल- ukchief@gmail.com राज्य महिला आयोग आयोग कार्यालय का पता:-उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून। फोन/व्हाट्स-एप नं0- 8126774374 (कार्य दिवस में सम्पर्क हेतु प्रातः-10.00 से सांय-05.00 बजे तक उपलब्ध) ई-मेल- women.commission.uk@gmail.com वेबसाइट:-https://ukscw.org.in</p>	<p>6. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय-उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्क विकास निगम अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। दूरभाष न0-01352788723 ईमेल-alpsankhyak1@gmail.com उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय-अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून दूरभाष-0135-2781201 ईमेल- info@ukmc.in उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून कार्यालय-अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट छात्रावास,</p>

		<p>अधोईवाला, देहरादून। दूरभाष-0135-2975456 ईमेल-ukmadarsaboard@gmail.com उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड कार्यालय-अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला देहरादून दूरभाष-ईमेल-ceouk@wakf.gov.in</p>	
7.	<p>भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड कार्यालय-जी.एम.वी. 74 / 1, राजपुर रोड देहरादून दूरभाष- डी.एल.सी-9997217000 ईमेल- ukbocw@gmail.com</p>	8.	<p>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय-आयुक्त, खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड सरकार, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून। दूरभाष नं०-0135-2780778 ईमेल- foodcommfcs@gmail.com विधिक माप विज्ञान विभाग कार्यालय- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उत्तराखण्ड B-ए बंगाली लाइब्रेरी रोड, करनपुर देहरादून। दूरभाष-0135-2741926 ईमेल-legalmetuk@gamil.com उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग कार्यालय- उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, 73 ए लवली मार्केट, पंडितवारी, फेज-02 देहरादून। दूरभाष-0135-2669420 ईमेल- uafoodcommission@gmail.com राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग कार्यालय-राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड, 23 / 16, सकुंलर रोड, झलनवाला देहरादून। दूरभाष-0135-3510041 ईमेल- scdrc-uk@nic.in osclkbV&https://scdrc.uk.gov.in</p>
9.	<p>गृह विभाग साइबर क्राइम- पुलिस हेडक्वार्टर, 12 सुभाष रोड, देहरादून दूरभाष नं०-0135-2655900, 05944-297762 ईमेल-ccps.deh@uttarakhandpolice.uk.gov.in हेल्प लाइन नं०-1930 उत्तराखण्ड अग्नि शमन एवं आपात सेवा कार्यालय-पुलिस हेडक्वार्टर, 12 सुभाष रोड, देहरादून दूरभाष-8412070164 ईमेल- ddtfireukd@gmail.com, fshq.ukfs@gmail.com</p>	10.	<p>भाषा विभाग कार्यालय- उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, 461 / 1 / 1 चन्द्रलाक कालोनी, निकट जी. एम.वी.एन. राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष-07830005969 ईमेल- directorbhashauk@gmail.com</p>

	<p>टोल फ्री न०-112 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, कार्यालय-28 पार्क रोड, लक्ष्मण चौक निकट दीप लॉज, देहरादून। दूरभाष-0135-2520317, 3558209 ईमेल-spcauttarakhand@gmail.com, slsa-uk@nic.in, uklsanainital@gmail.com जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखण्ड 8-ए बंगाली मौहला लाईब्रेरी रोड करनपुर, देहरादून। दूरभाष-0135-2740248, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड जिला कारागार परिसर सुद्धीवाला, देहरादून। ईमेल-igprisonsuk@gmail.com, ig-jail-uk@nic.in,</p>		
11.	<p>माध्यमिक शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा) – राज्य परियोजना, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न०-0135-2781941, 2781992 हेल्प न०.1800-180-4132 ईमेल-a spd-ssa-uk@nic.in</p>	12.	<p>संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार,–संस्कृत भवनम्, रानीपुझालं, ज्वालापुर, हरिद्वारम् दूरभाष-9837149064 ईमेल-uksa2002@gmail.com उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार – बहादुराबाद, हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पो.बहादुराबाद हरिद्वार। दूरभाष न०-0135-2665054 ईमेल- registrar@usw.ac.in, ssnuk2011@gmail.com</p>
13.	<p>तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यालय- तकनीकी शिक्षा निदेशालय एनसीसी ब्लॉक परिसर, राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर (गढ़वाल) पौड़ी गढ़वाल। दूरभाष न०- 01346-250169, ईमेल- ukdtecss-dte-uk@nic.in jjs.ubte15@gmail.com उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)–सुनेहरा रोड (निकट-के एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी ईमेल-js.ubte15@gmail.com वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय – चकराता रोड, पो.ओ. चंदनवाड़ी, सुद्धीवाला देहरादून। दूरभाष-0135-2774067 ईमेल- helputuums@uktech.ac.in</p>	14.	<p>कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग कार्यालय- उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन 26 ईसी रोड महिला आई.टी.आई. सर्वे चौक देहरादून दूरभाष न०-01352653665 ईमेल- info.uksdm@gmail.com</p>
15.	<p>खेल विभाग – खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न०- 0135-2781414 सहायक निदेशक-9412980824 ईमेल- directorspts1@gmail.com</p>	16.	<p>उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क) – 21/4 ई.सी.रोड, देहरादून उत्तराखण्ड। दूरभाष न०-9412921524, ईमेल. u.serc@rediffmail.com</p>
		17.	<p>विज्ञानधाम-(यू-कॉस्ट) – महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, विज्ञान सदन ब्लॉक, देहरादून दूरभाष: 2976266 ईमेल: ucost@ucost.in amit.ucost@gmail.co</p>

<p>18. उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, कृषि विभाग कार्यालय- बायोटेक भवन, हल्दी, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड। दूरभाष नं०-05944-230567 ईमेल-statebiotech@rediffmail.com, directorucb@gmail.com</p>	<p>19. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यालय- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड। डाडा लखौण्ड पो, गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून। दूरभाष नं. 0135-2608763 ईमेल-sec-uttarakhand@uk.gov.in, mdnhmuk@gmail.com nhmukiec@gmail.com उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, कार्यालय-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन, पो.ओ. गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष-0135-2608885, अपर परियोजना निदेशक-8077932051 ईमेल-uksacs1@gmail.com, apdusacs@gmail.com राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, आ.टी. पार्क, सहस्त्रधारा, देहरादून।</p>
<p>20. उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय-गली नं०-03 मकान न-23 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड, देहरादून दूरभाष-सचिव/परीक्षा नियंत्रक-8006136888 वित्त नियंत्रक-9219736164। ईमेल-ukmssbdun@gmail.com, ukmssbexam@gmail.com</p>	<p>21. आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग - आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, डाडा लखौण्ड, पो. गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, आई.टी. पार्क, देहरादून। दूरभाष नं. 0135-2608742 ईमेल- ukdirayurved@gmail.com उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय -उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड हर्षावाला देहरादून। दूरभाष-0135-2685993, ईमेल-uttarakhandayurved@gmail.com</p>
<p>22. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग - उद्योग निदेशालय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर देहरादून, दूरभाष नं०-0135-272 8272, ईमेल- mpr@doiuk.org स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (सिडकुल) -29-आई.आई.ई., आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून दूरभाष-0135-2607292, 2708100 ईमेल- pro.shivangisingh@gmail.com gm@siidcul.com</p>	<p>23. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, थानो रोड, भोपालपानी, देहरादून उत्तराखण्ड ईमेल- hq.ukvib@gmail.com</p>
<p>24. संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग कार्यालय-निदेशालय संस्कृति एवं धर्मस्व उत्तराखण्ड एम.डी.डी.ए. कालोनी डालनवाला चन्दर रोड देहरादून दूरभाष नं०-01352712595, ईमेल- directorculture@gmail.com राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा कार्यालय-पं० गोविन्द बल्लभ पंत, राजकीय संग्रहालय सेंट्रल लॉज, माल रोड,</p>	<p>25. उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय-पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन निकट औएनजीसी हेलीपैड नींबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून। दूरभाष-0135-2559898 अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-9811981221, ईमेल- traveltradeutdb@gmail.com, planningutdb@gmail.com</p>

<p>अल्मोड़ा उत्तराखण्ड। दूरभाष-9410344122 ईमेल-museum.almora@gmail.com राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़-राजकीय संग्रहालय, पो.ऑ. -विण, नैनीसैनी हवाई पट्टी रोड, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड। दूरभाष-9410344122 ईमेल-govtmuseumpit@gmail.com श्री बट्टीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति - साकेत लेन नं० 6 कैनाल रोड देहरादून दूरभाष-सीईओ-7906243155 सीएफओ-9456873743 ओएसडी-9411530765 ईमेल-ceo.bktoddn/gamil.com, support-ucdb@uk.gov.in</p>	<p>गढ़वाल मण्डल विकास निगम कार्यालय- गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि०, राजपुर रोड देहरादून दूरभाष-0135-6913000, 2746817, 2749308 2431793, ईमेल-yatraofficegmvn@gmail.com, gmvnreservationhq@gmail.com कुमाऊँ मण्डल विकास निगम - कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, ओक पार्क हाउस नैनीताल, दूरभाष-05942-236936, 235656, 8650002520, 9520864206 ईमेल-crckmvn@gmail.com राजकीय होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून कार्यालय-191 सहारनपुर रोड पटेलनगर देहरादून, दूरभाष-0135-2728662 ईमेल-doongihm@gmail.com जगत सिंह विष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा दूरभाष-05962-298280, 254246 ईमेल-gihmalmora@gmail.com</p>
<p>26. ऊर्जा विभाग (उरेडा) कार्यालय-ऊर्जा पार्क परिषद् इण्डस्ट्रियल एरिया पटेल नगर, देहरादून। दूरभाष न०-0135-2521387, 2521553 ईमेल-adm.uredahq@gmail.com st.uredahq@gmail.com यू.पी.सी.एल. कार्यालय-ऊर्जा भवन कांवली रोड बल्लीवाला चौक, देहरादून। ईमेल-rapdrparta@upcl.org उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग कार्यालय-विद्युत नियामक भवन, निकट आई.एस.बी.टी., पो.ऑ.-माजरा, देहरादून, दूरभाष-0135-2641115 फ़ैक्स-2641314 ईमेल-secy.uerc@gov.in osclkbZV&www.uerc.gov.in</p>	<p>27. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग कार्यालय-महानिदेशक, सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। दूरभाष न०-0135-2662971 ईमेल-infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in, ufdc2015@gmail.com</p>
<p>28. ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय-आयुक्त, ग्राम्य विकास (ग्रामीण विकास विभाग), पौड़ी उत्तराखण्ड। दूरभाष न.- संयुक्त विकास आयुक्त-9411149140 ईमेल-dcprogramme303@gmail.com ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कार्यालय-कृषि भवन, श्रीनगर रोड, पौड़ी गढ़वाल। फोन न०- 01368-222474 ईमेल-palayanniwaranayog@gmail.com</p>	<p>29. कृषि विभाग कार्यालय-कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, कृषि भवन, नंदा-की-चौकी, प्रेमनगर, देहरादून, दूरभाष न०-0135-2972421 ईमेल-dir.agri.uttarakhand@gmail.com, dir-agri-ua@nic.in उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद कार्यालय-द्वितीय तल, किसान भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, नेहरू ग्राम, देहरादून दूरभाष-0135-2662770 उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कार्यालय-मण्डी भवन रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर, दूरभाष- 05944-250055</p>

		ईमेल- uamandi@rediffmail.com गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर कार्यालय- गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला-उधमसिंहनगर। दूरभाष-रजिस्ट्रार-05944-233640, 9528023394 ईमेल- registrar@gbpuat.ac.in कॉम्प्यूटोलर-05944-233473, 9997441646 ईमेल- gbpuatcompt@gmail.com	
30.	उद्यान विभाग कार्यालय-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा। दूरभाष नं०-0135.2759799ए ईमेल- missionhortiuk@gmail.com वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल - भरसार, पौड़ी गढ़वाल दूरभाष-रजिस्ट्रार-01348-226070, ईमेल- registraruuhf@gmail.com	31.	पशुपालन विभाग - पशुपालन निदेशालय, प्रशासनिक भवन, मोथरोवाला, देहरादून। दूरभाष नं०-0135-2532809, 9837153140 ईमेल- dirahuk@gmail.com उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड - पशुधन भवन मोथरोवाला देहरादून, दूरभाष-0135-2532619, 9412055957 ईमेल- ceo.uldb2019@gmail.com उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग कार्यालय-पशुधन भवन, शीर्षतल, मोथरोवाला देहरादून, दूरभाष-0135-2532898 ईमेल-9412921171 ईमेल- uttarakhandgausewaayog@gmail.com
32.	डेयरी विभाग कार्यालय-निदेशक, डेरी विकास, मंगल पारो, हल्द्वानी, नैनीताल दूरभाष नं०-05946-252052, ईमेल- ukcdpdairy@gmail.com	33.	मत्स्य विभाग कार्यालय-निदेशक मत्स्य पालन, मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रांट (वनयात्री) देहरादून दूरभाष-096990216771, 7251037221 ईमेल- info.fisheriesuk@gmail.com
34.	वन विभाग कार्यालय-मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, 85, राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष नं०-0135-2741607 ईमेल- ccpfmua@gmail.com pccfuk@gmail.com niyojanbasic2017@gmail.com उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय-गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष-0135-2607092 ईमेल- msukpcb@yahoo.com	35.	आवास विभाग - उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण आवास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार राजीव गांधी बहुउद्देशीय परिसर, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून। दूरभाष नं०-0135-2719500, ईमेल- uhudauk@gmail.com उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण - 5 फ्लोर, राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून। दूरभाष-0135-2710348 ईमेल- ukrera2017@gmail.com comosclkbv&www.ukrera.org.in हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण - नियर तुलसी चौक मायापुर, हरिद्वार, दूरभाष-01334-220800 ईमेल- info@onlinehrda.com
36.	शहरी विकास विभाग - राज्य सफाई कर्मचारी आयोग-प्रीत विहार, फेज-2 इन्दिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर देहरादून। दूरभाष-0135-2971364, ईमेल- safaiayogukshasan123@gmail.com नगर निगम, देहरादून- नगर निगम, देहरादून, दूरभाष-0135-2714074, फैक्स-0135-2651060, ईमेल- nagarnigam.ddn@gmail.com	37.	पेयजल विभाग कार्यालय-मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून। दूरभाष नं०-0135-2676260, 2671658 ईमेल- pnu_uttranchal@rediffmail.com , upsvnn@gmail.com

“मेरी योजना” पुस्तक द्वितीय संस्करण (राज्य सरकार)

38.	राजस्व विभाग कार्यालय-राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास रिग रोड, लाडपुर देहरादून, दूरभाष नं. 0135-2689415, ईमेल-crc.ddn99@gmail.com	39.	परिवहन विभाग कार्यालय- परिवहन आयुक्त कार्यालय, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष नं. 0135-2608203, 2608107, ईमेल: transportdeptuk@gmail.com
40.	सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी, कार्यालय- आई.टी. भवन, प्लॉट न0-आई.टी. 07 आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष नं. 0135-2608330, ईमेल: diritda-uk@nic.in	41.	लघु सिंचाई विभाग कार्यालय - मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड लघु सिंचाई भवन, लेन न0-3 इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, रिग रोड, नन्धनपुर देहरादून दूरभाष- 0135-2672006, 9412911156, 9411197357, 9798121530 ई-मेल: cemiduk@gamil.com, staffo-mirri-uk@gov.in
42.	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तराखण्ड - महानिरीक्षक निबंधन, मसूरी बाईपास रोड, जोगीवाला नन्धनपुर, देहरादून, पुलिस न0-06 के समीप, दूरभाष-0135-2979384 सहायक महानिरीक्षक निबंधन-9759447777 उप निबंधक-9450589553, ईमेल-hod-sro-uk@uk.nic.in, aighq-sro-uk@nic.in, stampregndptuk@yahoo.co.in रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स - एकीकृत भवन, आर.बी.आई. के सामने, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून, दूरभाष: 05946-254301, 9410789439 ईमेल: drfscddn@gmail.com	43.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग कार्यालय-आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, गन्ना भवन, बाजपुर रोड काशीपुर उधमसिंहनगर दूरभाष-आयुक्त-8218561740, अपर आयुक्त-9412923103, संयुक्त-9720414618 ईमेल: commissionercanesugar@gmail.com,jccuk@rediffmail.com
44.	आबकारी विभाग कार्यालय- आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून दूरभाष: 0135-2656930, 9412102608, ईमेल: utkexcise@gmail.com	45.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग कार्यालय- निदेशालय, उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी (बडासी) थानों रोड-रायपुर देहरादून, दूरभाष: 8192895146, ईमेल: dir.ukdgm@gmail.com

PROGRA

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1905	सी०एम० हेल्पलाइन
155368	आयुष्मान हेल्पलाइन
1364	पर्यटन हेल्पलाइन
1078	आपदा प्रबन्धन सेवायें
1064	एन्टी करप्शन हेल्पलाइन
1098	चाईल्ड हेल्पलाइन
181	महिला हेल्पलाइन (आपातकालीन/गैरआपातकालीन परिस्थितियों हेतु)
112	आपातकालीन सेवा
104	स्वास्थ्य हेल्पलाइन
1551	किसान कॉल सेंटर
1800117800	मन की बात (सुझाव व विचार प्रेषित करने हेतु)
18002709818	सेवा का अधिकार आयोग
100	पुलिस
101	अग्नि
1514	नेशनल करियर सर्विस
14599	कॉमन सर्विस सेंटर
1072	रेलवे दुर्घटना आपातकालीन सेवा
1073	रोड दुर्घटना आपातकालीन सेवा
18008909715	वन विभाग
108	चिकित्सा सेवा

Uttarakhand Fire and Emergency Services

Social Media Links https://ukfireservices.com/uttarakhand_fire/

Facebook

<https://facebook.com/uttarakhandfireservice>

Instagram

<https://instagram.com/UttarakhandFireService>

WhatsApp

<https://whatsapp.com/channel/0029Va4ek2DATRSvzxNWNt2b>

Website

<https://ukfireservices.com>






Auli, Chamoli




Bagwa Mela, Champawat





मेरी योजना



कार्यक्रम
क्रियान्वयन
विभाग